खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-03)
अंक-90

शुक्रवार 10 अगस्त, 2018
19 श्रावण, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

R;eso t;rs

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-03) में अंक 86 के अंक 90 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय–सूची

सत्र-7 (3) शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (शक) अंक-90

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय मंत्रियों के वक्तव्य	2–30
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	30–38
4.	माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य	38–43
5.	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प (नियम–89)	43–102
5.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	102–196
6.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	196–518

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (3) शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (शक) अंक-90

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 3:05 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान

21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री प्रकाश
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्रीमती सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान
55. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-7 भाग (03) शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/श्रावण 19, 1940 (शक) अंक-90

सदन अपराह्न 3.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए ।*

माननीय अध्यक्ष : इस सत्र के अंतिम दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्टार्ड क्वेश्चन्स और 280... एक सैकण्ड विजेन्द्र जी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। स्टार्ड क्वेश्चन्स और 280, समय के अभाव में आज पढ़े हुए मान लिए जाएँ। और मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से बोलने के लिए और उसके बाद उप मुख्य मंत्री जी, उसके बाद गोपाल जी, सत्येन्द्र जैन जी, कुछ अपने विषय रखने के लिए उन्होंने लिखित रूप में भेजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, दो मिनट रुक जाइए, दो मिनट। माननीय मुख्य मंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना वक्तव्य रखेंगे।

माननीय मंत्रियों के वक्तव्य

माननीय मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था और

---

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद अभी 15 मिनट पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।

(समस्त माननीय सदस्यगणों ने मेज थपथपा कर घोषणा का स्वागत किया)

अरे यार! महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, खड़े हो के तारीफ तो कर दो! ताली तो बजा दो! उनको पता है किससे सुरक्षा चाहिए। ताली तो बजा दो! मुझे बेहद दुःख है कि भाजपा वालों को इसकी बिलकुल खुशी नहीं हुई हहै। पूरी दिल्ली पिछले कुछ सालों से जिस तरह से दिल्ली के अंदर अपराध की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरी दिल्ली के लोग इसकी वजह से बहुत व्यथित हैं। केन्द्र में भा.ज.पा. की सरकार है, दिल्ली पुलिस सीधे उनके अंडर में आती है, वो पूरी तरह से फेल हुए हैं दिल्ली के अंदर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए, गृह मंत्रालय केन्द्र का, प्रधानमंत्री दफ्तर, उनके एल.जी. साहब, और उनकी पुलिस दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हमारे हाथ में इतना ही था कि हम सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा सकें, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे तो एक डर रहता है एक आदमी के मन में कि भई सी.सी.टी.वी. कैमरे हैं तो मैं गलत काम करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे तो जो चोरी-चकारी है, उसमें भी बहुत कमी आएगी। सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे और भी जितने गलत किस्म के काम हैं, हम देखते हैं, सड़कों के ऊपर इल्लीगल तरीके से बसें खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कई दारू के ठेकों के बाहर गलत किस्म की गतिविधियाँ होती हैं, कई पार्कों के अंदर जुएबाजी होती है, नशेबाजी होती है, ड्रग्स का धंधा चलता है और सी.सी.टी.वी. लगेंगे तो भा.ज.पा. और कांग्रेस वालों को चुनाव के टाइम में पैसा और दारू बांटने में बड़ी कठिनाई पैदा होने वाली है।

तो ये पूरी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है लेकिन सबको ये बताना जरूरी है कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी हम लोगों को। दिल्ली के लोगों

ने हमें 70 में से 67 सीट देकर भेजा था ये सोच के कि भई, हमने तो पूरा कर दिया अब तो ये चुनाव... सरकार... लेकिन ये भा.ज.पा. वाले बाज नहीं आते इन्होंने जो पूरी अफसरशाही पर इन्होंने ऐसा कंट्रोल लगा रखा है, ऐसा वो कर रखा है हमने इन–प्रिंसीपल एप्रूवल अक्टूबर, 2015 में दिया था। इन–प्रिंसीपल के भई सी.सी.टी.वी. कैमरे लगने हैं, इन्होंने अफसरों के जरिए तीन साल फाइलों को ऐसा घुमाया–ऐसा घुमाया, इन लोगों ने तीन साल तक सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगने दिये इन्होंने।

...(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्री : और जब अंत में दो तीन महीने पहले ये हो गया भई कि अब तो लगने ही वाले हैं तो इनके एल.जी. साहब ने कमिटी बना दी। बोले, "कमिटी तय करेगी कि सी.सी.टी.वी. कैमरे कैसे लगेंगे।" उस कमिटी ने कहा कि सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तुमसे बंदूकों के लाईसेंस तो दिये नहीं जाते, तुम सी.सी.टी.वी. कैमरों लाईसेंस दोगे? डी.सी.पी. (लाईसेंसिंग) सी.सी.टी.वी. कैमरे लगने के अब लाईसेंस देगा। दिल्ली में जैसे सारे काम खत्म हो लिये। महिलाओं की सुरक्षा भी हो ली, सारे काम खत्म हो लिए। अब यही काम बचा है सी.सी.टी.वी. कैमरे! आप ही लोगों को डेटा आया हुआ है, आपके एल.जी. साहब का, आपके एल.जी. साहब का डेटा है कि दो लाख... पता नहीं तीन लाख कैमरे ऑलरेडी हैं दिल्ली में। तो इसका मतलब दो लाख लोग अब लाइन में लगेंगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के लाईसेंस लेने के लिए। तो लाईसेंस कैसे मिलेंगे; पैसे तो... राफेल डील से पैसे कम मिले थे क्या? पूरे हो गये। राफेल डील वाले पैसे जो सी.सी.टी.वी. कैमरों के पैसों से तुम्हारी पार्टी चलेगी? शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए! भा.ज.पा. को जवाब देना चाहिए दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि लाईसेंसिंग क्या... भा.ज.पा. सी.सी.टी.वी. कैमरों के लाईसेंस के पक्ष में है? सी.सी.टी.वी. कैमरों के लाईसेंस क्यों होने

चाहिए और अभी भी हम सुन रहे हैं, कल सवेरे से जब से पता चला है ना कि आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, सी.सी.टी.वी. कैमरों की। कइयों के फोन आ लिए, पत्रकारों के फोन आ लिए। बोले, "देखना जी, अभी तो एल.जी. साहब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना के भेजेंगे।" तो आज ये सदन अगर आप सब की सहमति हो तो इन तीनों की जिम्मेदारी लगाते हैं हम कि अब एल.जी. साहब से मिलकर आओ, यहाँ से सीधे जाओ... एल.जी. साहब से मिलकर आओ। किसी तरह की अड़चन नहीं अड़ायेंगे। तो मैं फिर दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ कि उनकी जो इतनी पुरानी, इतनी लंबी डिमाण्ड थी, अब वो पूरी होने जा रही है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि अब और इसमें अड़चनें भा.ज.पा. और कांग्रेस वाले थोड़ी शर्म करेंगे और अड़चनें इसमें नहीं अड़ायेंगे और दिल्ली में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगने देंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद बोलने का... कोई भ्रम नहीं है लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है जिक्र करना जरूरी है जो सी.एम. साहब ने छोड़ दी...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हमें तो बोलने दो।

माननीय उप मुख्य मंत्री : आपसे तो मदद माँग रहे हैं, मदद कहाँ कर रहे हो? भाषण नहीं माँग रहे, मदद माँग रहे हैं। आप भाषण देते रहते हो, मदद नहीं करते। आपके प्रधानमंत्री भी भाषण देते घूमते हैं सारी दुनिया में, करा कुछ नहीं उन्होंने पूरा जिंदगी, आप भी भाषण दे लो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने इसको एप्रूवल दी है। मैं... सी.एम. साहब बता रहे

थे कि किस तरह से तीन साल लग गये फाइलें घुमाते–घुमाते–घुमाते–घुमाते। इन्होंने हर दफ्तर की हर टेबल पर उस फाईलों में कील ठोंकने की कोशिश की लेकिन सी. एम. साहब और सत्येन्द्र जैन जी और तमाम लोग मिल के उसको हर जगह से आगे खिसकाते रहे, हर जगह से आगे खिसकाते रहे। लास्ट मिनट में जब आज तय हो गया कि अब तो सी.सी.टी.वी. क्या प्रोजेक्ट फाइनल कैबिनेट से एप्रूव होने ही वाला है और फाइलों में भी बहुत बढ़िया लिख गया कि भई चीफ प्रोजेक्ट है, जरूरत है, सब कुछ है, तब लास्ट मिनट में इन्होंने एक साजिश रची कि सुबह सुबह चीफ सैक्रटरी साहब से एक नोट दिलवाया उसमें लिखा कि ये जो कैबिनेट डिसीजन ले रही है, ये बड़ा हेस्टी डिसीजन है। हेस्टी डिसीजन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. लगाने का डिसीजन कैबिनेट ले रही है। तीन साल पहले अक्टूबर, 2015 में सी.सी.टी.वी. लगाने का निर्णय कैबिनेट कर चुकी थी। उसको ठेका देने का प्रपोजल तीन साल लग गये और अभी भी चीफ सैक्रेटरी साहब ने नोट लिख के दिया, राईटिंग में लिख के दिया कि साहब, ये तो हेस्टी डिसीजन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी सदन के रिकॉर्ड में रहे कि किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रोकने की आखिरी दम तक कोशिशें की जाती हैं। आखिरी दम तक, साजिशें रची जाती हैं। अफसरों को अपने एजेंट के रूप में यूज किया जाता है कि लास्ट मिनट में कुछ ऐसा लिख कर दे दो जिससे कि लोगों को डर लगे। इनको लगे कि यार! पता नहीं, हमारे खिलाफ क्या हो जायेगा! डरते नहीं हैं हम। चौराहे पर चढ़ाकर फांसी लगा दो या जेल में डाल दो अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है तो करके रहेंगे, करके रहेंगे और आज सी.सी.टी. वी. का प्रोजेक्ट इसी...

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये नोट चीफ सैक्रेटरी ने भेजा है, वो सदन के रिकॉर्ड में आ गया है।

माननीय उप मुख्य मंत्री : मैं ले कर आ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मंगवाइये, सदन के रिकॉर्ड में दीजिए।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदन ने... सर, मैं इसको भी सदन के रिकॉर्ड में रख रहा हूँ* और जो रेजल्यूशन आज अभी कैबिनेट ने पास किया, इसके जवाब में, क्योंकि ये साजिश के तहत नोट लाया गया था। इसके जवाब में जो रेजल्यूशन पास किया है, उसको भी मैं सदन के समक्ष रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों चीजें आपके समक्ष रख रहा हूँ, धन्यवाद। लेकिन ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि किस तरह से लास्ट मिनट तक साजिश करी जाती है।

माननीय अध्यक्ष : माईक खोलिए, कोई बात नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने अभी सी.सी.टी. वी. कैमरे पर एक स्टेटमैंट दिया है और मैं उनकी भावना को कि तीन साल तक साढ़े तीन साल तक...

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्ष : अभी दो मिनट देता हूँ मौका, इनको बोलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार अपनी कैबिनेट... जिसको वो हेड करते हैं, वहाँ तक प्रस्ताव को आने में जो तीन वर्ष की बात उन्होंने कही, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि कैबिनेट ने...

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपको बस चलता तो आज भी नहीं आता।

...(व्यवधान)

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर– 20658 पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप खुद जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार है। उनके 66 मेम्बर हैं, उनका सदन, सरकार पर काउंसिल आफ मिनिस्टर उनकी अपनी है। फिर उनकी कैबिनेट तक अगर प्रस्ताव नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की अपनी है कि सरकार में कितनी कोताही है, सरकार किस तरह काम कर रही है और सी.सी.टी.वी. जैसी छोटी चीज जो लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टैण्ट है, अगर आप उसको लगाने में कसीदे पढ़ रहे हैं...

माननीय अध्यक्ष : भई विजेन्द्र जी, बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलका लाम्बा जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, अभी इसके बाद नंबर दे रहा हूँ। सुश्री लाम्बा जी। इसके बाद आपको दे रहा हूँ।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, मैं तो सबसे पहले दिल्ली की केजरी वाल सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 'जो कहा, वो किया।' सी.सी.टी.वी. कैमरे के अपने वायदे को पहली बार नहीं, दूसरी बार, 2015 में और 2018 में कैबिनेट ने आज पास किया और बहुत दु:ख की बात है कि चीफ सैक्रेटरी श्री अंशु प्रकाश जी कहते हैं, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, शायद उन्हें बुरा लगेगा, मुझे नहीं मालूम, अंशु प्रकाश जी, आपकी बेटी है या नहीं है। जिस पिता की बेटी के साथ रोज बलात्कार और अपराध हो रहे हैं, जिस पिता ने अपनी जान अपनी बेटी की इज्जत के लिए गवाँ दी शायद वो दर्द आप महसूस कर पा रहे होते कि आज जिसे... आप नेता विपक्ष भी बहुत छोटी चीज बता रहा है। मेनका गाँधी जी कहती हैं, "पैसे की बर्बादी है।" एल.जी. साहब कहते हैं, "जरूरत नहीं है।" मैं कहूंगी, कितना बड़ा खिलवाड़ आप इस देश की बेटियों की सुरक्षा के साथ कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। पुलिस से ही पूछ लीजिए,

कितने मामलों में सबूत के तौर पर सी.सी.टी.वी. कैमरे का इस्तेमाल अदालतों में किया जा रहा है और अपराधियों को सजायें भी मिल रही हैं और अदालतों का कहना है, अगर सी.सी.टी.वी. कैमरा लग जाता है तो महिलाओं के अपराध जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'अपराध जो है, वो उनमें बहुत कमी आ गई है। आज दिल्ली पुलिस हो, गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री ने खुद 15 अगस्त दोबारा आकर खड़ा हो रहा है, 'बेटी बचाओ' का नारा देते हैं। देवरिया में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार में क्या हुआ? भोपाल में क्या हुआ? हमारी अनाथ नाबालिंग बेटियों के साथ लगातार अपराध करने वाला... चाहे वो उन्नाव हो, कठुवा हो या तो भा.ज.पा. का खुद का नेता है या भा.ज.पा. की सरकार में हो रहा है। और शर्म आती है जब ये सी.सी.टी.वी. कैमरा जो महिलाओं की सुरक्षा के मद्दे नजर लगना है, उसमें अड़ंगा डालने के लिए स्तर पर आ जाते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं लग रही। मैं इस बार सदन में खड़ी होकर जिम्मेदारी से कहती हूँ, श्री अंशु प्रकाश जी, चीफ सैक्रेटरी पूरे तरीके से भा.ज.पा. के हाथों खेल रहे हैं। जो ये कहते हैं जल्दबाजी में हुआ है, ये हो नहीं सकता है। आप टेंडर कॉल नहीं करते हो। सरकार ने ये फैसला कर दिया, सरकार की नीयत, केजरीवाल सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ है कि महिलाओं के प्रति, उनकी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कितनी वो गम्भीर है लेकिन भा.ज.पा. की सरकार क्योंकि अंतिम 18 महीने बचे हैं और केंद्र की सरकार के, केंद्र के चुनाव में लगभग 6-7 महीने बच रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश है, ये लोग तो देश की बेटियों को भा.ज.पा. और देश के प्रधान मंत्री जी नाकाम हो गए, देश की बेटियों को सुरक्षा देने में। अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रयास करती है तो हर अड़ंगा लगा दीजिए और मैं बिल्कुल कहूँगी, चीफ सैक्रेटरी अंशु प्रकाश जी के खिलाफ इस सदन में एक रेजल्यूशन, एक प्रस्ताव लाकर चर्चा करके इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए क्योंकि अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं

करेगी कि केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार और सभी लोग ये ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और ये ईमानदारी के प्रयासों पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और अभी भी ये प्रस्ताव जब कैबिनेट ने पास किया है अध्यक्ष जी, किसी को किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो दिल्ली सरकार को भी हम कहना चाहते हैं आज से पहले हाई कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले ये गुमराह थे, हम सभी लोगों को कि कैबिनेट के हर फैसले पर एल.जी. साहब की सहमति या मोहर लगना जरूरी है। हम सारा सदन, पूरे विधायक केजरीवाल सरकार के साथ ताकत बनकर खड़े हैं, आपकी कैबिनेट ने पास किया है, हम ऐड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि इस प्रस्ताव को एल.जी. साहब एक मिनट के लिए भी रोक ना पाएं और चीफ सैक्रेटरी को लगता है, जल्दबाजी में किया है! आपके इन भा.ज.पा. के हशारों पर इस प्रस्ताव को अगर रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है सी.सी.टी. कैमरा तो लगेंगे, कोई जाएगा तो सिर्फ आप जाएँगे क्योंकि आपकी मंशा पूरी तरह से साफ दिखती है, हम यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आश्वस्त हैं कि कैबिनेट का जो फैसला सी.सी.टी.वी. कैमरा पूरी दिल्ली में लगने का है, वो कत्तई भी उसमें देरी नहीं आनी चाहिए क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दिल्ली पुलिस चाहती क्या है, लाइसेंस राज कि जिन्होंने ढाई लाख कैमरे लगा दिए। उन्हें भी अब पुलिस में जाकर इजाजत लेने की जरूरत है। अगर जिन्होंने आर.डब्लू.एज, मार्केट हएसोसिएशन जिनको सरकार को सी.सी.टी.वी. कैमरे अब तक लगाए जाने चाहिए थे लेकिन केंद्र ने एल. जी. साहब और कभी चीफ सैक्रेटरी के माध्यम से ये होने नहीं दिया और आर.डब्लू. एज. मार्केट एसोसिएशन सभी ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर खुद लगा दिए और अब उन पर भी आँच आ रही है। कहा जा रहा है, सबके हटा दिए जाएँगे। आइए, परमिशन और इजाजत लीजिए। बिल्कुल एक-एक कैमरे की इजाजत देने के लिए ठीक कहा,

पुलिस के पास कितना वक्त है, वो हमें दिखता है कि आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस 15 लाख रुपये खर्च करके हवाई जहाज से कांवड़ पर फूल फेंक कर अपनी वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं। आज शर्म आती है कि दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से जब महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर लगना चाहिए।

आज दु:ख की बात है भा.ज.पा. के तीनों विधायकों ने सी.सी.टी.वी. कैमरे का प्रस्ताव जो केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट में पास किया है, उसके विरोध में आप खड़े हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती और हम भी इस बात पर अड़े हैं, ये आर और पार की लड़ाई होगी।

दिल्ली के हम सभी आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा देने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। इसके लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करना हो, चीफ सैक्रेटरी की तो दूर की बात, एल.जी. साहब की भी अगर कुर्सी से हमें बर्खास्त करने की माँग करके सड़कों पर आना हो क्योंकि हम आएँगे, क्योंकि सी.एम. के नेतृत्व में हम सभी विधायक पहले जब एल.जी. साहब ने सी.सी.टी. कैमरे की फाइल रोकी थी, मई का महीना था, तपती गर्मी में हम चार घंटे उस सड़क पर बैठे रहे, एल.जी. साहब ने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले। मुख्य मंत्री, सारी कैबिनेट के साथ हम दरवाजे पर बैठे रहे। दोपहर को 3.00 बजे से लेकर शाम को 7.00 बजे तक, एल.जी. साहब ने मिलने से मना कर दिया।

आज विपक्ष गुमराह करता है कि साढ़े तीन साल निकल गए, आपको अब कैमरों की याद आती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे आज ही बात आई है, आपके अनुसार, आज ही समर्थन कर दीजिए लेकिन आपकी नीयत दिखती है कि आप कत्तई भी दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा को लेकर गम्भीर नहीं हैं। आप सिर्फ इस कैमरों को इसलिए नहीं लगने देना चाहते क्योंकि आधे से ज्यादा बेटियों के प्रति अपराध में भा.ज.पा.

के नेता खुद शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर, भा.ज.पा. के विधायक जो आज भी बी.जे.पी. के सम्मानित सदस्य बने हुए हैं, वो इस बात का सबूत करते हैं।

अध्यक्ष जी, आप मुझे अगर इजाजत देंगे तो मैं इस सदन के सामने एक रेजल्यूशन भी रखना चाहती हूँ। इस रेजल्यूशन पर हम चाहते हैं चर्चा हो और इस रेजल्यूशन पर आज फैसला हो क्योंकि सी.सी.टी. कैमरा में हम छः महिला विधायक भी यहाँ पर हैं और इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है सिर्फ ये महिलाओं के नहीं, हर उस पिता जिसकी बेटी है, हर उस भाई जिसकी बहन है, ये उसके भी प्रश्न हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है। मैं इस रेजल्यूशन को इस सदन में पढ़ देना चाहती हूँ ताकि सदन की सी.सी.टी.वी. कैमरा, महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ, सख्त जो हमारा आज का हमारा स्टेंड है, उसको लेकर हम संदेश दे देना चाहते हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। आप केंद्र सरकार के इशारों पर अड़ंगे लगा–लगाकर, कभी मोहल्ला क्लिनिक, कभी सी.सी.टी.वी. कैमरा, कभी डोर स्टेप डिलीवरी राशन, इन सब चीजों को आप नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आपको सम्मान करना होगा। कैबिनेट के फैसले को आपको बिना देरी लागू करना होगा।

अध्यक्ष जी, आप इजाजत दे तो ये रेजल्यूशन मैं सदन के सामने पढ़ना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अभी दो मिनट रुकिये।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट, बैठिये, अभी करते हैं। चर्चा हो जाए। दलाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री सुखवीर सिंह दलाल : बस सर, धन्यवाद आपका।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस अंत में।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : हाँ, एक ही मिनट लूँगा सर। बोलना तो मैं नहीं चाह रहा था पर... आज उसका, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आज पगड़ी बांधकर आए हैं, बोलने का मौका मिल रहा है।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : अच्छा। मैं तो अरविंद जी और उसकी कैबिनेट का सर, तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि आज, मैं आपको दो साल पहले इसी सदन में, मैंने वो बोला था कि भई मैंने अपनी मिसेज से, घरवाली से, भागवान से पचास हजार रुपये उसने मेरे को दिए। जब तक तुम्हारे अरविंद केजरीवाल के कैमरे नहीं लगते तब तक मेरे गाँव के लिए उसने दो कैमरे दिए। आज सौभाग्यवश वो आपकी गैलरी में ही बैठी है। मुझे नहीं पता था कैबिनेट में ये पास हो गया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और वो भी आज मुझे लग रहा है कि वो पचास हजार रुपये मेरे माफ कर देगी। बाईगॉड मैंने दो साल पहले उससे कहा, भई इस-इस तरह मुसीबत है और कैमरे नहीं लग रहें। उसने अपनी जमा पूंजी में से पचास हजार रुपये निकालकर दिए और मैंने अपने गाँव में दो कैमरे लगाए। उससे पुलिस वालों ने भी दस केस तो मेरे सामने सॉल्व करके ले गए, हमारे दफ्तर से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अभी दो मिनट रुकिए। अभी-अभी, आपको मिल जाएगा समय।

...(व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलाल : एक और बता रहा हूँ अरविंद जी। मैं आपको हाथ जोड़कर हमें ऐसे लाइसेंस की...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई समय का... आज बहुत चर्चा के विषय हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलाल : बिना लाइसेंस के काम करके दिखाऊंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, प्लीज।

श्री सुखवीर सिंह दलाल : थैंक यू, सर।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। झा साहब।

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे कैबिनेट को धन्यवाद करता हूँ कि आज सी.सी.टी.वी. का जो पिछले तीन साल से हम सब लोग प्रतिक्षारत थे, आज उन्होंने पास किया और जैसा अभी विजेन्द्र जी कह रहे थे कि ये छोटी चीज है, विजेन्द्र जी इसी छोटी चीज में तीन साल लग गए। हम सब लोग आज से सात महीने पहले, 7-8 महीने पहले सारे विधायक गए थे सी.एस. के पास और यही रिक्वेस्ट करने गए थे कि सी.सी.टी.वी.

का जो आप फाइल रोककर रखे हुए हैं, उसको जल्दी निकालिए और मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर सी.एस. साहब इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा अभी माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बताया कि आज सुबह फिर से एक नोट आ गया। देखिए, इस तरह ये दर्शाता है कि पिछले एक साल से जो इनका रवैया रहा है, इस सरकार के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कह रहे हैं, सबको रोकने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन जो सी.सी.टी.वी. का जो प्रोजेक्ट था, ये दिल्ली की महिला सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। मुझे लगता है कि इस बार लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं सी.एस. साहब और दिल्ली की महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

एक तरफ दिल्ली में तरह-तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे दिल्ली में रेप की घटना हो, चोरी की घटना हो, डकैती की घटना हो, मर्डर की घटना हो, तरह तरह के अपराध दिल्ली में बढ़ रहे हैं। उसको रोकने में पुलिस बिल्कुल नाकामयाब रहा है। मैं अपनी विधान सभा की बात बताऊं। पिछले 6 महीने में हमारे विधान सभा में साढ़े चार सौ घर में चोरी हुई है, ढाई सौ कार चोरी हुए हैं तो लगातार अपराध बढ़ रहा है तो ऐसे में सी.सी.टी.वी. के लगने से कम से कम एक मानसिक दबाव रहता है अपराध करने वाले लोगों पर कि अपराध की घटना न बढ़ें। तो मुझे लगता है कि सी.एस. साहब जान-बूझकर एक पार्टी की तरह काम करके दिल्ली के जनता के हितों के काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है आपसे अध्यक्ष महोदय, कि इस तरह से मुझे लगता है कि जो अंशु प्रकाश जी हैं, वो जान-बूझकर दिल्ली की जनता के हित का काम नहीं होने देना चाहते हैं। तो उनको अब सी.एस. के पद पर रहने का अधिकार नहीं है और जैसा अभी अलका जी बता रही थी कि ये रेजल्यूशन इस हाउस में आए कि अगर सी.एस. साहब दिल्ली की जनता के हित का काम रोक रहे हैं तो उनको सी.एस. रहने का अधिकार नहीं है, उसको इमीजेटली हटाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : हाँ अलका जी, क्या प्रस्ताव है आपका?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, विजेन्द्र जी, आप बोल चुके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, बच्चियाँ भूख से मरी हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक सेकंड, आप विषय को फिर भटका रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आ रहा हूँ उस पर। इस पर तो चर्चा पूरी होने दो। मैं आ रहा हूँ उस पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कभी बंगलादेशियों को लेकर आते हैं, कभी किसी को-कभी किसी को। सदन ही को नहीं चलने देते आप। बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलका जी, अभी पूरा हुआ नहीं है। अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी मैं एक रेजल्यूशन...रेजल्यूशन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से ये रेजल्यूशन पढ़ देना चाहती हूँ सदन के सामने और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस रेजल्यूशन का समर्थन हमारे सभी विधायक साथी इस सदन में करेंगे :

"This House in its sitting held on 10 August 2018; Noting with concern the efforts of vested interests to delay and sabotage the implementation of the scheme of the Government to install CCTVs across Delhi;

This House resolves that CCTV installation in Delhi is an urgent need for protection of women and children of Delhi and should be executed with utmost priority;

This House also, condemns the Chief Secretary who appears to be acting on behalf of the BJP Government in Centre, for blocking the CCTV project and his act appears to be part of the conspiracy by opposition to further delay the CCTV Project;

This House demands that Shri Anshu Prakash should immediately be removed from the post of Chief Secretary, Delhi; and

This House also resolves that the delay that occurred in implementing this decision depsite the fact that the CCTV decision by Government was taken in October, 2015 needs detailed examination and therefore the

reasons for delay should be examined by the Appropriate House Committee".

ये मैं प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, क्योंकि हम याद दिलाना चाहते हैं जब 2013 में 49 दिन की सरकार थी। हमारे सिर्फ 28 आम आदमी पार्टी के विधायक थे, तब उस समय विधायक निधि से बहुत से विधायकों ने अपनी विधान सभा में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये, तब यही सरकार, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही सब चीजें थी, तब आपने क्यों नहीं रोका? जब विधायक अपनी निधि से लगा रहे थे ये कैसे नियम और पॉलिसी... मैं अध्यक्ष जी, बदलाव करके ये कर दिया गया कि अब विधायक निधि से तो छोड़िये, सरकार भी नहीं लगा सकती।

माननीय अध्यक्ष : अलका जी, आप प्रस्ताव तक रहिये, वो हो गया आपका।

श्रीमती अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूँ, यह प्रस्ताव सदन के सामने अगर सदन बेहतर समझे तो इस पर चर्चा के बाद अपनी मुहर लगाये ताकि हम अपनी शक्ति से फिर से अपनी गंभीरता को दिखा सकें कि किसी तरह का कोई भी समझौता महिला सुरक्षा से दिल्ली में नहीं किया जायेगा, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलका लाम्बा जी का यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें,

(सत्ता पक्ष के सदस्यों का समवेत स्वर हाँ)

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं इसके विरोध में हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप विरोध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये वोटिंग हो रही है ना, आप चर्चा कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको अवसर दिया बोलने का चर्चा में। चर्चा आपसे आरम्भ करवाई मैंने।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, चर्चा आपसे आरम्भ करवाई मैंने। देखिए, विजेन्द्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद, मैंने चर्चा करवाई आपसे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलका जी का...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो प्रस्ताव अलका जी का है :

जो उसके पक्ष में हैं, वे न कहें;

(सत्ता पक्ष की ओर से समवेत स्वर हाँ)

जो उसके विरोध में हैं, वो न बोलें,

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सामूहिक नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पारित हुआ, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री सत्येन्द्र जैन जी। अलका जी, अनिल जी, अनिल जी, दो मिनट, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले यमुना में बाढ़ आयी थी, तो उस समय पर पूरी सरकार ने, सरकार के सभी डिपार्टमैंट में बहुत अच्छा काम किया था, उसके प्रबंध में। मै। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन एण्ड फ्लड डिपार्टमेंट, हैल्थ डिपार्टमेंट, एम.सी.डी. सभी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा साथ ही साथ क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन हैं और मानसून सैशन है तो अभी थोड़े दिनों बाद डेंगू का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी तक, मैं जो भी तैयारियाँ हैं और जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

इस साल अभी चिकनगुनिया के दिल्ली में जनवरी, 01 जनवरी से लेके अब तक 35 केसेज हैं और पिछले साल इस टाइम तक 140 केसेज थे। मलेरिया के इस साल 01 जनवरी से लेकर अभी तक 88 केसेज हैं और पिछल साल इसी दौरान 150 केसेज थे, डेंगू के इस साल 49 केसेज है और लास्ट ईयर इस समय तक 118 केसेज थे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई बार ये आँकड़ा जो आता है, इसमें इसका दुगुना आँकड़ा बताया जाएगा, उसके अंदर पेशेंट्स दिल्ली से बाहर के होते हैं, तो इस आंकड़े का लगभग डबल हो जाता है। जैसे मैं मलेरिया में 188 बता रहा हूँ तो कई आँकड़ों

में आपको निकलेगा ये पौने दो सौ हैं। जैसे डेंगू के 49 हैं तो ये सौ से ऊपर निकलेगा। यह क्लेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ कि दिल्ली के जो पेशेंट्स हैं, उनका डेटा है, चिकनगुनिया के अंदर इसी दौरान आज तक के, अगर डेटा देखा जाये पिछले साल के मुकाबले 75 प्रतिशत पेशेंट्स कम हैं, पिछले साल के मुकाबले में, तो इसका मतलब जो तैयारियाँ चल रही हैं, जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा बेहत्तर है। फिर भी हम तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। ब्रुफेन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, जो बुखार के लिए लोग अक्सर अपने आप ले लेते हैं, उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी है अगले चार महीने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने एलाउ किया है कि फीवर रिलेटेड डिसीजेज का इलाज करने के लिए 10 से 20 परसेंट बेड्स वो बढ़ा सकते हैं, अक्टूबर तक के पेन किलर के लिए ये हमने कर दिया है। न्यज पेपर्स में हमारे रेगूलर एडवटाइजमैंट आ रहे हैं और लोग जो हैं, कमजोर हैं। एम.सी.डी. को हिदायत दी गयी है कि एम.सी.डी. के लोग घर-घर जा रहे हैं और डेंगू का मच्छर चैक करने के लिए, लार्वा चैक करने के लिए वो सारे एक्सरसाइज चल रही है, तो ये मुझे जानकारी देनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं...

माननीय अध्यक्ष : मैं आ रहा हूँ। मैं आऊँगा अभी। अभी मंत्रियों की ओर से निवेदन प्राप्त हुए हैं, मैं कैसे छोड़ दूँ उनको? आदरणीय गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री। वक्तव्य देना चाहते हैं अपना।

माननीय श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने दिल्ली के लगभग 50 लाख लोग जो अपने मेहनत से, अपने मजदूरी से, अपने खून-पसीने से इस दिल्ली को बनाने में, इस दिल्ली को चलाने में सब कुछ

न्यौछावर करते हैं, उन कर्मचारियों और उन मजदूरों के दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाये जाने के बाद जिस तरह से उस पर रोक लगाई गयी है, मैं इस सदन में उन सारे तथ्यों को सामने रखना चाहता हूँ।

आज पूरे दिल्ली का श्रमिक वर्ग दु:खी है। कल दिल्ली के सभी सेंट्रल और दिल्ली के राज्यस्तरीय यूनियन के साथ हमने मीटिंग की। सभी लोग अपमानित भी महसूस कर रहे हैं और सबके सामने जो उन्होंने अपने सपने देखने शुरू किए थे, देश के अंदर पहला राज्य दिल्ली सरकार बना था, जिसने साढ़े नौ हजार रुपये से बढ़ा करके साढ़े तेरह हजार न्यूनतम मजदूरी की। फैसला आने के बाद सभी लोगों के मन में एक सवाल है, लंबे-चौड़े फैसले में अदालत की तरफ से दो प्रश्न उठाये गये- एक, कि इसको लागू करने में जल्दबाजी की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मै। आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आज जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, आठ हजार, नौ हजार रुपये में दिल्ली के अंदर बिना ओवरटाइम, दिन-रात मजदूरी किये, कर्जा लिए कोई भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जो सबसे गरीब लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए भी किराया देने के बाद दोनों वक्त की केवल रोटी-सब्जी या दाल का इंतजाम करना अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करना, अपने माँ के लिए अगर इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज कराना।

आज 8-9 हजार रुपये में असंभव सा है। और जब भी कोई देश के विकास की बात सोचता है, दिल्ली के विकास की बात सोचता है तो कर्मचारियों और मजदूरों के बगैर इसका विकास असंभव है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अप्रैल महीने में 2016 में अप्रैल में हमने न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कमिटी बनायी। उस कमिटी ने नौ मीटिंगें की अगस्त के महीने में जब कमिटी ने अपना फैसला दे दिया, कैबिनेट के पास गया कैबिनेट ने फैसला दे दिया फिर एल.जी. साहब के

पास गया, एल.जी. साहब ने कहा कि हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं। एल.जी. साहब ने कहा, "इसी कमिटी को दोबारा बनाकर के हमारे पास फाइल भेज देंगे तो हम इसको अप्रूव कर लेंगे।" मैंने हाथ जोड़ा था, मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि अगर उन्हीं लोगों को दोबारा आकर अप्रूव करना है तो इतना अंहकार क्यों है? पोस्ट फैक्टो आप दे दो अप्रूवल। नहीं दी गई। दोबारा कमिटी हमने बनायी। दोबारा कमिटी बनी। उस कमिटी ने आठ मीटिंगें की आठ मीटिंगों के बाद अगले साल मार्च के महीने में कैबिनेट ने अप्रूव किया। 9-10 महीने तक लगातार कमेटियों ने काम करने के बाद न्यूनतम वेतन जो है, दिल्ली के अंदर निर्धारित किया। उसके बाद एक यूनियन जो है, वो गई कोर्ट के अंदर उसके बाद से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने लोगों को उकसाकर के धीरे-धीरे करते-करते 90 यूनियन तक को कोर्ट में पहुँचाया और उसका परिणाम आज हुआ कि आज दिल्ली के मजदूरों को आज पुनः अपनी दुर्दशा में जीने के लिए धकेला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सवाल पैदा किया, जल्दबाजी की गई, नौ महीने लगाये गये, तब जाकर के वो फैसला किया। सारी मीटिंगें हो गई, सब कमिटी बनी, और जिस फार्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन हमने लागू किया, अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन को भी कहना चाहता हूँ, मार्च के महीने में हमने न्यूनतम वेतन बढ़ाया, अप्रैल के महीने में उसी फार्मूले के आधार पर उन्हीं कमेटियों के आधार पर केन्द्र सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया। केन्द्र सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं गया। लेकिन दिल्ली के इस न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी की सरकार की पॉलिसी को गिराने के लिए एन-केन प्रकारेण सारा काम किया गया।

दूसरी बात क्या कही गयी कि ये जो फैसला लिया गया, इसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर डी.ए. को बढ़ाने को लेकर के विवाद पैदा हुआ था 2010 में, 2010 में कमिटी

बनी, 2010 की कमिटी में फिक्की के प्रतिनिधि थे, ऐसोचेम के प्रतिनिधि थे, सी.आई. आई. के प्रतिनिधि थे, केन्द्रीय सरकार में जो कमेटियाँ बनती है वहाँ पर भी इनके प्रतिनिधि होते हैं। आज तक देश के अंदर तमाम कमेटियों के अंदर ये प्रतिनिधि होते हैं। आज तक किसी भी फैसले को रद्द नहीं किया गया। लेकिन जान–बूझकर के दिल्ली के 50 लाख मजदूरों के पेट पर लात मारने के लिए ये केवल कोर्ट का फैसला नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे गहरी... क्योंकि एल.जी. साहब ने पहले रोका और आज जो फैसला आया है, उससे दिल्ली के 50 लाख मजदूरों के पेट पर लात मारा गया है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मजदूर विरोधी सोच है। दिल्ली के अंदर भी ये कुछ नहीं करने देना चाहते हैं और केन्द्र के अंदर भी ये लगातार उन नियमों को लेकर आ रहे हैं जिससे मजदूरों का अधिकार खत्म हो, लगातार ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे मजदूरों के अधिकार को कम किया जाये। उनका कहना है कि जब तक मजदूरों का अधिकार नहीं छीना जायेगा, उद्योग नहीं बढ़ सकता। डेवलपमैंट नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार एक मॉडल बना रही है; जहाँ उद्योग भी आगे बढ़ेगा और मजदूर भी आगे बढ़ेगा। एक नया मॉडल हिन्दुस्तान के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पैदा कर रही है। इससे इनको परेशानी है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज इस सदन की जिम्मेदारी क्योंकि इस सदन के अंदर जो लोग बैठे हैं, सारे लोगों को मजदूरों ने वोट किया है। कर्मचारियों ने वोट किया है। और ये बात, यही नहीं अध्यक्ष महोदय, हमने ये वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि हमारी सरकार बनेगी हम जितने कच्चे पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको पक्का करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने फाइल शुरू की सरकार बनने के बाद। एल.जी. साहब के पास फाइल भेजी गई, उसे रोक दिया गया। हम जब आज लगातार उन जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने की

कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी रोक लगायी जा रही है। हम जब मिनिमम वेज़ बढ़ा रहे हैं, वहाँ भी रोक लगायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि सदन को मजदूरों के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस दिल्ली के अंदर उनकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जो बनी है, इस सरकार में सबसे ज्यादा उन लोगों का हक है, उन लोगों का योगदान है जिन्होंने अपने खून-पसीने से इस दिल्ली को बनाने को और चलाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, कल हमने ट्रेड यूनियन्स की मीटिंग की थी। उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम वेतन कमिटी बनी, उसने जो प्रस्ताव किया, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया, उसको रद्द नहीं किया गया, वो जारी है। उसका फार्मूला, उसकी कमिटी सब सही है। हमने ये फैसला लिया है अध्यक्ष महोदय मजदूरों के मजदूरी को उनके न्यनतम वेतन को दिलाने के फार्मूले पर किसी ने नहीं ऑब्जेक्शन किया है। हमने ये फैसला किया है, जो राय आयी है, हम सरकार के साथ बैठकर के माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर के इस पर चर्चा करेंगे और ये प्रस्ताव आया है कि केन्द्र सरकार ने जो फार्मूला लागू किया है, आपको बता दो, अब मार्च में हमारा जो फैसला आया, उसके बाद उसी फार्मूले पर अप्रैल में उन्होंने बढ़ाया। अभी हमने ये फैसला किया है कि दिल्ली में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हम कदम बढ़ायेंगे और केन्द्र सरकार ने जो फैसला लागू किया है, उसी को दिल्ली के अंदर भी लागू करेंगे। वो डाल-डाल चलेंगे तो हम पात-पात चलेंगे लेकिन मजदूरों के हक को दिलाकर के रहेंगे। तब देखते हैं कि कौन जाता है हाई-कोर्ट। तब देखते हैं सुप्रीम-कोर्ट कौन जाता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर आज मजदूरों की जो हक की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, कौन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड बना है और वो भी काम कर रहा है। अभी दिल्ली के अंदर जितने ठेकेदारी पर काम करने वाले मजबूर हैं, उनका शोषण होता है। नौ हजार का आठ हजार मिलता है, सात हजार मिलता है इसके लिए भी सरकार काम कर रही है और हमारा प्रस्ताव कमिटी का आया है जो कैबिनेट की ...प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि दिल्ली के अंदर न्यूनतम वेतन बढ़ाने के साथ-साथ जितने आउट सोर्सिंग पर मजबूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो ठेकेदारी के थ्रू भर्ती बंद करके उन सारे कर्मचारियों का डॉयरेक्ट भर्ती सरकार करेगी जिससे उनका शोषण बंद हो जाये। ए.टी.एम के द्वारा हेर-फेर होता है, वो बंद हो जाये और फिर अगले चरण के रूप में अभी तो सारा कुछ चल रहा है, धीरे-धीरे एक-एक करके हम आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के विरोध में जिस तरह का षड़यंत्र कर रहे हैं... राजनीति करना अलग बात है लेकिन मजदूरों के पेट पर लात मारना ये न तो देश के पक्ष में है, न मानवता के पक्ष में है। अध्यक्ष महोदय, सबसे मेरी यही निवेदन है कि हमें मिलकर के इस मजदूरों के और कर्मचारियों के हक की लड़ाई है और दिल्ली सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। विजेन्द्र जी, हर चीज पे... क्या उन्होंने क्या, कौन सा गलत स्टैटमैंट दिया?

माननीय अध्यक्ष : मैं डिसअलॉउ कर रहा हूँ। विजेन्द्र जी कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नही आता। डेमोक्रेसी का तो दिल्ली में कत्ल कर चुके

हैं हम लोग। एल.जी साहब कत्ल कर चुके हैं। डेमोक्रेसी एकतरफा का चला है। अब चलिए, बैठिए-बैठिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। कोई गुमराह नहीं किया। विजेन्द्र जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोर्ट के फैसले ने जो दिल्ली सरकार की पोल खोली है कि नॉन एप्लीकेशन आफ माईड जो आपके बारे में ये कहा ...

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। महेन्द्र गोयल जी, आप क्या कहना चाह रहे है? महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी। बैठ जा भाई। अरे! मतलब नहीं , बात करने दे यार!

माननीय अध्यक्ष : नहीं प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल : विजेन्द्र जी, मतलब की बात कर, बैठ जाओ।

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र गोयल जी, क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री महेन्द्र गोयल : कि दो-दो शख्सियत ऐसी जो हमारे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : देश को नाज होता है तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और सी.सी.टी.वी कैमरे दिल्ली सरकार...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र जी आप अपनी बात रखिये बोलने दीजिए उनको।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास बोर्ड की एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था आज मैं। क्योंकि लगातार दो साल से हम लोगों ने ग्रामीण विकास बोर्ड के अंदर एस्टीमेंट बनवा के भेज रखे हैं और इसी सदन ने दो करोड़ रूपए हर गाँव छोटे हैं, कहीं पर बड़े हैं।

श्री विजेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी 3 बच्चों की मौत हुई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज, बैठिए, आप विजेन्द्र जी बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा, मैं अभी बात करूँगा। मैंने कहा, मैंने कहा बात करने को।

श्री महेन्द्र गोयल : विजेन्द्र जी, इधर ध्यान दो, आपके बिजनेस की बात आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, मैं आ रहा हूँ। पहले बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयल : आपके बिजनेस की बात आ रही हैं, आ जाओ, एक टिकट देनी है।

माननीय अध्यक्ष : अपनी सीट पर बैठिए, महेन्द्र जी। ये बहुत गहरा विषय जाएगा। मैंने मना नहीं कियाा, आप बैठिए, मैं दे रहा हूँ विषय। आप बैठिए, प्लीज। बोलिए महेन्द्र जी, बोलिए। महेन्द्र जी, आप बोलिए।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास बोर्ड के बहुत से एस्टीमेट गए हुए हैं और बहुत से... बहुत बड़े गाँव होते हैं, जिनके अंदर, जिसमें फण्ड ज्यादा लगना चाहिए और मैं मंत्री जी से आग्रह कि जिन गाँव के एस्टीमेट आए हुए है और जिनके एप्रूव हो चुके थे, उनके...

माननीय अध्यक्ष : मैं सवा चार बजे तक सदन स्थगित कर रहा हूँ।

(सदन अपराह्न 4.15 तक स्थगित हुआ)

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ महेन्द्र जी, बताइए आपकी बात। मैंने कहा आपसे मैं समय दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बताइए। आप बताइए।

माननीय अध्यक्ष : आपसे कहा है। चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक सेकेण्ड महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : मैं...

श्री महेन्द्र गोयल : ग्रामीण विकास बोर्ड के...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दो मिनट बैठिए श्री विजेन्द्र गुप्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम–55 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है।

आज सदन की बैठक तीन बजे प्रारंभ हुई है। प्रश्नकाल तथा विशेष उल्लेख के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के तीन संकल्प पर चर्चा होगी। अतः समय के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखते हुए आज कार्य–सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं किसी अन्य सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि सदन कार्यवाही के सूचारू रूप से संचालन में मुझे सहयोग दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव... आप उसके विरोध में.. हमारा आपसे कहना है, विपक्ष का यहाँ पे प्रोटेस्ट है कि तीन बच्चियों की मौत हो गई है।

(नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी माननीय सदस्य सदन के वेल मे आये)

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर आप सदन को एडजॉर्न न करते हो उससे...

माननीय अध्यक्ष : चलिए, चलिए, ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमारा नाम इसमें लिया जाए।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : विजेन्द्र जी, या तो आराम से बैठ जाओ या बाहर निकल जाओ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तीन बच्चियों के मौत हुई है भूख से।

माननीय अध्यक्ष : शुक्र है, आपको 5 दिन बाद ध्यान आय, बैठिए। बैठिए, प्लीज। प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये हँसने की बात है!

माननीय अध्यक्ष : मैं हँस नहीं रहा हूँ। मैं... आप बैठिए प्लीज। मैंने रूलिंग दी है। रूलिंग दे दी है मैंने। आप बैठिए । बैठिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप विपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे।

माननीय अध्यक्ष : आत फ्राइडे है। आज शुक्रवार है, गैर सरकारी...

श्री महेन्द्र गोयल : अरे भई, तुम बोलना जानते हो तो जनता भेज ही देती न तुम्हें यहाँ पे। तुम बोलना जानते ही नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प आए हुए हैं। आज शुक्रवार है गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का चर्चा का दिन है। शुक्रवार को रिजर्व रहता है। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। मैं विजेन्द्र जी, आग्रह कर रहा हूँ, बैठिए। हर विषय बड़ा है। सी.सी.टी.वी का... सी.सी.टी.वी का भी विषय बहुत बड़ा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तीन बच्चियों की मौत मामला गंभीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया सीट पर जाइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, मैंने अपने नियम की रूलिंग दे दी है अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब तक आप इस मामले को...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं अध्यक्ष जी, हम क्या बैठने के लिए आते हैं यहां?

माननीय अध्यक्ष : किसके लिए?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : यहाँ बैठने के लिए आते हैं क्या? हम बोलेंगे नहीं क्या?

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल : अगर बापू के तीन... उनकी तरह बैठ जाओ यहाँ पे।

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, मैंने रूलिंग... मैंने रूलिंग पढ़ के... नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार। मैंने रूलिंग पढ़ के नहीं सुनाई थी? रखा हुआ था मैं लेकिन जिस ढंग सो आप लोग बर्ताव करते हैं, मैं सह नहीं सकता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए। महेन्द्र जी। महेन्द्र गोयल जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला है। गंभीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष : आप जारी रखिए प्लीज। कोई बात नहीं, जारी रखिए आप। महेन्द्र जी, आप जारी रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तीन बच्चियों की मौत का मामला है।

माननीय अध्यक्ष : आप जारी रखिए प्लीज। कोई बात नहीं। जारी रखिए आप। महेन्द्र जी आप जारी रखिए।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास बोर्ड के... इसी सादन में बजट तौर पे प्रत्येक गाँव के लिए पास किए थे क्योंकि बहुत ज्यादा... और बहुत सी कांस्टिट्यूएँसी के अंदर काम बहुत बड़े बड़े हैं उनके लिए अलग से फण्ड का प्रावधान होना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है और इसपे चर्चा भी होनी चाहिए। अरे! ठहर तो जाओ। विजेन्द्र जी, इधर सुनो पहले।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं चेतावनी दे रहा हूँ। बैठ जाइए।

श्री महेन्द्र गोयल : विजेन्द्र जी, के लिए दो लाइनें कह रहा हूँ मैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठ जाइए।

श्री महेन्द्र गोयल : काम करो कुछ ऐसा।

माननीय अध्यक्ष : मैं चेतावनी के साथ आग्रह भी कर रहा हूँ। बैठ जाइए। अब आग्रह कर रहा हूँ, बैठें।

श्री महेन्द्र गोयल : अरे! सारी चीजें बोलूंगा, चिंता क्यों करे है?

माननीय अध्यक्ष : मार्शल्स

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिए...

माननीय अध्यक्ष : विजेन्द्र जी, आग्रह कर रहा हूँ बार बार। आप मेरे साथ जितना मर्जी आए, हाँ मार्शल, विजेन्द्र गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयल : अरे! मैं बोलूंगा अभी। आज इन्होंने उठा के बाहर फेंकेंगे। बता ढंग से बात करेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ बिल्कुल। मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

(मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को सदन से बाहर किया गया।)

श्री महेन्द्र गोयल : अरे! उठा के लेके जाओ! उठा के।

(विरोध स्वरूप श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री जगदीश प्रधान का सदन से बहिर्गमन)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी समझ लीजिए। आज कुछ भी समझ लीजिए। कुछ भी समझ लीजिए। कुछ भी समझ लीजिए। पूरे भारत में लगी हुई है। पूरे भारत में लगी हुई है। पूरे भारत में लगी हुई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आप बैठिए बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए ठीक है। जैसी आपकी इच्छा

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयल : इन बेइमानों को नसीहत देने के लिए दो लाइनें कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : चलिए महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लोटने का इंतजार करें। न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने को इंतजार करें।

माननीय अध्यक्ष : चलिए, रखिए विषय रखिए। महेन्द्र गोयल जी, क्या विषय है?

श्री महेन्द्र गोयल : ये बेईमान ऐसे हैं।

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : इनको तो आज खुश होना चाहिए था, इस विधान सभा के अन्दर दो महापुरूषों की फोटो लगी है और सी.सी.टी.वी कैमरे पास हुए हैं। इनको तो तालियाँ बजानी चाहिए। खुशी का इजहार करना चाहिए था। लेकिन ये बेईमान ऐसे, हैं, जनता की परवाह नहीं करते। किसी महापुरूष की कद्र नहीं करते है। सिर्फ अपनी हाँकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र गोयल जी, अब विषय पे आ जाइए।

श्री महेन्द्र गोयल : अब मेरा आपसे आग्रह है कि इसी सदन के माध्यम से दो करोड़ रुपये प्रत्येक गाँव के अंदर भी तक पैसे नहीं लगे हैं और उन दो-दो करोड़ रुपये के अंदर उसका काम नहीं चलता है। मेरा ये भी आग्रह है कि वो फण्ड भी बढ़ाया जाना चाहिए। जिन कांस्टिट्एंसी के अंदर गाँव कम हैं और बड़े गाँव हैं, अबर्नाइज गाँव हो गए तो उनके लिए एक्सट्रा फण्ड का मंत्री जी से आग्रह है कि उसका निर्णय लेके उनका प्रावधान करें और उन गाँवों के अंदर वो फण्ड लग सके। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी चर्चा करनी है या मंत्री जी को सीधा डायरेक्टर कह देना है, वो आप लोग देख लें।

माननीय अध्यक्ष : महेन्द्र जी। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, स्वीकार कर लिया।

माननीय विकास मंत्री (श्री गोपाल राय) : माननीय अध्यक्ष महोदय अभी जो माननीय सदस्य महेन्द्र गोयल जी ने बात रखी है। पहले ग्रामीण विकास बोर्ड के अंदर सभी ग्रामीण विधान सभाएँ आती थी जहाँ पर कहीं 20 गाँव हैं, कही गाँव हैं। पिछले साल सरकार ने निर्णय लिया कि अर्बनाइज और रूरल, सभी गावों के डेवलमेंट बोर्ड

का गठन हुआ। बजट के दौरान माननीय डिप्टी सी.एम, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहाँ पर रखा था कि हर गाँव को दो करोड़ दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड में कई जगह से ये बात आई है कि किसी विधान सभा में एक ही गाँव है और वहाँ पर फण्ड की ज्यादा जरूरत है, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि एक विधान सभा में अगर 20 गाँव हैं तो 40 करोड़ बनते हैं। उस 40 करोड़ को वहाँ के माननीय विधायक अगर कहें 10 की जरूरत है, 10 भी खर्च कर सकते हैं उनके ऊपर हैं। लेकिन अगर एक ही गाँव है तो उनके लिए दिक्कत आ रही है दो गाँव हैं कहीं, कहीं पे तीन गाँव हैं तो मैं माननीय सदस्यों को ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर कम गाँव हैं और आबादी ज्यादा है तो उसके हिसाब सो बोर्ड जो है, इस पर संवेदना के साथ विचार करेगा जिससे कि अगर कम गाँव हैं, वहाँ भी विकास के काम को हम पूरा कर सकें। तो जो इस तरह के प्रस्ताव हैं, ये बोर्ड क माध्यम से एक-एक केस टू केस निर्णय लेकर के और इस पर काम करेंगे, धन्यवाद

माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष : नहीं अब हो गया।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम) : अध्यक्ष जी, एक तो कल मैंने आश्वासन दिया था कि मैं कल सूचना दूँगा, जो नये स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, वो नवम्बर में शुरू किए जाएँगे। दूसरा, अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कल दिल्ली के जंतर-मंतर पे एक संगठन ने पुलिस की मौजूदगी में डॉ. बाबा साहब अम्बेडर जी के खिलाफ नारे लगाए और भारतीय संविधान की प्रति को जलाया, पुलिस की मौजूदगी में जलाया। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। ये देशद्रोह का मामला बनता है। लेकिन दु:ख इसलिए ज्यादा है कि पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में भारत के संविधान को जलाया जा रहा है और उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती

है। ये सब केन्द्र सरकार के सरंक्षण में हो रहा है। इसी प्रकार यू.पी. के अंदर... चन्द्रशेखर एक एडवोकेट हैं जो 200 पाठशालाएँ चलाया करते थे, उनके खिलाफ सहारनपुर के अंदर मुकद्दमा दर्ज करके, उनको जेल में डाल दिया गया।

और जेल में डालने के बाद जिस दिन हाई कोर्ट से इलाहाबाद से उनकी बेल हुई, उसी दिन उनके ऊपर रासुका लगा दिया ताकि वो जेल से न छूट पाएँ। एक साल से भी ज्यादा लम्बे समय से चन्द्रशेखर, एडवोकेट जेल के अंदर हैं और दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री ने यू.पी की सरकार से निवेदन किया था, जेल सुपरिन्टेंडेन्ट को लिखकर के कि मैं चन्द्रशेखर से मिलना चाहता हूँ और यू.पी की सरकार ने वो इजाजत देने से मना कर दिया। तो इस तरह की हरकत आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक तरफ भारत का संविधान जलाया जाता है और दूसरी बेकसूर दलित युवाओं को झूठे केस बना के जेलों के अंदर डाला जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो जंतर-मंतर पर भारत के संविधान की प्रति जलाने का जिसने काम किया, उनके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए और इसकी सूचना एल.जी. के माध्यम से सदन के पास भी आनी चाहिए। पुलिस कमिशनर को यहाँ से हिदायत जाए कि वो इसकी पूरी जाँच करके सदन को सूचित करें, धन्यवाद।

श्री अजय दत्त : ये बहुत गम्भीर है। इससे पहले अमानत भाई ने दिखाई है। उसमें एक पुलिस वाला बकायदा एक सफाई कर्मचारी को पहले डंडे से मारता है।

माननीय अध्यक्ष : ये माननीय मंत्री जी ने...

श्री अजय दत्त : और दिल्ली के अंदर बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को जलाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : अजय दत्त जी, ये बात माननीय मंत्री जी ने बहुत बेहतर ढंग से रख दी है।

श्री अजय दत्त : तो हमारी ये आपके माध्यम से गुजारिश है कि पुलिस कमिशनर को आप हिदायत दीजिए कि जिस व्यक्ति ने भारत का सविंधान जलाया है, जिसने बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी की है, उसको सजा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। बैठिए, अजय दत्त जी। बैठिए, प्लीज।

श्री अजय दत्त : नहीं तो हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने बैठेंगे और सारा दलित समाज उनके खिलाफ आकर रोष प्रकट करेगा। इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। आज दलितों को मारा जा रहा है। बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

श्री अजय दत्त : अब बाबा साहब के संविधान को भी जलाया जा रहा है।. ..(व्यवधान)...पुलिस कमिशनर को आप आज ही तलब कीजिए और उनको कहिए कि जिसने बाबा साहब के संविधान...

माननीय अध्यक्ष : अजय दत्त जी, माननीय मंत्री जी ने ये विषय बहुत गम्भीरता से रख दिया। बैठिए, प्लीज।

मुझे तीन गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प नियम-89 के अंदर... अजय दत्त जी, बात तो हो गयी ना। रख दिया मंत्री जी ने।

श्री अजय दत्त : तो मेरा ये आपसे अनुरोध है आप कमिशनर साहब को बुलाइए और उनको कहिए कि उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। क्योंकि उस पर कानून लगा के उस पर मुकद्दमा लगाया जाये।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब देखिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे सदन नहीं चल पाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं सदन... 280 के सबके महत्वपूर्ण है। खाली अकेला आपका नहीं है। मैं 280 के बोल चुका हूँ, पढ़ा हुआ माना जाएगा। बैठिए आप, बैठिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई, मैं अब उसको एलाउ नहीं कर रहा हूँ। उसको एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैंने मंत्री जी को एलाउ किया था। मंत्री जी का अधिकार है बोलने का सदन में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देखिए, मेरी बात समझ लीजिए एक बार। नहीं, बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूँ शुक्रवार का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का दिन रहता है। फ्राइडे सदस्यों द्वारा संकल्प लगाने का दिन रहता है और ये भी इधर-उधर चला गया तो दिक्कत होती है बड़ी। नहीं मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देखिए, मुझे मजबूर मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने 280 पर निर्णय दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, अब ठीक है। आप समाज पर मत लेके जाइए। समाज में मत लेके जाइए इसको। हर बात पर समाज पर लेके चले जाएँगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं बैठिए, बैठिए आप। आप मुझे अलग से लिखके दे दीजिए। आप मुझे अलग से लिख के दे दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं आप मुझे अलग से लिखके दे दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं। नहीं मुझे लिख के दीजिए। मैं देखता हूँ फिर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की । लिखके दीजिए मुझे। ये तो सभी के 280 के है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प नियम-89 के अंतर्गत मुझे तीन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए है। सबसे पहले सुश्री अलका लाम्बा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगी। सुश्री अलका लाम्बा जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूँ मैं कमिटी को रेफर करूंगा। लिखके दीजिए। आप लिखके दीजिए मुझे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसे नहीं, सदन नियम से चलेगा। इतनी देर की कोई बात नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक हैं, कोई बात नहीं। आप बैठ जाइए अलका लाम्बा जी बताइए। सदन का प्रयोग उस बात के लिए कीजिए। अलका लाम्बा जी।

अगले दो पेज की दो-दो कॉपी होनी हैं।

सुश्री अलका लाम्बा : मान्यवर अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

श्री संदीप कुमार : ये उसका मुद्दा है ये।

माननीय अध्यक्ष : अलका जी, आप पढ़िए ना जी।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प (नियम-89)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी ये सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और बन्दरों के कारण उत्पन्न समस्या...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आपको शोभा नहीं दे रहा हैं ये। मुझे मजबूर होना पड़ेगा। प्लीज, बैठ जाइए। किसी नियम में आपने दिया नहीं है।

सुश्री अलका लाम्बा : क्रूरता न हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी नियम में आपने नहीं दिया है। बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए। संदीप जी, मैने सभी... या तो ये...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको सबको समय दूँ। किसी अकेले को नहीं दूँगा। और मैंने बोला, ये पढें हुए माने जाएँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको जवाब? हाँ, वो उनके विषय अलग हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री संदीप कुमार : वाल्मीकि समाज का मुद्दा... ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। नहीं, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, लिखके दे दीजिए आप। मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। आप लिखके दीजिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलका लाम्बा जी।

श्री संदीप कुमार : आपके हाथ जोड़ के निवेदन है।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, आपको वाकया याद होगा कुछ दिन...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको संदीप जी, ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं। आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं। आप इसी सरकार में मंत्री रहे हैं। आपको शोभा नहीं दे रहा है। बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए संदीप जी। संदीप जी, बैठिये प्लीज। अलका जी, बेलिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा, मैं 280 में आप एक लैटर लिख के दीजिए मुझे। आपने लगाया है। मुझे दस के दस विधायको को मौका देना पड़ेगा। एक को नहीं मैं दूँगा। बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, अत्यन्त गम्भीर मामला है। आपको और हमें सदन को...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे। आप पूरे सदन की... मैं आदेश दे चुका हूँ कि माननीय दस के दस सदस्य जिनका 280 में

लगा, वो पढ़ा हुआ माना जाये। कोई बात नहीं। चलिए, बोल लीजिए आप। जितना मर्जी है बोल लीजिए।

श्री संदीप कुमार : आप कितने भी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संदीप जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप माननीय सदस्य रहे हैं इस सदन के। मंत्री रहे हैं। मार्शल्स। बहुत आग्रह किया, मार्शल्स।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं। सदन की कार्यवाही नियम से चलेगी। आपके तरीके से नहीं चलेगी। आप यही चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ। सरकारी संकल्प का बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप छोड़िए आप। आप समझ ही नहीं रहे है बात को। चलिए, कोई बात नहीं, पता लगेगा।

...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री संदीप कुमार को मार्शल्स द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

माननीय अध्यक्ष : अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं एक बार फिर संकल्प पढ़ देना चाहती हूँ। ये सदन संकल्प करता हैं कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और बन्दरों के कारण उत्पन्न समस्याओं को लेकर ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाने की

अत्यन्त आवश्यकता है। नगर निगम को खोज करके रचनात्मक और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कुत्ते और बन्दरों के द्वारा काटे जाने की घटनाएँ न हो और इन जानवरों के प्रति क्रूरता भी न हो। अध्यक्ष जी, हमें याद है कि पिछले सदन में जब हाउस चल रहा था तो एकदम से सब का ध्यान ऊपर गया और पता लगा कि तीन–चार बंदर जो है, वो ऊपर थे और इस तरह का हादसा सिर्फ दिल्ली विधान सभा नहीं, पार्लियामैंट में, राज्य सभा में भी उठा है कि राज्य सभा, राष्ट्रपति भवन वहाँ पर भी काफी बंदरों का आतंक है। यह मामला इसलिए इसलिए गम्भीर हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी ही पुरानी दिल्ली में एक बच्ची को कुत्तों ने पूरी तरह से नोच डाला और उस बच्ची को हम बचा नहीं पाए।

बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल जहाँ पर कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लगते हैं, वहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग रोज़ना छः हजार लोग सिर्फ एक दिल्ली के नगर निगम के अस्पताल में कुत्तों के कटाने का इंजेक्शन लगाने आ रहे है इसलिए आज इस सदन में यह मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि यह रैबीज, कुत्ते के काटने से जो फैलता है शरीर के अंदर ज़हर, उसका है कि अगर हो गया तो आपको मौत से नहीं बचाया जा सकता है तो इसीलिए यह गम्भीर मामला अपने आप में बताना है। मेरी चांदनी चौक विधान सभा के आँकड़े एम.सी.डी. से माँगे गए, दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली नगर निगम भाजपा के अधीक है। तीसरी टर्म है, बारह साल इनके है। पूछा नगर निगम से, "क्या कोई पॉलिसी, क्या नीति, क्या कोई तरीके खोजे?" जवाब मिलता है, "हमने अखबारों में लाखों रुपये के विज्ञापन दे दिए हैं। लोगों से सुझाव माँग रहे हैं। आइये और हमें बताइये। हमें सुझाव नहीं सूझ रहा है।" बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली नगर निगम का काम है कि जो आवारा कुत्ते हैं या जिस तरह से बंदरो ने आंतक मचाया हुआ है और उनके काटने से हमारे कितने लोग जो हैं, वो मौत का शिकार हो रहे हैं। यह मेरा नही हमारे बाड़ा हिंदूराव का ही आंकड़ा

है। हर रोज़ 250 से 300...अध्यक्ष जी, यह छोटा नबंर नहीं है, 250 से 300 जो है, कुत्ते काटने के मामले आ रहे हैं अस्पताल मैं, दिल्ली का बता रही हूँ जिसके आँकड़े उपलब्ध हुए और छः हजार लोग जब रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए वहाँ पहुंचते हैं, वहीं अंदर जो इंतजार में बैठे थे, उन्हें ही वहाँ पर बंदरो ने काट लिया और वहाँ पहुंचते हैं, वहीं अंदर जो इंतजार में बैठे थे, उन्हें ही वहाँ पर बंदरों ने काट लिया और वहाँ पर कुत्तों ने आंतक मचाया हुआ है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि इनका स्टरलाइजेशन करने के लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। पर सरकार से जब इन्होंने पैसा माँगा, तो इन्होंने कितना पैसा मांगा? 2300 करोड़ से ऊपर का माँगा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम को कहो कि आपके अस्पताल क्यों चल रहे?" कूडा क्यों नहीं उठ रहा? "पैसा नहीं है।" आपके अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है? "पैसा नहीं है।" आज आवारा बंदर और कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। अखवारों में ये देते हैं, बल्कि हमनें इतने कुत्तों को उठा लिया, स्टरलाइज कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी घटनाओं में कभी नहीं आ रही। सीधा लोगों की जिंदगी और मौत के मामले... खास तौर से पुरानी दिल्ली बोंटा पार्क का आप संस्थाओं ने कहा है कि आप खाना मत दीजिए। खाना देते है बंदर और कुत्ते आएँगे। वो भी आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो सम्भव करना नहीं है।

बहुत सी संस्थाएँ... हम लोगों ने साउथ दिल्ली में देखा कि एक कश्मीर का परिवार था, कुत्ते को खाना दे रहा था, पड़ोसियों को मंजूर नहीं था। हिसां तक पर वहाँ पर उतर आए।

मैंने पुरानी दिल्ली का बताया कि एक बच्ची को नोंच कर खा गए। छः हजार रोज के एक अस्पताल के मामले हैं लेकिन दिल्ली नगर निगम के पास एक अकेला रोना है, वो कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

हाई कोर्ट ने बताया है और हमारा सारा प्रस्ताव, हमारा जो पर्यावरण विभाग है, उसे जाना है और वो कहता है, "प्रस्ताव बनाकर भेज दीजिए, हम देखेंगे।" और उन्हें भी, यह 2300 करोड़ रुपया जो बनाकर भेजा है, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा लग रहा है।

बात यह है, केरल की भी एक घटना हुई जहाँ पर कुत्तों से तंग आकर लोगों ने बहुत गलत... मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ लेकिन लोग कहीं कहीं मजबूर हुए कुत्तों को जलाना शुरू कर दिया और ऐसी तस्वीर आ रहीं है जिसे हम देख भी नहीं पाएँ। अब दिल्ली के लोग भी इतना त्रस्त है आपस में झगड़ रहे हैं, कोई इनको के लिए मुहिम चल रही है; कुछ सस्थाएँ और कुछ इनमें परेशान होकर इन्हें मारने पर आ रही हैं और कहीं लोग हिंसा भी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : अलका जी, कन्क्लूड प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि नगर निगम को इस पर तुरंत कोई सख्त पॉलिसी लाकर इनकी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि लोगों की और बच्चों की जिंदगियों पर बन गया है। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : अब अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं और संशोधन भी दे सकते हैं। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने इस पर बोलने का मौका दिया।

ये जितने भी अरबन इलाके है, गाँव के अंदर मैंने देखा है यह समस्या कम पाई जा रही है फिर भी। मगर जितनी भी कालोनीज है; डी.डी.ए. की कालोनी हो गई या कोठियाँ हो गई और जनता फ्लैट्स हो गए, वहाँ पर यह सुनने में ट्रिवियल लगता

है, सुनने में ऐसा लगता है कि विधान सभा जैसी जगह पर इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है स्ट्रे मंकी के ऊपर विधान सभा के अंदर चर्चा हो रही है। सुनने में यह बात बड़ी हल्की-फुल्की लगती है मगर जो विधायक साथी अपने क्षेत्र के अंदर आर.डब्ल्यू. एज. के साथ या अपने लोगों के साथ के साथ बातचीत करते हैं, उनको यह मालूम है कि यह एक बहुत विकट समस्या है दिल्ली के अंदर और अक्सर महिलाएँ और बच्चे जो हैं, वो इसकी शिकायत करते हैं कि हमारी कालोनीज के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी आबादी पर कंट्रोल भी नहीं हो रहा और ये खूंखार होते जा रहे हैं। आइये, आइये। स्वागत है आपका आप। तो यह अपने आप में अध्यक्ष जी, एक बहुत समस्या वाली बात है और इसके अंदर कई तरीके से कोर्ट के माध्यम से भी कुछ कर्स्ट्रेंट्स हैं कि यह जो डॉग्स मैनेस है, इसके अदंर डॉग्स को आप उस इलाके से ले जा भी नहीं सकते। इनके साथ कोई क्रूरता भी नहीं कर सकते। एक काम जो नगर निगम करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इन डॉग्स को स्टरलाइज करते हैं तो डॉग्स को वो पीरियोडिकली बीच में ले जाते हैं और कुछ एन.जी.ओज. हैं, जिसके साथ नगर निगम का कांट्रेक्ट है। उनको ये स्टरलाइज करके वापस छोड़ देते हैं। मगर यह इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इतने साल स्टरलाइजेशन के बाद भी हम देख रहे हैं कि यह जो आबादी है, यह बढ़ रही है। एक तो यह जो पूरा का पूरा स्टरलाजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर गड़बड़ियाँ हैं। यह नाम के लिए स्टरलाइजेशन किया जा रहा है मगर डॉग्स स्टरलाइज हो नहीं रहे हैं। इनकी आबादी बढ़ रही है।

और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अदालतों के निर्देश के बावजूद इसके अंदर कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जाने चाहिए कि इनकी आबादी के ऊपर सिर्फ स्टरलाइजेशन के अलावा भी कुछ चीजें हों, जिसके अंदर इसके ऊपर चर्चा हो, कुछ और भी मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव और इन्नोवेटिव तरीके हो सकते हैं जैसे कि इनके बाड़े बना दिए जाएं जगह-जगह पर जहाँ पर इन लोगों को ये जो डॉग्स हैं, इनको

वहाँ पर छोड़ दिया जाए और वहाँ पर सरकार की तरफ से या एम.सी.डी. की तरफ से इनके खाने-पाने का ध्यान रखा जाए ताकि कोई क्रूएलटी भी न हो और कम से कम रिहायशी इलाकों के अंदर इनकी जनसंख्या कम हो जाए। ओमप्रकाश जी, मुस्कुरा रहे हैं मुझे मालूम है कि इनके इलाके भी जो हैं, ईस्ट दिल्ली के अंदर इनके यहाँ श्रेष्ठ विहार है, आनंद विहार है उस तरीके के इलाकों में भी बहुत बड़ी समस्या है। तो यह बात कहना कि यह एम.सी.डी. का काम है। यह बात ठीक है कि यह एम.सी.डी. का काम है मगर मुझे लगता है कि दिल्ली विधान सभा की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से इसके अंदर कुछ योगदान हो, कोई कमिटी बने जो इसके ऊपर चर्चा करे। एक्सटर्स जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनके भी चर्चा की जाए कि क्या एक सही तरीका हो सकता है इस प्रोब्लम से निपटने का। क्योंकि मुझे लगता है जैसी यह समस्या दिल्ली में है, इस तरीके की समस्या बाकी देशों के अंदर भी कैपिटल सिटीज के अंदर या अन्य अरबन सेंटर्स के अंदर रहीं होगी और उन्होंने किसी न किसी तरीके से इसका समाधान निकाला होगा तो इसके ऊपर चर्चा हो, इसके ऊपर विचार-विमर्श हो और इसका समाधान निकाला जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। दिल्ली के अंदर आवारा कुत्तों और बंदरों से होने वाली समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। छोटे बच्चे हों, महिलाएँ हों, बुजुर्ग हों पार्कों के अंदर, सड़को पर आते-जाते मार्किट के अंदर, कहीं भी कुत्तों का पीछे पड़ जाने का मामला, कुत्तों के काटने का मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आम लोगों की बात तो छोड़िये, मेरे पश्चिमी दिल्ली की बात है; बी.जे.पी. के निगम पार्षद स्थानीय दौरे पर थे, लोगों को स्पीच दे रहे थे। लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, इतनी देर में कुत्ते ने आकर पीछे से उनको काट लिया। अध्यक्ष जी, निगम पार्षद कुछ नहीं कर पा रहे इसमें, जिनकी ड्यूटी है, निगम के अंदर क्या होता

है? आप सवाल पूछो, इसी सदन की बात है, इसी सात तारीख को चार सवाल पूछे थे एम.सी.डी. से। एक बिल्डिंग डिपार्टमैंट के करप्शन पर था, एक लाइसेंसिग के करप्शन पर था, एक हेल्थ डिपार्टमैंट से था, एक एनक्रोचमैंट से था। चारों सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए। आपने यहाँ पर व्यवस्था भी दी थी। आप कह रहे थे हम सख्त निर्देश भी दे रहे हैं।

हम कोई समिति को भी फारवर्ड कर रहे हैं। आप उस पर भी प्लीज क्लेयरिटी दीजिएगा कि भई, वो सवालों के जवाब क्यों नहीं आ रहें। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि कुत्तों पर भी अगर सवाल पूछा जाएगा की कितने कुत्तों को पिछले 2-3 सालों में स्टरलाइजेशन किया गया है। क्या आप कोई ऐसे प्रभावी काम किए गये हैं जिससे इस समस्या के ऊपर कंट्रोल किया जा सके तो उसका भी जवाब इस सदन को आने का नहीं है। तो ऐसा क्या नया होने जा रहा है जिससे सॉल्यूशन निकले। अध्यक्ष जी, जो अफसर वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब जनतंत्र का पूरे तरीके से एम.सी.डी. में गला घोट के रखा हुआ है। इलेक्टेड काउंसिलर वहाँ कुछ नहीं बोल सकते। आप देख लीजिए विधानसभा तक को एम.सी.डी. कमिशनर की तरफ से यू.डी. सेक्रेटरी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि इनमें कोई जवाब भी पूछा जा सके तो मैं सौरभ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई न काई ऐसी कमिटी, कोई न कोई ऐसी सख्ती की जानी चाहिए जिससे उनकी जवाबदेही फिक्स हो और जो बातें क्योंकि इनको सब सही लगता है। मैं सदन का भी मेंबर हूँ, एम.सी.डी. हाउस का भी मेंबर हूँ। वहाँ पर इनको लगता है, "जी, बड़ा सब सिस्टमैटिक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कोई बिल्डिंग डिपार्टमैंट में करप्शन नहीं है।" और जो पैसे की बात कर रहे हैं, अलका मैम ने बोला जी 2300 करोड़ रुपय माँग रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी अगर आप आँकड़ा लगाएँ वैसे हर चीज पर रोना रोते हैं, "जी पैसा नहीं है।" आज दिल्ली में हर जगह पर कोई 25 गज का मकान बनाए तो 25 हजार रुपये

लैंटर का फिक्स है। कोई 50 गज का मकान बनाए तो 50 हजार रुपये लैंटर का रेट फिक्स है।

माननीय अध्यक्ष : जरनैल जी, चर्चा जिस विषय पर है, उस पर ही।

श्री जरनैल सिंह : मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : देखिए, एम.सी.डी. पर चर्चा नहीं है।

श्री जरनैल सिंह : एम.सी.डी. की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री जरनैल सिंह : एम.सी.डी. करप्शन छोड़कर वो पैसा तरीके से लेना शुरू कर दें तो पैसे का रोना ही खत्म हो जाएगा पैसा तो सारा करप्शन में जा रहा है मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : चर्चा एम.सी.डी. पर नहीं है चर्चा डाग्स और मंकीज की व्यवस्था पर है।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, वही बात कह रहा हूँ।

श्री जरनैल सिंह : वो पैसे माँग रहे हैं, पैसे से सही हो रहा है तो करप्शन एम. सी.डी. में खत्म हो जाए, पैसा आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : चलिए, बोलिए।

श्री जरनैल सिंह : मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि जो सवालों के जवाब एम.सी. डी. से नहीं आए, हम क्या करेंगे अध्यक्ष जी, इस सदन में जनता की आवाज ही उठा सकते हैं ना। 15 दिन पहले स्टार्ड क्वेश्चन का टाइम आता है, सवाल लगाएँगे जवाब ही नहीं आएगा, क्या करें?

माननीय अध्यक्ष : अलका लाम्बा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आपका क्या कहना है? उस प्रस्ताव पर चर्चा करिए।

श्री जरनैल सिंह : मैं बिल्कुल जो इन अफसरों का चश्मा है, उस चश्मे के लिए दो लाइनें बोलकर अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। किसी ने बड़ी खूबसूरत दो लाइनें बाली हैं जी। इनको लगता है, सब ठीक चल रहा है कि :

'लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे,

पावं फैलाया अंधियारों को जिया कहते थे।

लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे जी, सब बढ़िया चल रहा है, चल लू रही है। पांव फैलाया अंधियारों को जिया कहते थे पर उनका अंजाम तुम्हें मालूम नहीं शायद कुछ और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते कहते थे। छः महीने रह गए हैं, कुछ करना है कर लो नहीं तो अंजाम तुम्हारा भी वही है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस सदन के अंदर 280 के तहत मैने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। हम हर वक्त इस मुद्दे को उठाते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। लास्ट टाइम हमने बकायदा चंडीगढ़ का उदाहरण दिया था जहाँ कि जो भी कुत्ते का विक्टिम रहा; डॉग बाइटिंग का, उसको एक लाख रुपये उन्होंने कम्पनसेशन दिया तो जब हमने 280 के अंदर मुद्दा उठाया था ये तो अभी तक विभाग ने...

श्री सौरभ भारद्वाज : तो लोग पाल के कटवा लेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अगर सदन इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहता है तो मै छोड़ देता हूँ विषय।

श्री सोमनाथ भारती : ये इतना गंभीर विषय है हम लोग पता नहीं, क्या तमाशा बना रखा है।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदया, ये जितना अर्बन इलाका अपनी दिल्ली के अंदर है, ये मुद्द हर जगह है और इनफेक्ट जितनी पॉस कालोनीज हैं वहाँ पर कुत्ता और बंदर के काटने के अलावा कुछ मुद्दा ही नजर नहीं आता उनको।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ चूंकि आपने कई बार सदन को भरोसा दिलाया कि 280 के तहत जो भी मुद्दे उठाये जाएँगे उसका जवाब आएगा तो उसका जवाब क्यों नहीं आया, नंबर वन।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज मुद्दा उठा है ये और मैं अभी 31 जुलाई की जजमैंट पढ़ रहा था। उसके अंदर चूंकि दो बड़ी घटनाओं को मेरे संज्ञान में लाया गया; एक जो 2007 में हुआ। 2007 में भाजपा के एक्स मेयर बंदर के काटने के डर से छत से गिर और मर गए और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2018 जुलाई की एक ये न्यूज रिपोर्ट अदंर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये बात चल रही है और बड़ा जो कमैंट हाईकोर्ट का है, इस मुद्दे के ऊपर अधिकारियों के प्रति तो हाईकोर्ट कह रहा है कि जी, 'monkey population problem aggavating with each day in delhi. should we request monkeys now, that do not procrete? तो हाईकोर्ट 2018 में कह रहा है 2007 में भाजपा के एक्स मेयर की डेथ हो गई और 2018 तक कोई वेक्सीनेशन नहीं है, कोई स्टरलाइजिंग करने का कोई तरीका नहीं है बंदरो का, तो माननीय उच्च न्यायलय ने कहा है कि भई whether monkeys should be asked not to Procreat or bite people till the govt. comes out with the method to sterilize them; तो ये स्थिति

है और जब कि हाईकोर्ट के अंदर चूंकि एक और जजमैंट 2001में आया था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने बकायदा सबको संज्ञान में लेते हुए कहा कि और वो 2000 का है। सन 2000 में एक रिट पेटिशन फाइल के अंदर new friends colony resident vs union of india उसके अंदर यही मुद्दा था तो सन 2000 से जो मुद्दा चल रहा है 2007 में इन्टरिम पीरियड में एक मेयर की डेथ भी हो गई बंदरों के चक्कर में और 2018 में भी यही चर्चा चल रही है के भई, वो स्टरलाइज करने का वेक्सीन कहाँ है? तो बिल्कुल सीरियस नहीं है इसके ऊपर। उसमें ये कहा गया है के जी, 25 हजार मंकी दिल्ली में है और 25 हजार मंकी को सेटल करने के लिए ट्रेप करने के लिए स्टरलाइज करने के लिए साढ़े 23 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन हास्यास्पद भी कह दें और निराशाजनक भी कह दें कि कोई भी डिपार्टमैंट इसमें सीरियस नजर नहीं आ रहा। न तो एम.सी.डी. सीरियस नजर आ रही है, न जो एन्वारन्मैंट का मिनिस्ट्री का डिपार्टमैंट है, वो सीरियस नजर आ रहे है तो इसका जवाब इसका इलाज कहाँ से आएगाा कौन करेगा ये दिल्ली वासियों को बंदरो और कुत्तों के आतंक से कौन मुक्ति दिलाएगा? ये तरह तरह के बंदर, तरह तरह के कुत्ते है दिल्ली में। कुछ का इलाज तो आ जाता है लेकिन जो मेन वाला मुसीबत है, उसका इलाज नहीं आता जिससे कि मुसीबत बनीं पड़ी है दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष महोदया, ये...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : क्या कह रहे हैं? तो ये मैं...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कितनी तरह के कुत्ते हैं, यही पूछा रहा था।

माननीय अध्यक्ष : सोमनाथ जी आप अपना विषय रखिये, प्लीज। अब कन्क्लूड करिए इसको।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय 15 फरवरी, 2018 के एक कोर्ट के जजमैंट में जो ये छपा है, बड़ा ही इटरेस्टिंग है। माननीय उच्च न्यायालय के बेंच नंबर

वन का ऑब्जर्वेशन है कि वो कह रहे हैं; even we are not able to walk out of our houses as the stray dogs trouble us a lot; कौन कह रहे हैं? ये बैंच कह रहा है। बैंच नंबर वन, उसका ऑब्जर्वेशन है कि हम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ पर कुत्ते के काटने का डर होता है तो उसके बाद उन्होंने, उनके जो सॉलिसिटर जरनल हैं, ए.एस.डी. जो हैं, संजय जैन साहब, उनका भी कहना है, "हाँ जी हमारा भी मुसीबत यही है।" तो वकील भी मुसीबत में है, जज भी मुसीबत में है और यहाँ तक की एक जज साहब को कुत्ते ने काट लिया, उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं आया है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हमें कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : तो एक्स मेयर के साथ नहीं हो, जो तुम्हारे बी.जे.पी. के मर गये बेचारे!

माननीय अध्यक्ष : भई सोमनाथ जी आप आपस में नहीं, उनको बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, तो मेरा ये चूँकि इसमें जो मेजर मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ, चूँकि बंदरों के लिए तो ये मुसीबत आ रही है कि अभी तक 2018 तक कोई वेक्सीनेशन नहीं बना है, कोई वेक्सीन नहीं बना है जिससे की स्टरलाइज कर सकें, उनको नंबर वन। और जो साढ़े 23 करोड़ रुपया जो देना है, 25 हजार बंदरों को कंट्रोल करने के लिए एन्वायरन्मैंट मिनिस्ट्री को उसको आपके माध्यम से मिनिस्ट्री को बोला जाए कि भई इसको आप रिलीज करिए।

नंबर दो, चूंकि ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे यहाँ डीयर पार्क है और डीयर पार्क से जो आतंकित लोग हैं वहाँ के बंदरों से और कुत्तों से वो लोग गये थे

हाईकोर्ट के अंदर और मैं इसका भुक्तभोगी... कह सकते हैं और चूंकि कई बार मैं पार्क में खुद जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कुत्तों की जो लड़ाई चल रही होती है बड़ी ही खतरनाक होती है और डर लगता है कि कहीं आपके ऊपर ही न लपक पड़े वो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे काटा नहीं है अभी तक लेकिन क्षेत्र के अंदर आंतक बहुत है। इस आतंक का कुछ न कुछ इलाज किया जाए और माध्यम से जो मैंने आपको फिगर्स बताए है और जो समस्या बताई है कि इनके स्टरलाइजेशन का बहुत मुसीबत है ये। आपके माध्यम से कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा जाए के भई, इसका इलाज जल्द से जल्द लेकर आया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। पिछले कई सेशन्स में मैं तकरीबन चार बार 280 में ये मुद्दा कुत्तों के मैनेस का जो है और बंदरों के मेनेस का उठा चुका हूँ, चार बार 280 में।

श्री सोमनाथ भारती : कुछ हुआ नहीं अभी तक।

श्री नितिन त्यागी : हाँ, हो भी नहीं पाता। जब 2015 में इलेक्शन हुआ था तो ये प्रॉब्लम भी आई और रेगूलरली बहुत बार आई। तो एम.सी.डी. में उस समय जो पार्षद थे, उनसे पूछा, भई कैसा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि एक एन.जी.ओ. है, उसको फोन करते हैं, एक वैन आती है और आकर लेकर जाती है। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया। पब्लिक कह रही थी, कोई वैन नहीं आ रही है। कोई कम्पलेंटस के बाद कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उस एनजीओ को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले पाँच साल से ई.डी.एम.सी. ने हम लोगों को यहाँ से पैसा नहीं मिला। कुछ साल से हमको पैसा नहीं मिला है। डयूज बहुत हैं। इसलिए

हम ईस्ट एम.सी.डी. का ये डॉग्स का स्टरलाइजेशन का काम है, ये नहीं करते हैं। सौरभ भाई कर रहे थे कि स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम है, ईस्ट एम. सी.डी. में तो वो प्रोसेस है भी नहीं। कुत्तों की हालत ये है, देखिए हम लोग सब मजाक बना लेते हैं इस चीज को और हँस लेते हैं पर कभी खुद सोच के देखिएगा। अधिकांश जगह ईस्ट दिल्ली के अंदर जो मोहल्ले हैं, वो गलियों में है। गली-गली, विहार तो बहुत कम लोगों के यहाँ है। विहार वाले बहुत कम है। हमारा लक्ष्मी नगर पूरा गलियों में है। शाहदरा भी अधिकांश गलियों में है। कुत्तों की हालत ये होती है कि वो जहाँ गंदा कर सकते हैं, वो तो कर ही देंगे। गर्मियों के अंदर आप जाइए किसी भी गली के अंदर। सोमनाथ जी, आपके साथ भी शायद हुआ हो। मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आप गली में मुड़िये। जहाँ पर कुत्ते ने गंदा किया होता है, उस पर मक्खियाँ होता है। गली में जरा सी हलचल से ही मक्खियाँ उड़ती हैं। आपके भी ऊपर आकर बैठती हैं। हर एक के साथ ऐसा होता है। ये छोटी चीज नहीं है। हम लोग कितनी स्वच्छता की बात कर लें। कितना 'स्वच्छ भारत' के नाम पर अपनी छाती पीट लें। हम अपने चेहरे को साफ नहीं कर पाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद हो। किसी भी पार्टी का विधायक हो। जिनसे लोग एक्सपैक्टेशन रखते हैं। क्योंकि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में नवरात्रे शुरू हो जाएँगे और गली-गली में जागरण हो रहे होंगे। हम लोग विधायक... लाजमी है, सब लोग जागरण में जाते हैं। एक गली से दूसरी गली जाते हैं तो पैदल ही जा रहे होते हैं। उस वक्त रात के टाइम पर जागरण हो रहे होते हैं। कुत्ते किस तरीके से गैंग बनाकर घूम रहे होते हैं, प्रत्यक्ष नजर आता है। कैसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, ये भी प्रत्यक्ष नजर आता है। बार-बार लोगों के कम्पलेंट करने के बावजूद! देखिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ये बढ़ती चली जाएगी अगर इसको रोका नहीं गया तो। हाई कोर्ट के डिसिजन.... हाई कोर्ट में जो भी बातचीत हो रही है, वो बताया तो सही सोमनाथ भाई ने और उस पर

लोग हँस भी लिए, परन्तु एक ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट की ये भी है कि: 'People should not have any problem with others who feeding stray dogs in their locality.' ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद जितने भी डॉग लवर्स हैं, उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन का पोस्टर बना कर हर गली में लगाया है। क्या ये रैकेट है कि जो कुत्ते अगर काटते हैं तो उसके रैबीज के जो इन्जैक्शन हैं, उनका कोई कनेक्शन है। आपने कहा, 'कमिटी बनानी चाहिए, कमिटी बनाना चाहिए।' और उसमें एनिमल राईटस वाले को भी पूछना चाहिए, मुझे लगता है, हयूमन राईटस वालों को भी पूछना चाहिए। गली मोहल्लों में रहने का हक आज की तारीख में तो कम से कम कभी जंगल रहे होंगे, तो कुत्ते रहते होंगे, बन्दर रहते होंगे। आज जब अर्बनाइज हो चुका है तो क्या ह्यूमन, जिन्होंने वो घर खरीदा है। वो जो टैक्स दे रहे हैं का, बिजली का, पानी का खर्चा कर रहे हैं, उन्हें वहाँ रहने का हक नहीं है? तो ह्यूमन राईटस वालों को भी रखना चाहिए, उस कमिटी के अंदर। ये प्रोब्लम इतनी एग्रावेटेड है और इसका सॉल्यूशन! वो बता रही थी अलका जी कि केरला में जला दिया कुत्तों को। दो दिन पहले जहर देकर हमारे मेरे क्षेत्र में मारा है एक कुत्ते को। ऐसा अक्सर होता है जहर देकर मारते हैं कुत्तों को और कई जगह पर ये हो रहा है। इस पर सब चुप हैं। इस पर तो आवाज नहीं उठती है, उठनी चाहिए। जवाबदेही होना चाहिए। पहले तो कुत्ते बढ़ कैसे रहे हैं? इनका भी सैंसस होना चाहिए कि कितने है। अगर बढ़ गए हैं तो इसकी जवाबदेही किस की होगी? जब तक इन सब चीजों की ऐकाउन्टेबिल्टी नहीं होगी ये कभी कन्ट्रोल नहीं हो सकती सर। हम कयास लगाते रहे कि भई उस गली में सात कुत्ते हैं, उस गली में इतने कुत्ते हैं, ऐसे नही। इनका सर, सैंसस होना चाहिए। उसके बाद जवाबदेही होनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली सरकार की जवाबदेही हो, चाहे वो एम.सी.डी. की हो। अगर एम.सी.डी. फेल्योर घोषित हो रही है तो हम कब तक एम.सी.डी. के लिए रोते रहेंगे? दिल्ली सरकार को आगे बढ़ कर भई नागरिकों ने तो हमें भी वोट दिये हैं। हमारी भी

रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। हम कब तक ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता कार्यक्षेत्र में? हमे ऐसा स्टेप लेना चाहिए सर, हमें सक्षम बनाएँ, हमारे कार्य क्षेत्र में ये चीज आएँ। हम करके दिखाएंगे अगर एम.सी.डी. से नहीं होता, नहीं होता। हैं वो नालायक नाक्कारे। पर उनकी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो, ये कब तक सहन किया जाएँ? कुत्ते को थोड़े ही पता होता है, ये विधायक है। ये विधायक है। वो हमें भी काट सकता है। तो हम लोगों को कम से कम इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। ये दिल्ली सरकार इसके ऊपर विचार करे और विधायकों को इस चीज में एन्वोल्व करे कि ये जो परेशानी जो बढ़ती चली जा रही है और आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है कुत्तों की। और पॉपुलेशन न बढ़े, इसको कन्ट्रोल किया जाए, इस मैनेस को कन्ट्रोल किया जाए, इस मैनेस को कन्ट्रोल किया जाए। चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो मंकीज हों। इस मैनेस को कन्ट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर एम.सी.डी. नहीं कर पा रही है तो अपने यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएँ, अपने यहाँ पर प्रावधान बनाएँ, सब लोग साथ दें उसमें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी बहन अलका ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिससे पूरी दिल्ली क्या पूरा देश क्या पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया के अंदर ये स्थिति खराब है जी। हमारे जैसे छोटे-छोटे देश और भी है जहाँ बहुत है। सर, डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट है कि 59 हजार आदमी हर साल मरता है कुत्तें की बाइट से। इतनी बुरी स्थिति है। हमारे यहाँ एम.सी.डी. के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ नही पता उनको कि कितने कुत्ते

कहाँ है। इनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है। मैंने चार दिन पहले डी. सी. से मीटिंग की थी। उसके ऊपर किसी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। एन. डी.एम.सी. के पास फिर भी रिकॉर्ड है। एन.डी.एम.सी. ने बताया कि 2015-16 के अंदर उनके क्षेत्र में 16 लोगों की मृत्यु हुई, रैबीज के कारण। 2016-17 में 14 की रैबीज के कारण डेथ हुई है। स्थिति ये है कि स्टरलाइज करना बहुत मुश्किल है कुत्ते को और सबसे ज्यादा दिक्कत है बंदर के साथ। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि इसमें क्या है। क्योंकि अभी तक हम लोग केवल क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सोल्यूशन क्या है इसका। क्योंकि जैन साहब बैठे हैं। जैन साहब को याद होगा एक बार हम लोग इस कुत्ते के काटने के ऊपर जैन साहब से भी मिले थे और जैन साहब ने इसके ऊपर बहुत इन्ट्रेस्ट भी लिया था। शायद जैन साहब को याद हो। तो इसको लिए सोचा गया था कि जगह मिल जाए तो वहाँ पर कुत्तों को इकट्ठा किया जाए, किस तरह से स्टरलाइज किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत हैं, हमारे साथ बंदरों की। बंदरों को स्टरलाइज करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो पकड़ा ही नहीं जा सकता उनको। इसके लिए मैं बताऊँ आपको, इंग्लैंड के अंदर एक शोध हुआ है जिसके अनुसार; उन्होंने बिस्कुट बनाया है, जिस बिस्कुट को कुत्ते के खाने से या बंदर के खाने से स्टरलाइज हो जाता है। उसके बाद उसकी जनरेशन नहीं बढ़ती है। एक तरीके से वो बिस्कुट जो है, स्टरलाइज का काम करता है। अगर सरकारें इन्ट्रेस्टड हों तो उनकी कम्पनियों से वो मंगाकर इसका एक प्रयोग किया जा सकता है जिससे इसको रोका जाए।

दूसरा, इसका एक और मैं बता दूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर कालोनी में बहुत कुत्तों से हमारी जनता भी बहुत परेशान है जनकपुरी के अंदर। मैं जनकपुरी की एक कॉलोनी के अंदर विजिट पर गया। वहाँ पर देखा, एक पार्क को उन्होंने बन्द कर रखा था। उस पार्क के अंदर लगभग 95 कुत्ते थे। 95 के आसपास कुत्ते थे उसमें पार्क के अंदर!

कॉलोनी वालों ने उसी में बदं कर रखा था। वहीं खाना दे देते थे। उसका हल निकालने की बात हुई। वैसे तो ये हल मैं एक नहीं तो जितने जानवर प्रेमी हैं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे लेकिन आपके सामने इसका एक छोटा सा हल और बताता हूँ। उनको मैने एक छोटा सा हल बताया कि जहाँ पर कुत्ते सबसे ज्यादा हों, वहाँ पर आप सिरके का प्रयोग कर सकते है; पानी में घोल कर डाल दें, कुत्ता उस एरिया में नहीं आएगा। एसिड हो जमीन पर डालना है, आपको पानी में घोल कर। उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उस कॉलोनी के अंदर अब केवल 15-16 कुत्ते बचे हैं, सारे कुत्ते उस एरिया से चले गए, छोड़ कर। लेकिन ये भगाने के बाद एक कॉलोनी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं। स्टरलाइज ही किया जा सकता है, मारा नहीं जाता। मारने के पक्ष में हम कभी भी नहीं है। ये दो तरीके हैं जिससे हम कुत्तों को अपने एरिया से हटा सकते है। उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। जैन साहब के साथ शोधा चला था लेकिन आगे वो प्रोग्राम नहीं बढ़ा। हमारी कोशिश ये थी कि दिल्ली सरकार क्योंकि एम.सी.डी. तो निकम्मी हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है। वो केवल पैसे बटोरने के अलावा कोई और धंधा नहीं है उनके पास। अगर हम चाहें तो हम कहीं पर भी इनको रखने की व्यवस्था करें। पशु प्रेमी बहुत लोग हैं जो इनके जमीन और जगह देते हैं। तो उसको पालने के लिए भी तैयार हैं। सरकार... जिस तरह से भी माँगा गया, 23 हजार करोड़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो 23 हजार को छोडिए आप केवल 10 हजार करोड़ भी दे दीजिएगा तो बहुत से पशु प्रेमी है जो आपकी दिल्ली के लगभग मैक्सीमम कुत्तों को वो सम्भाल लेंगे अपने आप। चलो 23 सौ करोड़ मान लेते हैं फिर भी बहुत हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऋषि जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री राजेश ऋषि : मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहे और हमारी सरकार चाहे तो इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश अगर करें। अगर दिल से करेंगे तो इस काम को हम कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, अजय दत्त जी, बैठिए। कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने इस इश्यू के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं दो-दो म्युनिसिपैलिटी में काम करता हूँ इसलिए मैं भी जो अपना एक्सपीरिएंस है या जो हमारे अधिकारी एन.डी.एम.सी. के जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो है ना, बताऊँगा क्योंकि इससे पहले सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, उससे पहले हमने आम जनता है, उसको भी इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि जब टीवी के ऊपर आता है और महाराज जी कहता है, 'कर भला, काले कुत्ते को पीले रंग का आइटम खिलाना है तो सबेरे सबेरे बहुत सारे लोग लोटे लेके गलियों में घुमते रहते हैं; काला कुत्ता कहाँ है? भारी डिमाण्ड रहती है। परन्तु ये जो इश्यू है, आप किसी भी गली में चले जाओ, चाहे गाँव में चले जाओ, चाहे आप दिल्ली के पॉश क्षेत्र चाणक्यपुरी के अंदर आ जाओ, कुत्तों की समस्या हरेक कालोनी के अंदर है, इस समस्या को दूर करने के लिए एन.डी.एम.सी. की, एम.सी.डी. कर और दिल्ली कैंट बोर्ड की जिम्मेवारी है परन्तु कुत्तों को पकड़ के उनका ऑपरेशन करने से, उनको कोई फायदा नहीं मिलता और गली में अगर किसी की गाय जा रही है, किसी का पशु जा रहा है, उसको पकड़ के और वो गउशाला तक या कहीं दूसरी जगह उसको बंद कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर उनका अपना इंटरेस्ट रहता है। एन.डी.एम.सी. लगातार बंदरों को पकड़ने का काम करती है और बंदरों को पकड़ती भी है, पिंजरे के अंदर बंद करती है और जंगल के अंदर छोड़ के आती है। इसका जो है टेंडर दिया हुआ है, एक कंपनी है और खूब सारे बंदर पकड़ते हैं। दूसरा, कुत्तों को पकड़ के ले के जाते हैं मोती बाग के अंदर हमारा वेटरनरी का हास्पिटल है जिसके अंदर उनका ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद उसको बाद उसको उसी गली में छोड़ दिया जाता है। कुछ हद तक मैं कहूँगा, एन.डी.एम.सी. के एरिया के अंदर कंट्रोल है परन्तु जहाँ से पॉलिसी बननी है, जहाँ से सरकारों ने काम करने हैं,

वहाँ पर तो एन.डी.एम.सी. ने भी प्रधानमंत्री के घर के आसपास 14 आदमी को लगा रखा है, इस एरिया के अंदर कोई बंदर न आए, इस एरिया के अंदर कोई कुत्ता न आए, इस एरिया के अंदर किसी प्रकार की दखल अंदाजी न हो उस इलाके में। बाकी इलाके के अंदर उसी प्रकार कुत्ते घूमते रहते हैं जो अभी कई माननीय सदस्यों ने बात रखी है, इसके लिए सरकार एक फण्ड बना के डी.डी.ए. से जमीन की डिमाण्ड करके और कुछ क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से गउशालाएँ बना रखी हैं, उसी प्रकार से जो है, कुत्ता शाला भी बनाई जाए। उससे दो तरह की समस्याओं का सामधान होगा; जो गलियों में जो है ना, बाबाओं के बताने के बाद लोटे ले के घूमते हैं, उनको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक मंदिर की तरह वहीं सीधे उस कालोनी में जहाँ तरह तरह के कुत्ते मिलेंगे...

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : और दूसरा जो है, उससे जो है ना इनकी जितनी भी नफरी है, उनका जो ऑपरेशन करने के लिए सुविधाएँ रहेंगी और उसकी डिटेल रहेगी। आज जो है, उसकी डिटेल नहीं है, कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं परन्तु जो है ना, उसका ऑपरेशन हुआ, न हुआ, क्या किया उन्होंने... अपने रिकॉर्ड के अंदर चढ़ा लेते हैं, ये करोड़ों रुपये का बहुत बड़ा घोटाला है। मैं ये कहूँगा, इसकी जाँच भी की जाए। दूसरी तरफ कई सारी एजेंसियाँ ऐसी हैं, जैसे एम.सी.डी. का बताया, इसी प्रकार दिल्ली कैंट बोर्ड सब तरह के पशु-पक्षी को पकड़ती है।

माननीय अध्यक्ष : कमांडो जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : पशु-पक्षी को पकड़ने के नाम के ऊपर मना कर देती है कि कुत्तों को पकड़ेगे, छोड़ के कहाँ पे आयेंगे? हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए व्यवस्था नहीं है तो एम.सी.डी. के पास, कैंट बोर्ड और कई चीजों के पास में जो है ना वेटरनरी का ऑपरेशन करने की व्यवस्था नहीं होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए, सभी मेंबरों की बात को ध्यान में रखते हुए विधायक फण्ड से प्रावधान रखा जाए। कुत्तों को शिफ्ट कराने के लिए हम लोगों के जो विधायक निधि कोष है, उसके अंदर इसका वो दिया जाए कि हम कुत्तों को कहीं दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करवा सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिन्द!

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें उससे पहले मैंने इसीलिए टोका था, ये विषय बहुत गंभीर है। अपनी इस विधान सभा में बंदरों का बहुत बड़ा उत्पात रहता है। हमने एक लंगूर बंदर रखा हुआ था, उस पर भी बैन हो गया। अब एक व्यक्ति वो आवाज निकालता है। उससे बंदरों से सुरक्षा हो पाती है। ये तो एक सिस्टम बन गया लेकिन अब पिछले 15 अगस्त पर लाईटिंग करते हुए छत पर बंदर आ गए, एक मजदूर जो लाईटिंग कर रहा था, वो नीचे गिरा सीधा। वो तो भगवान की दुआ से बच गया और न्यूज पेपर में... विजेन्द्र गुप्ता जी का मेरे पास फोन आया कि मुझे ऐसा समाचार मिला है, मृत्यु हो गयी, विधान सभा के अंदर। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं तुरंत आया विधान सभा में जानकारी मिली कि नहीं, व्यक्ति सुरक्षित है, ठीक है, थोड़ी चोट लगी, हास्पिटल ले गये थे, ठीक हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है। अभी जिसका सोमनाथ जी ने जिक्र किया उप महापौर और एक सेकण्ड, ओम प्रकाश जी जिक्र कर रहे थे कि मेरी विधान सभा में ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं की विधान सभा में ये घटना घटी थी। उप महापौर बाजवा जी छत से गिर के मरे थे। 2007 की घटना उप महापौर के पद पर थे वो। एक अच्छा व्यक्तित्व था लेकिन ये घटना घटी और इस पर हमें कुछ न कुछ सरकार को कॉरपोरेशन से मिलकर बातचीत करके इस सदन को समस्या का हल निकालना चाहिए। अभी माननीय सदस्यों का सुझाव भी आया था अगर एम.सी.डी. इस पर नहीं कुछ कर पा रही है तो दिल्ली सरकार इसको ले, कहीं न कहीं व्यवस्था करे, सुझाव आया है एम.एल.ए. फण्ड से

भी हम गाड़ी-वाड़ी मिलाकर के डिस्ट्रिक में ले सकते हैं जो उनको छोड़... उसपे हम खर्चा कर सकते हैं। एक सुझाव ये भी आया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा, वो इस समस्या का समाधान के साथ कुछ उत्तर दें, क्या समाधान किया जा सकता है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भैया, बातचीत नहीं। माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : दिल्ली के अंदर जो कुत्तों के काटने की समस्या है, काफी गंभीर समस्या है। मैंने अभी कुछ अस्पतालों का डाटा मंगाया है कि डेली कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है? जी.टी.बी. हॉस्पिल में 550 मरीजों को डेली लगाते हैं। डी.एस.सी. हॉस्पिटल रोहिणी के अंदर 250 लोगों को रोज लगाये जाते हैं। जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में 150 लोगों को रोज लगाए जाते हैं। एल.बी.एस. हॉस्पिटल में 400 लोगों को लगाया जाता है। मैं साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने लोगों को कुत्ते के काटने के ये टीके लगाए जाते हैं, उसमें आधे से ज्यादा लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अगर किसी को सहारनपुर में कुत्ता काटता है वो सीधा दिल्ली ही लगवाने आता है इंजेक्शन। अलीगढ़ में काटता है तो भी दिल्ली लगवाने आता है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें कुत्ते के काटने का...मुझे लगता है उनके पास इंतजाम नहीं है। बहुत महंगा इंजेक्शन है। दिल्ली सरकार की ओर से सब जगह मुफ्त दिया जाता है और हाँ, दिल्ली में फ्री है, इसलिए आते हैं। अभी अलका जो ने जो बात कही कि हिन्दूराव हॉस्पिल जो एम.सी.डी. का अस्पताल है, वहाँ पर जो नंबर है, मुझे लगता है उसमें शायद कुछ त्रुटि रही है। 7000 नंबर नहीं हो सकता पर डे। क्योंकि सात हजार तो शायद दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला

के भी सात हजार नहीं बनेगा। इसका वो चैक करने वाली चीज है। हो सकता है ये दो सौ, तीन सौ होगा, सौ या दो सौ होगा। पर अगर पता कुछ नहीं है, एम.सी.डी. में ये भी हों ये सात हजार कर देते हों। नहीं, वो हो सकता है, पॉसिबल है कि...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भई बीच में टोकी-टाकी करेंगे, वो फ्लो टूटता है, सारी बात अधूरी रह जाती है। भई अलका जी, प्लीज।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीं : ठीक है। हाँ, वो बता दिया उन्होंने दो सौ के करीब है डेली। ठीक है वो, मुझे भी उतना अंदाजा था क्योंकि मैंने कई अस्पतालों का डाटा मंगाया, क्योंकि सात हजार का फीगर सुन के मुझे डर लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब जो ये समस्या है कि कुत्तों को स्टरलाइज करने का या कुत्तों को उनकी जनसंख्या को कम करने का। एम.सी.डी. पिछले बहुत सालों से लगी हुई है और हर साल काफी जनसंख्या कम कर रही है परन्तु समझ नहीं आता, बढ़ती जाती है। उनके खातों में स्टरलाइजेशन होती रहती है, बच्चे फिर भी पैदा होते रहते हैं। उनके हिसाब से पूछेंगे तो वो ये बताएँगे कि हरेक कुत्ते को वो कम से कम तीन या चार बारी स्टरलाइज कर चुके हैं। अब उनको वो पता नहीं लग रहा कि स्टरलाइजेशन के बाद पैदा कैसे होते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे डेंगू के अंदर भी, रिपीट करना चाहूँगा, उनसे जब भी मैं मीटिंग लेता हूँ तो वो बताते हैं कि हर घर के अंदर हम सात बारी जा चुके।'' साऊथ कहते हैं, ''हम आठ बारी जा चुके।'' नॉर्थ कहते हैं, ''हम दस बारी जा चुके।'' मैंने कहा, दस बारी कहते हैं? ''जी, दस बारी चले गये।'' तो ये जो उनके पास कला है, विद्या है, बड़ी अजीब सी विद्या है कि भई कुत्तों को तुमने स्ट्रलाइज कर दिया, कई-कई बारी कर दिया तो फिर कैसे बढ़ रहे है।? क्यों बढ़ रहे हैं? समस्या

गंभीर है परंतु मैं ये सदन के सामने एक चीज कहना चाहूँगा। देखियेगा, एम.सी.डी. के जो बहुत सारे कार्य हैं, उनको वो कर नहीं रहे और कोई भी कार्य को वो शांति पूर्वक ट्रांसफर करने को भी तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं, ''पॉवर तो हमारी है।'' जैसे मैं एग्जाम्पल दूँगा आपको ईस्ट दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाते हैं ये लोग और पूरी ईस्ट दिल्ली का ठेका दे रखा है 15 बीस करोड़ रुपये साल का। 15 बीस करोड़ रुपये तो मुझे लगता है दिन का कमा लेते होंगे ये लोग इतने सारे होर्डिग जगह जगह होर्डिंग लगा दिये इन्होंने। अब तो ठेका भी किस तरह से दिया है कि पूरे जोन का एक आदमी को ठेका दे दिया और पाँच-पाँच साल के ठेके दे दिये जो मर्जी कमा लो जी, जितना मर्जी लगा लो, कोई गिनती नहीं है कि जहाँ मरजी जितने मरजी होर्डिंग लगा दो, बोर्ड लगा दो जो मर्जी लगा दो। तो हो क्या रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो हर चीज के अंदर कहते हैं, ''हमारी पॉवर है।'' जब पी.डब्ल्यु.डी. के इंजीनियरस कहते हैं, ''भई, आपने गलत लगा दिया।'' उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करा देते हैं। उनकी सैटिंग है पुलिस के साथ भी, उनको उठाकर थाने में बिठा लेते हैं। ''आपने हमारा ये क्यों हटवा दिया?'' अगर उनके अधिकार क्षेत्र में जा के कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले पुलिस में एफ.आई.आर. कराते हैं, फिर कहते हैं, ''हमारा काम है, तुम लोग घुसे क्यों?'' तो जो पुलिस और ये एम.सी.डी. का जो काम है, इसके अंदर मुझे लगता है डायरेक्टली दिल्ली सरकार का घुसना मुझे लग नहीं रहा संभव, पर जो राजेश ऋषि जी ने जो सुझाव दिया है, मैंने अभी बैठे-बैठे चैक किया, नेट के ऊपर चैक करने की कोशिश की, मुझे ऐसे कुछ मिला नहीं। परंतु अगर ये पॉसीबिल्टी है कि भई बिस्किट अगर कोई ऐसा बन गया है कि उससे स्ट्रलाइज हो सकते हैं अभी तक मुझे नहीं लगता, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। अगर ये संभव है तो इसके अंदर इंटरवीन किया जा सकता है बट पूरा का पूरा फंक्शन उनका हम अपने ऊपर ले लें कि कुत्तों को हम पकड़ेगें।

...(व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : नहीं-नहीं ऐसा बिस्किट बन गया तो हम कर देंगे। फिर तो पैसा ही तो देना है, हम दे देंगे। भई, उसमें कोई ईशू नहीं है। अगर बिस्किट वाला ऑप्शन है ओलरेडी है तो उसमें जो भी खर्चा आती होगा, मुझे लगता है दिल्ली सरकार उसको करने के लिए तैयार है और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है अगले एक दो साल में खत्म हो सकती है। पर मैं सदन को साथ साथ बता दूँ, ये कन्फर्म नहीं है। भई, मैंने पन्द्रह-बीस मिनट में सर्च किया है, मुझे कुछ नहीं मिला इस तरह का।

...(व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : कोई बात नहीं, आप आ जाइए, बता दीजियेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर करेंगे और जहाँ तक मैंने इसके ऊपर मेरे पास राजेश जी भी पहले आये थे एक बारी और भी कुछ लोग आये थे, बातचीत की, काफी डिसकशन किया। हमने सोचा था कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कुछ कर पाये पर इसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आये थे और इस तरह के सुझाव भी आये थे कि इनके लिए जगह बना दी जायेगी कि वहाँ पर बाक्स को एक जगह रख लिया जाये दिल्ली के अंदर कुछ अलग अलग जगह बना दी जाये। उसके ऊपर बहुत सारी आपत्तियाँ हैं। वो कहते हैं,''नहीं, कुत्तों को एक जगह रख नहीं सकते आप। उनको नैचुरल एन्वायरन्मैंट में ही रखना पड़ेगा।'' भई, नैचुरल कौन सा एन्वायरन्मैंट? ये तो नैचुरल नहीं है कि उनको स्ट्रलाइज करके उसी गली में छोड़ना है, जिस गली में रहते थे। उनकी गली भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक सुझाव ऐसा भी आया था कि भई अब किसी राज्य से जगह माँग लो कुछ कि उनको कुत्तों को स्ट्रलाइज करेक वहाँ पर छोड़ दो उनके रहने, रखने का खर्चा उनको दे दो ऐसा भी पॉसीबल है। कहते, ''नहीं।'' ये सुझाव दिया गया था और उस पर उनकी सहमति थी परंतु कहते हैं ये पॉसीबल नहीं है, उनको हटा नहीं सकते।

श्री सौरभ भारद्वाज : किसी और देश में दे दो।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : इंडिया में भी मिल जायेगा। ये ओम प्रकाश जी का सुझाव है, इसके ऊपर भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर मेघालय सरकार इनके सुझाव को लेने को तैयार हो गई तो। परंतु उससे बड़ी समस्या ये थी कि सुझाव दोनों प्रैक्टीकल लगते हैं कि आप दिल्ली में कुछ जगह बना लीजिए, जहाँ पर कुत्तों को रख लीजियेगा और उनको स्ट्रलाइज करके रखियेगा ताकि वो जब तक जीवित रहें और सरकार उनके खाने-पीने का ध्यान रखे। एक तरीका तो ये था और रख सकती है। दूसरा तरीका ये था कि भई, कुछ राज्यों में बिल्कुल वीरान जगह हैं वहाँ पर एक बाड़ा बना लिया जाये बड़े बड़े बाड़े बना ले कुछ कुछ हजार कुत्ते वहाँ रख लें और उनको कहते हैं स्ट्रलाइज करके वहाँ पर रखा जाये और खाने पीने का इंतजाम सरकार की तरफ से हो जाये। पर उन दोनों को बताया गया कि कुछ कानून हैं, उनकी वजह से ये पॉसीबल नहीं है कि अभी कहा नहीं जा सकता तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर अध्यक्ष जी कुछ सामान्य दो चार सदस्यों की कमिटी बनायें और वो बैठ के इसके बारे में अच्छी तरह स्टडी करे और बताये कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, इन लिमिटेशनस के अंदर देखियेगा, केन्द्रीय कानूनों को हम चेंज नहीं कर पायेंगे जो लिमिटेशन्स हैं, उनके अंदर रहते हुए एम.सी.डी. को भी समझा पाना बड़ा मुश्किल है पर ये समझा लेंगे हमारे साथी। तो कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर बताते हैं तो दिल्ली सरकार उसके लिए करने के लिए सहमत है।

श्री पवन कुमार : बड़े शर्म की बात है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, चलिए अब। माननीय मंत्री जी का जो सुझाव है, कमिटी का गठन कर लिया जाये, इस पर मैं समझता हूँ सारे सदन की सहमति है। इसमें पांच सदस्यों की कमिटी बना दें। इस कमिटी में नाम या तो माननीय मंत्री जी

सुझाव दें दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ऋषि जी को जरूर इस कमिटी में ले लें, अलका जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : मैं सुझाव देता हूँ, एक मिनट राजेश ऋषि जी, सौरभ भारद्वाज जी, सोमनाथ भारती जी, ओमप्रकाश जी।

माननीय अध्यक्ष : अलका जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : अलका लाम्बा जी। ठीक है जी। चेयरमैन सोमनाथ भारती जी। कमिटी के चेयरमेन सोमनाथ भारती जी होंगे। ये पाँच लोग, मेरी और से सुझाव है। आप लोग बाकी जो करें।

माननीय अध्यक्ष : मैं ये रिपीट कर रहा हूँ-सुश्री अलका लाम्बा जी राजेश ऋषि जी, सोमनाथ जी और किसका नाम बोला... सौरभ जी और श्री ओमप्रकाश जी। सोमनाथ जी इस कमिटीके चेयरमैन होंगे।

अब सुश्री अलका लाम्बा जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है कमिटी का गठन हो गया

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अलका लाम्बा जी का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। कमिटी का गठन हुआ, धन्यवाद।

गैर सरकारी संकल्प में नियम-89 के अंतर्गत श्री दत्त शर्मा जी का अपना संकल्प है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रस्तुत करें।

श्री श्रीदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि:

''दिल्ली में कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों में दिल्ली विधानसभा और इसकी समितियों की शक्तियाँ विशेष अधिकारों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने का आश्चर्यजनक रूझान देखा जा रहा है;

यह भी देखा गया है कि ये अधिकारी समिति के सदस्यों पर पक्षता पूर्ण व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। यह सदन न्यायालय और मीडिया के सामने तोड़-मरोड़ कर पेश की गई गलत सूचनाओं और धार्मिक तत्व प्रस्तुत करने के कृत्यों की निंदा करता है; और

संकल्प करता है कि विधायिका और इसकी समितियाँ और सदस्यों की महत्ता को घटाने वाले ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये।''

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के कुछ प्रशासनिक अफसरों ने ऐसा माहौल बना रखा है जो जनता को तो गुमराह कर ही रहे हैं साथ-साथ दिल्ली की विधान सभा और विधान सभा की समितियों को भी चुनौतियाँ दे रहे हैं। समितियों के सदस्यों पर पक्षतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं और न्यायालय व मीडिया के सामने भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वो खुद जानकर कर रहे हों केन्द्र सरकार के दबाव में कर रहे हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सफर तो दिल्ली की जनता ही कर रही है चाहे सी.सी.टी.वी. कैमरों का मामला हो या राशन की डोर टू डोर डिलीवरी का हो या मौहल्ला क्लीनिक का हो यहा न्यूनतम वेतन का हो और इसी तरह कितने कार्य गिनते-गिनते शाम एक घंटा और लग जायेगा अगर इसी प्रकार सभी कार्यों को गिना जाये। माननीय

अध्यक्ष महोदय, लास्ट टाइम हाऊस कमिटी ने पी.डब्ल.यू.डी. ने एम.सी.डी. के अधिकारियों के साथ नालों की जाँच के लिए जिस स्थान पर गये थे तो वहाँ देखा गया कि नाले सारे गाद से भरे हुए हैं और जब अधिकारियों से पूछा गया और अधिकारियों ने... यह रिपोर्ट पहले दे चुके थे कि सारी गाद, सारे नाले साफ हो चुके हैं। इसी तरह गलत सूचनायें देते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर महोदय, अगर हाऊस कमिटी अफसरों को पूछने के लिए बुलाती है तो कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं, कोर्ट की तरफ जाते हैं और कोर्ट की फीस सरकारी खजाने से जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकारी वकील का कार्य क्षेत्र सरकारी निर्णय को बचाव करना होता है तथा ये सीनियर अफसर अपनी नाकामी तथा निष्फलता को छुपाने के लिए और सरकारी आदेशों का पालन ना करने हेतु सरकारी वकीलों को एंगेज करते हैं जिसकी फीस जनता की जेब से जाती है। जिस दिन इन अधिकारियों को अपनी जेब से इन सरकारी वकीलों को पैसा देना पड़ेगा जो कि यह अपने निजी स्वार्थों से सरकारी आदेश की अवहेलना करने के लिए... उस दिन ये अधिकारी सरकारी आदेश को मानने के लिए बाध्य हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकारी अधिकारियों द्वारा एंगेज किए गए वकीलों की फीस इन अधिकारियों की अपनी जेब से जानी चाहिए, न कि सरकारी पैसे से, न कि जनता के पैसे से। जब तक इन वकीलों का पैसा सरकार की जेब से, जनता की जेब से जाता रहेगा, ये इसी तरह हमको गुमराह करते रहेंगे। क्योंकि इनकी जेब से तो कुछ जाना होता नहीं है। हर चीज पर, हर काम पर ये बाधा डालते है, अड़चन लगाते है, इनके ऊपर अब बहुत जरूरी है नकेल कसनी। अंत में यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इनके ऊपर कुछ न कुछ तो हमें करना होगा जिससे कि हमारे कार्य आगे बढ़ सकें, जय हिंद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, श्री दत्त शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण इस मुद्दे को इस हाउस के आगे उठाया है और उन्होंने अपने छोटे से वक्तव्य के अंदर सब तरीके की बातें जो हैं, वो सामने रख दी हैं। मुझ लगता है कि कुछ चीजें जो हैं, जो इन्होंने कहीं हैं, हैं, वो इनके रेल्यूशन के अंदर नहीं हैं और ये एक अच्छी बात इन्होंने उठाई कि जो अधिकारी समितियों के आगे पेश होते हैं, एक तो वो समितियों के बारे में मीडिया के अंदर गलत जानकारी देते हैं। मीडिया उनकी गलत जानकारियों को छापता है, अखबारों के अदंर अक्सर वो गलत जानकारियाँ छपती हैं। वो अधिकारी जब समितियों के आगे पेश होते हैं, अपने कागज रखते हैं, अपनी डिपोजिशन ऑन ओथ रखते है तो बहुत सारी चीजें समितियों के सामने हैं और समितियों उसके ऊपर फैसला सुनाती है। समितियाँ उसके बारे में अपनी एक राय जो है, वो हाउस के आगे रखती हैं कि फंला-फलां अधिकारी, हमने इस-इस चीज के अंदर दोषी पाए गए या ये जो करप्शन के मामले थे, भ्रष्टाचार के मामले थे, या इर्रेग्युलेरिटीज थीं, इसके अंदर हमने इन-इन अधिकारियों को दोषी पाया और सरकार को ये हाउस, ये सदन जो है, डॉयरेक्शन देता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार के अंदर, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर, ए.सी.बी. के अंदर ए.सी.बी. के अंदर उनकी एफ.आई. आर. हो, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हों, वगैरह-वगैरह अलग-अलग तरीके की कार्रवाई के लिए ये विधान सभा जो है, ये डायरेक्शंस देती है। मगर देखा गया है, पिछले डेढ़ साल के अंदर ये बड़ी आम सी बात हो गई है कि जब-जब दिल्ली विधान सभा की समितियाँ किसी अफसर को दोषी पाती है और ये विधान सभा उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की प्रस्तावना करता है और सरकार को ये डॉयरेक्शन देता है कि आप इनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कराएँ, इनके ऊपर ए.सी.बी. के अंदर मुकद्दमा दर्ज कराएँ तो होना तो ये चाहिए कि उनके ऊपर ए.सी.बी. मे मुकद्दमा दर्ज हो, एफ.आई.आर. दर्ज हो, जाँच हो, मगर इसके विपरीत

वो अधिकारी हाई कोर्ट के अंदर अपना पेटीशन लेकर जाते हैं और सबसे गम्भीर बात जो एस.डी.शर्मा जी ने बताई, वो ये है कि जब वो हाई कोर्ट के अंदर जाते है तो उनको जाने की परमिशन, उनको जाने की एक अनुमति लेनी पड़ती है, वो अनुमति भी एलजी साहब उनको देते हैं और अपने आपको भ्रष्टाचार के मामले में बचाने के लिए वकील भी एलजी साहब मुहैया कराते है। यहाँ तक कि उनके लिए सीनियर काउंसिल बड़े-बड़े सीनियर काउंसिल उनके लिए अपीयर हो रहे हैं। उनकी लाखों रुपये फीस भी दिल्ली के टेक्सपेयर की जेब से ली जा रही है, ये एक बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी चौका देने वाली बात है।

मैं ये चाहूँगा कि इस रेजल्यूशन के अंदर जैसे कि एस.डी.शर्मा जी ने कहा है, इसके अंदर 2-3 चीजें जो हैं, वो ऐड कर देनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए, एक तो ये कि ये विधान सभा जो है, इस बात के लिए संकल्प करती है कि वो अधिकारी जो दिल्ली विधान सभा की समितियों को या दिल्ली विधान सभा को या दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, इसकी अनुमति उनको दिल्ली सरकार से ना हो। दूसरा उनको दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के टेक्सपेयर की तरफ से वकील मुहैया न कराए जाएँ और अगर उनके पास जो वकील भी हैं, उनकी जो फीस है, वो अगर कोई अधिकारी उनको मुहैया करा रहा है तो ये फीस उस समय के अधिकारी की जेब से, उसकी तनख्वाह से काटे जाने चाहिए, यानी कि अगर वो फाइनेंस सैक्रेटरी जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई ये जो फीस है, ये जो वकीलों की फीस है, ये इस तरह से दिल्ली सरकार के पैसे से दे दी जाए तो फाइनेंस सैक्रेटरी की तनख्वाह से ये काटनी चाहिए, या अगर लॉ सैक्रेटरी है तो लॉ सैक्रेटरी से काटी जाए और अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं तो इनकी तनख्वाह से काटी जाए तो जो भी उच्च अधिकारी है, जो इस निर्देश को दे रहा है कि वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हैं, उनकी वकालत करने के

लिए, उनको वकील मुहैया कराने के लिए फीस दी जा रही है तो उनकी फीस उनकी तनख्वाह से वसूल की जानी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है हमारे संकल्प के अंदर अध्यक्ष जी, जोड़ा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री मदन लाल जी। नहीं हैं, श्रीमान नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हर बार जब ये स्टार्ड क्वेश्चंस लगते हैं, आते हैं, अब पिछली कुछ बार से ऐसा होने लगा है कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। ऐसा पहले नहीं होता था। हमारी सरकार में भी ऐसा नहीं होता था। अचानक से ये आने बंद हो गए हैं तो ये तो सर, साजिश है। अधिकारियों का जवाब ना देना, एल.जी. का पत्र आना कि तुम ये सवाल नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछेंगे? दिल्ली की जनता के सवाल हैं, हम कोई अपने घर के सवाल थोड़े ही पूछने आते है यहाँ पर। जनता के सवाल पूछने आते हैं और जनता को हर सवाल का जवाब जानने का हक है। जनता हमें चुनकर भेजती है और जनता के पैसे से तो इन्हें तनख्वाह मिलती है ये और जनता के काम करने के लिए मिलती है, अपना घर बनाने थोड़े ही आते है यहाँ पर। जनता के लिए काम करने आते है, जनता के ही काम होते हैं और जनता जवाब मागेंगी तो जवाब देना पड़ेगा। तो अगर एक सज्जन चिट्ठी लिखकर कह रहे है अध्यक्ष जी, आप से सवाल एन्टरटेन नहीं करेंगे उनका क्या निहित स्वार्थ है कि सवाल न पूछे जाएँ और जो लोग जवाब देने से बचना चाहते हैं, उनका क्या निहित स्वार्थ है? मतलब, मिले हुए हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश है।

समिति में आने से मना करना या कोर्ट में चले जाना, जैसे सौरभ भाई अभी बोल रहे थे कि कोर्ट में चले जाते हैं और उसको वकील भी हम मुहैया कराते है। समिति में आने से बचने की कोशिश क्यों होती है अगर मन में चोर न हो, जवाब हो

उनके पास में, जो सवाल पूछे जाएँगे तो क्यों बचने की कोशिश करेगा जब पता होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं न कही गड़बड़ है और वो गड़बड़ सामने न आए, मैं इसमें फंस न जाऊं क्योंकि मैंने गड़बड़ कर रखी है, मेरे से पहले वाले ने गड़बड़ कर रखी है या जिसको आज की तारीख में मैं जवाब देता हूँ जिसके प्रति मेरी जवाबदेही है, वो न फंस जाए इसके अंदर। इस वजह से बचने की कोशिश की जाती है, इस वजह से कोर्ट का रूख लिया जाता है वर्ना अगर मन में सच्चाई हो, ईमानदारी से आज तक काम करते आए हों, तो क्या परेशानी है जाकर जवाब देने में? और सच बात तो ये है सर, कि अगर ईमानदारी से काम किया होता तो समिति में किस्सा ही न पहुँचता। क्योंकि बेईमानी की गई है और पता है कि बेईमान हैं हम, इस वजह से हम कोर्ट में जाएँगे, समिति में नहीं जाएँगे। हम सबकी जवाबदेही है जनता के प्रति। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जब सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में पूछे जाते हैं, उन्हीं स्कीमों के बारे में पूछे जाते हैं जो जनता के लिए लाई जाती हैं। उन तक नहीं पहुँचती हैं या उसमें पहुँचाने के दौरान घोटाला किया जाता है। कहीं पर भी असहमति होती है इन सब चीजों को लेकर तो समिति में बुलाया जाता है या प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका जवाब तो देना पड़ेगा सर, पहली चीज। दूसरा हमको जो यहाँ पर सब चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, हमें जनता इसी काम के लिए भेजती है। ये भी क्लेरिटी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए और इन अफसरों को भी होना चाहिए अगर ये अफसर आज की तारीख में किसी की शह पर ये कर रहे हैं और ये सोच रहे है कि इससे बच जाएँगे, कोई न कोई बचा लेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा।

माननीय अध्यक्ष : नितिन जी, कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड।

श्री नितिन त्यागी : सर कन्क्लूड कर रहा हूँ। कई सारे सवाल इस तरीके के पीछे पूछे गए जो डॉयरेक्टली बहुत सारे ऑफीसर्स को इम्प्लीकेट करते हैं। कई सारी

चीजों में आज की तारीख में सामने भ्रष्टाचार नजर आता है जब हम आज की तारीख में चुनके आये हैं, इतने सालों में पास में क्या क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जनता के ही लोग आ के हमको बताते हैं, हम वो वाले प्रश्न लगाते हैं और डॉयरेक्टिली इम्प्लीकेट हो रहे होते हैं, तो उन्हीं के जबाब नहीं आते या उन्हीं का समिति में आने से एवॉइड किया जाता हैं, तो उन्हीं के जबाब नहीं आते या उन्हीं का समिति में आने से एवॉइड किया जाता है, तो सौरभ भाई का ये तो सजेशन है कि इसके अंदर अमेंडमैंट होनी चाहिए, ये प्रस्ताव है श्री दत्त जी का, कि ये जो अधिकारी कोर्ट में जाते हैं, पहले तो इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए इस तरीके से समितियों एवॉइड करने के लिए या जबाब न देने के लिए इनके पास ये हक नहीं होना चाहिए क्योंकि जबाबदेही हमारी बनती है अगर जनता के प्रति तो इनकी भी बनती है और दूसरा, अगर कोर्ट में जाते हैं तो अपने खर्चे पर जायें नहीं तो जो भी इनको वकील प्रोवाइड करेगा कोई भी सीनियर अधिकारी, उसकी तनख्वाह से कटे, मैं इसका पूरा सहमत करूँ सहमति दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, अखिलेशपति त्रिपाठी जी। बहुत संक्षेप में अखिलेश जी प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, आज जो ये प्रस्ताव श्री दत्त शर्मा जी द्वारा लाया गया, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसमें जो लाईनें एड की गयी हैं सौरभ भाई द्वारा कि एक तो जो व्यवस्थापिका है, जो सदन हैं हमारा वो इस दिल्ली का जो वित्तीय नियंता भी है, बिना सदन की अनुमति के, कोई भी खर्च सरकार करना चाहती है, तो उसको अनुमति लेना पड़ता है सदन से, तो आज सदन बिल्कुल इस बात को अपने अंदर आधारित करके यहाँ पे सरकार को, इस संकल्प को ले कि आज के बाद जो भी अधिकारी सदन, माननीय अध्यक्ष जी या फिर समितियों के खिलाफ किसी तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं न्यायालय में, उनको किसी तरीके का

ग्रांट की अनुमति न हो, मैं इसका पूरजोर समर्थन करता हूँ। साथ साथ हमारा देश लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर तीन स्तंभ बताये गये चौथा स्तंभ भी बाद में इन्ट्रोड्यूज हुआ। संवैधानिक रूप से तीन स्तंभ बताये गये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमारा संविधान शक्तियों के प्रतिकीकरण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। एक दूसरे पर चैक-बैलेंस दिये गये हैं कि कोई अतिवादी न हो जायें और ऐसा ना हो कि एक दूसरे के कामों में एक दूसरे के कामों में एक दूसरा टाँग अड़ाने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा, कहीं न कहीं व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है लगातार। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व निश्चित की गयी है हमारे संविधान में। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उनहोंने निश्चित रूप से बहुत सोच करके ये व्यवस्था बनाई थी कि कहीं कोई झगड़ा न रह जाये और ऐसी व्यवस्था हो कि अपने अपने काम करते रहें और सबकी प्रति उत्तरदायित्व निश्चित हो और व्यवस्थापिका को ज्यादा इसमें अधिकार दिया गया कि भई कहीं भी क्योंकि जनता की उम्मीदों का प्रतीक ये मंदिर जिसके प्रति हम लोग, सब लोग जबाबदेह हैं, उसके प्रति सारे कार्यपालिका की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम क्यों समितियों में बुला रहे हैं इनको? क्या कारण है समितियों में बुलाये जाने का? पिछले एक साल पहले सत्र में याचिका समिति की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें नाले, पी.डब्ल्यु.डी. के नाले और एम.सी.डी के नालों के संदर्भ में, सफाई में रिर्पोट प्रस्तुत किया गया था। इसी सदन में पी.डब्ल्यु.डी. के अधिकारियों ने ये रिपोर्ट दिया था कि दिल्ली भर के सारे नाले साफ हो चुके हैं। मामला याचिका समिति में आया। याचिका समिति ने उसकी जाँच की। जमीनी स्तर पर गयी याचिका समिति और देखा कि जो रिर्पोट बना करके सदन में भेजा गया, वो बिल्कुल गलत था। जगह जगह जल भराव हो रहा था। कोई भी नाले साफ नहीं थे। उस समय के तत्कालीन पी.डब्ल्यु.डी. सैक्रेटरी जो एम.सी.डी. के नालों के भी

निगरानी के सफाई के लिए, निगरानी के लिए चैयरमैन बनाये गये थे, हाई कोर्ट के द्वारा उन्होंने सदन से भी झूठ बोला है और हाई कोर्ट से भी झूठ बोला और जब समिति ने जाँच करके अपनी रिपोर्ट दी, सदन से पटल पर रखा, अध्यक्ष जी, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा कि आज तक वो समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पायी।

दूसरा एक मामला दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक का पेटीशन कमिटी में आया। कमिटी में आया। कमिटी ने खूब जाँच करने के बाद ये पाया कि 40 लोगों की भर्ती अवैध तरीके से कर ली गयी है। 66 लोगों को अवैध तरीके से प्रमोशन दे दिया गया है। करोड़ों का लोन बिना किसी दस्तावेज के आधार पर दे दिया गया है और कुछ चंद लोग सहकारी बैंक पर बैठ करके कब्जा करके घोटाला करने का काम कर रहे हैं। समिति ने जाँच करी और पाया कि तत्कालीन आर.सी.एस. शूरवीर सिंह और इस समय के जो अभी रिटायर हुए हैं, एक महीने पहले जे.बी. सिंह आर.सी.एस. दोनों इस मामले में दोषी पाये गये और सूर्यवीर सिंह, जो तत्कालीन आर.सी.एस. थे, उनके खिलाफ समिति ने रिकमंडेशन दिया कि ये डिस्प्लेजर दर्ज किया जाये, समिति की तरफ से सदन की तरफ से कि उन्होंने अपने कार्यो में लापरवाही करी है, सदन को गुमराह किया है, सदन का समय खराब किया है, समिति का समय खराब किया है, उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाये इस बात को, आज तक वो कार्य नहीं किया जा सका। अध्यक्ष जी, एक और मामला।

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : एक और मामला बस, कन्क्लूड कर रहे हैं। एक और मामला में चूंकि कुछ उदाहरण पर जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एन्क्रोचमैंट व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में किया जा रहा है आज। किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किस तरीके से गैर-संवैधानिक तरीके से अधिकारी,

सदन को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे, इस पर जबाब मांगा गया कि सदन ने मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया था कि समिति की रिर्पाट जिसमें यह कहा गया था कि तत्कालीन आर.सी.एस. के सर्विस रिकॉर्ड में ये दर्ज किया जाये कि उन्होंने सदन को गुमराह किया, अपना काम ठीक से नहीं किया और लोगों को फायदा देने का काम किया, गलत लोगों को। ये दर्ज किया जाये कि आपने एक साल हो गया, आपने दर्ज नहीं किया, जबकि एक महीने के अंदर आपको काम करने के लिए कहा गया था, तो आप कर दोगे। पहली बार उनको छः महीने के अंदर आपको काम करने के लिए कहा गया था, तो आप कर दोगे। पहली बार उनको छः महीने का टाइम दिया गया, फिर तीन महीने का टाइम दिया गया, फिर उन्होंने मांग, पंद्रह दिन का टाइम दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, कन्क्लूड प्लीज, अखिलेश जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : अच्छा सर पाँच मिनट और सर।

माननीय अध्यक्ष : लंबा हो रहा है, कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : फिर पूछ करके 15 दिन का टाइम दिया गया, जब वे कोर्ट गये।

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, एक मिनट में कन्क्लूड करिये, इससे ज्यादा नहीं।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : एक मिनट और एल.जी. साहब ने जब उनको आदेश दिया कोर्ट गये, तो उन्होंने इसी सदन के बारे में गलत एफिडेविट दिया और कहा कि समिति एक घंटे का टाइम हमें नहीं दे रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाये? जो सदन के बारे में न्यायालय में झूठ बोल रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी

अवमानना का मुद्दा बनता है, अध्यक्ष जी। इस तरीके का जो अनाधिकार चेष्टा किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा मेरा आपसे यही कहना है अध्यक्ष जी, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सदन को और संविधान के जितने भी उपचार हैं, जो अधिकार देता है, इस सदन का उसके मद्देनजर रखते हुए इनपे कार्रवाई करना चाहिए एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा :

'नई, नई हवाओं की बिगाड़ देती है,

कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है,

जो जुर्म करते हैं, उतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं, उतने बुरे नहीं होते,

सजा न दे करके अदालतें बिगाड़ देते हैं, सजा न दे करके अदालतें बिगाड़ देते हैं।

यही समय अध्यक्ष जी, इस लोक तंत्र के मंदिर में ये तय होना चाहिए कि अब जो व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने का कोशिश करेगा, उसको पुरजोर जबाब इस सदन से मिलेगा, उसको सजा मिलेगी ताकि आने वाले समय में लोकतंत्र में इस सदन की गरिमा को बचाया जा सके और उनको चुनौती करने की हिम्मत न कर सकें जय हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : श्री सोमनाथ भारती जी, बहुत संक्षेप में कोई संशोधन, कोई एडीशन है तो उनको रखें।

श्री सोमनाथ भारती : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में क्योंकि माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है, प्लीज

श्री सोमनाथ भारती : एकदम संक्षेप में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो रेजल्यूशन है, उसमें दो प्वॉइंटस तो पहले थे। First one was to... in fact act they have to condemn those IAS officers who have challenged the powers, privileges and procedure of Delhi Assembly and its committees, and who have alleged allegations of bias against members of the Committees and then Saurabh ji added today that this House must recommend recovering of the money so spent by the authorities in the legal process including hiring of lawyers.'

अध्यक्ष महोदय, कॉन्सट्यूशनली आज अखिलेश जी उसपे बात कर रहे थे जो डिविजन आफ ड्यूटीस एण्ड पॉवर्स है संविधान के जरिये, जो डिमार्केशन है, जो बांउड्रीज हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव की अपनी ड्यूटीज हैं, लेजिस्लेशन की अपनी ड्यूटीज हैं और ज्यूशिएरीज की अपनी ड्यूटीज हैं। उसपे थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है लेकिन जो ये इस सरकार के दौरन और इस विधानसभा के दौरान जो देखने को हमें मिल रहा है; इतनी हिम्मत अधिकारियों में अपने बल पे नहीं आती। ये ताकत कहीं और से आ रही है। इतनी उछाल और इतनी जम्प जो है, एस्परेशंस में कहीं और से आ रहा है। उसकी ताकत कहीं और से आ रही है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री सवेरे बोल रहे थे, क्योंकि इस सदन में उनके इस कैबिनेट नोट को किसी पे पढ़ा नहीं, मैं एक पैराग्राफ पढूँगा। उससे खून खोलता है। जब कहा कैबिनेट नोट कह रहा हैं: 'While there is no doubt that the Hon'ble CM can curtail the period of said two days. The rules provide that this can be done in case of urgency. In the instant matter, there is no urgency made out and the proposal has been in the process since long.' अब ये इनको किसी और ने बेठा दिया, अब ये फैसला करेंगे कि अरजेंसी है

कि नहीं है। दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानियाँ हो रही हैं। तो ये अरजेंसी नहीं है तो क्या है? अरजेंसी तब आयेगा जब सुपरबॉस कह दें कि हाँ, भई कर दो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भई अरजेंसी है तो अरजेंसी है। जब तीन साल से मुद्दा अटक रहा था तो ये अरजेंसी और कैसे आयेगी? फिर ये कहते हैं, 'It is also humbly submitted that as secretary to the council of ministers, no opportunity or time has been given to me to examine the note to check whether the same is inconsonance with the provisions of transaction of business rules and other relevant rules. It could also not be examined whether the observations made on this proposal by the Expenditure Finance Committers' suitably addressed or whether the relevant observations of various stakeholder departments have been reflected in the said note of... for council of ministers. *Fir kahate hain* for such an important project where administrative approval an expenditure sanction of over five hundred seventy crore is being solicited, It is my humble view that there should not be any undue haste, in consideration of the proposal by the council of ministers. Ab ye undo haste. तीन साल ये अन्डु हैस्ट दिख रहा है, इतनी हिम्मत कहाँ से आयी सी.एस. को? ये सी.एस. हों या बाकी जो आई.ए.एस. अधिकारी जिसको बुलाया जाता है यहाँ सदन के अंदर, मुझे याद है चूंकि आपने भी... दो सवालों के जवाब नहीं आये थे और आपने अधिकारियों को कहा था कि भई आपको हाउस में आना पड़ेगा जवाब देने के लिए, तो वो चले गये थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनका एक तरीका बन गया था, कि हाई में जायें, स्ट ले आयें। हाई कोर्ट में जायें, स्टे ले जाये, स्टे ले आयें। सो इन लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि सरकार भी ठप्प हो जाये, हमारा असैम्बली भी ठप्प हो जाये और बैठ के खूब मजें लें, गड़ियां, बंगले, पैसे, एशो... खूब कमायें। ये जो नंगा नाच चल रहा था पॉवर के दुष्प्रयोग का उसपे रोक आयी जब मान्य सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट दिया, तब जाकर के आपको मिला। उस जजमैंट के बाद हाई कोर्ट में जब ये अपीयर हुए, इनको बोला, 'भई, कहाँ खतरा है? पहले कहा था, 'हमे खतरा है, मारेंगे, पीटेंगे।'

पता नहीं क्या हो जायेगा। जैसे हम कोई गुंड़ा दिखते हों, डाकू दिखते हों, चोर-उच्चके दिखते हों। भई करके देख लो भाजपा वालों को और हमको खड़ा करके देख लो कौन दिखता है आपको गुड़ा-मवाली? गलत तो नहीं कर रहा?

अध्यक्ष महोदय, ये जो एक परंपरा चल पड़ी कि जब भी किसी कमिटी में बुलाओ, चाहे वो कमिटि एग्ज़ामिन कर रही हो आर.सी.एस. का भ्रष्टाचार का, चाहे वो एग्ज़ामिन कर रही हो कि भई जो ड्रेन, आप क्लेम करे कि साफ कर दिये गये, वो साफ न किया गया। चाहे वो कमिटी एग्ज़ामिन कर रही हो कि भई जिस सवालों के जवाब नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, वो फटक से पहुँच जाते हैं वहाँ, हाईकोर्ट स्टे ले आये। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अब कन्क्लूड करिए, सोमनाथ जी। प्लीज कन्क्लूड करिए। कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती : एग्जीक्टूटिव ज्यूडिशयरीज़ का जो डिवीज़न है, उसके अंदर इस तरह के एन्टरफरैंस ठीक नहीं है लेकिन शुक्र है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जज़मैंट के बाद माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि भई जाकर के अपीयर होइयो। तो जो-जो अधिकारी गये थे हाईकोर्ट में, स्टे लेके आये थे, उन सब का स्टे वैकेट किया गया और उन अधिकारियों को यहाँ पेश करने का उनको आदेश दिया गया। वो आये और सुचारू-रूप से उस कमेटियों का ऑपरेशन चला। न तो किसी ने उनसे गालियां दी, न तो कोई हाथ उठाया, न कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिये आज जो सदन... और जो सौरभ भाई ने कहा है कि भई जो पैसा खर्च होगा वकीलों पे, जिस वक्त सदन उस पे रोक लगा देगा, इनकी हिम्मत ना है कि वकील हायर करें और पैसा अपने पॉकेट से खर्च करें। इसलिए मैं आज इस रेजल्यूशन के सपोर्ट में

खड़ा हुआ हूँ और बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। जब मैं मंत्री था तो मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा था, 'भई, सहायता करोगे?' तो कहा था कि हम तो राजपूत हैं जी, जिसका राज उसके पूत। तो आज क्यों नहीं राजपूतों वाले आपने जो, जो आपको करने चाहिए थे, वो करते हो? भई हमीं रहेंगे यहाँ दिल्ली में। नौकरी करनी है तो हमारी कमेटियों के सामने, हमारे मंत्रियों के सामने दिल्ली की जनता की सेवा करो हमारे साथ। क्योंकि दिल्ली से आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जा रही। गलत तो नहीं कह रहा? इसीलिए अधिकारियों से हाथ भी जोड़ लेते हाथ जोड़ने से उनको लगता है कि अच्छा हो जाता है। भई आपको असैम्बली या सरकार कभी कुछ अपना काम करने को नहीं कहेगी। इस आज श्री दत्त शर्मा जी के सपोर्ट में मैं खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि ये सौरभ भाई का जो सजैशन है, अमैंड करने का, उसको इसमें इन्क्लूड किया जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इससे पहले उत्तर दें, मैं सदन की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाह रहा हूँ। जो सदन कानून बनाता है और जिस सदन की कानूनी समितियाँ हैं, उनके विरूद्ध कोई अधिकारी कोर्ट जाता है और एल.जी. उसको परमीशन देते हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अब तक एक वर्ष में सदन के संज्ञान में आना चाहिए 39 लाख 68 हजार रूपया मैं वकीलों की फीस दे चुका हूँ। 39 लाख 68 हजार रूपया!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, विधानसभा की ओर। अध्यक्ष के नाते विधानसभा की ओर से। हाँ तो यही तो बात है ना जी। 39 लाख 68 हजार रुपया विधानसभा की ओर से अब तक वकीलों की फीस जा चुकी है। 20 लाख रुपया अभी पैंडिंग है। 8 केस अभी पैंडिंग हैं विधानसभा के विरुद्ध, विधानसभा की कमेटियों के विरुद्ध

जिनकी फीस जो भी कुछ आगे आयेगा, देनी पड़ेगी। अखिलेश जी ने केस उठाया, पी.डब्लू.डी का सेक्रेटरी जब सच्चाई की ओर आगे बढ़े तो दिल्ली छोड़कर भाग गया। कमोबेश ये हो रहा है। और जो सोमनाथ जी ने कहा कि दिल्ली के अधिकारियों को यहाँ क्यों दिल्ली सरकार के साथ ऐसा कर रहे हैं? उनको केन्द्र में पहुँचाकर सुशोभित किया जाता है इसीलिए उनकी मानसिकता ये बनी हुई है, वो कर रहा है। कोई ना कोई ऊँचा पद मिलेगा। एल.जी. साहब उसमें सहयोगी हैं। मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो सशोंधन आये हैं कि विधानसभा की कमिटी के विरुद्ध कोई भी अधिकारी वहाँ जाता है, उसकी फीस वो अपनी जेब से दे, ये प्रस्ताव आ चुका है। मैं भी उससे सहमत हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ इसका उत्तर दें।

मानानीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पाल देके बताना चाहूँगा कि सिस्टम क्या है। हम मान लेते हैं कि छोटे-छोटे 50 गाँव है हर गाँव ने अपने यहाँ पर यहाँ पर एक प्रधान चुना कि गाँव की व्यवस्था चलाने के लिए आपस में मिल के... उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था बनानी चाहिए, हमारे को अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए। एक-एक प्रधान अपने यहाँ से चुन लिया। अब 50 प्रधान हुए, उन पचासों प्रधानों ने मिलके अपनी एक व्यवस्था बना ली और उसमें से पाँच लोगो को ये कहा कि आप रोजमर्रा का काम आप देखेंगे । हर गाँव के अंदर 10-10 चौकीदार रखे गए अब 10 चौकीदार के ऊपर एक सुपरवाजइज रखा गया। फिर पाँच गाँव के ऊपर, सुपरवाइजर का एक मैनेजर रखा गया, फिर सारे 50 के ऊपर एक बड़ा मैनेजर रखा गया। अब वो जो पाचँ हमने जिसको हम मंत्री भी कह सकते हैं जो 50 प्रधानों के ऊपर रखा था, 50 प्रधानों को आप 50 एम.एल.ए. मान लीजिएगा। जो पाँच मंत्री बने। अब उनको बताने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, एक सैक्रेटरी रखा गया कि जो उनको सारी चीज ब्रीफ करेगा, बताएगा काम बढ़ गया तो सैक्रेटरी ने एक ज्वांइन्ट रख लिया, एक अडिशनल सैक्रेटरी

रख लिया, एक डिप्टी सेक्रेटरी रख लिया। फिर पता लगा भई, हर गाँव के अदंर एक जेई रखा गया, पाँच गाँव के ऊपर एक एई रखा गया, 10 गाँव के ऊपर एक एक्सईएन रखा गया, सारों को मिलाके एक चीफ इंजिनियर रखा गया परन्तु उस मंत्री को जो पाँच मंत्री को जो पाँच मंत्री को जो पाँच मंत्री बनें, वो बताने के लिए, एक सैक्रेटरी रखा गया कि जी, वो उनको बताएगा, बातचीत करेगा, सैक्रेटरी साहब रखा गया। फिर उन्होंने इसी तरीके से पानी का काम करना था, हर गाँव के एक जेई रखा गया, 5 गाँव के ऊपर एक एई रखा, 10 गाँव पे एक एक्सईएन रखा, सबको मिला के एक चीफ इंजीनियर रख लिया, व्यवस्था बनती चली गई। अब उसको बताने के लिए भी एक सैक्रेटरी रखा गया की मंत्री जी के बीच में एक पुल का काम करेगा, जो मंत्री आदेश देंगे, उन आदेश को पारित करेगा। उन्होंने वर्बल भी कहेगा तो वो लिखके देगा, जो कहेंगे, उसको एग्जीकुट करेगा। इस तरह से व्यवस्था बनती गई डिपार्टमैंट बनते गए, जगह-जगह होती गई। हुआ क्या था तो लोकतंत्र क्या था जो वहाँ की जनता थी, निवासी थे सारी पॉवर उनकी थी, पैसा भी उन्हीं का था, वो पैसा अपने टैक्स के रुप में उस सरकार को देते थे, उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती थी। वो अपने वोट की ताकत से सरकार बनाते थे। कुछ वर्षो के अदंर जो व्यवस्था बनी, जब वो 20-25 साल रह लिए, तो चुनाव की प्रक्रिया थी, हर पाँच साल में, चैंज हो जाते थे लोग, बदल जाते थे वो तो परमानेंट रहे नहीं, ये 20-25 साल में परमानेंट हो गए और कहने लगे हम सरकार हैं, हमीं सब कुछ हैं, हमीं-हम हैं, आप कुछ नहीं हैं। लोकतंत्र के अदंर हिन्दुस्तान के अंदर डैमोक्रेटिक व्यवस्था है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियॉ है। लोग समझते हैं। लोकतंत्र को सब चाहते हैं। वोई नहीं चाहता लोकतंत्र को, जिसके हाथ में एक बारी पॉवर आ गई वो कहता है लोकतंत्र की क्या जरुरत है। अगर नेताओं को भी देखा जाए, अगर वो 20-25 एम.एल.ए. रह लें, मंत्री रह लें या एम.पी. बन

जाएँ, वो कहता है लोकतंत्र काहे का, मैं ही मैं हूँ। सारी पॉवर तो मेरी है, जनता काहे की है? अगर अधिकारी है, वो 25 साल से अधिकारी है, उसको लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, बंगला मिल गया, वो बेचारे जो आदमी जिसने बनाया था, उसने तो एक चौकीदार रखा था अपने गाँव में, उस चौकीदार के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा, उसके ऊपर मैनेजर रखा, उसको क्या पता था कि सैक्रेटरी भी रखा जाएगा और जो सैक्रेटरी उससे मिलने के लिए बंगले के बाहर वो खड़ा रह जाएगा। मतलब मालिक बाहर खड़ा हुआ है वो उससे मिल नहीं सकता, इस व्यवस्था के हिसाब से जो 1935 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, आज भी अधिकारी उसी कानून को मानते है। कहते हैं लोकतंत्र इतना ही है कि आप वोट देके हमें अफसर बना दो, बस। सरकार आप बनाएँगे, सरकार तो हम चलाएँगे। उनको ये एक बड़ी गलतफहमी है, लिटरली गलत फहमी है बहुत सारे अफसरों को उनको ऐसा लगता है कि जैसे वही सरकार है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ लोकतंत्र है क्या? कहते हैं। लोकतंत्र क्या होता हैं। पाँच साल में वोट दे दीजिएगा, सरकार बना दीजिए, उसके बाद हमें बना दीजिएगा। हुआ क्या? राजनीतिज्ञों के पास समय नहीं है, जो भी पोलीटिसियंस हैं, मंत्री बनते हैं उनके पास समय तो होता नहीं है। न पढ़ने का समय है, न ऑफिस में बैठने का समय है। कभी उद्घाटन करना हैं, कभी पॉलिटिक्स करनी है, शाम की पार्टियों में जाना है, तरह-तरह की पार्टिया होती हैं, अलग-अलग तरह की। अभी तक किसी के पास समय नहीं था, पहली बारी एक ऐसी सरकार आई जिसके अदंर उन्होंने टी.बी.आर. भी पढ़ लिया, संविधान भी पढ़ लिया और उस सरकार ने बनने के बाद कहा कि भई ये सरकार तो लोकतंत्रउ से चलने वाली सरकार है। ये अधिकार, सरकार के अधिकार हैं। सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। सरकार फैसला ले सकती है। झगड़ा स्टार्ट हो गया। कहते "आप तो कुछ हैं नहीं। जो कुछ हैं वो एलजी साहब हैं, आप कुछ नहीं।" तो कुछ हैं ही नहीं। जो कुछ जो कुछ हैं वो एलजी साहब हैं, आप कुछ नहीं है। "तो

भई ये चुनके क्यों भेजा गया था? कहते हैं कि आपको ऐसे ही भेज दिया गया, बस। जैसे 1935 में एक सरकार बनी थी, उसी तरह की सरकार आप हैं। और एग्जाम्पल भी दिए गए, दिल्ली का न चीफ कमिशनर होता है। कब होता है? "1931 में हुआ था,1950 में ये चेंज हुआ। 1960 में ये हुआ। "भाई साहब, 1931 की बात करते हो, 1947 भी बीच में आया था, देश आजाद भी हुआ था और 1950 के अंदर देश का संविधान बना था, उस संविधान के हिसाब से इस देश का काननू बना, वो संविधान के हिसाब से देश की सरकार चलती है।" कहते हैं, "उसके भूल जाओ।" मुझे ये बताने की जरुरत लग रही है इस टाइम कि हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र डे-बाई-डे कमजोर होता जा रहा है सबसे बड़ी कमी इसलिए आ रही है कि जनता को ही अपने ऊपर विश्वास कम हो गया है। मेरे पास सुबह हम 10 बजे मिलते हैं, सभी मंत्री सुबह 10 बजे मिलते हैं अपने पर मिलते हैं, मुख्य मंत्री भी मिलते है, बिना किसी एप्वाएंमैट के मिलते हैं। रोजाना कम से कम एक आदमी, दो आदमी ऐसे आ जाते हैं जो आ के कहते हैं, "सर, फलाँ अफसर से मिलवा दो।" मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मंत्री से मिलने आए, आपको क्या कोई अप्रोच लगानी पड़ी। कहते हैं कि मंत्री से मिला सकते हैं ना, अफसर से कैसे मिलें? खुद अपनी जनता ये मानती है कि ऑफिसर जो है, वो बॉस है। क्यों है? क्योंकि हम कई सौ साल गुलाम रहे, उस गुलाम की मानसिकता से बच नहीं पाए एग्जाम्पल क्या है? एक तोते को आप लीजिएगा, कुछ महीने पिंजरे के अंदर रख लीजिएगा, पिंजरे का दरवाजा खोल दीजिए घुम-घामकर वापस पिंजरे में आ जाता है। हम कई सौ वर्षो तक गुलाम रहे हमें लगता है कि अफसर ही अफसर है हम तो इसके सैल्यूट मारने वाले हैं। पहली बारी एक ऐसी सरकार बनी जो पढ़ती भी है, लिखती भी है और जो जानती है लोकतंत्र है क्या, आज तक नेता भी क्या बनते थे कि आपने भई पाँच साल में वोट दे दिया, अपने राजा चुन लिए, आपने अपने रिप्रजेंटेटिव नहीं चुने। ये ऐसी सरकार है जो ंकहती है, "आपके हम नौकर हैं। आपने

हमें चुना है, काम करने के लिए। जो आप कहेंगे, हम वही काम करेंगे।" द सुप्रीम जो जनता चाहती है, वही होता है और जनता जो चाहेगी, वही होगा। इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आता है रिप्रजेन्टेटिव डेमोक्रेसी के अंदर-जनता। क्योंकि एक साथ लाखों लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने रिप्रजेंटेटिव चुनके, इकट्ठे करके विधायिका में भेजते हैं, विधान सभा में भेजते हैं। जितने भी माननीय यहाँ पर एम.एल.ए. बैठे हैं, वो उनके रिप्रजेंटंटिव हैं। कोई दो लाख की संख्या को रिप्रजेंट करता है कोई तीन लाख की संख्या को रिप्रजेंट करता है, वो उनकी विल का रिप्रजेंट करता है। सारे के सारे एम.एल.ए विधान सभा में जब आते हैं, अपने अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं, अपनी समस्याएँ लेके आते हैं। उनका दर्द छलक रहा होता है। वो कहते हैं कि मेरा ये काम कराइगा । क्योंकि जनता ने उससे कहा है, जनता ने जो काम उससे कहा है, वही काम जनता का करना है। जनता की विल रिप्रजेंटेटिव डैमोक्रेसी के अंदर विधायक के थ्रू या एम पी के थ्रू रिप्रजैंट होती है और इसके जो तीन पार्ट हैं, सेकंड पार्ट होता है-एग्जीक्यूटिव। थर्ड पार्ट है-जुडीशरी। एग्जीक्यूटिव का काम है: जो विधायिका ने जो काननू के हिसाब से, कामों को करना और जुडिशयरी का काम है के जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, उसने कोई गलत तो नहीं किया, जो विधायिका ने काननू बनाया, उसकी व्याख्या करना। विधायिका का काम है: कानून बनाना। मैं यहाँ पर करैक्ट करना चाहूंगा, जुडीशियरी का काम कानून बनाना नहीं है, विधायिका का काम कानून बनाना है। जुडिशियरी का काम है कि उस कानून की व्याख्या करना और ये देखना कि एक्जीक्यूटिव वो कानून के हिसाब से काम कर रहा है। अब इसमें बड़ा पेंच आता है; एग्जीक्यूटिव है क्या? बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब अफसर। जी नहीं, एग्जीक्यूटिव का मतलब है हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के अंदर, हिन्दुस्तान के सविधान के अंदर, जिसके अंदर लोकतंत्र को अपनाया गया है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है- काउंसिल आफॅ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल

आफॅ मिनिस्टर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है विधायिका के प्रति। इस सदन के प्रति वो रेसपॉसिबल है, हर एक्ट के लिए। कलैक्टिविलि भी और इन्डुविजुविलि भी और इन्डुविजुअली भी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिटर्स ने उसके अदंर कोई भी काम वो करते हैं, तो कलैक्टिवली सारे कामों के लिए पूरा मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति और अपने विभाग के अंदर, अपने विभाग के अंदर किए गए हर कार्य के लिए इन्डीविजुअल मिनिस्टर जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, उत्तरदायी है विध ाानसभा के प्रति। मैं वापस चलता हूँ, 50 प्रधान चुने गए जिसको मैं एम.एल.ए. कह सकता हूँ, पाँच मंत्री चुने गए, जिसके काम चलाने के लिए उनको कहा गया, अब उनके सैक्रेटरीज बन गए। अब वो सैक्रेटारीज लिख के कह देते हैं कि हमीं हम हैं, आप कौन है?

मुझे नहीं पता था ये मुद्दा आ रहा है, नहीं तो मैं लाकर दिखाता नोट लिखा हुआ सैक्रेटरी ने कि सैक्रेटरी इज हैड आफ डिपार्टमैंट और उसका व्यू फाइनल होता है और मंत्री चाहे तो अपने व्यू अलग से दे सकता है और मंत्री चाहे तो डफरेंस आफ ओपिनियन दे सकता है। ये दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है और ये मानना है, मैं मान नहीं सकता। क्योंकि सारे के सारे बहुत बड़ा एग्जाम यू.पी.एस.सी. एग्जाम देकर पास होकर आए हैं। इस सदन के अंदर भी कई हमारे एम.एल.ए. साथी बैठे हैं, जिन्होंने यू.पी.एस.सी. का एग्जाम दिया है। उनको पता है कि अगर इसको क्वेश्चन को आंसर ये दे आएँ तो जीरो नंबर मिलेगा और हो सकता है डबल जीरो मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। वो साफ-साफ कहते हैं कि एग्जीक्टूटिव का मतलब हम हैं, आप तो इलैक्टिड रिप्रेजेंटिव है। वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि इलैक्टिड रिप्रेजेटिव का मतलब ये नहीं होता कि उसकी पॉवर नहीं है एग्जीक्युटिव वो है जो सरकार इस सदन में चुनकर भेजी। जब तक उसका सदन में बहुमत है, वो सरकार है। इस गलतफहमी की वजह से दिल्ली के अदंर के जो अधिकारी है, वो अपने आपको समझते हैं खुदा। उनको ये पता ही नहीं है कि एक रुपया भी अगर खर्च होगा सरकार

का, इस सदन की अनुमति से खर्च होगा, वर्ना खर्च नहीं हो सकता। बजट पास ये सदन करता है।

सुबह मेरे पास एक आदरणीय सदस्य आए थे एफ.ओ.बी.की बात थी। मैंने कहा सर, आपने या तो जो बजट पास किया उसके अंदर पैसा ही 30 करोड़ रुपये ही दिया, आपको अगर पास कर दिया पाएगा तो बन जाएँगे नहीं तो नहीं बन पायेंगे। मैंने तो 100 करोड रुपये का प्रपोजल दिया था। सदन की पॉवर है कि किस मद के अंदर कितना पैसा खर्च होगा या नहीं होगा, पैसे की सारी की सारी शक्ति इस सदन के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हमारे सभी विधायकों भी और कम से कम अधिकारियों को भी 10वीं-11वीं-12वीं की सिविक्स की जो बुक्स है, उनको पढ़ा देना चाहिए। जिसके अंदर साफ-साफ लिखा है ब्यूरोक्रेसी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, जो कुछ दिल्ली में तीन साल से हो रहा, उसकी आँखे खुल रही है अब।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : उसके अंदर साफ-साफ लिखा है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं मुझे मालूम है। बैठिए, ओमप्रकाश जी। विपक्ष की भूमिका मुझे मालूम है क्या होता है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : उसके अंदर लिखा है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी... मैंने बताया ना कि वो 25 साल के अंदर समझने लगती है कि भई 25 साल से हैं, ये तो आते रहते हैं। उसको कहा जाता है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, सरकार बदलने के बाद नई सरकार पालिसीज चेंज कर सकती है क्योंकि विल आफ दा पीपॅल है। उसको किसी भी समय अपनी पॉलिटिकल अलाइंस को छोड़ते हुए न्यूट्रल रहते

हुए जो भी उस पर सरकार आदेश दे, उसको फेथफुल्ली पुरा करना चाहिए। ये लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है कि जो भी सरकार का आदेश उनको पालन करना चाहिए। उसके हिसाब से पालिसीज को बनाने में मदद करनी चाहिए।

ब्यूरोक्रेसी के दो प्राइम काम हैं; एक है-पॉलिसी बनाने में मदद करना और दूसरा-पॉलिसी को इंप्लीमैंट करना। यही दो काम हैं, कही भी देख लीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी के दो काम हैं फिर से बता रहा हूँ- पॉलिसी बनाने में मदद करना और पॉलिसी को इंप्लीमैंरट करना। जैसे कि कल हमने कहा दिल्ली के अंदर एम.एल.ए. फण्ड को हमने चार करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। दिस इज ए पॉलिसी डिसीजन। सरकार का प्रेरोगेटिव, सरकार की मर्जी कि वो चार करोड़ करे या चार करोड़ से एक करोड़ करे। आज इस सरकार ने चार करोड़ से 10 करोड़ किया, कल कोई और सरकार आती है वो जीरो कर सकती है, उसकी मर्जी है। अब उस पॉलिसी को बनाने के अंदर सरकार को जो मदद चाहिए ब्यूरोक्रेसी को फेथफुल्ली देनी चाहिए। उसमें अड़ंगे नहीं अड़ाने चाहिए। उल्टा हो रहा है। इस रेल को चलाने वाला इंजन तो एक है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और पीछे डब्बों के अंदर लगी हुए चेन कोई भी लटक जाता हैं खींच देता है कि देखो मैंने यूँ कर दी। कहते हैं, "कर तो कुछ सकता नहीं, रोक तो सकता हूँ।" और यही हो रहा है। सी.सी.टी.वी. कैमरा 13 अक्टूबर, 2015 को केबिनेट ने पास किया कि पूरी दिल्ली में एक लाख चालीस हजार कैमरे लगाए जायेंगे। तीन साल पूरे होने वाले हैं। तरह-तरह के अड़ंगे, तरह-तरह के अड़ंगे लगा-लगाकर कि तीन साल तो निकाल दिए। अरे भई, तुम्हारा काम इसमें अड़ंगे लगाना नहीं, तुम्हारा काम है, काम करना। काम क्या करना है या नहीं करना, ये सदन डिसाइड करेगा।इस सदन का प्रेरोगेटिव है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और जो सदन आदेश देगा, उस सदन के आदेश को पालन करने का काम सरकार का है, इन मंत्रियों का है। मैं आपको

बताना चाहता हूँ इस सदन के अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं। कई सारे लोग कहते हैं यार! एक दिन...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी चलने दीजिए फ्लो टूटेगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : इतनी-इतनी देर तक रात-रात तक कि आप क्वेश्चंस को क्यों पढ़ते हैं। आप ही के वो सारे एन.एल.ए. हैं। मैंने कहा, "कभी आकर देखना कि हमारे एन.एल.ए. कैसे करते हैं कि आप पहचान नहीं पायेंगे कि पक्ष का कौन है, विपक्ष का कौन है। विपक्ष वाले तो वॉकआउट करके चले जाते हैं जो हमारे पक्ष वाले हैं ना, हमारे पक्ष वाले जो हैं एक-एक क्वेश्चन के लिए कितनी खिंचाई करते हैं। मुझे आज भी ध्यान है तीन दिन पहले यूडी डिपार्टमैंट का जब क्वेश्चन लगा था अगर मैं उनके आंसर्स पहले ना लेकर आया होता तो मेरी तो खिंचाई की तो पूरी तैयारी थी। सौरभ जी ने तैयारी चालू कर दी थी बोलना स्टार्ट कर दिया था जब मैंने बताया कि जी, ये मैंने क्वेश्चन के ऊपर ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये मेरी क्वेरिज है जिनका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो तैयारी करके आनी पड़ती है क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीम सदन हैं, सरकार नहीं है। इस सदन कि वजह से सरकार बनती है और मैं सौरभ जी के जो प्रस्ताव है पूरा समर्थन करता हूँ और मैं फिर से कहना चाहता हूँ की ये पूरी की पूरी पॉवर... श्रीदत्त शर्मा जी का है। सॉरी, अमेंडमैंट दो लोगो के हैं दोनों की अमेंडमैट सोमनाथ जी की भी और सौरभ जी की अमेंडमैंट के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ सदन सुप्रीम है और सदन जो कहेगा वही होगा। एक बात मैं ये जरुर कहना चाहता हूँ कि जो बार-बार कोर्ट पहुँचने वाली बात है, शायद जो भी रिसर्च का विषय होगा, कोई न कोई सदस्य रिसर्च करेंगे। तो इस देश के अंदर तीस विधान सभाएँ हैं, दिल्ली को मिलाकर। उसमें से कितने विधानसभाओं के अंदर उनके खिलाफ

अधिकारियों ने केस किए हैं शायद। पहली विधानसभा होगी किसी भी अधिकारी ने उसके खिलाफ केस किया हो, एक केस नहीं है अनेकों केस किए होंगे। ऐसा विधानसभा की हिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा और ऐसा भी कभी नहीं मिलेगा कि जब अधिकारी कहते हैं, "मेरा बॉस अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर दो।" अरे भई, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा जब तुम काम की बात करोगे, काम करो-काम करो। कहते हैं, "जी काम करने ही आए थे।" तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बॉस अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आपको चेंज कर लो। या तो ठीक काम कर लो या चेंज का मतलब दूसरा चले जाओ यहाँ से, काम तो करना पड़ेगा। मैं ये कहना हूँ कि अधिकारियों में भी बहुत सारे लोग अच्छा काम करना चाहता हैं, अच्छे लोग है। बट पिछले दो-ढ़ाई साल से उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर है, अत्याधिक प्रेशर है। कई लोगों को नहीं,,

...(व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : मैं बता देता हूँ आपको, नहीं-नहीं मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अब जैसे क्या क्या होता है सत्येन्द्र जैन ने अपने आफिस में ओ.एस.डी. की नियुक्ति की। पूरे देश के अंदर सभी सरकारों के अंदर सभी मंत्रियो की ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसको ओ.एस.डी. लगाना चाहे, वो अपनी मर्जी से लगा सकता है। इसकी जाँच सी.बी.आई. कर रही है। सी.बी.आई. ने बुलाया, मुझसे प्रश्न पूछा कि आपने इस फलां-फलां आदमी को ओ.एस.डी. क्यों लगाया? मैने कहा भई ये मेरा प्रेरोगेरिटव है, मेरी मर्जी है इसलिए मैंने लगाया। and you connot ask this question. this is an administrative decision and only person that can be ... that can questions my decision is my chief minister. you are not my chief minister. अगर मैंने कोई करप्शन किया हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे एडमिनिस्ट्रेरिटव डिसीजन को यू केन नॉट क्वेश्चन। अगर आप ये पूछने लगेंगे, आपने मौहल्ला क्लीनिक क्यों बनाए, आपने पॉलीक्लीनिक क्यों बनाए, आपने फ्री सर्जरी स्टार्ट क्यों की, रोड एक्सीडेंट

विक्टिम का इलाज फ्री में क्यों किया, उनका जवाब नहीं पूछा जा सकता। क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हैं। वो इस सदन की सहमति से इस सदन के आदेश से, उनके कहे अनुसार किए जा रहे हैं। आप वह पूछताछ नहीं कर सकते परन्तु मुझे तो पता है ये बात और हम तो सिर पर कफन बांधकर आए हैं। हमें फर्क भी नहीं पड़ता जितने मर्जी पूछ लीजिए आप। परन्तु जब मेरे ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, उनको सुबह 9 बजे बुलाकर शाम के 6 बजे तक बिठाया जाता है कि ओ.एस.डी. की नियुक्ति सत्येन्द्र जैन ने क्यों की? वो बेचारा क्या कहेगा, मुझे क्या पता है। "जी, मंत्री जी वो हैं, उनसे पूछो। कहता है, "आप बताओ।"

जब उनको दो बारी बुला लिया जाता है तीसरी बार वो कहता है कि सर जी, मेरा क्या होगा? मौहल्ला क्लीनिक, जिसके बारे में पूरा देश नहीं, पूरा संसार बता रहा है कि इतना अच्छा आइडिया जिसके बारे में सी.बी.आई. महीनों से नहीं साल से ऊपर हो गया इंक्वायरी में लगी हुई, इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी खेल रही है और दिल्ली सरकार के कम से कम 100 अधिकारियों को वहाँ बुला चुके हैं। तीना लाख पेपर्स, तीना लाख पेपर्स की फोटो कापीज जमा करा चुके हैं। मकसद क्या है वो मुझे डराना चाहते हैं। मैं तो डरने वाला हूँ नहीं परन्तु, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये जरुर है कि वो बैचारे थोडे बहुत घबरा जाते हैं। ये तरीका जो इन्होंने अपनाया है। कल भी मैंने कही थी। किसी अधिकारी से मेरी बात हुई। मैने कहा भई, आप हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं करते? कहते हैं, "अपने सुपीरियर अथॉरिटी की बात मानते हैं। मैंने कहा, "सुपीरियर अथॉरिटी तो मैं हूँ। मैं हूँ। मैं मंत्री आई.एम. द सुपीरियर अथॉरिटी।" उन्होंने कहा, "जी आपके पास विजिलेंस नहीं है, आप डिसिप्लेनरी एक्शन नहीं ले सकते, आप ए.सी.बी. में नहीं पकड़वा सकते हैं और तो और तो और आप ट्रांसफर/पोस्टिंग नहीं कर सकते। ये सारे के सारे काम एल.जी. साहब कर सकते हैं तो एल.जी. साहब सुपीरियर अथॉरिटी हैं तो जी, आपकी मानूँ?" तो इसका मतलब

इस सारी जड़ के अन्दर अभी भी बात चल रही थी, सारे विधायक कह रहे हैं कि एल.जी. साहब ने उनको अप्रूव कर दिया कि आप नये वकील रख लो। मैने कोई अप्रूव नहीं किए। अगर इस सदन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के, ओ केस लड़ने के लिए किसी अधिकारी को मैंने मंजूरी दी हो तो मेरी तनख्वाह से काट लिए जाएँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मतलब ही नहीं उठाता। जिस सदन के अन्दर... जिस थाली में खातें हैं, उसमें छेद नहीं कर सकते। ये तो पता नहीं बेपेंदी के लौटे कहाँ से आ गए जो सदन तनख्वाह देता है तुम्हारे को, उस सदन के खिलाफ जा रहे हो। अब कांग्रेस को देखिएगा, अमेरिकन कांग्रेस, यू.एस. कांग्रेस के बारे में आप पिक्चर देख लीजिएगा, टी.वी. में देख लीजिएगा, फिल्म्स हैं कितनी सारी। जब वहाँ की कमेटियाँ बैठती हैं। वहाँ की कमेटियां...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप जाइए जाना है तो, हमें क्या दिक्कत है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : वहाँ पे कमेटियों की जब मीटिंग होती है, उनकी कमेटियों की मीटिंग के लिए वो राष्ट्रपति को भी बुला सकते हैं वहाँ के। वहाँ के जितने भी मंत्री हैं, सबको डर लगता है। जैसे हमें भी लगता है। ये पहला सदन होगा इस देश के अन्दर जिस सदन के अन्दर उसके मंत्रियों को उनसे डर लगता है बाकी सदन में किसी मंत्री को डर नहीं लगता सदन से। वो कहता है, "हमारा बहुमत है, हमें क्या दिक्कत हैं?" सर, वहाँ का सिस्टम देखिएगा कि असेम्बली की जो कमेटीज होती हैं, उन कमेटीज की उतनी ही पॉवर होती हैं जितनी असेम्बली की होती है। ये क्लीयर होना चाहिए। बहुत सारे लागों को लागों को कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं, "ये तो कमिटी है, इसकी पॉवर नहीं है। कमिटी की एग्जेक्टली सेम पॉवर हैं जो सदन की, वही मैं एक चीज और बताना चाहूँगा सदन के सामने, संविधान के अन्दर लिखा गया है, दिल्ली

विधान सभा के क्या प्रीविलेजिज होंगे। दिल्ली विधान सभा के वही प्रीविलेजिज होंगे जो लोकसभा के होंगे, इक्वल हैं। अगर संसद सदस्य लोकसभा के जो भी प्रीविलेजिज हैं, जो भी उसका अधिकार है, सारे के सारे बराबर हैं तो दिल्ली विधान सभा को कमतर कैसे माप सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी भी शख्स को मानना चाहिए और हमारी सरकार, मैं... कोई उसको नहीं मानता है, हम पूरी तरह से इस विधान सभा की सत्ता का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं और इसके आगे सैल्यूट करते है और आगे सैल्यूट करते हैं जो भी सदन कहेगा, उसका हम पालन करेंगे अक्षरशः करेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री दत्त शर्मा द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था, उसमें जो संशोधन जुड़े हैं, सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाॅ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाॅ कहने पर)

हाॅ पक्ष जीता, हाॅ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ, संकल्प पारित हुआ।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय कल हमने एक प्रिविलेज का जिक्र किया था दो जो पेपर थे; एक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में जो कुछ नयूज छपा था। आपने कहा था कि लिखित दे दो, मै डायरेक्शन दे दूँगा। हमने लिखित आपके आफिस में भिजवा दिया है, उसपे कोई डायरेक्शन नहीं आया, अभी डायरेक्शन आ जाए, बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप लिखित में दे दीजिए। मेरे पास आया नहीं अभी।

श्री संजीव झाः नहीं मैं तो कल... सुबह में ही दे दिया था मेरे ख्याल सैक्रेटरी के पास होगा

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास आ जाएगा मैं यहाँ डायरेक्शन दे दूँगा।

श्री संजीव झा : हाउस में अगर डायरेक्शन दे देंगे तो।

माननीय अध्यक्ष : मैं डायरेक्शन दे दूँगा उसकी भी। कमेटीज को डायरेक्शन दी जाएगी, प्लीज।

माननीय अध्यक्ष : 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को 72वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएँ।

मैं माननीय सदस्यों को ये भी सूचित करना चाहूँगा कि दिनांक 14 अगस्त तथा 15 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रत दिवस के अवसर पर विधान सभा में भव्यमय प्रकाश व्यवस्था की गई है। पूरा विधान सभा भवन रोशनियों से उठेगा। इस अवसर पर सी. आई.एस.एफ. द्वारा म्यूजिकल बैंड का आयोजन भी किया जाएगा। अतः आप सभी इस अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय विधायकों से अनुरोध है कि अपनी क्षेत्र की जनता को भी संबंध में सूचित करें कि दोनो दिन अर्थात् 14अगस्त, 15अगस्त को सायं 5:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक विधान सभा की प्रकाश व्यवस्था और संगीतमय कार्यक्रम का आनन्द ले सकें।

इसमे पहले कि मैं सदन को अनिश्ति काल तक के लिए स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी माननीय मंत्रीगण, नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किए गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की काय मा से जन-जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे राष्ट्र गान के लिए खड़े हों।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब ये समय देख लीजिए एक घण्टा सदन का नेता विपक्ष ने बर्बाद किया। पूरा एक घण्टा उन्होंने बर्बाद किया। जो इसके पक्ष में है, वो हाँ कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पारित हुआ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

81. श्री पंकज पुष्कर : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरोग्य निधि का उसकी पात्रता शर्ते, प्रक्रिया तथा समयावधि जिसमें आवेदनों को प्रोसेस किया जाना होता है, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार की कोई अन्य योजना भी है जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्चो की प्रतपूर्ति की जा सके; और

(ग) दिनांक 01.03.2015 से 30.04.2018 के दौरान दिल्ली आरोग्य निधि के अंतर्गत यह सुविधा पाने वाले आवेदकों का विवरणस क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) **पात्रता शर्तें-**

-पारिवारिक वार्षिक आय रूपये 1 लाख से कम - (दस्तावेज : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अथवा रेवेन्यू विभाग के अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र)

-पिछले तीन वर्ष से दिल्ली का निवासी (दस्तावेज : तीन साल पुराना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा रेवेन्यु विभाग द्वारा जारी निवास प्रमाण्प् जिसमें प्रमाणित किया गया है कि लाभार्थी तीन साल से दिल्ली का निवासी है।

-सरकारी अस्पताल - लाभार्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित किसी सरकारी अस्पताल में होना अनिवार्य है।

-सहायता राशि - अधिकतम 1.5 लाख।

प्रक्रिया -

-लाभार्थी का इलाज जिस सरकारी अस्पताल में चल रहा है, उसी अस्पताल के नोडल ऑफिसर, दिल्ली आरोग्य निधि के दफ्तर में लाभार्थी को अनुमोदित आवेदन फार्म, दो फोटो तथा उपरोक्त दस्तावेजों सहित जमा कराना पड़ता है।

–उसके उपरांत उस अस्पताल का नोडल ऑफिसर, दिल्ली आरोग्य निधि लाभार्थी के आवेदन पत्र तथा दस्तावेज ई–ऑफिस/ईमेल द्वारा दिल्ली आरोग्य निधि के दफ्तर – एफ–17 कडकडडूमा शाहदरा, दिल्ली में भेजता है। जहां आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेजों की जांच होती है।

–यदि आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती और सहायता की राशि रूपये 25,000/– से कम है तो ई–फाईल बनाकर मेम्बर सेक्रेटरी से स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है, उनके द्वारा स्वीकृति के पश्चात ई.सी.एस द्वारा स्वीकृत राशि अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक को भेज दी जाती है।

–यदि आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती और सहायता की राशि रूपये 25,000/– से अधिक है ई–फाईल बनाकर वित्त विभाग में स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है, दोनों से स्वीकृति मिलने के पश्चात् ई.सी.एस. द्वारा स्वीकृत राशि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को भेज दी जाती है।

समयावधि–

–मैम्बर सेक्रेटरी से स्वीकृति के पश्चात् अधिकतम तीन कार्य दिवस का समय लगता है।

(ख) जी हां, दिल्ली आरोग्य कोष

(ग) दिनांक 01.04.2015 से 30.04.20189 तक कुल 508 मरीजों को सहायता राशि प्रदान की गई है। समची संलग्न है।* 31.03.2017 के बाद दिल्ली आरोग्य निधि से किसी को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। 31.03.2017 के बाद केवल दिल्ली आरोग्य कोष से सहायता दी गई है।

---

* www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

82. श्री जरनैल सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी सुपर स्पेशिलिटी होस्पिटल बनकर इस्तेमाल के लिए कब तैयार हुआ;

(ख) इस भवन के निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण क्या है;

(घ) इस अस्पताल के अंदर वास्तव में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण क्या है;

(ङ) इस अस्पताल के अंदर सभी प्रस्तावित सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने का क्या कारण है; और

(च) इन्हें कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह अस्पताल 2008 में बनकर इस्तेमाल के लिए तैयार हुआ;

(ख) इस भवन के निर्माण में लगभग 83 करोड़ रूपये खर्च हुए।

(ग) इस अस्पताल के अन्दर उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. इस अस्पताल में जल्द ही 15 मशीनों वाली डायलेसिस यूनिट आरम्भ की जा रही है।
2. इस अस्पताल में सात मौडयूलर ऑपरेशन थियेटर (Modular Operation Thetre) बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकि है तथा इसके शीघ्र ही क्रियान्वित होने की संभावना है।

3. इस अस्पताल में एम.आर.आई. और सी.टी. स्केन मशीन को लगवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकि है तथा इसके शीघ्र ही क्रियान्वित होने की संभावना है।

4. इस अस्पताल में केन्द्रीकृत ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन Centralized Oxygen Gsd Pipe Line) डालने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है तथा इसके शीघ्र ही क्रियान्वित होने की संभावना है।

(घ) इस अस्पताल के अन्दर वास्तव में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. कार्डियोलॉजी

2. नेफरोलॉजी

3. न्यूरोलॉजी

4. गेस्ट्रोलॉजी

उपरोक्त सुविधाओं के अलावा अन्य सहायक सुविधाऐं भी उपलब्ध है :-

1. लैब की सुविधा

2. एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड

3. इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की सेवाएं गेस्टोएटरोलॉजी विभाग में उपलब्ध है।

4. ई.ई.जी, ई.एम.जी तथा एन.सी.वी. की लैब सुविधाएं न्यूरोलॉजी विभाग में उपलब्ध है।

5. इस अस्पताल में कैथ लैब भी है जिसमें हृदय रोग (कार्डियक रोगी) से संबंधित मरीज आते हैं जिनका इनवेसिव प्रासिजर (inavasive Proedure) इलाज किया जाता है। जैसे Angiography, Stent] Ballon Angioplasty और पेसमेकर इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध है।

6. इस अस्पताल में ऐसो मरीजों के लिए जिनका सी.टी स्केन और एम.आर. आई करने की आवश्यकता है उन्हें दिल्ली सरकार की DAK/DAN स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

(ङ) इस अस्पताल के अन्दर सभी प्रस्तावित सुविधाऐं उपलब्ध न कराए जाने का मुख्य कारण निम्न प्रकार है :-

1. शिक्षण और गैर शिक्षण संकाय (Faculity) के पदों को भरने की प्रक्रिया क्रियान्वित है और जल्द ही इन पदों को भरने की संभावना है।

(च) इस अस्पताल में जैसे ही शिक्षण और गैर शिक्षण संकाय (Faculity) के पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी वैसे की अन्य सुविधाऐं भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

83. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत, विधायक : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन, रंगपुरी, कापसहेड़ा, समालका, धूलसिरस, भरथल, बामनोली, शाहरबाद मोहम्मद पुर, बागडोला और राजनगर पार्ट-2 में मीटर वाले कनेक्शनों की संख्या का विवरण क्या है;

(ख) बिजवासन और कापसहेड़ा में रिजरवायर्स के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) नजफगढ़ ड्रेन से यमुना नदी में सीवर का पानी बहना रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) मीटर वाले जल कनैक्शनों का विवरण निम्नलिखित है :

बिजवासन	:	191
रंगपुरी	:	183
कापसहेड़ा	:	249
समालखा	:	266
धूलसिरत	:	55
भरथल	:	96
बमनोली	:	19
शाहाबाद मोहम्मदपुर	:	183
बागडोला	:	109
राजनगर पार्ट–2	:	10,118
महिपालपुर	:	1557
सालापुर खेरा	:	75
कुल	:	13,129

(ख) बिजवासन में 9.1 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत जलाशय बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है तथा निविदा डालने की अंतिम तिथि 03.08.2018

है। कापसहेड़ा पर रिर्जवायर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है व कापसहेड़ा क्षेत्र को पीने का पानी बिजवासन रिर्जवायर से दिया जायेगा।

(ग) यमुना में सीवर का पानी बहना रोकने के लिए निम्नलिखित योजना पर कार्य किया जा रहा है :

दिल्ली जल बोर्ड नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंटरी एवं शाहदरा नालों के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर की लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है, लगभग 54 कि.मी. लाइन डाली जानी है जोकि दूषित पानी को नजदीक अवजल शोधन संयंत्र तक ले जाएगी, लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका दिया गया है। 1669 अनाधिकृत कॉलोनियों में सो 265 कॉलोनियों में आंतरिक सीवर व्यवस्था दी गयी है और मास्टर प्लान 2031 के अनुसार लगभग 340 कॉलोनियों में कार्य प्रगति पर है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 70 एम.जी.डी. का अवजल शोधन संयंत्र कॉरोशन पिलर पर कार्य प्रगति पर है। विकेन्द्रित अवजल शोधन संयंत्र बनाने का कार्य प्रगति पर है जिससे दूर-दराज के इलाकों से सीवर को इकट्ठा करके उनका शोधन किया जायेगा।

लगभग 80 कि.मी. पुरानी पैरीफिरियल सीवर लाईन का पुर्नवास का का कार्य प्रगति पर है।

84. श्री शिवचरण गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 5 वर्षो में मोती नगर में स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल को विभिन्न मदों के अंतर्गत कितना फंड आवंटित किया गया है;

(ख) इस अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों, पैरामैडिकल व अन्य स्टाफ का विवरण क्या है;

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई लोकल परचेजिज का विवरण क्या है;

(घ) दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2018 के दौरान इस अस्पताल में कितनी सर्जरी की गई एवं उन्हें किन डॉक्टरों ने परफॉर्म किया, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) इस अवधि के दौरान इस अस्पताल में रैफर किए गए मरीजों का विवरण क्या है;

(च) इस अस्पताल में वर्तमान में कितने बिस्तर उपलब्ध है;

(छ) क्या इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ज) क्या इस अस्पताल में आई.सी.यू. की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो कब तक; और

(ट) यदि नहीं तो उसके कारण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह जानकारी संलग्नक 'क' में दी गई है।

(ख) यह जानकारी संलग्नक 'ख' में दी गई है।

(ग) लोकल परचेंज का विवरण निम्नलिखित है :-

2013-14 - 1212955 रुपये

2014–15 – शून्य

2015–16 – 8152133.50 रुपये

2016–17 – 9557457 रुपये

2017–18 – 24921274 रुपये

(घ) यह जानकारी संलग्नक 'ग' में दी गई है।

(ङ) इस अस्पताल से 309 मरीज सर्जश्री हेतु DAK के तहत रेफर किये गए है।

(च) Sanctional बेड – 150

Functional बेड – 150

(छ) हाँ। 270 बेड का प्रावधान इस अस्पताल के प्रस्तावित नए बिल्डिंग ब्लॉक में है।

(ज) हाँ। प्रावधान इस अस्पताल के प्रस्तावित नए बिल्डिंग ब्लॉक में है

(झ) जब लोक निर्माण विभाग नए बिल्डिंग ब्लॉक को तैयार करके हस्तांतरित करेगा।

(ट) उपरोक्त 'झ' के अनुसार लागू नहीं है।

संलग्नक 'क'

Head Wise Budget Allotted for the Period 2013-14 to 2017-18

(Amt. in Rs.)

Head of A/c	2013-14	2014-15	2015-2016	2016-17
Salary	70000000	7300000	8500000	21500000
OTA	0	0	0	0
DTE	200000	50000	100000	50000
OE	42400000	44400000	60000000	71960000
M & E	5000000	18000000	10000000	15000000
M & S	53000000	36200000	15000000	2550000
OAE	100000	200000	400000	200000
Adv. & Pub.	350000	650000	200000	1000000
POL	50000	100000	100000	190000
M.T.	400000	600000	1200000	850000

Non Plan

Head of A/c	2013-14	2014-15	2015-2016	2016-17
Salary	192500000	237900000	225090000	255100000
OTA	10000	10000	10000	0

Head of A/c	2013-14	2014-15	2015-2016	2016-17
DTE	220000	400000	400000	300000
DTE	220000	400000	400000	300000
OE	3010000	3000000	3500000	700000
M.T.	860000	690000	1000000	1000000

Head of A/c	2017-18 (Revenue & Capital)
Salary	328643000
OTA	10000
DTE	425000
OE	85922000
M&E	7500000
M&S	63400000
OAE	40'0000
Adv. & Pub.	700000
POL	200000
M.T.	2500000

संलग्नक 'ख'

OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT
ACHARYASHREE BHIKSHU GOVERNMENT HOSPITAL
MOTI NAGAR, NEW DELHI- 110015

Details of Staff working as on 03-08-2018

S.No.	Name of the Post	Total
1.	M.S.	1
2.	DMS	1
3.	CAS DENTAL	2
4.	SPECIALIST	13
5.	GDMO/MO	11
6.	ASSISTANT NURSING SUPERINTENDENT	0
7.	ACCOUNTS OFFICER	1
8.	STENOGRAPHER GRADE-1	1
9.	ASST. ACCOUNTS OFFICER	1
10.	MRO/St. OFFICER	2
11.	STATISTICAL ASSISTANT	1
12.	SENIOR RESIDENTS	45
13.	JUNIOR RESIDENTS	34

S.No.	Name of the Post	Total
14.	NURSING SISTER	7+1* 1* STAFF NURSE ADJUSTED
15.	STAFF NURSE	92
16.	ASSISTANT DIETICIAN	1
17.	PHYSIOTH ERAPIST	1
18.	OCCUPATIONAL THEREPIST	1
19.	REFRECTIONIST	1
20.	AUDIOMETRY ASSISTANT	1
21.	DENTAL HYGIENST	1
22.	SENIOR RADIOGRAPHER	2
23.	JUNIOR RADIOGRAPHER	5
24.	DARK ROOM ASSISTANT	1
25.	LAB TECHNICIAN GRADE-IV	4
26.	LAB ASSISTANT GRADE-IV	9
27.	ECG TECHNICIAN	2
28.	CSSD TECHNICIAN	2

S.No.	Name of the Post	Total
29.	OT TECHNICIAN	2
30.	CSSD ASSISTANT/OT ASSISTANT	8
31.	PHARMACIST	10
32.	DRESSER	3
33.	OFFICE SUPERINTENDENT	1
34.	HEAD CLERK	0
35.	UDC	2
36.	LDC	4
37.	DRIVER	5
38.	DEO(CONTRACT)	0
39.	NO (OUTSOURCED)	63
40.	PEON/NO/D.WAGER-IV	12

85. सुश्री भावना गौड़, विधायक : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है;

(ख) पालम विधानसभा के कौन-कौन से क्षेत्र पानी के कम सप्लाई से सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित है;

(ग) पानी की यह कमी कब से चल रही है;

(घ) इन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई कब तक बढ़ा दी जाएगी?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) दिल्ली में पानी की सप्लाई ठीक है, लेकिन पानी के वितरण के अंतिम छोर में पड़ने वाले कुछ क्षेत्रों में पानी के कम दबाव के कारण सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। इन क्षेत्रों में पानी की कमी को टैंकरों की मदद द्वारा जलापूर्ति (Suppliment) की जाती है।

(ख) जे.जे कॉलोनी सैक्टर-1, बी-3 ब्लॉक विजय एन्कलेव, एच-3 ब्लॉक महावीर एन्कलेव, माई दयाल बिल्डिंग साधनगर में पानी की समस्या है।

(ग) यह समस्या अप्रैल माह के बाद चल रही है।

(घ) स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कार्य विचारधीन हैं जैसे कि पुरानी जर्जर लाईनों को बदलना, बाल्व लगाकर उपलब्ध जल को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना।

(ङ) इस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त कार्यों के कार्यान्वित होने के बाद सप्लाई में सुधार की सम्भावना है। कार्यों का विवरण संलग्न-1 सूचना में दिया गया है।

संलग्न-1

Main source of water supply to command tank (CT-I) and command tank (CT-2) is Dwarka Water Treatment Plant (WTP). From CT-1 approx. 7.5 MGD water supplied to three wards on alternate days i.e. Mahabir Enclave (52s), Sadh Nagar (53s), Palam (54s) and from CT-2 approx. 2.00 MGD daily to Madhu Vihar (51s) ward. Water supply is supplemented through 38 nos.

tube wells (0.38 MGD). Total water supplied to Palam AC-37= 9.80 MGD. Total water demand of Palam AC-37 is approx. 12 MGD, so there is deficit of approx. 2.2 MGD. In peak summer time from April onwards as the tail end areas of C-3 Block Mahavir Enclave, JJ Colony Sector-1, B-3 Block Vijay Enclave, H-3 Block Bengali Colony Mahabir Enclave, Mai Dayal Building Sadh Nagar gets affected, the water requirement is met by supplying water through tanker. In Palam AC 300 nos. (Avg.) daily trips are being made through 40 nos. tankers.

The improvement to the above areas is being done by replacement of old and damaged water lines and by installation of sluice valves at critical locations' for proper distribution of water supply in different areas.

The following works are taken up for improvement of water supply in this financial year (2018-19) :

1. Improvement of water supply by replacing 200mm dia damaged peripheral water line RSC Sec.-I Dwarka in AC-37 Palam under EE(SW)-I. (25 lacs)

2. P/L 200mm dla water line in Gurudwara Road for improvement of water supply in C-3 Block Mahavir Enclave in AC-37 Palam under EE(SW)-I. (24 Lacs)

3. Improvement of water supply in Nanda Block by replacement of 100mm dia water line in Nanda Block in AC-37 Palam under EE(SW)-I. (18 Lacs)

4. Replacement of old damaged water line B-3 Block Vijay Enclave in AC-37 Palam under EE(SW)-I. (21 Lacs)

5. Improvement of water supply by replacement of old/damaged water line in Radha Krishana Mandir to GaB No.-4 Sadh Nagar AC-37 Palam under EE(SW)-I. (20 Lacs)

6. Re-boring of tube well in M.D. Building Sadh Nagar AC-37 Palam under EE(SW)-I. (6 Lacs)

7. Replacement of old damaged 100mm dia water line in H-3 Block Mahavir Enclave in AC-37 Palam(SW)-I. (18 Lacs)

After completion of these works water supply in the above said areas will be improved.

Sd/-	Sd/-
SE(South-West)	Ex. Engineer (SW)-I

86. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजेन्द्र नगर के सी ब्लॉक नारायणा में कम्युनिटी सेंटर के नजदीक 50 बिस्तरों का अस्पताल बनना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां तो उसका विवरण क्या है;

(ग) इस अस्पताल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस विधानसभा में डूसिब, दिल्ली बोर्ड और लोक निर्माण विभाग की जमीन पर 16 मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाने का प्रस्ताव था;

(ङ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है; और

(च) ये मोहल्ला क्लीनिक कब से काम करना शुरू कर देंगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) राजेन्द्र नगर के सी ब्लॉक नारायणा में कम्यूनिटी सेंटर के नजदीक 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए डी.डी.ए. द्वारा भूमि आंबटितत की गई थी जिस पर अब सरकार द्वारा पॉलीक्लिनिक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 17/07/2013 को 2700 वर्ग मी. जगह ब्लॉक–सी कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा बिहार में स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सुविध ाायें/अस्पताल बनाने के लिए आंबटित की थी। (आबंटन पत्र की प्रति संलग्न है) इसा जमीन पर प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही रही है।

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) दस मौहल्ला क्लिनिक बनाए जाने की जानकारी उपलब्ध है जिसमें डी. जे.बी. से पांच और डी.यू.एस.आई.बी से पांच जगह है।

(ङ) जानकारी सलंग्नक–ए में संलग्न है।

(च) प्रस्तावित जगह में से तीन जगह साध्य पाए गए हैं जहाँ 31/03/2019 तक मौहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए जायेंगे।

Annexure 'A'

SNO (AAMC)

Sl.No.	Address of the AAMC Site	Assembly constituency	District	Land owning Agency	Feasibility Status
1	2	3	4	5	6
1.	DJB Site, UGR DJB C-Block, New Rajender nagar, Ward-103	Rajender Nagar	New Delhi	DJB	Not Feasable, Site inspected, there was no free space for AAMC
2.	DJBsite,UGR DJB C-Block, Narayana, Ward-103	Rajender Nagar	New Delhi	DJB	Not Feasable, Site inspected, there was no free space for AAMC
3.	DJB water office, A-Block, Rajendra Park, Ward-102	Rajender Nagar	New Delhi	DJB	Not Feasable, Site inspected, there was no free space for AAMC
4.	DJBsite, UGR DJB Opposite DDA Flat	Rajender Nagar	New Delhi	DJB	Not Feasable, Site inspected, there

1	2	3	4	5	6
	Pandav Nager,				was no free space for AAMC
5.	UGR Dashghara, Ward-103	Rajender Nagar	New Delhi	DJB	Not Feasable, Site
6.	Toilet platform,opp Rakesh Hardwar, main Road B-block, Budh nagar, Inderpuri	Rajender Nagar	New Delhi	DUSIB	Not Feasible, falls close to DGD Budh Nagar
7.	Toilet platform, Near stroe, F-block, Budh Nagar, Inderpuri	Rajender Nagar	New Delhi	DUSIB	Not Feasible, falls close to BVK F block AAMC
8.	Toilet platform, Opp	Rajender	New Delhi	DUSIB Nagar	Feasilble
9.	Basti Vikas Kendra, F-block,budh Nagar, Inderpuri	Rajender	New Delhi	DUSIB	Feasible built up structure
10.	Basti Vikas Dendra C-76, Mayapuri	Rajender Nagar	New Delhi	DUSIB	Not Feasible, existing dispensary in slum area

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

INSTITUTIONAL LAND BRANCH

Room No. 216, A-Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, New Delhi
Tel. 24648018

No. F. 22(7)05/IL/1645 Dated :- 17/7/13

To,

The Addtttonal Director (Plg.),
D.H.S. GNCT of Delhi,
Swasthaya Sewa Nideshalye Bhawan,
F-17, Karkardooma, Shahdara,
Delhi-110032.

Sub : Allotment of land for construction of Govt. Hospital and Block-C Community Center, Naraina Vihar, land measuring 2700 Sqm.

Sir,

With reference to the letter dated 20.7.2010 of CMO (Planning), DHS, GNCTD on the subject cited above, I am directed to inform you that under the provision of DDA (Developed Nazul land) Rules, 1981, it. is proposed to allot you on perpetual lease hold basis, land measuring 2700 Sqm. at **Block-C, Community Center, Naraina Vihar,** for construction of **Govt. Hospital** with usual terms/conditions, as given in the approved format of Perpetual Lease and the following conditions amongst others :-

1. That the allottee Directorate of Health Services shall be required to pay provisional premium of land measuring **2700 Sqm.** @ **Rs. 300.15** Lacs per acre (Provisional) with annual ground rent @ 2.5% per annum of the total Premium (aggregate of the provisional land final premium). The allottee shall have to pay balance premium

for the Land as per rates determined by the Central Government under Rules-S of DDA (Developed Nazul Land) Rules 1981 and within the time demanded by DDA, The rates of land determined by Central Government shall be binding upon the allottee shall not be catted in questiorr by it in any proceeding.

(i) The allottee shall give an 'Undertaking' to the effect that it will pay the finalized balance premium of land, as and when demanded by DDA on the basis of the. rates determined by Central Govt.

(ii) The area of the land/plot is also subject to variation in size, as per the Layout Plan and actual demarcation of the plot at site etc.

(iii) The allotted land shall be used by the Directorate of Health Services for construction of Govt. Hospital and no ancther purpose whatsoever.

(iv) The building plans should be got approved from the lessor/ DDA, before getting the same sanctioned for the constructlon on allotted lano and the construction as per sanctioned plan shall be completed thereon within a period of 2 years from the date of taking over possession of the plot.

(v) The allottee shall not sell, transfer, assign or otherwise part with the possession of the whole or any part of the said land or any building thereon, except with the previous consent in writirg of the Lessor, which he shall be entitled to refuse in his absolute discretion.

(a) PROVIDED that, in the event of the consent being given, the Lessor may impose such conditions as he thinks fit and the LESSOR shall be entitled to claim and recover the whole or a portion (as the Lessor may I in his absolute discretion determine) of un-earned increase in the value (i.e. the difference

between the premium paid and market value) of the said land at the time of sale, transfer assignment, or parting with the possession. The decision of Lessor in the respect of the market value shall be final & binding.

(b) Not with standing anything contained in clause (v) apove, the Lessee may, with the previous consent, in writing of L.G. Govt. of Delhi (hereinafter called The LT. Governer) mortgage of charge, the said land to such person/persons as may be approved by the Lt. Governor in his absolute discretion.

(vi) The Lease deed shall be executed and, got registered by the Allottee at its own cost, as and when called upon to do so, by the Lessor (PRESIDENT OF INDIA)/DDA.

(vii) The trees, if any, standing on the plot in question, shall remain as DDA's property and shall not be removed or disosed of without the prior approval of the Lessor in writing.

(viii) That all other conditions as contained in the Perpetual Lease Deed to be executed in this behalf and any other terms/ condition imposed from time to time by the Central Government/Lt. Governor shall be binding upon the allottee. the form of lease deed will be issed by this.

(ix) If the allottee violates any terms and condittons as mensioned above and in the Perpetual Lease Deed, the allotment shall be cancelled and possession of the land/plot with superstructure standing thereon, if any, will be taken over by the Lessor (PRESIDENT OF INDIA) DDA, without any compensation to the allottee.

(x) The possession of the plot/land with building so cancelled for breaches of terms and conditions of allotment/Lease Deed will be handed over to DDA by the allottee on the date and time given in the Cancellation Notice.

2. The paymentand the acceptance letter. with the required 'Undertaking' must be sent within 60 days from the date of Issue of Demand-cum-Allotment letter failing which interest at the rate of 18% shall be chargeable for delayed period up, to 180 days from the date of issue of this letter, on completion of 6 months from the date of issue, the allotment letter. In case the allottee makes only part payment even after 180 days of issue of this letter, the allotment shall stand Cancelled. Thereafter, the allottee will be required to apply for land afresh.

3. After taking over the possession, it will be the Sole responsibtlity of the allottee to keep proper watch and ward-of the land property, against any encroachment.

4. The allottee shall pay cost of fencing/Boundary wall if any, as and when demanded by D.D.A.

5. if the above terms and conditions are acceptable to you, the acceptance thereof with an Undertaking may be sent to the Undersigned along with a Demand Draft as details given below in favour of D.D.A, Within 60 days from the date of issue of Allotmentcum - Demand letter. the said amount can also be deposited in the bank counter situated in I.N.A office complex and copy of the same may be sent to this office.

6. No property development shall be permitted on the allotted land

7. permission for felling/cutting of trees shall be obtained from the conservator of Forests, GOVT. of india.

8. In case of default in advance payment of ground rent,interest @ 10% per annum or such other rates, as the DDA/Lessor may in its/his absolute discretion, decide from time to time, without prejudice to the right of re-entry under the lease, will be charged

9. This allotment is subject to the approval of agenda Item of modification in the LOP of CC, Naraina vihar (Residential Scheme) for allotment of land for Health Facility plot at Naraina vihar by the Screening Committee as and when held and further to the demarcation and feasibility of plot to be done by the Engineering wing of DDA.

10. The possession of the plot shall only be handed over to DHS when the copy of approved modified Layout Plan is received from the Planning Wing of DDA.

Details of Demand

1.	Premium of land measuring **2700** Sqm. @ **Rs. 300.15** Lacs per acre (Provisional)	Rs. 2,00,25,526/-
2.	Ground Rent of the plot @ 2.5% P.A. of the total premium.	Rs. 5,00,638/-
3.	Documentation Charges	Rs. 45/-
		Rs. 2,05,26,209/-

Yours Faithfully,
Dy. Director (IL)/DDA

Copy to :-

1. Chief Engineer, West, DDA, for information Please.
2. Sr. Architect, HUPW, West Zone, DDA, for information Please.
3. A.O. (IL)/DDA for information Please.
4. AE(S) IL, West Zone, DDA for information Please.

Dy. Director (IL)/DDA

87. श्री नितिन त्यागी : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में कितने पेड़ गिराए गए, डिवीजन वाइज विवरण दे;

(ख) इस नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु लगाये गए पेड़ों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) इनमें से कितने पेड़, अभी-भी जीवित बचे है;

(घ) क्या क्षतिपूर्ति पौधारोपण की कोई अनुपालन रिपोर्ट दी जानी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षो के दौरान ऐसी कितनी रिपोर्ट्स दी गई?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में 77617 पेड़ गिराए गए, जिसका डिवीजन वाइज विवरण इस प्रकार है :-

दक्षिणी वन प्रभाग द्वारा-33715 (सूचना Annexure-A पर संलंग्रित है)*

पश्चिमी वन विभाग द्वारा-28313 (सूचना Annexure-B पर संलंग्रित है)

उत्तरी वन प्रभाग द्वारा-16235 (सूचना Annexure-C पर संलंग्रित है)

(ख) क्षतिपूर्ति हेतु लगाये गए पेड़ो का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :-

दक्षिणी वन प्रभाग द्वारा-377103 (सूचना Annexure-A पर उपलब्ध है)

पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा-394678 (सूचना Annexure-D पर संलंग्रित है)

उत्तरी वन प्रभाग द्वारा-208452 (सूचना Annexure-C पर संलंग्रित है)

(ग) दक्षिणी वन विभाग द्वारा-(सूचना एकत्र की जा रही है)

---

* सभी संलग्नक www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा–294990 (सूचना Annexure-D पर संलंग्रित है)

उत्तरी वन प्रभाग द्वारा–135735 (सूचना Annexure-C पर संलंग्रित है)

(घ) एवं (ङ) क्षतिपूर्ति पौधारोपण की डिवीज़न लेवल पर समय पर समीक्षा की जाती है।

88. श्री अजय दत्त : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुष्प विहार में डंप किए गए बिल्डिंग मैटिरियल को हटाने के लिये डी.पी.सी.सी. द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ख) क्या उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है;

(ग) हौजरानी सिटी फोरेस्ट में काम कर रहे स्थाई, पार्ट टाईम एवं अस्थाई वर्करों का विवरण क्या है;

(घ) पिछले 3 वर्षों में हौजरानी सिटी फोरेस्ट में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को दिए जा रहे वेतन/मजदूरी का विवरण क्या है;

(ङ) क्या इन वर्करों के अकाउंट में पी.एफ. और ई.एस.आई. जमा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(छ) यदि नहीं तो सर्विस प्रोवाईडर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण मंत्री : (क) एवं (ख) डम्प किए गए बिल्डिंग मैटेरियल को हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम की है;

हालांकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा पुष्प विहार के सैक्टर–1, सैक्टर–3, सैक्टर–4, 7, और 5 में निरीक्षण दिनांक 06.08.2018 को किया गया था। निरीक्षण लेकर गुप्ता मार्केट पार्किंग एरिया तक, शहीद पंकज जुअल मार्ग, सैक्टर–5 पुष्प विहार पर डम्प पाया गया है। इस पर कार्यवाही के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सूचित कर दिया गया है।

(ग) हौजरानी सिटी फोरेस्ट में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है–

स्थाई	–	44
अस्थाई	–	02
पार्ट टाइम	–	00

(घ) पिछले 3 वर्षो में हौजरानी सिटी फोरेस्ट में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को दिये जा रहे वेतन/मजदूरी का विवरण का विवरण इस प्रकार है :–

- 01/04/2016 से 30/09/2016 तक वेतन रुपये 11040/– प्रति माह दिल्ली सरकार के अनुसार।
- 01/10/2016 से 31/03/2017 तक वेतन रुपये 11220/– प्रति माह दिल्ली सरकार के अनुसार।
- 01/04/2016 से 31/03/2018 तक वेतन रुपये 13584/– प्रति माह दिल्ली सरकार के अनुसार।

साथ में ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. प्रति माह दिल्ली सरकार के अनुसार।

(ङ) जी हां, वर्करों के अकाउंट में ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. जमा किया जा रहा है।

(च) ई.पी.एफ. 13.16% और ई.एस.आई.सी 04.75%

(ज) उपरोक्तानुसार, लागू नहीं।

89. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितने सरकारी पोलीक्लिीनिक चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितने पोलीक्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन पोलीक्लीनिक्स के लिए भवन तैयार है;

(घ) यदि नहीं तो ये पोलीक्लीनिक कहां से परिचालित होंगे;

(ङ) वर्तमान में दिल्ली सरकार की कितनी डिस्पैसरियाँ चल रही हैं;

(च) वर्ष 2015 में दिल्ली सरकार की कितनी डिस्पैसरियाँ काम कर रही थी;

(छ) क्या सरकार पोलीक्लीनिक और मोहल्ला क्लीनिक्स को जगह देने के लिए डिस्पैंसरियों को बंद कर रही है; और

(ज) डिस्पैंसरियों का जो स्टॉफ आम आदमी क्लीनिक में भी काम कर रहा है, उनका विवरण क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) दिल्ली में वर्तमान में 25 सरकारी पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं। सूची संलग्न है। (संलग्न 'क')

(ख) सरकार द्वारा 94 पॉलीक्लिनिक खोले जाने का प्रस्ताव है। सूची संलग्न है (संलग्नक 'ख')

(ग) जी नहीं।

(घ) 94 दिल्ली सरकार के औषधालयों को ही रिमॉडल कर परिचालित किए जाने की योजना है।

(ङ) वर्तमान में वर्ष 2017-18 में दिल्ली सरकार की 351 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं।

(च) वर्ष 2015 में दिल्ली सरकार की 342 डिस्पेंसरियाँ काम कर रही थीं।

(छ) जी नहीं।

(ज) जानकारी सलंग्न है। (सलंग्नक 'ग')

सलंग्नक 'क'

No. of Polyclinics functioning in the different District

Sl. No.	CDMO	District Name	Assemble Constituency name	Name and full address of the Polyclinic	Name of the linked hospital	Date of opening of Polyclinic	Contact No. of the Polyclinic
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	South East	South East District	Okhla	Madanpur Khadar Phase-II	Lok Nayak Hospital	15.12. 2016	Landline is not Available MOI/C Dr. Shilpi (9953947079)
2.	South West	South West	Matiala	Polyclinic Pandwala-Kalan DGHC Pandwala Kalan	RTRM Hospital	14.02. 16	No separate phone for polyclinic Dispensary phone no. is 28013068

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	South West	South West	Matiala	Polyclinic Sector 14 Dwarka DGHC Building Sector-14 Dwarka	DDU Hospital	14.02. 2016	-
4.	West	West	Madiur 26	DGD Madipur, F Block, madi pur Colony, New Delhi-63	Guru Gobind Singh Govt. Hospital, Reghubir Nagar	27.01. 2016	25213570
5.	West	West	Shakur BASTI 14	DGD Paschim Vihar, New Delhi-63	Bhagwan Mahavir Hospital, Pitampur	16.04. 2016	28333249
6.	West	West	Tuak Nagar 29	DGD Tilak Vihar, Near Police Station,	Deen Dayal Upadhaya Hospital, Hari Nagar	14.02. 2016	28333249

				Tilak Vihar, New-Delhi			
7.	North	North	Narela	Buddo Devi Dispensary, Punjabi Colony, Delhi-40	Sathawadi Raja Hari-schandra Hospital Narela	14.02. 2016	9985951058
8.	Central	Central	Billimaran	Poly Clinic Ballimaran 1404, Gali Qasim jan, Delhi-06	Lok Nayak Hospital	15/03/ 2016	23971413
9.	Central	Central	Timarpur	Poly Clinic Timarpur Near Comm-unity Centre, D.A. Flats Timarpur, Delhi-54	Aruna Asaf All Hospital	15/03/ 2016	23971413
10.	Central	Central	Karol Bagh	Poly Clinic, NC Joshi Hospital	NC Joshi Hospital	Not Availa-ble	23622498

1	2	3	4	5	6	7	8
				Karol Bagh, Near Ajmal Khan Park, New Delhi, Delhi			
11.	East	East	Trilokpur	Aam Aadmi Polyclinic, Kalyan vas, Near Ration Office, Delhi-110091	Lal Bahadur Shastri Hospital	01.01. 2016	011-22775184
12.	Shahdara	Shahdara	Gandhi Nagar	Aam Aadmi Poly Clinic Kanti Nagar Delhi-51	Dr. Hedgevar Arogya Sansthan	09.11. 2015	011-22090276
13.	Shahdara	Shahdara	Shahdara	Aam Aadmi Poly Clinic Vivek Vihar, B-1B, Vivek Vihar, phase-I Delhi-95	Guru Teg Bahadur Hospital	14.02. 2016	011-22151292

14.	Shahdara	Shahdara	Seemapuri	Aam Aadmi Poly Clinic Nand Nagri A-2 Block Nand Nagri, Delhi-93	Guru Teg Bahadur Hospital	14.02. 2016	011-22585690
15.	North West	North West	Mangolpuri	Aam Aadmi Polyclinic Sector-2, Rohini Near Avantika, DGD Building, Sector-2, Rohini	Sanjay Gandhi Hospital Mangolpuri	14.2. 2016/ 1991	27515024
16.	North West	North West	Mangolpuri	Aam Aadmi Polyclinic Sec.-4, Rohini Near Adhar, International School, Delhi-85	Dr. BSA Hospital Rohini	14.2. 2016	27049755

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	North West	North West	Rohini	Aam Aadmi Polyclinic Sector-18, Rohini Sector-18, Rohini, Delhi-85	MV Hospital Pooth	14.2. 2016/ 1996	27855484
18.	North West	North West	Shalimar Bagh	Aam Aadmi Polyclinic Pitampura, CD Block, Vishaka Enclave, Delhi-88	Dr. BSA Hospital Rohini	14.2. 2016/ 2005	27324895
19.	North West	North West	Wazirpur	Aam Aadmi polyclinic Wazirpur PH-III: Wazirpur, Ph-III, Sawan Park,	BJRM Hospital	21.11.1 982	27023849

				Near Post Office, Delhi			
20.	North West	North West	Wazirpur	Aam Aadmi Polyclinic keshavpuram B-4 Block : B-4, keshavpuram Near Tyagi Public School, Delhi-52	DCBH Ashok Vihar	14.2.20 16, 2004	27117026
21.	North West	North West	Shakurbasti	Polyclinic Saraswati Vihar : C-Block, Saraswati Vihar, Delhi-34	BM Hospital Pitampura	14.2. 2016/ 2003	27192215
22.	North West	North West	Shakurbasti	Polyclinic Shakurbasti, Near Haryana Maitri Bhawan	BM Hospital Pitampura	14.3. 2017	9968024478
23.	New Delhi	New Delhi	R K Puram	AAM Poly Clinic Basant	Acharayashree Bhikshu	14.2. 2016	26151641

1	2	3	4	5	6	7	8
				Gaon, Near Community Center Village Basant Goan, New Delhi-57	Hospital Moti Nagar		
24.	South	South	Mehrauli	Aam Admi Polyclinic Beir Sarai, Opp JNU Campus, New Delhi-16	Pt Madah Mohan Hospital, Malviya Nagar, New Delhi	14/2/16	011-26526942
25.	North East	North East	Ghonda	Aam Admi Polyclinic Gautampuri, Gali No. 7, Jafrabad, Seelampur, Delhi-53	Jag Pravesh Chandra Hospital	14/2/ 2016	011-22861213 011-22180695

सलंग्नक 'ख'

S.No.	Phase-I	S.No.	Phase-II
1.	DGD Kalyan Vas	1.	DGD Hiran Kudna
2.	DGD Vasundhra Enclave	2.	DGD Nagloi
3.	DGD Kondli	3.	DGD New Ranjeet Nagar
4.	DGD Kantinagar Polyclinic	4.	DGD Khayala A Block
5.	DGD Karkardooma Village	5.	DGD Janakpuri
6.	DGD Bank Enclave	6.	DGD Vikaspuri KG-I
7.	DGD Gautampuri	7.	DGD Shiv Vihar
8.	DGD Arvind Nagar, Ghonda	8.	DGD Rohini Sector-13
9.	DGD Timarpur	9.	DGD Shalimar Bagh
10.	DGD Tank Road	10.	DGD Wazirpur
11.	DGD Balli Maran	11.	DGD Keshavpuram
12.	DGD Madanpur Khadar-I	12.	DGD Sangam Park
13.	DGD Madanpur Khadar-II	13.	DGD Gulabi Bagh
14.	DGD Gautampuri, Badarpur	14.	DGD shahzada Bagh
15.	Dr. N.C. Joshi Memorial Poly Clinic	15.	DGD Dujana House
16.	Sector-10, Dwarka (G+2)	16.	DGD Suinwalan
17.	Sector-14, Dwarka (G+2)	17.	DGD Chamelian

S.No.	Phase-I	S.No.	Phase-II
18.	Tilak Vihar (G+2)	18.	DGD Nangal Raya, Janakpuri
19.	Janakuri, A-4, (G+2)	19.	DGD Gokalpur B Block
20.	Sector-19, Dwarka (G+2)	20.	DGD Surajmal Vihar, A Block
21.	Pindwala Kalan (G+2)	21.	DGD Trilokpuri, Block-5
22.	Basant Goan	22.	DGD Himmatpuri, Block-32
23.	Bagumpur (G+3)	23.	DGD Kalyanpuri
24.	Chatterpur (G+2)	24.	DGD Mandawali
25.	Ber Sarai (G+1)	25.	DGD I.P. Extension
26.	Shiv Vihar Tiraha (G+1)	26.	DGD Geeta Colony
27.	Vivek Vihar (G+1)	27.	DGD New Lahore Shastri Nagar
28.	Khajoori Khas (G+2)	28.	DGD Saket
29.	DGD Rohini Sector-21	29.	DGD khanpur
30.	DGD Wazirpur	30.	DGD Dakshinpuri
31.	DGD Sarswati Vihar	31.	DGD Madangir
32.	DGD Ashok Vihar , H-Block	32.	DGD Sunlight Colony
33.	DGD Keshavpuram, B-4	33.	DGD Sriniwaspuri
34.	Inderlok	34.	DGD Batla House
35.	Sector-2, Dwarka	35.	DGD Raj Nagar Part-II

S.No.	Phase-I	S.No.	Phase-II
36.	DGD Dwarka Sector-12	36.	DGD Manglapuri
37.	Sector-17, Dwarka	37.	DGD Yamuna Vihar
38.	Sec-4, Rohini	38.	DGD Nand Nagar
39.	Sec-8, Rohini	39.	DGD Old Seemapuri
40.	Prashant Vihar	40.	DGD New Seemapuri
41.	Pitam Pura	41.	DGD Jahangirpuri H-Block
42.	Shalimar Bagh	42.	DGD Jahangirpuri B-Block
43.	Sec-18, Rohini	43.	DGD Mangolpuri
44.	Sultanpuri	44,	DGD Shakurpur
45.	Sec-2, Rohini	45.	DGD Rawta
46.	Jwala Puri	46.	Chirag Delhi Polyclinic
47.	Chowkhandi	47.	Bhajanpura Polyclinic

Total HR of AAMC, Delhi

		Rented (101)	Old Porta Cabins (65)	New Porta Cabins (22)*	Total
1	2	3	4	5	6
Doctors	DHS	6	15	1	22
	NHM	13	33	4	50

1	2	3	4	5	6
	DHS Contractual	0	11	0	11
	Phanmacist	3	40	31	74
	ANM/PHN	22	48	33	103
	LA/LT	2	23	6	31
	NO	2	28	12	42
	SCC	1	50	13	64
	Dresser	1	2	6	9

90. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा का वोटर सैंटर (वीआरईसी) रिठाला विधानसभा की सीमा के अंदर नहीं है;

(ख) पिछले वर्ष इस सैंटर को विधानसभा के भीतर शिफ्ट करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या विभाग ने इस उद्देश्य के लिए कोइ भूमि चिन्हित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

माननीय उप मुख्य मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) इस विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागों को भूमि/भवन हेतु पत्र लिखे गये

1. आर जे पैलेस बैंक्वेट हॉल, एच-4 ब्लॉक सेक्टर-16, रोहिणी के निकट भूमि का टुकड़ा (डीडीए)

2. एलएस/ओसीएफ पॉकेट, ब्लॉक-जी, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली (डीडीए)

3. सामुदायिक भवन, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली

4. प्लाट, वरूण कुंज (डीजेबी स्टाफ क्यूआरटी) सेक्टर-05, रोहिणी,

5. दिल्ली सामुदायिक भवन, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली;

उपरोक्त में से क्रम संख्या 3 व 5 को नगर निगम ने भूमि/भवन देने से मना कर दिया तथा क्रम संख्या 4 पर दिल्ली जल बोर्ड ने भी मना कर दिया और क्रम संख्या 1 व 2 पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि आबंटन कराने हेतु कार्यवाही चल रही है;

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) उपरोक्तानुसार

91. श्री एस.के. बग्गा : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) कृष्णा नगर विधानसभा के विभिन्न कार्यालयों में पदापित दिल्ली जल बोर्ड के स्टाफ का विवरण क्या;

(ख) कृष्णा नगर विधानसभा में कितने वाहन तैनात किए गए है;

(ग) क्या कुछ वाहन किराये पर भी लिए गए है;

(घ) यदि हॉ, तो वर्ष 2016-17 2017-18, 2018 (30.6.2018 तक) ठेकेदारों को किए गए भुगतान का विवरण क्या है;

(ङ) इस विधान सभा में विभिन्न कालोनियों मे पानी सप्लाई किए जाने की समय सारिणी क्या है;

(च) कमी की अवस्था में पानी की सप्लाई को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) इस विधानसभा में 2017-18, 2018 (30.6.2018 तक) के दौरान पानी और सीवरेज की समस्या से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ज) इनमें से कितनी शिकायतों का समाधान नहीं हो सका;

(झ) शिकायतों का समाधान न होने के क्या कारण हैं;

(ञ) इस विधान सभा में सीवरेज की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ट) 2017-18, 2018 (30.6.2018 तक) के दौरान पानी और सीवरेज के कितने नए कनेक्शन दिए गए, पुर्ण विवरण दें; और

(ठ) इस अवधि के दौरान पानी और सीवरेज के कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए और उन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण थे, पूर्ण विवरण दें?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) उत्तर अनुलग्नक 'अ' में सलंग्न है।

(ख) 07 वाहन कार्यरत है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. सेक्शन कम जेंटिंग मशीन 8000 लीटर-1
2. सेक्शन कम जेंटिंग मशीन 4000 लीटर-1
3. सेक्शन कम जेंटिंग मशीन 1500 लीटर-3

4. थ्री व्हीलर माउंटेड मेन होल डिसील्टर-2

(ग) जी हां। सभी वाहन किराए पर हैं।

(घ) वर्ष 2016-17 रुपये 26 लाख।

वर्ष 2017-18 रुपये 28 लाख

वर्ष 2018-19 (30.6.2018 तक) कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(ङ) इस विधान सभा में विभिन्न कॉलोनियों में पानी की सप्लाई निम्नलिखित यू.जी.आर. से की जाती है। यू.जी.आर. के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कॉलोनियों का विवरण अनुलग्नक 'ब' में संलग्न दिया गया है।

समय

1.	विश्वकर्मा	:	5.30 से 08.15 प्रातः
		:	9.00 से 10.15 सांयः
2.	गीता कॉलोनी	:	6.00 से 8.00 प्रातः
		:	7.00 से 08.00 सांय
3.	लक्ष्मी नगर	:	6.00 से 8.30 प्रातः
		:	6.00 से 07.15 सायं

(च) कमी की अवस्था में पानी के टैंकरों द्वारा सप्लाई की जाती है।

(छ) इस विधानसभा में 2017-18, 2018 (30.06.2018 तक) के दौरान पानी और सीवरेज की समस्या से संबंधित शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है :-

	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018 (30.06.2018 तक)
पानी	1482	354
सीवर	10451	1815

(ज) एवं (झ) 30.06.2018 तक की सभी शिकायतों का समाधान समयानुसार हो गया है। शिकायतों का निवारण एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ञ) क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदली जा रही है और मशीनों द्वारा सीवर की सिल्ट निकलवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रंक सीवर का रिहॅबिलिटेशन किया जा रहा है।

(ट) वर्ष 2017-18

पानी के कनेक्शन दिये गये - 1318

सीवर के कनेक्शन दिये गये - 713

वर्ष 2018 (30.06.2018 तक)

पानी के कनेक्शन दिये गये - 494

सीवर के कनेक्शन दिये गये - 88

(ठ) **वर्ष 2017-18**

पानी के कनेक्शन दिये गये - 24

सीवर के कनेक्शन दिये गये - 11

वर्ष 2018 (30.06.2018 तक)

पानी के अस्वीकृत आवेदन - कोई नहीं

सीवर के अस्वीकृत आवेदन – कोई नहीं

कारण :– आवेदनकर्ता द्वारा उचित दस्तावेजों का फाईल में ना लगाना।

संलग्नक ''अ''

प्रीत विहार अधिशासी अभियंता – 1
क्षेत्रीय अभियंता – 2

जगतपुरी सीवर स्टोर

कनिष्ठ अभियंता – 2
सहायक सफाई निरीक्षक – 1
बेलदार – 17
चोकीदार – 1

गीता कॉलोनी जल स्टोर

कनिष्ठ अभियंता – 1
फिटर – 2
बेलदार – 8

कृष्णा नगर सीवर स्टोर

कनिष्ठ अभियंता – 1
मेट – 7
सहायता पंप चालक – 1
बेलदार – 6

महिला कॉलोनी जल स्टोर

बेलदार – 6

संलग्नक ''ब''

क्रम सं.	यू.जी.आर.	कॉलानी
1.	विश्वकर्मा नगर	रशीद मार्केट, खरेजी, बृजपुरी, गोविंदपुरा, राधेश्याम पार्क, जगतपुरा, राधेश्याम पार्क, जगतपुरी, अनारकली, चंदर नगर, आराम पार्क, पंडित पार्क, लायलपुर, घोंडली गाँव, सिल्वर पार्क, बलदेव पार्क, गणेश पार्क, शास्त्री पार्क, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर एक्सटेंशन, न्यू कृष्णा नगर, ईस्ट कृष्णा नगर, अर्जुन नगर राधेपुरी, राधेपुरी एक्सटेंशन, लक्ष्मण पार्क
		गीता कॉलोनी ब्लाक 5 से 7, 11 से 18, शास्त्री नगर, सरोजनी पार्क, सरोजनी नायडू पार्क, न्यू लाहोर, रानी गार्डेन
2.	गीता कॉलोनी	गीता कॉलोनी ब्लॉक 1 से 4, 8 से 10, महिला कॉलानी, झील खुरंजा
3.	लक्ष्मी नगर	मौसम विहार, सुख विहार, जितार नगर

92. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुण्डका विधान सभा में विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में पदापित डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ का विवरण क्या है;

(ख) इन इकाइयों की वास्तविक आवश्यकता का विवरण क्या है;

(ग) मुण्डका विधान सभा में मोहल्ला क्लिनिक्स में पदापित डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ किा विवरण क्या है;

(घ) इन क्लिनिक्स की वास्तविक आवश्यकता का विवरण क्या है;

(ङ) क्या स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में अस्वास्थ्यकर फैक्ट्रियों एवं इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है; और

(च) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यों एवं जिम्मेदारियों का विवरण क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) मुण्डका विधानसभा में विभिन्न स्वास्थ्यों में पदापित डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ का विवरण संलग्न है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार, नागरिकों को स्वास्थ्य सोवा प्रदान करने हेतु।

(ङ) अधिकृत नहीं है।

(च) दिल्ली के लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्वास्थ्य सेवायें अस्पताल एवं नर्सिंग होम का पंजीकरण।

Answer No. 92 Health Centre under Mundka Assembly

Sl.No.	Name of facility	Designation	Employee Name	Remarks
1.	DGDJAUNTI	MO	Dr. T. NARESH KUMAR (152586)	DHS
2.		Pharmacist	VIJAY SEHGAL	DHS
3.		Pharmacist	KULDEEP DABAS	DHS
4.		Pharmacist	RAM CHANDER (110973)	DHS
5.		CDEO	PRIYANKA	NHM
6.		ANM	HEMVATI (110813)	DHS
7.		ANM	KAUSHAL YA DEVI	NHM
8.		Dresser	CHAND SINGH (110722) TIS+Mangolpuri	DHS
9.		NO	OEEPAK KUMAR DABAS (110732)	DHS
10.	DGD Madan Pur Dabas	MO	Dr. ANIL KUMAR SINGH (152540) without pay MD Patna	DHS
11.		MO	Dr. PARDEEP DEVGAN	NHM
12.		PHNO	AMIT MUDGAL (144582) + Mangolpwi	DHS

13.		Pharmacist	RAJ BALA (110944)	DHS
14.		Pharmacist	K.C.DABBAS (119888)/KAILASH CHANDER	DHS
15.		Lab	KVNAL B. DASS (141894)	DHS
16.		CDEO	NEHA BAJPAI	NHM
17.		ANM	SUMAN LATA	NHM
18.		ANM	SVNITA DEVI	NHM
19.		ANM	SAROJ BALA (111029)	DHS
20.		Dresser	SANJA Y KUMAR (111020)	DHS
21.	DGD Nizampur	MO	DR.DEVENDERSUHAG	DHS
22.		Pharmacist	NARESH KUMAR VERMA (110894)	DHS
23.		Lab	VIKRAM SINGH (141904)	DHS
24.		ANM	SHIKHA (111052)	DHS
25.		NO	KRISHAN (121736)	DHS
26.		SCC	KULDEEP KUMAR	
27.		scc	VED PRAKASH (111114)	DHS

Sl.No.	Name of facility	Designation	Employee Name	Remarks
28.	DGD Rani Khera	MO	Dr. ARADHNA KUMARl (151968)	DHS
29.		MO	DR. VlKAS GROVER	NHM
30.		Pharmacist	NIRAJ KUMAR (110903)	DHS
31.		CDEO	TAMANNA BEGUM (2+Jaunti 3+Nizarnpur)	NHM
32.		ANM	RAKESH KUMARI	NHM
33.		ANM	JYOTI DAGAR	NHM
34.		Dresser	JAI BHAGWAN (110821)	DHS
35.		NO	SHISH PAL (111053)	DHS
36.	DGO SAVDA	MO	Dr. NAGESH NAYAK MERA VATH (152582)	DHS
37.		MO	Dr. RAMESH BOLLA (153391)	DHS
38.		PH NO	ANJU(MT+MadanpurWF+Laxmi Vihar TS)	NHM
39.		Pharmacist	PAWAN KUMAR SINGHAL (I 10921)	DHS
40.		Pharmacist	RAJESH KUMAR	DHS

41.	Lab GHEVRA	JAGDISH KUMAR (110819)	DHS
43.	ANM	SUMAN LATA (111072)	DHS
44.	ANM	SUMITRA DEVI (111074)	DHS
45.	Dresser	SURESH (111090)	DHS
46.	NO	SANTRA DEVl (111026)	DHS
47.	scc	DRAJIAM PRAKASH II (110720)	DHS

Reply of Starred Q.No. 92 ( )

Sl. No.	Assembly	Name of Health Unit	Doctors posted	PHN posted	ANM posted	Phar posted	Lab posted	Dreser posted	No posted	SCC posted	Any other
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mundka	DGD Mundka	2	0	8 (02 DHS+06 NRHM)	2	1	1	1	2	1(CDEO NRHM)
2.	Mundka	DGD Hiran Kunda	1	0	1	1	1	1	1	2	1(CDEO NRHM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Mundka	DGD Tikri Kalan	1	0	2	2	1	1	1	2	1(CDEO NRHM)
4.	Mundka	Seed PUHC Kamruddin	1	1	8	2	1	0	1	1	1(CDEO NRHM)

Reply of Starred Q.No. 92 ( )

S. No.	Assembly	Name of the AAMC	Rented/Porta Cabin	No. of Empanelled Doctor	No.of MTW	No. of Helper	Lab facilities
1.	Mundka	E-3/62, Shiv Ram Park. Nangloi	Rented	1	1	1	Yes
2.	Mundka	Adhyapak Nagar, Nangloi, N.D	Rented	1	1	1	Yes
3.	Mundka	H.No. 9, Gali No. 3, Lekh Ram Park, Tilri Kalan	Rented	1	1	1	Yes

Porta Cabin				Government	Empanelled	Govt. staff		(Outsource Unitpath)
Sl. No.	Assembly Name	Assembly No.	Name of the facility	Govt. Doctors	Empanelled (New)	ANM	Pharmacist	Lab facilities
1.	Mundka	8	AAMN Aggarwal Chowk, Chander Vihar, Nilothi Extn.-II (NEW)		1	1	1	No

AAMC's Porta Cabin

Sl.No.	Name of AAMC	AAMC's Doctor	Pharmacist	Name of ANM
1.	AAMC Ghevra Village	Dr. Sunita Bharti (3 days) Dr. Shraddha Bansal (3 days)	Shamsher	
2.	AAMC Kanjhawala	Dr. Ravi Kiran	Kishan Dabas	Vinita

93. श्री संजीव झा : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने बुराड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु राजस्व विभाग से जमीन के लिए प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित कर दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी हां;

(ख) इस परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाटर बॉडी में निर्माण कार्य के प्रतिबन्ध के कारण भूमि के स्थान में बदलाव की वजह से निविदांए रद्द कर दी गयी है। राजस्व विभाग द्वारा नयी भूमि उपलब्ध कराने के बाद एस्टीमेंट दोबारा बनाया जायेगा;

(ग) जी नहीं। राजस्व विभाग ने अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की है; और

(घ) दिल्ली जल बोर्ड, राजस्व विभाग के साथ मिलकर वैकल्पिक भूमि को चिन्हित/आबंटन के लिए प्रयासरत् है। राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज पंम्पिंग स्टेशन के लिए उचित/पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण आंबटन में देरी हो रही है?

94. श्री विशेष रवि : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोल बाग में मिलिट्री रोड़ पर एम.सी.डी. दफ्तर के नजदीक जींस बनाने रंग करने की, वाशिंग प्लांट्स इत्यादि कई अनधिकृत और अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों ने अनधिकृत रूप से अवैध पानी के कनेक्शन ले रखे हैं;

(ग) इन इकाइयों के पानी के कनेक्शन काटने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) लगातार शिकायतों के बाद भी पानी के इस दुरूपयोग को अनुमति देने के लिए उत्तरदायी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयाी है; और

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग, एम.सी.डी., डी.डी.ए. के नार्म्स का उल्लंघन करने वाली व खतरनाक अपशिष्ट एरवं कूड़ा-कचरा पैदा कर जनता के लिए उपद्रव करने वाली इन इकाइयों को कब तक बंद कर दिया जाएगा?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार जी हाँ;

(ख) जहां किसी घरेलू कनेक्शन में व्यवसायिक कार्य/कनेक्शन पाया गया था, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित कर दिया गया था। जहां किसी भवन में अनधिकृत जल कनेक्शन पाया जाता है, उस भवन का चालान काटा जाता है;

यदि उपभोक्ता अनधिकृत जल कनेक्शन को नियमित करवाने के लिए आवेदन करता है तो नियमानुसार अनधिकृत जल कनेक्शन को नियमित कर दिया जाता है, अन्यथा उस अनाधिकृत जल कनेक्शन को काट दिया जाता है;

(ग) जहां पर किसी व्यवसायिक इकाई में घरेलू जल कनेक्शन पाया जाता था उसकी श्रेणी को परिवर्तित करके उसको व्यवसायिक कर दिया गया था;

सहायक आयुक्त, फैक्ट्री लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, उत्तरी नगर निगम से हाल ही में 5 इकाइयों/भवनों की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिसमें रिहायशी इकाइयों/भवन में व्यवसायिक कार्य किये जा रहे हैं, यह भवन/इकाईयों नॉन कॅन्फार्मिंग क्षेत्र में आती हैं व इनके जल कनेक्शन काटने की संस्तुति की गई है;

इस सूची में इस क्षेत्र की 28 इकाइयों/भवन शामिल है व इन सभी 28 इकाइयों/भवनों के जल कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस विषय में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है;

(घ) समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी व अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा टीम का गठन करके क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है तथा किसी भी प्रकार का दुरूपयोग पाए जाने पर चालान काटे जाते हैं व नियमानुसार कार्यवाही की जाती है; और

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अनधिकृत इकाईयों के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही प्रगति पर है।

(अनुलग्नक 'अ')।

अनुलग्नक 'अ'

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय (सदन एवं समिति)
द्वितीय तल, सिविक सेन्टर, नई दिल्ली-110002

क्रमांक : F.33/342/VSQ/Starred Q. 94/NDMC/984/C&C Dated : 07-08-2018

To,

The Director (Admn. & Personnel)
Delhi Jal Board
Government of NCT of Delhi
Director (Admn. & Personnel)
Varunalaya Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005

विषय : **विधान सभा ताराकिंत प्र.सं. 94 माननीय विधायक श्री विशेष रवि, विधायक दिनांक 10.8.2008 के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या DJB/Dir. (A & P)/V.S/2018/1186 दिनांक 06082018 दिनांक के संदर्भ में विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित है :-

(क) क्या करोल बाग में मिलिट्री रोड़ पर एमसीडी दफ्तर के नजदीक जींस बनाने, रंग करने की वाशिंग प्लांट्स इत्यादि कई अनाधिकृत और अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों ने अनाधिकृत रूप से अवैध पानी के कनेक्शन ले रखे हैं;

(ग) इन इकाइयों के पानी के कनेक्शन काटने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) लगातार शिकायतों के बाद भी पानी के इस दुरूपयोग को अनुमति देने के लिए उत्तरदायी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग, एमसीडी, डीडीए के नार्म्स का उल्लंघन करने वाली व खतरनाक अपशिष्ट एवं कूड़ा–कचरा पैदा कर जनता के लिए उपद्रव करने वाली इन इकाइयों को कब तक बंद कर दिया जाएगा?

माननीय मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) इन इकाइयों का पानी/बिजली का कनेक्शन काटने के लिए विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र की कापी अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है।

(घ) यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है।

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अनाधिकृत इकाइयों के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही करना है। इन इकाइयों के विरुद्ध भी सीलिंग की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्त उत्तर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।

1. The CEO. TPDDL (NDPL).
   TPDDL (NDPL), Hudson Lane, Delhi-9.

2. The DGM/RRG TPDDL (NDPL),
   Keshav Puram, Lawrence Road, Delhi-35.

3. The CEO, BSES Yamuna Power Ltd.,
   BSES Bhawan, Opp. Karkardooma Court, Shahadra, Delhi.

4. The CEO, BSES Rajdhani Power Ltd.,
   BSES Shawan, Nehru Place, New Delhi-19.

5. The Member, Delhi Jal Board,
   Varunalaya, Jhandewallan Extn, New Delhi-5.

Sub : Regarding DISCONNECTION OF ELECTRICITY & WATER CONNECTIONS.

The Hon'ble High Court has held that all impermissible industrial units running from Residential/Non conforming Areas/Conforming Areas be immediately shifted/closed down/otherwise be sealed. In compliance of the Court orders, the Factory Licensing Inspector of the area concerned has inspected the sites/ impermissible Industrial units running under the territorial jurisdiction of Sadar Paharganj Zone & Karol Bagh Zone in violation of Section 416/4171430/347/ 419/461 of the DMC Act, 1957 (Amended 1993)1 the Hon'ble Supreme Court of India in the case titled "M.C. Mohta Vs UOI & in WPC No. 4677/ 1985, directions of the Hon'ble High Court of Delhi in the matter Bawana Factory Owners Welfare Association Vs GNCTD & Ors. and provisions of Master Plan 2021. The detail of the units found running in contravention of the DMC Act & Court orders as aforesaid is as under :-

SL. No.	Name & address of Unit/Name of Owner/Occupier/prop./partner /Director/Manager/etc.Appx.	Industrial Activity/ Trade	Power Load
1	2	3	4
1.	Shri Ashu, M/S Green Plastic Works, 2861-Gali No.5, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Sheet cutting	05-KW
2.	SM/s Aniket Plastic Works, 2926, Gali No. 4, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55,	Acrylic Sheet cutting	05-KW
3.	Shri Bhuvaneshwar S/O Shri Jit Ram, 54/1 Gali No. 16, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Steel Fabrication/welding work	04-KW
4.	Shri Lajpat, 16/545, Gali No. 11, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Steel Fabrication/welding work	03-KW
5.	Shri K.Kumar S/O Shri Keshav kumar, I Block-16/522, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5.	Steam Pressing	03-KW
6.	Shri Sonu Chohan, (TF)-I/Block-16/522, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bag, New Delhi-5.	Kaz Button Works	03-KW

7.	Shri K. Singh, (Top Floor)-I/Block-16/522, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Washing of cloths	05-KW
8.	Shri shailesh, (FF) 16/545, Gali No. 11, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Fabrication of jeans	15-kw
9.	Shri Prem Chand, (SF/TF) I/Block-16/521, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Fabrication of cloths	05-KW
10.	Shri Gobind, (GF16/482-1, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5,	Fabrication of cloths	05-KW
11.	Shri Lalit kumar, M/S Ritu Garments, 16/482-1, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Fabrication of cloths/ trousers	05-KW
12.	M/S Rajesh Fabrication,,16/482-1, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5,	Fabrication of cloths/ Shirts	05-KW
13.	Shri Shamim, M/S Shamim Fabrications, 16/482-1, Military Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-5.	Fabrication of cloths/Shirts	05-KW
14.	Shri Bunty, (SF) 16/482-1 Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5.	Fabrication of cloths/Shirts	05-KW

1	2	3	4
15.	Shri Naveen, 16/478-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of cloths	05-KW
16.	Shri Radhey Kishan, 16/477-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of cloths	05-KW
17.	Shri Jaffar Ansari, 16/476-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of cloths	05-KW
18.	Shri Shakil, 16/476-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of cloths	05-KW
26.	M/S Surinder Welding works, 16/450-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Welding work	05-KW
27.	M/S Kamal Fabrication, (FF) 16/388-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of cloths	05-KW
28.	Shri Bali Kumar Yadav, (TF) 16/388-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of jeans	05-KW
29.	Shri Ram Dular, (SF) 16/388-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Fabrication of jeans	05-KW
30.	Shri Babu Singh, (GF) 16/386-1, Military Road Bapa Nagar, Karol Bagh New Delhi-5	Welding Work	05-KW

31.	Shri Irfan, M/S Indian Plastic Works, 3074-Gali No. 1, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
32.	Mohd. Intikhab, M/S M.M. Graphics, (GF/FF), 3074-Gali No. 1, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Flax Printing	20-KW
33.	Shri Deepak, M/S veenus, 3074-Gali No. 1 Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Flax/Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
34.	Mohd. Farman, M/S Sahara Plastic Works, 3014-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
35.	Shri Danish, M/S Hazif Plastic Works, 3012-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Lazer Acrylic Sheet Cutting	20-KW
36.	Shri Furkan, M/S 4 Shish Advertisers, 3015-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
37.	Mohd, Irshad, M/S N.S Advertisers, 2957-Gali No. 2, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55.	Lazer/Router Cutting	20-KW
38.	Shri Gurpreet Singh, M/S Shib Graphics, 2137-Gali No. 3 Chuna Mandi Paharganj, New Delhi -55,	Lazer/Router Cutting	20-KW

1	2	3	4
39.	Shri Arvind Gakhar,M/S kut Solutions, 2154-Backside, D.B Gupta Road, Gali No.1, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Lazer/Router Cutting	20-KW
40.	Shri Lal Narayan, M/S Narayan Sanitary & Hardware, Shirts 2157-Gali No. 1, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
41.	Shri Gulshan Satija, M/S Satija Plastic, 2152-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Lazer/Router Cutting	20-KW
42.	Shri Sunil Wadhawan, M/S plastic House (India), 2987-Gali No. 2, Raj Gruru road, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
43.	Shri J. Nand kishore Gupta, M/S SRC Advertising, 2152- Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	20-KW
44.	Shri Gaurav, M/S AEC Grphics, 2198- Gali No.2, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55,	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW

45.	Sh. Salman & Arman, M/S Image In Advertising, 2198-Gali No. 2, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55.	Acrylic Plastic Sheet Cutting	50-KW
46.	Shri Yogesh Chuhan & Dev Chauhan, M/S Dev Enterprises, 2152-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Lazer/Router Cutting/ Acrylic Plastic Sheet Cutting.	20-KW
47.	Shri Rahul, M/S Sarika. Trading Co., 2198-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
48.	Mohd. Shahzaib, M/S A.S Plastic Works, 3024-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
49.	Shri Arjun & Rahul,M/S A.R. plastic, 2991-Gali No. 2, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-5	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
50.	Shri Rak Chander & Jitender, M/S Vishal Plastic Works, 2975-Gali No. 3, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
51.	Shri Ravi Kumar, M/S Sidhi Vinayak Plastic, 2135/36-Gali No. 3, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW

1	2	3	4
52.	Shri Manoj Mathotra, M/S New Malhotra Plastic, 2897, Gali No. 3, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
53.	M/S Veenu Plastics, 2198-Gali No. 3, Chuna Mandi Paharganj, New Delhi-55	Fiber Metal Laser Cutting	20-KW
54.	Shri Ram Raj, M/s Shiv Om Plastic, 2150-MF, Gali No. 1, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55	Acrylic Plastic Sheet Cutting	05-KW
55.	Shri Devender, M/S Dev Enterpeiases, GF-2157-Gali No. 1, Chuna Mandi paharganj, New Delhi-55	Lazer/Router Cutting/ Acrylic Plastic Sheet Cutting	20-KW

Further, before effecting aforesaid actions, it may be ensured that no Courl Case/Stay Order or any litigation is involved in the said property/unit with reference to the subject matter and action taken report may please be communicated immediately to the office.

Pankaj Kr. Sharma
Assistant Commissioner/FL
North DMC
E.Mail : dcfactorylicensingndmc@gmail.com
T.N. 011-23226107

Copy to :

1. D.C./City-Sadary Paharganj Zone, North DMC, with the request to take necessary/appropriate (sealing) action u/s 345-A, 347, 417, 419 read with other misc. provisions of DMC Act, 1957 on account of misuse of property by owner/occupier of the property &/or by the impermissible industrial unit in terms of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India titled "M.C. Mehta Vs UOI & Ors." in WPC No. 46771/1985, provisions of Master Plan-2021 and in reference to Departmental Circular No. FAL/1000710-1 dated 03.06.2011.

2. D.C./Karol Bagh Zone, North DMC, with the request to take necessary/appropriate (sealing) action u/s 345-A, 347, 417, 419 read with other misc. provisions of DMC Act, 1957 on account of misuse of property by owner/occupier of the property &/or by the impermissible industrial unit in terms of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India titled "M.C. Mehta Vs UOI & Ors." in WPC No. 46771/1985, provisions of Master Plan-2021 and in reference to Departmental Circular No. FAL/1000710-1 dated 03.06.2011.

3. ACP/PS, PS, Sarai Rohilla, Delhi-35 with request to provide necessary arrangements.

4. ACP/PS, Patel Nager, Delhi-8 with the request to provide necessary arrangements.

5. ACP/PS, Karol Bagh, New Delhi-05 with request to provide necessary arrangements.

6. ACP/PS, Paharganj, New Delhi-55 with request to provide necessary arrangements.

7. Sr. Environmental Engineer, PGRC/DPCC, GNCTD,4th Floor, ISBT Complex, Kashmere Gate Delhi-6, with the request to take appropriate closure action against the polluted industrial units also under Envmtl. Laws of the DPCC, as per the guideliness issued by the GNCTD.

8. PA to Secretary & Commissioner of Industries, GNCTD, 419, F.I.E. Patparganj, Delhi-92

9. Office Copy.

95. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड यमुना को साफ करने एवं पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए विदेशी संस्थाओं से प्राप्त फण्ड का उपयोग करने में विफल रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एशियन डवलपमेंट बैंक ने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड को 2200 करोड़ रु. की राशि दी थी जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस फण्ड में से 350 करोड़ रुपये का टेंडर बिना वैध कारणों के रद्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप यह परियोजना रूकी हुई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने 105 एम.जी. डी. क्षमता के चंद्रावल वाला ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि दी थी;

(ङ) इसका पूर्ण विवरण क्या है और इन फण्डस को इस्तेमाल करने में देरी के क्या कारण है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि 4200 करोड़ रुपये के इन फण्डस को इस्तेमाल न किये जाने के कारण यमुना को साफ करने की परियोजना में देरी हुई है। जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के लोग कष्ट झेल रहे है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि निविदाएं आमंत्रित करने के 8 माह उपरांत भी यमुना एक्शन प्लान–3 के अंतर्गत 40 एम.जी.डी. के रिठाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आमंत्रित किया गया टेंडर अभी तक फाईनलाईज नहीं हो सका है;

(ज) इन संस्थाओं से प्राप्त हुए फण्डस, जिन परियोजनाओं में इन्हें खर्च किया जाना था तथा विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में देरी का पूर्ण विवरण क्या है; और

(झ) इन फण्ड्स को कब तक इस्तेमाल कर लिया जायेगा ताकि यमुना नदी को पूरी तरह साफ किया जा सके?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) एशियन डेवलपमेंट बैंक परियोजना के पैकेज–1 में एक ही टेंडर प्राप्त होने के कारण होने के कारण टेंडर को निरस्त कर दिया गया। पुनः निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सशर्त ADB की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिस पर कार्ू195वाई के उपरांत पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएगी;

(घ) जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से 1704 करोड़ रुपये लोन (85% परियोजना की लागत) का करार (Areement) हुआ है;

(ङ) चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना की अनुमानित आंकलन रु. 2018 करोड़ था। इस राशि का 85% जायका से लोन द्वारा दिया जाना तय हुआ तथा बकाया

15% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। लोन राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार तथा JICA के बीच दिनांक 29.10.2012 को कुल राशि 28975 मिलियन जापानी येन अनुबंध हुआ। यह राशि दिल्ली जल बोर्ड को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(च) यमुना को साफ करने की परियोजनाओं के लिए रु. 4200 करोड़ का कोई भी फण्ड दिल्ली बोर्ड दिल्ली जिल बोर्ड को नहीं दिया गया अपितु यमुना एक्शन प्लान-3 के तहत रु. 1656 करोड़ का प्रावधान JICA की सहायता से प्राप्त फण्ड से किया जा रहा है;

(छ) जी नहीं;

(च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (NRCD) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकार एक्शन प्लान-III की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए JICA से रु. 1656 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त की है। इस राशि का 85% भारत सरकार तथा 15% दिल्ली सरकार वहन करेंगी। JICA द्वारा यमुना एक्शन प्लान-111 के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए फंड्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

1. यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट-III के लिए दिल्ली जल बोर्ड को परामर्श सेवाऐं प्रदान करना।

2. कोंडली क्षेत्र में 450 mm से 1600 mm व्यास के ट्रंक सीवर नं. 4 का जीर्णोद्धार (पैकेज-K1)

3. कोंडली क्षेत्र में 1600 mm से 2100 mm व्यास ट्रंक सीवर नं. 5 का जीर्णोद्धार (पैकेज-K2)

4. कोंडली सीवेज उपचार संयंत्र फेज–I (45 MLD), फेज–II (114 MLD), फेज–III (45 MLD) का जीर्णोद्धार (पैकेज–K3)

5. कोंडली क्षेत्र में 700–900 मिलीमीटर व्यास की सीवर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य (पैकेज–K4)

6. अशोक विहार व जहाँगीरपुरी क्षेत्र में 600 mm से 1400 mm व्यास के सीवर लाईन का जीर्णोद्धार (पैकेज–Rla)

7. भारत नगर पम्पिंग स्टेशन से पीतमपुरा इनलेट चैम्बर तक 1200 mm व्यास की सीवर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य (पैकेज–Rlb)

8. रिठाला फेज–I (182 MLD) सीवेज संयंत्र का जीर्णोद्धार (पैकेज–R2)

9. ओखला पर 564 MLD क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण (पैकेज–O)

परियोजनाओं की DRPs वर्ष 2012 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण (NRCD) पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी थी तथा साथ में कुछ परियोजनाओं की निविदाएं भी आमंत्रित कर दी गयी थीं। परन्तु वर्ष 2014 में NRCD द्वारा सभी प्रतिबद्धताएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी। इसी तहत परियोजनाओं की समस्त DPRs को भी NRCD से NMCG को भेज दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पहले आमंत्रित की गयी निविदाओं की प्रक्रिया को भी अमान्य कर दिया गया। NMCG द्वारा 5 परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी मई, 2016 तथा 3 परियोजनाओं की मार्च, 2017 में दी गयी। इसके बाद परियोजनाओं के निविदा

दस्तावेजों की JICA से स्वीकृति मिलने के बाद पुनः निविदाएं आमंत्रित की गयी। इस प्रक्रिया के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हुई है; और

(झ) यमुना एक्शन प्लान-III की आठ परियोजनाओं को दिसम्बर, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है जिनके लिए निर्धारित राशि का उपयोग किया जायेगा।

96. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी;

(ख) सरकार के सत्ता में आने के समय अस्पताओं में कितने बिस्तर विद्यमान थे;

(ग) वर्तमान में कितने बिस्तर वास्तव में इस्तेमाल में आ रहे हैं;

(घ) बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या बढ़े हुए बिस्तरों की संख्या के अनुपात में उससे संबंधित ढांचागत सुविधाएं एवं मानवशक्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(छ) कितने अस्पतालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, पूर्ण विवरण दें, और

(ज) यह अस्पताल आम जनता के इस्तेमाल के लिए कब तक उपलब्ध हो जायेंगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) 10926 (Sanctioned) 9817 (Operational);

(ग) वर्तमान में 10520 (Operational);

(घ) दिल्ली सरकार के तहत मौजूदा अस्पतालों की स्थापना द्वारा बिस्तर की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) बैडों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है;

(च) उपरोक्तानुसार, लागू नहीं होता;

(छ) संलग्नक A के कॉलम 1 के अनुसार; और

(ज) संलग्नक A के कॉलम 2 के अनुसार।

Status of Infra Projects as on 01.08.2018 approved by SFC/Cabinet

S.No.	CD No.	Subject	Number of Beds	Location	Status/Since	Amount in Rs. Crore
1.		Acharya Shree Bhikshu Govt. Hospital (ASBG)	270	Moti Nagar	Sanction Order issued	94.38
2.		Aruna Asaf Ali Govt. Hospital (Up-gradation of hospital AAAGH)	51	Civil Lines	Sanction Order issued	55.36
3.		Deep Chand Bandhu Hospital (DCBH), Ashok Vihar	281	Ashok Vihar	Sanction Order issued	69.39
4.	000384488	Rao Tula Ram Memorial Hospital (RTRM)<Najafgarh	258	Najafgarh issued	Sanction Order	86.31
5.	000384477	Bhagwan Mahavir Hospital (Additional and remodeling work at BMH)	419	Pitampura	Sanction Order issued	172.79
6.	000433373	Baba Sahib Ambedkar Hospital (Up-gradation	463	Rohini	Sanction Order issued	194.91

		and addition of Beds in BSA Hospital), Rohini				
7.	112412717	Guru Govind Singh (New hospital block, GGSH), Raghubir Nagar	472	Raghubir Nagar	Sanction Order issued	172.03
8.	112388502	Sanjay Gandhi Memorial Hospital (PE for trauma and utility Block, SGMH)	362	Mangolpurl	Sanction Order issued	117.78
9.	112389333	Burari Hospital	768	Burari	Sanction Order issued	265.8

अनुलग्नक ''ए''

Details of New Hospital Projects

Sr. No.	Column No. 1	Column No. 2
	Name of Hospital project	Proposed date of completion
1.	Ambedkar Nagar hospital Project	Feb, 2019
2.	Burari Hospital Project	31, March 2019
3.	Indira Gandhi Hospital Project	Jan, 2019
4.	Hospital project at Sarita Vihar	Under Planning stage
5.	Hospital project at Vikas Puri	Under Planning stage
6.	Hospital project at Jwalapuri (Nangloi)	Under Planning stage
7.	Hospital project at Madipur	Under Planning stage
8.	Hospttal project at Siraspur	Under Planning stage
9.	Hospital project at Deendarpur	Under Planning stage
10.	Hospital project at Bindapur	Under Planning stage
11.	Hospital project at Keshavpuram	Under Planning stage
12.	Hospital project at Sangam Vihar	Under Planning stage
13.	Hospital project at Chattarpur**	Under Planning stage

**AS hospital project at Chattarpur Village, Mehrauli is not feasible to establish, hence, one another piece of land at Jaunapur (South Delhi) has been identified.

97. श्री संदीप कुमार : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुल्तानपुरी में सुविधा केन्द्र नं. 58 में प्रस्तावित अस्पताल के लिए डी.डी.ए. से भूमि लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) उपरोक्त संबंध में दिनाँक 13/06/2018 एवं 16/07/2018 को Commissioner (Land Disposal); दिल्ली विकास प्राधिकरण को पत्र लिखे गए हैं, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (उत्तर-पश्चिम) एवं लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर जगह का संयुक्त निरीक्षण (Joint Inspection) करें। प्रतिलिपियाँ संलग्न है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस संदर्भ में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है; और

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

REMINDER-III

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICAL MEDICAL OFFICER (NORTH-WEST)

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES (GOVT. OF NCT OF DELHI)

DELHI GOVT. DISPENSARY BUILDING, SECTOR-13, ROHINI, DELHI-110085

Ph. 011-27861464, 27555256 Telefax: 011-27861592
E-mail: cmonw-dhs-delhi@uk.In

F.No. (89)/2014/DHS/Eatt./NWD/1328-30 Dated: 29 MAY 2018

To

The Director (IL),
Delhi Deverlopment Authority
A-Block, 1st Floor, Vikas Sadan,
I.N.A. New Delhi-110023

Sub: **Joint Inspection in Allotment of lead for construction of Mother is child Hospital at Plot No. 15, See-22, Ph-III, Rohini Delhi, land meanuring 2500 sp. mtr at plot No. 15 Dec.-22.**

Sir,

You are requested to kindly appoint any officer to carry out joint inspection with O/o CDMO NW and PWD, The land is to be treced, and Indpection report is to be submitted to Addl Director planning DHS GNCTD.

Kind coordinate with O/o CDMO NWD at the carlist and oblige. This is Urgent matter Kindly take this matter on top priority.

DR. MEENAKSHI HEMBRAM
CDMO (NWD)

F.No 1(89)/2014/DHS/Estt./NWD/1328-30 Dated : 29 may 2018

Copy to :

1. The Addl, Director. (Plg.) For information pleases.
2. The Dy Director (I.L.), Delhi Development Authority, A-Block, 2nd floor, Vikas Sadan, I.N.A. New Delhi-110023
3. Office copy

DR. MEENAKSHI HEMBRAM
CDMO (NWD)

MOST URGENT

DIRECTORATE GENERAL OF HELATH SERVICES
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
F-17, KARKARDOOMA, SHAHDRA, DELHI-110032
PLANNING BRANCH

E-mail: cmonladhs.delhi@nic.in Tel. : 011-22301248

F. 10/817/DHS/P&S/280 Dated : 13/6/18.

To,

The Commissioner (Land Disposal),

Delhi Development Authority,

Ist Floor, A- Block,

Vikas Sadan, INA, New Delhi

Sub: **Constrmotion of Hostpital in Delhi Development Authority Facililty Ceatre No. 58 Zone-H, at Indira Park in Sultanpur Majra Vidhan Sabha (AC-10)**

Sir,

Please Find enclosed a copy of letter 21/05/2018 received from Sh. Sandeep Kumar, Hon'ble MLA, Sultanpur Majra A.C addressed to the Hon'be Health Minister. GNCTD on subject clted above vide which it was requested to compete the neccssary formalities with regards to transfer of land for establishing a hospital as approved in DDA lay out plan of above facillity centre.

In this regard, It is informed that CDMO (North-West) vide their office letter 29/05/2018 (copy enclosed) Dy. Director (IL), DDA to appoint any officer to carry out joint inspection with O/o CDMO(NW) and PWD. The land is to be traced for inspection. Further this office vide letter date 11/06/2018 (copy enclosed) has also requested Dy. Director (IL), DDA to direct the con-

cerned officer/official to coordinate with O/o CDMO (North-West) to carry out join inspection of the land at Facility Centre 58, Sultanpuri, Zone-M.

Therefore, you are requested to direct the concerned officer to expedite the matter at the earliest so that further action can been taken as mentioned in the letter of Hon'ble MLA.

Yours faithfully,

(Dr. Kirti Bhurshan)
Directorate General of Health Services

F.ncl.: As above

F.10/817/2012/DHS/P&S Dated:

Copy to :

1. Sh. Sandep Kumar, Hon'ble MLA, F-4/442, Sultan Puri, New Delhi- 110086
2. CDMO (North-West), 1st Floor, DGD building, Sectore-13, Rohini, Delhi-110085
3. Dy. Director (IL), DDA, Institutional Land Branch, Room No. 216, A-Block, 2nd Floor. Vikas Sadan, INA, New Delhi
4. Ex, Engineer, B-233, PWD, GNCTD, Dr. BSA Hospital Complex, Sector-6, Rohini, Delhi-110085,

(Dr. Kirti Bhushan)
Directorate General of Health Services

Most Urgent

Reminder-I

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
F-17, KARKARDOOMA, SHAHDARA, DELHI-110032
PLANNING BRANCH

E-mail: cmonladhs.delhi@nic.in Tel. : 011-22301248

F. 10/817/DHS/P&S/425-429 Dated : 16/7/2018

To,

The Commissioner (Land Disposal),
Delhi Development Authority,
Ist Floor, A-Block,
Vikas Sadan, INA, New Delhi

Sub: **Construction of Hospital in Delhi Development Authority facility Centre No. 58 Zone-H, at Indira Park in Sultanpur Majra Vidhan Sabha (AC-19)**

Sir,

Kindly refer to this office earlier letter date 13/06/2018 (copy enclosed) on the subject olted above vide which it was informed that Sh. Sandeep Kumar, Hon'ble MLA, Sultanpur Majra A.C has requested to complete the necessary formalities with regards to transfer of land for establishing a hospital as approved in DDA lay out plan of above facility centre.

Further, It was requested to direct the concerned officer to expedite the matter at the rarliest so that further action can been taken as mentioned in the letter of Hon'ble MLA. No response is received till date in this regard.

Therefore, you are once again requested to expedite the matter at the earliest so that further action can been taken as mentioned in the letter of Hon'ble MLA.

Yours faithfully,

Encl,: As above

(Dr. Arun Banerjee)
Addl. Director (Planning)

F. 10/817/2012/DHS/P&S/425-429 Dated : 16/7/2018

Copy to :

1. Sh. Sandeep Kumar, Hon'ble MLA, F-4/442, Sultan Puri, New Delhi-110086
2. CDMO (North-West), Ist Floor, DGD building, Sector -13, Rohini, Delhi-10085
3. Dy. Director (IL), DDA, Institutional Land Branch, Room No. 216, A-Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi
4. Ex. Engineer, B-233, PWD, GNCTD, Dr. BSA Hospital Complex, Sector-6, Rohini, Delhi-110085.

(Dr. Arun Banerjee)
Addl. Director (Planning)

98. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गलियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ख) खुले में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में फल एवं जूस बेचने वालों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) इस संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है,

(घ) दूध/खोया एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बेचने वाली दुकानों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है,

(ङ) चांदनी चौक विधान सभा में कितने जन आहार केन्द्र चल रहे हैं,

(च) कितने जन आहार केन्द्र बंद कर दिए गए हैं और

(छ) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) गलियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के विरूद्ध विभाग द्वारा उठाये जा रहे कदम निम्न हैं :-

1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य संरक्षा का लाईसेंस अथवा पूंजीकृत किया जाता है।
2. विभाग द्वारा समय-समय पर इन खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए नमूने लिए जाते हैं।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पिछले तीन सालों में मोमोज जैसे खाद्य पदार्थों के 34 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 4 नमूने फेल पाये गए। उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज कर दी गई है।

(घ) दूध/खोया एवं अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच के लिए विभाग द्वारा विगत तीन साल में 884 नमूने जांच के लिए उठाये गए। जांच के बाद 148 नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 में मानक के अनुसार नहीं पाए गए और दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की गई है।

(ङ) चांदनी चौक विधानसभा में 6 जन आहार केन्द्र चल रहे हैं;

(च) दो जन आहार केन्द्र बंद कर दिए गए हैं; और

(छ) कम बिक्री के कारण दो जन आहार केन्द्रों को बंद कर दिया गया है।

99. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ ड्रेन में अपशिष्ट जल गिरना रोकने हेतु भारत नगरी में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से एसिड/केमिकल अपशिष्ट का नजफगढ़ ड्रेन में गिरना रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि पिछले विधान सभा सत्र में इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से पूछे गए प्रश्न का जवाब यह मिला था कि नाले में गिरने के मामले को दिल्ली जल बोर्ड अथवा डी.पी.सी.सी. देखेगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन–सा विभाग जिम्मेदार है; और

(च) नाले में इस प्रकार के अपशिष्ट का गिरना रोकने के लिए उठाए गए कदमों का पूर्ण विवरण दिया जाए?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) भाग 'क' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता;

(ग) दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार उद्योगों द्वारा उत्सर्जित एसिड/केमिकल अपशिष्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए इस औद्योगिक क्षेत्र में Common Effiuent Treatment Plant (सी.ई.टी.पी.) का निर्माण किया गया है, जो कि इस औद्योगिक क्षेत्र के एसिड/केमिकल अपशिष्ट का नजफगढ़ ड्रेन में गिरने से पहले उसका ट्रीटमेंट करता है; और पर्यावरण एवं वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वजीरपुर औद्योगिक श्रेत्र में स्थित संयुक्त अपशिष्ट शोधन संयंत्र (Common Effluent Treatment Plant) की शोधन क्षमता 24 MLD है। इस संदर्भ में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जल अपशिष्ट की अप्रैल एवं मई 2018 की जांच की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है।

(घ), (ङ) एवं (च) यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं एवम् सिंचाई एवम् बाढ़ विभाग से संबंधित है।

अनुलग्नक 'अ'

Delhi Pollution Control Committee
(Government of N.C.T. of Delhi)
4th Floor, I.S.B.T. Building, Kashmere Gate, Delhi-110006
Website : http://www.dpcc.delhigovt.nic.in

Date of Online View : 07-08-2018

Analysis Repor of Wazirpur CETP (24 MLD)

Report Number : DPCC/W/CETP/18-19/06

1.	Name & Address of Ind./Unit	Wazirpur CETP (24 MLD)
2.	Sampling location	Inlet and Outlet of CETP
3.	Date of sampling	09-04-2018
4.	Samples collected by	DPCC LAB
5.	Parameters analyzed and results	

Sl. No.	Parameter	Inlet		Final Outlet	
		Water Quality	EPA Standards	Water Quality	EPA Standards
1	2	3	4	5	6
1.	pH	3.3	5.5-9.0	6.4	5.5-9.0
2.	TSS	828	250	86	100
3.	COD	484	-	104	25
4.	BOD (3 days at 27°C)	165	-	24	30

1	2	3	4	5	6
5.	Ni	2.38	3	1.15	3
6.	Cu	0.90	3	0.22	3
7.	Zn	0.92	15	0.70	5
8.	Cr (Total)	14.04	2	0.90	2
9.	Pb	0.51	1	ND	0.1
10.	CI	3335	-	910	1000
11.	SO_4	99.4	-	56.2	1000
12.	Cd	0.87	1	0.53	1
13.	Oil & Grease	14.8	20	1.6	10
14.	TDS	3120	-	1980	2100
15.	Ammonical Nitrogen as N	58.4	50	33.9	50
16.	Fluoride	-	15	-	2
17.	Sulphide	2.3	-	1.9	2.8

All values are in mg/1 except pH
... No Standards
ND-Not Detectable
Flow : 4MLD

Sr. Scientist Scientist (B)/SSA

अनुलग्नक 'अ'

Delhi Pollution Control Committee
(Government of N.C.T. of Delhi)
4th Floor, I.S.B.T. Building, Kashmere Gate, Delhi-110006
Website : http://www.dpcc.delhigovt.nic.in

Date of Online View : 07-08-2018

Analysis Repor of Wazirpur CETP (24 MLD)

Report Number : DPCC/W/CETP/18-19/17

1.	Name & Address of Ind./Unit	Wazirpur CETP (24 MLD)
2.	Sampling location	Inlet and Outlet of CETP
3.	Date of sampling	07-05-2018
4.	Samples collected by	DPCC LAB
5.	Parameters analyzed and results	

Sl.No.	Parameter	Inlet		Final Outlet	
		Water Quality	EPA Standards	Water Quality	EPA Standards
1	2	3	4	5	6
1.	pH	3.3	5.5-9.0	6.4	5.5-9.0
2.	TSS	856	250	86	100
3.	COD	496	-	88	250
4.	BOD (3 days at 27°C)	170	-	22	30

1	2	3	4	5	6
5.	Ni	2.62	3	1.22	3
6.	Cu	0.73	3	0.39	3
7.	Zn	0.91	15	0.53	5
8.	Cr (Total)	16.70	2	0.98	2
9.	Pb	0.51	1	ND	0.1
10.	CI	3280	-	885	1000
11.	SO_4	96.4	-	62.1	1000
12.	Cd	0.85	1	0.57	1
13.	Oil & Grease	15.2	20	1.2	10
14.	TDS	2840	-	2320	2100
15.	Ammonical Nitrogen as N	69.9	50	37.2	50
16.	Fluoride	-	15	-	2
17.	Sulphide	2.7	-	1.1	2.8

All values are in mg/1 except pH

... No Standards

ND-Not Detectable

Flow : 4 MLD

SR. SCIENTIST SCIENTIST (B)/SSA

100. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सत्य है कि रेडियोलोजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल, रघुबीर नगर में मरीजों के हित के लिए अल्ट्ा साउंड मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस सुविधा की अनुपलब्धता के कारण गरीब मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस अस्पताल में मरीजों और उनके तिमारदारों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है; और

(घ) इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) वर्तमान में विभिन्न एक्स किरणों की रिपोर्ट व एम.एल.सी. करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग से एक डाक्टर का प्रबंध किया गया है;

वर्तमान में अल्ट्रा साउंड की मशीन की मरम्मत के लिए जरूरी कार्य किए जा रहे हैं;

रिक्त पदों की अधिसूचना वेबसाइट पर जारी करने के बावजूद अस्पताल रेडियोलॉजी विभाग के लिए सीनियर रेजिडेन्ट डाक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाया है;

(ख) नहीं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) दिल्ली आरोग्य कोष (डाक) और आर्थिक रूप कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के प्रावधानों के तहत जांच करवाई जा रही है;

(ग) नहीं। अस्पताल में सभी के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है;

(घ) सीनियर रेजिडेन्ट डाक्टरों के खाली पड़े पदों को भरने हेतु, जिसमें रेडियोलॉजी विभाग भी सम्मलित है, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर नियमित रूप से अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। हमारे अनुरोध पर आर.डी.एच.एस. (पश्चिम) ने रेडियोलॉजी विभाग में सामान्य कार्यों के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग से एक डॉक्टर को नियुक्त किया है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

259. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड के उद्यान खंड/विभाग के क्या उत्तरदायित्व हैं;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के उद्यान खंड/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं;

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 10/2/2015 के बाद से कितने तालाबों का नवीनीकरण किया गया है और कितने तालाबों का नवीनीकरण निर्धारित है, संपूर्ण सूची उपलब्ध कराएं;

(घ) गांव हिरनकूदना में जिन व्यक्तियों एन.डब्ल्यू.एस./डी.जे.बी. द्वारा पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, उन्हें लाखों रुपए के बिल क्यों दिए जा रहे हैं;

(ङ) डी.जे.बी./एन.डब्ल्यू.एस. द्वारा दिनांक 1/1/2015 के बाद से मुंडका विधान सभा क्षेत्र से कितनी मिट्टी खोदकर निकाली गई है और क्यों निकाली गई है, व इस मिट्टी का क्या प्रयोग किया गया है; और

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के योगिराजपुरम, मीर विहार व भाग्य विहार से खोदकर निकाली गई मिट्टी का क्या किया गया?

माननीय जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड का उद्यान विभाग दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय परिसरों, जल एवं अवजल शोधन संयंत्रों, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं स्टाफ कॉलोनियों में पड़े पौधे लगाना, पार्कों के रख-रखाव के लिए उतरदायी है। इसके अतिरिक्त फूलों की विभिन्न किस्मों के लिए दिल्ली जल बोर्ड की कई नर्सरियों का भी रख-रखाव करता है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कराला बूस्टर पम्पिंग स्टेशन पर उद्यान को विकसित करने का कार्य चल रहा है;

(ग) दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है;

(घ) हिरनकूदना गाँव में अधिकांश उपभोक्ताओं ने पानी का बिल कई वर्षो से जमा नहीं कराया जिसके कारण इन उपभोक्ताओं को पानी का बिल बकाया राशि सहित प्राप्त हो रहा है।

(ङ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के मुंडका गाँव में निर्माणाधीन भूमिगत जलाशय की खुदाई के दौरान लगभग 20453 cum मिट्टी निकली थी, जिसमें से लगभग 11392 cum मिट्टी नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर डाली गई और 5280 cum कराला भूमिगत जलाशय के साईट पर डाली गई। शेष मिट्टी भविष्य में इस्तेमाल हेतु मुंडका साईट पर ही उपलब्ध है। पाईप लाईनों को डालने की खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकली है उसे उसी ट्रैन्च में भराई हेतु इस्तेमाल किया गया है तथा अतिरिक्त मलबा आस-पास में उपलब्ध खाली जगहों पर डाला गया है।

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र की योगीराजपुरम, मीर विहार व भाग्य विहार से खोदकर निकाली गई मिट्टी को वहाँ पाइप लाईन डालने के बाद वहीं वापस भर दिया गया। शेष सरप्लस मिट्टी/मलबे की विभाग के पास उपलब्ध भूमि में गड्ढों एवं निचले क्षेत्र में डाल दिया गया।

260. श्री राजेश ऋषि : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल विभाग द्वारा जनकपुरी में मार्च 2015 से मार्च 2018 तक कौन से और कितने के काम किए गए;

(ख) जल विभाग द्वारा जनकपुरी में सप्लाई हो रहे गंदे पानी को ठीक करने की क्या योजना है और इससे कब तक निजात मिलेगी; और

(ग) जनकपुरी में जल आपूर्ति बाधित होने पर टैंकर के अलावा जल बोर्ड के पास क्या व्यवस्था है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) सलंग्नक 'क' पर सलंग्न है;

(ख) जनकपुरी में सामान्यतः गन्दे पानी की शिकायत नहीं आती है, परन्तु जब भी इस प्रकार की समस्या संज्ञान में आती है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। गन्दे पानी की समस्या ज्यादातर उन जगहो पर पाई जाती है जहाँ पर निवासी बिना पानी की सप्लाई के समय मोटर पंप चलाकर पानी भरते हैं। जोकि लाईन में नकारात्मक दबाव को बढ़ाते हैं ज्यादातर शिकायतों में घरों के कनेक्शन भी बहुत पुराने और गले हुए पाए जाते हैं, जो कि मोटर चलाते समय किसी भी पुराने एवं गले हुए घर के सर्विस कनेक्शन के माध्यम से गंदे पानी को खींच लेते हैं। यही गंदे पानी का मुख्य स्रोत है, इसके लिए निवासी को उसके सर्विस कनेक्शन बदलने के सलाह समय पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यतानुसार क्षेत्र की क्षतिग्रस्त एवं पुरानी पानी की लाइनों को जरूरत के आधार पर बदला जाता है।

(ग) जल आपूर्ति बाधित होने के कई कारण है जैसे कि पॉवर सप्लाई बाधित होना, लाईन फट जाना, पानी की कम आपूर्ति। ऐसी स्थिति में आवश्यतानुसार टैंकर द्वारा पानी की व्यवस्था ही एकमात्र साधन है।

अनुलग्नक 'क'

WORK ORDER 2015-16

S.No.	AC	Name of Work Cost	Total Contractual
1	2	3	4
1.	30	Tracing Fauit of water contamination and repair of water leakages at Diffecent locations in word no. 119 Ac No. 30 Janak Puri under West-I FMS NIT No. 26282 Tender ID: 2015 djb 79030 5	7,48,357
2.	30	Removal of Water Contamination by replacement of badly damaged CI water line in Street No. 24, 27 and 28 Shiv Nager ward No. 117 AC No. 30 Janak puri under West-I FMS NIT No. 25308 Tender ID : 2015-dJb 770461	10,65,614
3.	30	Removal of water Contamination by replacement of old damaged CI water line at Veer Bazar Road in Mahavir Enclave-III Gali No. 54 to 63, O and N Block In Chanakya place part-II In AC No. 30 Janak puri Constituency under West-I,	15,67,039

1	2	3	4
4.	30	Improvement of water system at House No. B-144 to D-2/22 Jeewan park in ward No. 119 Milap Nagar (Ac No. 30) Janak puri Constituency In west-I	6,05,217
5.	30	Making Connection of badly dameged sewer line at ZRO Office A-Block Janak puri AC No. 30 under west-1	2,96,032
6.	30	Making Interconnections for newly Commisioned Dwarka WTP at 40 Feet Road Chanakya Place P-1, J.J. Colony Pankha Road and providing alternate water connection from B-2 Block Janak puri UGR to Narang Colony AC No. 30 Janak puri under West-I.	10,65,977
7.	30	Improvement of water Supply System by P/L 150 mm dia D-I water line and lowering of 100 mm dia water line at J-1, E-Block Chanakya place-I and E-Block Arya Samaj Road Ward No. 119 AC No. 30 Janak puri west-1 FMS NIT No. 26304 Tender ID : 2015 DJB 79133-2	10,35,768
8.	30	Engagement of 10 NOS. of sewer gang Beldar for maintenance of sewer system of Janak puri Consituency AC No. 30 under West-I	4,99,044

9.	30	P/L sewer lines for sub-dived plots in various galies of Sita puri in ward No. 120 Janak puri AC NO. 30 under West-1 Tender ID : 2015 DJB 751961	30,67,911
10.	30	Tracing fault of Water Contamination and repair of Water leakages at different locations In ward No. 117 Janak Puri AC No. 30 under West-I FMS NIT NO. 26816 Tender ID: 2015 DJB 800871	7,13,253
11.	30	Improvement of water supply system by replacement of 100/150 mm dia old damaged CI/AC water line in street No. 09, 13, 18 and 24 at India park ward No. 199 AC No. 30 Janak puri in West-I Tender ID: 2015 DJB 809791	14,86,608
12.	30	Removal of dead ends removal of contamination and attending to leakages for optimum utllzation of water supply from Dwarka W.T.P in Sita puri ward No. 120 Janak puri AC No. 30 under EE (west)-1 Tender ID:2015 DJB 817271	12,70,552
13.	30	Recplacement of damaged/Setted sewer line in Narrow lanes at street No. 22 and 23 Shiv Nagar, street No. 2A Virender Nagar and adjoining area in ward No. 117 AC No. 30 Janak puri under west-I	14,40,909
14.	30	Replacement of damaged sewer lines at ASA Janta Quarters	8,16,292

1	2	3	4
		Janak puri A/7A Chanakaya Place Part-I ward No. 117 and 199 AC No. 30 Janak puri under west-I	
15.	30	Replacement of damaged sewer lines in narrow lanes at D-67 Chanakya place Part-1 and C-5, F2A Jeewan park, A-17 Mahendra Park and adjoining area in Ward No. 119 AC No. 30 Janak Puri under West-I	9,64,281
16.	30	Replacement of damaged and old sewer line at B and C Block Ramdutt Enclave ward No. 199 AC No. 30 under West-I	7,84,658
17.	30	Providing and fixing of Shed and maintenance of 4 No 1000 mm die Valve Chamber in UGR and BPS at B-2 Janak puri under West-I	3,32,718
18.	30	Maintenance of Water system by removal of water contaminiation at different location in ward No. 199 AC No. 30 Janak puri under west-1	7,24,115
19.	30	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY DESILTING OF SEWER LINE BY SUPER SUCKER IN WARD NO 177AC 30 JANAK PURI UNDER EEWEST-1	8,16,241

20.	30	Improvement of water supply in G-Block Hari Nagar by P/L 100 mm dia and 150 mm dia DI water line in ward No. 117 AC No. 30 Janak Puri West-I	15,63,66
21.	30	Construction of rain water Harvesting at A-2 Block Chander Nagarn JE Store Janak puri AC No. 30 under EE (WEST)-1	3,54,162
22.	30	Replacement of old damaged sewer line in D and H Block Arya Samaj Road and A Block Ramdutt Enclave in Ward No. 199 AC No. 30 Janak puri under West-1	13,10,808
23.	30	Augmentation In Water system in A and B Block Jeewan Park by P/C additional water line of 250 mm dia from B-1 Anoop Nagar to B-Block Som Bazar Road Jeewan Park in Milap Nagar Ward No.119 AC No. 30 Janak puri under West-1	10,55,057
24.	30	Removal of contamination in Gali No. 9,10 and 11 in Virender Nager and Gali No. 13 of G-Block Hari Nagarn by replacement of old AC line by 100 mm dia DI line in Ward No. 117 AC No. 30 Jank puri under West-I	7,23,492

1	2	3	4
25.	30	Improvement of sewerage system by replacement of 250 mm dia RCC pipe by SN-8, DWC pipe in Various lanes of G-Block Hari Nagar in Ward No. 177 AC No. 30, Janak Puri West-I	15,01,730
26.	30	Replacement of old undersize damaged sewer line in C-6/B Block Janak puri AC No. 30 Ward No. 188 under West-I	19,83,216
27.	30	Improvement of water supply in A2A Block, Janak puri by replacement of 3 dia water line by 100 mm dia DI water line in Ward no. 177 AC-30 Jank puri under West-I	5,74,016
28.	30	Maintenance of existing water lines including eliminating contamination and removal of leakages by providing and laying pipes speclais etc in Ward no. 177 AC NO. 30 Janak puri EE(West)-I	8,08,141
29.	30	Providing RWH in UGR at A-1A Block Janak Puri AC No. 30 Janak Puri West-I	1,66,674
30.	30	Prowiding Rain water Harvesting at the premlses of	2,74,336

		the office of EE(E&M) West at C-2A Block Janak Puri AC No. 30 under EE(West)-I	
31.	30	Providing Rain water Harvesting at New UGR at the Premises of A Block OHT Janak Puri AC No. 30 under EE(West)-I	5,99,715
32.	30	Improvement of sewerage system by desliting of sewer line by SCM in Virender Nagar in Ward No. 117 in AC No. 30 Janak Puri under EE (West)-I	2,87,397
33.	30	Desiting of sewerage system by super sucker machine from Som Bazar Road Jeewan Park main Sewer line to S.P.S Binda Pur In Ward No. 119 AC No. 30 under EE (WEST)-I	9,40,386
34.	30	P/L sewer line for sub divided Plots in Various galies of E-Block Mahavir Enclave-III ward No. 120 Janak Puri AC No. 30 under West-I	32,30,394
35.	30	Improvement of water supply In ASB Block Janak Puri by replacement of 4 dia PVC water line by 100 mm dia DI water line In Ward No. 177 AC No. 30 Janak Puri under West-I	5,56,676
36.	30	Replacement of old undersize damaged sewer line In C-4/G Block Janak Puri AC No. 30 Ward No. 118 under West-I	18,47,304

1	2	3	4
37.	30	Replacement of old undersized damaged sawer lines in C2C Block PKT-12 Janak Puri AC 30 Ward No. 118 under West-I	15,95,806
38.	30	Making Interconnection in newly laid main sewer line at Som Bazar Road Shiv Nagar In Ward No. 117 AC No. 3.30 Janak Puri under West-I	21,08,180
39.	30	Engagament of 10 No. of sewer Gang Beldar for maintenance of sewerage system of Janak Puri Constituency AC No. 30 under West-I	5,53,675
40.	30	Making 14 Nos of interconnection with 350 mm dia CT-2 Dwarka water main located along with Uttam Nagar Crosssing to Dwarka Mor (main Najafgarh Road under EE(WEST)-I AC-30	46,47,596
41.	30	Removal of water contamination by replacement of damaged Portions of water line at Various Locations in ward No. 118 and 120 in Janak Puri constituency AC No. 30 under EE(WEST)-I	9,86,368
42.	30	Repairing of water main leakage by MS gap Pieces 1200 mm dia at UGR and BPS B-2 Janak Puri EE(WEST)-I	3,57,720

43.	30	Augmentation of water supply In B, D1, D2 Block Jeewan Park by P/L additional water line of 250 mm dia and from 40 Foots Road to Som Bazar Road Jewan Park Milap Nagar Ward 119 AC 30 Under West-I	24,16,367
44.	30	Replacement of old damaged water line of 100 mm dia at .... 126, A-17,C-120 in Jeewan Park and A99-100 Chanakya place ... in Milap Nagar Ward No. 119, Janak Puri constituency AC No. 30 under EE (WEST)-I	----------
45.	30	Improvement of water supply in Shiv Nagar by replacement of old AC 100 mm dia and 200 mm dia by DI water line in Ward No. 177 AC No. 30 Janak puri West-I	19,69,528
46.	30	Improvement of water supply In Virender Nagar by Providing laying and replacement of 100 mm dia AC water line by 100 mm dia DI water line in Ward No. 117 AC No. 30 Janak Puri under West-I	13,06,242
47.	30	Replacement of old damaged AC/CI water line in C2C Block Pocket 12 In Ward No. 118 in Janak puri AC No. 30 under EE(WEST)-I	27,72,969
48.	30	Improvement of water supply by P/L 250 mm dia and 100 mm dia water line at E-100 E3/49 Chanakya Place Part-1 and H-47 Arya Samaj Road in Milap Nagar Ward 199 AC 30 under West-I	13,80,996

1	2	3	4
49.	30	P/L sewer line in Back lane of Gali No. 10/11 A-Block Mahavir Enclave-11 Ward No. 120, Janak Puri AC No. 30 under West-I	4,11,935
50.	30	Removal of water contamination and repair of water leakages through maintenance different location in ward No. 199 Milap Nagar Ac No. 30 Janak Puri under West-I	7,73,053
51.	30	Improvement of sewerage system by tracing raising repairing and strengthening of damaged manholes in Ward No. 117, Janak Puri in AC No. 30 Janak Puri in West-I	9,95,771

WORK ORDER 2017-18

S.No.	AC No.	Name of Work	Total Contractual Cost
1	2	3	4
1.	30	Tracing Fauit of water contarnlnation and repair of water leakages ...... at different locations in Milap Nagar Ward No. 119, AC-30 Janak Puti under EE(West)	7,07,5333

2.	30	Engagement of Sewer Gang Belder on contact basis for malintalning swerage system in the ares under ZE IX WARD NO. 117, 118, 119 and, 120 In AC-30 Janak post under WEST-I	5,69,400
3.	30	Maintenance of existing water lines Includind eliminating contaminaton and removel of toakages by providing and laying plpes, speclals etc In ward No. 117 AC 30 Janak puri EE(West)-I	6,76,580
4.	30	Replacement of old damaged sewer line at B-22A to B-38A 41A to B-33 Ram Dutt Enclave in Ward No. 119 AC-30 EE(WEST)-I	7,95,615
5.	30	P/L Sewer line for sub divided plots in Back lanes of f-Block Mahavir Enclave III Ward No. 120 Janak puri AC NO. 30 under West-I	50,91,895
6.	30	Removal of water contamination by tracing fault and repairing damaged postions of water lines of different locations in ward no 118, 120 in janak puri Constituency (AC-30) under EE (West)-I	6,31,900
7.	30	Providing and Laying new water lines from C-116, C-Block jeevan park (Som Bazar Road) in milop nagar ward No. 119 AC-30 under West-I	5,46,142

1	2	3	4
8.	30	Improvement of sewerage system by desilting of sewer line by SCM In possangl pur Village A4C ASC Blk Janak Chander Nagar, Narang Colony in Ward No. 117 in AC 30 JANAK PURI EE WEST I	4,61,802
9.	30	Repair of damaged manholes and Raising of buried manholes in various galies of Sitapuri in ward No. 17 S In Janakpuri constituency AC 30 under West I	5,79,202
10.	30	DESILTING OF SEVER LINE BY SEVER CLEANING MACHINE IN MILAP NAGAR WARD NO. 119 IN AC 30 JANAK PURI EE WEST I	4,35,518
11.	30	providing and laying sewer line in back lane of Gali No. 45 of C-block Mahavir Enclave ward no 175, Janak Puri AC 30 under West I	5,88,201
12.	30	Repair of water leakages and contamination at various Milap nagar ward No. 119 Janak Puri AC-30 under EE(West) I	6,52,847
13.	30	Repair of damaged manholes and Raising of buried manholes Mahavir Enclave Part 2 and 3 in ward no 175 in Janak puri constituency AC 30 under West I	10,36,549

14.	30	Hiring of jetting Cum Suctin Machine in AC-30 Janak Puri West I Tender ID 2017 DJB 1358281	2,31,200
15.	30	Marking funtional main peripheral CT2 water line by damaged-350 mm dia water line at metro pillar no 684 to 685 main nazafgarh Road under EE(WEST)-I janak puri constituency AC-30	5,46,290
16.	30	Laying of 100 mm dia water line for providing connection peripheral water line near Disrtict park to newly constructed police station and staff quarters at Faclity centre near C4B Janakpuri ward No 16s AC-30 Janak Puri under EE(WEST)-I (Deposit work)	5,76,121
17.	30	Engagement of Sewer Gang Beldars for maintenance of sewer system of ward Nos 155, 165, 175 and 18 S in Janak puri Constituency AC-30 UNDER WEST-I	7,30,080
18.	30	replacement of Old/Undersized Water lines by providing and laying 150 mm dia water line for connection to UGR of C6A block, ward 165, Janakpuri AC30 under EE West-I	8,77,047
19.	30	Maintenance of existing water lines including eliminating contamination and remioval of leakage by providing and laying pipes, specials etc. in ward No. 15 S AC 30 Janakpuri EE (WEST)-I	8,72,609

20.	30	Improvement & Maintenance of Sewerage System Including, Repairing & Strengthing of Manhole in Ward No. 0155(117) AC30 Janak Puri West-I	
21.	30	Replacement of old damaged AC water line of 10" dia from RZ-143 India park to A-94 Milap Nagar (Pali Factory Road) Ward No.-119 Janak Puri AC-30 under West-I	21,20,239
22.	30	Replacement of damaged Settled Sewer line form C-3/55 to C-3/61 Janak Puri Ward No.165 in Janak Puri AC 30 under West-I	4,87,406
23.	30	Repairing of leakage in 900 mm dia water line main near Dussera Ground on Dharam Marg Janak Puri AC30 under West-I	9,19,969
24.	30	Supply of SFRC Manhole Cover Frames (EHD-35& HD-20) for EE-(West-1)	28,09,300
25.	30	Construction of 6 dia Manhole (Additional) on main Sewer Line at Dayal sir road in Milap Nagar Ward No. 199, Janak Puri Constituency AC30, under West-I reinvited	9,99,338
26.	30	Replacement of old damaged sewer line at RZ-51 Indira Park Extn to RZ 7, 8 E India Park, RZ-20 to RZ-13 India Park Extn and C-7 to C 8 Milap Nager in Ward No. 119 AC-30 under EE (West)-I (Re-invited)	7,28,226

27.	30	Removal of contamination at various location and Repair of water leakage in milap nagar ward No. 18-5 Janak Puri AC-30 under EE (West)-I re-inivited	6,54,228
28.	30	Removal of water contamaination by tracing damaged Portion repairing and attending to leakage of water lines at different locations in Ward No. 165 and 175 in Janak Puri Consituency (AC-30) under EE(West)-I	7,30,239
29.	30	Replacement of old damaged AC water line of 12 dia from A-94 Milap Nagar to A-59 Milap Nagar, Ward No. 199 Janak Puri AC-30 Under West-I	8,89,711
30.	30	Strengthing of sewer system by Tracing/Repairing/Raising Construction of manholes in Milap Nagar Ward No. 18-S AC 30 Janak Puri EE WEST-I	6,15,947
31.	30	Replacement of damaged portons of sewer line and Repairing of damaged Manholes in various pockets of Ward no. 16 S Janak Puri AC 30 under West-I	5,11,951
32.	30	Hiring of Hydraullic Operated High Pressure Suction Cum Jetting Machine (Mounted on Mahindra Bolero) for Maintenance of Sewerage System in Narrow Lines and by Lanes in AC 30 Under EE(West-I)	15,08,333
32.	30	Renovation of existing Toilet for EE (E and M) office at C-2A block Janak Puri and office of EE-WEST-I at Beriwal bagh Subhash Nagar	3,89,957

261. श्री महेंद्र गोयल, विधायक : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर मौहल्ला क्लीनिक बनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की जमीनों पर मौहल्ला क्लीनिक बनाने के विभाग के पास जमीन हेतु लोक निर्माण विभाग के आवेदन आए थे; और

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा अनुमति देने में देरी के क्या कारण है;

(घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की सभी जमीनों व भवनों की पूर्ण जानकारी, उनके पते व माप के साथ उपलब्ध करवाई जाए;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग के वित्त खण्ड द्वारा लोगों के घर बड़ी मात्रा में औसत के अनुसार गलत बिल भेजे जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की पूर्ण जानकारी दी जाए;

(छ) क्या यह सत्य है कि हैदरपुर प्लांट को पानी देने वाली नहर को मरम्मत किया जाना है;

(ज) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में विभाग ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(झ) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सैक्टर-16, 17, 11, 5, 6, 1 की सीवर लाइन आज से 25-30 वर्ष पूर्ण में डाली गई थी;

(ञ) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में इन सभी की स्थिति खस्ता हालत में है; और

(ट) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन्हें बदलने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) भाग 'ख' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता:–

(घ) सलग्नक ''क'' तथा ''ख'' पर सलग्न है:–

(ङ) जी हाँ।

(च) भाग ''ङ'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हाँ। जल बोर्ड द्वारा पुरानी नहर के दिल्ली भाग (16.26 कि.मी.) की मरम्मत के लिए 28.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के कार्य का अनुमोदन किया गया तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य की पूरी लागत 28.16 करोड़ रु. एडवांस में हरियाणा सिंचाई विभाग में मार्च–2018 में दे दिये गये हैं;

हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा कच्ची नहर की मरम्मत का कार्य बरसाती सीजन में करवाया जा रहा है तथा कच्चे पानी की भरपाई यमुना नदी वजीराबाद बैराज से अतिरिक्त पानी लेकर पूरी की जा रही है;

यह कार्य 31.07.2018 से शुरू किया गया है तथा इसकी पूरी करने की अवधि 3 माह है;

(झ) जी हाँ;

(ञ) सीवर लाईनें संतोषजनक कार्य कर रही हैं तथा आवश्यकतानुसार सीवर लाईनों की मरम्मत व सफाई का कार्य किया जाता है; और

(ट) वर्तमान में सभी सीवर लाईनों को बदलने की कोई योजना नहीं है परन्तु आवश्यकतानुसार खराब सीवर लाईनों की मरम्मत व बदलने का कार्य किया जाता है।

सलग्नक क

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (NW) – II
DELHI JAL BOARD: GOVT OF NCT OF DELHI
H-BLOCK: SECTOR-15 : ROHINI : DELHI-110089
Ph. 011-27851040, E-maif:- eenw2.djb@gmail.com

Subject: - **List of properties in Rithafa Vidhan Sabha under EE NW-II**

Sl.No.	Name of property/ Locality	Total Area (Sq.Mtr.)	Build up area sq. mtr.	Vacant area in Sq. mtr.	Remarks
1.	OLD FILLING POINT AVANTIKA	3200	900	2300	
2.	OHT AVANTIKA ROHINI SECTOR 1	3538	950	2588	
3.	ZRO OFFICE ROHINI SECTOR 6	1766	960	806	
4.	JE SEWER STORE ROHINI 17 SECTOR	100	80	20	
5.	SEWER COMPLAINT CENTER ROHINI SECTOR 11	110	80	30	
6.	SEWER TROLLEY AT RITHALA MOR	232	33	199	

7.	Water Emergency Sector-17 UGR & BPS & FPL	976	520	456	
8.	Sector-06, OHT	3700	212	3488	

SE NW EXECUTIVE ENGINNER NW-II

Copy to-

1. CE (west) for kind information pl.
2. ZE-IV
3. O/c

सलग्नक ख

Delhi Jal Board; (Govt. Of NCT of Delhi)
Office of the Executive Engineer (E&M) WS/NW
MU Block Pitampura, Delhi-110034

Subject :- List of properties in Rithala Vidhan Sabha.

Sl.No.	Name of property/ Locality	Total Area (Sq.Mtr.)	Build up area sq. mtr.	Vacant area in Sq. mtr.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	New Avantika BPS	10072	2273	7799	

1	2	3	4	5	6
2.	See-17 Rohini BPS	686	199	487	
3.	764 LIG DU C Block Sector-17 Rohini	831.67	580.55	251.12	
4.	Sec-11 Rohini-BPS	16095	6870	9225	
5.	A-I SECTOR - 5 Rohini BPS	72	67	5	
6.	8-5 SECTOR - 11 Rohini BPS	790	205.2	584.8	
7.	E-2 Sector 11 Rohini. BPS	554	145	409	
8.	G-6 Sector-16 Rohini BPS	875	165	710	
9.	H-3 Sector-16 Rohini BPS	650	200	450	
10.	A-S Sec. 17 Rohini BPS	400	80	320	
11.	480 SFS Pkt-10 Sec-11 Rohini BPS	710.53	585.67	124.86	
12.	A-1 Sec-17 Rohini	1050	140	910	
13.	340 L1G DU Pkt - J Sec. 16	711.89	525.35	186.54	
14.	Old Avantika BPS	3200	900	2300	
15.	Rithala Village SPS	232	33	199	

262. श्री अजय दत्त : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधानसभा के खानपुर–वार्ड नं. 815 में पानी की सप्लाई रोजाना से हटा कर अल्टरनेट डेज पर कब से की गई व क्यों की गई;

(ख) क्या यह सत्य है कि खानपुर वार्ड सं. 815 की कालोनियों में (राजूपार्क, जवाहर पार्क, बिहारी पार्क, कृष्णापार्क व शिवपार्क की) टेलएन्ड पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ग) इस क्षेत्र में कब से दुबारा पानी प्रतिदिन दिया जाएगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि ई.एस.आई. में लगभग 1.5 एम.जी.डी. पानी बढ़ा है; और

(ङ) यदि हाँ तो कितना व किस–किस विधानसभा क्षेत्र में पानी बढ़ाया जा रहा है?

माननीय जल मंत्री : (क) यह क्षेत्र ई.एस.आई. जलाशय एवं पंपिंग स्टेशन के अन्तर्गत आता है जहां से उपलब्ध पानी को सूचारू रूप से वितरण हेतु, माह जनवरी 2018 से पानी की सप्लाई एक दिन के अंतराल पर की जा रही है;

पहले ई.एस.आई. बूस्टर पम्प हाउस से 1200 मि.मी व्यास की लाइन से संगम विहार, देवली एवं अम्बेडकर नगर विधानसभा के क्षेत्रों में एक साथ सप्लाई की जाती थी, जिससे इन क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या थी। इसे दूर करने के लिए इन क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर अल्टरनेट दिनों में सप्लाई की जा रही है;

(ख) पानी का दवाब कम होने के कारण अतिंम छोर पर मौजूद कुछ मकानों में पानी की समस्या हैं जिसको टैंकरों द्वारा मांगानुसार आपूर्ति की जा रही है;

(ग) इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ई.एस.आई. जलाशय में पानी की उपलब्धता बढ़ने पर ही इस पर निर्णय लिया जायेगा;

(घ) जी, नहीं; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

263. श्री नितिन त्यागी : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस-58 लक्ष्मी नगर में प्रतिदिन जल आपूर्ति की कुल मात्रा क्या है;

(ख) इस आपूर्ति का स्त्रोत क्या है, उसका विवरण उपलब्ध कराएं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने का क्या तरीका है कि दिल्ली जल बोर्ड जितनी जल आपूर्ति का दावा करता है, उतना एसी-58, लक्ष्मीनगर को मिल रहा है?

माननीय मुख्यमंत्री : (क) विश्वकर्मा पार्क भूमिगत जलाशय और U-122 टेपिंग से मिलकर लगभग 4.50 MGD पानी दिया जाता है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति चित्रा विहार, लक्ष्मी नगर, मंडावली-II जलाशयों और D-100 एवं सब्जी मंडी की डायरेक्ट टैपिंग टयूबवेलों एवं P-6 रेनीवेल से भी की जाती है जहाँ पर फ्लोमीटर नहीं होने के कारण सही मात्रा की गणना नहीं की जा सकती है;

(ख) इस आपूर्ति का स्त्रोत भागीरथी WTP, टयूबवेल व रेनीवेल (P-6) है; और

(ग) विश्वकर्मा पार्क भूमिगत जलाश्य और U-122 टेपिंग से पानी की मात्रा फ्लोमीटर से ली गयी है। अन्य सभी जगह, जहाँ से पानी दिया जाता है वहाँ पर फ्लोमीटर लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।

264. श्री अजेश यादव : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादली विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड ने कुल कितने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं; और

(ख) बिजली कनेक्शन के सी.ए. नम्बर और स्थान के पते के साथ जानकारी दें?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) बादली विधान क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड ने कुल 06 कनेक्शन ले रखे हैं; और

(ख) अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है।

	CA No.	Palace of Electric Connection
1.	60018355069	Dadli T.W.
2.	6004884858	SIRASPUR T.W. I
3.	60011887803	SIRASPUR T.W. II
4.	60011493776	SIRASPUR T.W. III
5.	60000015648	SANJAY GANDHI TRANSPORT NAGAR
6.	60000021885	B.P.S. JAHANGIRPURI B.P.S.

265. श्री सोमनाथ भारती : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाग में जल-वितरण का निजीकरण करने के कारण व निजी संस्थानों के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य और किस समय सीमा के साथ निर्धारित किए थे;

(ख) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एम.एन.डब्ल्यू.एस. अतिरिक्त इसमें अन्य पणधारी कौन हैं व उनकी क्या भूमिका तथा उत्तरदायित्व हैं;

(ग) इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया जा सका है; व इनमें क्यों और कितना विलंब हुआ है;

(घ) जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सके हैं उनमें क्यों और कितना विंलब हुआ है/होने जा रहा है;

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में एम.एन.डब्ल्यू. एस. कब तक 24/7 जल आपूर्ति करने लगेगा, एतद्संबंधी जानकारी कॉलोनीवार और ब्लॉकवार उपलब्ध कराएं, इसमें यदि कोई विलंब है तो उसके कारण क्या हैं;

(च) दिल्ली के कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्रों में एम.एन.डब्ल्यू.एस. की सेवाएं ली जा रही हैं और इनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन कितनी मात्रा से कम जलआपूर्ति को कम माना जाता है;

(छ) यदि उक्त विधानसभा क्षेत्रों में उक्त मानक के अनुसार कम जलआपूर्ति हो रही है तो उसके क्या कारण हैं और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में एम.एन.डब्ल्यू.एस. द्वारा दो बार जल आपूर्ति की व्यवस्था को बदलकर एक बार जल आपूर्ति कब किया गया और इसके क्या कारण थे;

(झ) मालवीयनगर विधानसभा में जलआपूर्ति की गुणवत्ता और समयावधि की ब्लॉकवार और कॉलोनीवार जानकारी उपलब्ध कराएं, व इनमें यदि कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ञ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए हाइड्रोलिक मॉडलिंग परियोजना की क्या स्थिति है और इस संबंध में कंसल्टेंट द्वारा दी गई संस्तुतियों को लागू करने की समयसीमा क्या है;

(ट) दिल्ली जलबोर्ड तथा एम.एन.डब्ल्यू.ए. के द्वारा प्रतिबद्ध न्यूनतम जलआपूर्ति की समयावधि क्या है और सीवर/गंदे पानी संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए क्या समयावधि हैं;

(ठ) यदि किसी उपभोक्ता कों गंदे पानी की आपूर्ति होता है तो क्या उसी के अनुपात में धनवापसी का कोई प्रावधान है या गंदे पानी के कारण उपभोक्ता को जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी क्या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान हैं;

(ड) हौजरानी गांव, कुम्हार बस्ती और जहांपनाह कॉलोनी के निवासी कब से गंदे पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान कब तक होने की संभावना है;

(ढ) ब्राह्मण बस्ती, मस्जिद मोठ, बीज, ए1, बी5 बी7, एक्सटेंशन, में जहां–जहां पानी की कमी या गंदे पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहां इस समस्या का स्थाई समाधान कब तक कर दिया जाएगा; और

(ण) दिल्ली जलबोर्ड और एम.एन.डब्ल्यू.एस. द्वारा अपनाई जाने वाली पानी व सीवर की किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए मानक कार्यविधि क्या है; इसका चरणबद्ध विवरण दीजिए जिसमें प्रत्येक चरण में अनुमति कार्यावधि तथा संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम व संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराएं?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) मालवीय नगर विधानसभा का एक भाग मालवीय नगर भूमिगत जलाशय के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इस परियोजना में निजिकरण नहीं किया गया है। इस परियोजना में पानी के वितरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर नियत समय अवधि के लिए एक अनुबन्ध किया गया है। अनुबन्ध का लक्ष्य उपभोक्ताओं को 24×7 पानी सप्लाई उचित दवाब में करना, पानी की गुणवता सुधारना, एन.आर.डब्लू. कम करना, शिकायतों का उचित निवारण समय सीमा में करना और राजस्व की बढोतरी करना हैं।

इस प्रोजेक्ट के कैपक्स वर्क को 1 जनवरी 2013 से शुरू किया गया है तथा 31 दिसम्बर 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य था, परंतु कार्य में विलम्ब होने के कारण कैपेक्स वर्क 31 मार्च 2019 तक पूरा होने का अनुमान है। ओ एंड एम कार्य 01 जनवरी 2013 से शुरू किया जा चुका है तथा इसे 31 दिसम्बर 2024 तक करने का लक्ष्य है।

(ख) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एम.एन.डब्ल्यू.एस. के अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता, (परियोजना) जल–प्रथम को कार्य सौपा गया है और वह अनुबंध के अनुसार एम.एन.डब्ल्यू.एस. से कार्य करवा रहे हैं।

(ग) यह कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कार्य के विलम्ब का कारण सड़क काटने की अनुमति देर से मिलना, मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में पानी की वांछित मात्रा नहीं उपलब्ध होना तथा एम.एन.डब्ल्यू.एस. के द्वारा धीमी गाति से कार्य करना है।

(घ) उत्तर (ग) के अनुसार तथा 4 वर्ष का विलंब अनुमानित है।

(ङ) मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में पानी की वांछित मात्रा नहीं उपलब्ध होने के कारण अभी 24/7 जल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित नही किया जा सकता है।

(च) दिल्ली के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में एम.एन.डब्ल्यू.एस. की सेवाएं ली जा रही हैं;

- मालवीय नगर विधानसभा
- छत्तरपुर विधानसभा
- महरौली विधानसभा

- ग्रेटर कैलाश विधानसभा
- अम्बेडकर नगर विधानसभा

मालवीय नगर भूमिगत जलाशय पर औसतन 45 MLD से कम मात्रा से पानी मिलने पर, जलआपूर्ति को कम माना जाता है।

(छ) मालवीय नगर भूमिगत जलाशय में पानी की उचित मात्रा न मिलने का कारण दिल्ली में रॉ वाटर की सीमीत उपलब्धता है। रॉ वाटर की उपलब्धता के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है।

(ज) मालवीय नगर विधानसभा में भूमिगत जलाशय से दो बार जल आपूर्ति की व्यवस्था को बदल कर एक बार जून 2016 से किया गया। इसका कारण 27 नई कॉलोनियों जिनमें पहले ट्यूबवेल द्वारा या पानी की व्यवस्था नहीं थी को भूमिगत जलाशय की सप्लाई से जोड़ कर फिल्टर वाटर सप्लाई दी गई है।

(झ) अर्जुन नगर, हुमायूँपुर, ग्रीनपार्क, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन, सफदरजंग इंकलेव, युसुफ सराय, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में पानी की सप्लाई सामान्यत: डीयर पार्क से सुबह 12 से 4 बजे पूर्वाहन और शाम को 4:30 से 6 बजे अपराहन की जाती है। हौज खास, मेफेयर गार्डन, मस्जिद मोठ, उदय पार्क, नीती बाग में पानी की सप्लाई सामान्यत: एम.बी.आर. ग्रेटर कैलाश से सुबह 12:00 बजे से 5:00 तक तथा शाम को 2:30 से 5:30 बजे तक की जाती है। उपभोक्ता छोर पर पानी की उपलब्धता क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। जैसे-जैसे यू.जी.आर. से दूर जाते हैं पानी की उपलब्धता कम होती जाती है। जिन क्षेत्रो में पानी की गुणवत्ता की शिकायत है वहां पानी की लाईनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाता है।

(ञ) कन्सलटेंट ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दे दी है जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है। कार्य आवंटन के बाद विभिन्न कार्यों में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा;

(ट) समयावधि का निर्धारण पानी की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा सीवर/गंदे पानी संबंधी शिकायत मिलने पर, शिकायत का संभव निवारण/टैंकरों द्वारा पानी की अपूर्ति 24 घंटे के अंदर की जाती है। लंबित दुरुह शिकायतों का निवारण कम से कम समय में तुरन्त किया जाता है;

यदि किसी क्षेत्र से गन्दे पानी की शिकायत आती है तो उस क्षेत्र की सप्लाई काट दी जाती है तथा पानी की आपूर्ति टैंकरों द्वारा की जाती है। समस्या के समाधान के बाद सप्लाई पुनः शुरू की जाती है। इस सम्बन्ध में धन वापसी का कोई प्रावधान नहीं है;

(ठ) हौजरानी गांव, कुम्हार बस्ती और जहांपनाह कॉलोनियों में नया नेटवर्क डाल कर गंदे पानी की शिकायत दूर कर दी गई है। कुछ अनधिकृत कनेक्शन अभी भी पुराने नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तथा इनमें जब भी पानी गुणवत्ता की शिकायत आती है तो उसका समाधान तत्काल करने का प्रयास किया जाता है।

(ड) ब्राह्मण बस्ती, मस्जिद मोठ में गर्मियों में कुछ घरों में पानी की समस्या आती है जिसके निवारण के लिए एक ट्यूबवेल लगाया गया था जो इस क्षेत्र में पानी सप्लाई दे रहा है;

बी-4 और ए-1 ब्लॉक के कुछ घरों में गर्मियों में पानी की आपूर्ति और खपत में अन्तर के कारण दबाब कम हो जाता है। स्थानीय वितरण प्रणाली में बदलाव कर इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।

बी-5, बी-7 और बी-7 एक्स. में पानी की कोई समस्या नहीं है; और

(ण) उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली जल बोर्ड की हैल्पलाइन 1916 एवं मैसर्स एम.एम.डब्ल्यू.एस. की हेल्पलाइन 18001024669 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

तत्पश्चात् पानी व सीवर की शिकायतों का समाधान दिल्ली जल बोर्ड के क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जाता है। इन शिकायतों का

समाधान क्रमशः कनिष्ठ अभियंता, क्षेत्रीय अभियंता एवं अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाता है।

मालवीय नगर विधानसभा में सम्बन्धित अधिकारियों का ब्यौरा निम्न है :-

अधिशासी अभियंता

श्री एन.के. खरे - 9650291085

श्री सतीश कुमार - 9650291596

कनिष्ठ अभियंता -

श्री विनीत द्विवेदी - 9650286969

श्री गुलशन सैनी - 9650094407

श्री शाह फरहद - 8860707124

266. सुश्री भावना गौड : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2015 से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से कार्य किए गए हैं, और कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं;

(ख) उपरोक्त जो कार्य किए गए हैं, उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है और जो कार्य प्रस्तावित हैं उन पर कितनी कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) इन सभी कार्यों का पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) (क, ख, एवं ग)

पालम विधानसभा के अन्तर्गत वर्ष 2015 से अब तक किये गये कार्यों की सूची एवं खर्च का ब्यौरा 'सलंग्नक अ' में सलंग्न है।

संलग्नक ''अ''

Work details AC-37 Palam

Sl. No.	Name of work and Agreement No	Expenditure
	2015-2016	
1.	Raising & repairing of manholes of Madhu Vihar ward no. 148 in Palam Assembly under SW-I	297049
2.	Replacement of old/damaged 100mm dia water line at Harijan Mohalla Patwar Ghar, Palam Village under SW-I	1073967
3.	P/L 100mm dia water line left out portion of Gali No. 24 Sadh Nagar Palam Assembly under SW-I	430774
4.	Imp. Of water supply by replacing old water line at Dada Chatriwala Marg Raj Nagar-I under SW-I	902153
5.	Replacement of old damaged water lines in H, I Block and near Kabari Mandir Mahavir Enclave Part-I Palam Assembly under SW-I	1109286
6.	Replacement of old damaged 150mm dia water line at Mandir Marg Mahavir Enclave in Palam Assembly under SW-I	746549

7.	Replacement of old/damaged 150mm dia water line at Som Bazar road Mahavir Enclave-I under SW-I	1059668
8.	P/L/J 100mm dia water lines in remaining lanes of Gurdwara Road Mahavir Enclave and D-Block Vijay Enclave under SW-I	Work completed but paybment has not done
9.	Imp. Of water supply in Gali No. 21 and adjoining gali in Sadh Nagar under SW-I	1450625
10.	Replacement of 150mm dia and 100mm dia water line G&S Block Vishwas Park under SW-I	251765
11.	Imp. Of water supply by P/L 200mm dia water line in bharat Vihar of Madhu Vihar ward Palam Colony under SW-I	595572
12.	Imp. Of water supply in ward No. 147 in Palam under SW-I	767971
13.	P/L water line in Gali No. 9 indra Park & replcing of AC water line in Gali No. 6 and Gali No. 9 main road side Indra Park under SW-I	823506
	2016-2017	
14.	Replacement of old/damage water line by P/L 100mm dia D.I water line at old Raja Puri in Palam under SW-I	1082142

Sl. No.	Name of work and Agreement No	Expenditure
15.	Removing contamination of waterby replacing old/damaged 100mm dia waterline at D-Block Tamilar Enclave under SW-I	258956
16.	Replacement of old/damge 100mm water line at School Road Area Mahavir Enclave-I in Palam Assembly under SW-I	1258714
17.	P/L/J 250mm interal dia S/L in Gali No-8&9 LOP Indra Park under SW-I	1151727
18.	Imp. Of water supply in H-Block of Mahavir Enclave I Palam under SW-I	289451
19.	Imp. Of water supply by removal of contamination and repair of leakages in Palam Assembly under SW-I	580303
20.	Imp. Of water supply by P/L 150mm dia water line at Nanda Block Mahavir Enclave of AC Palam under SW-I	1462842
21.	Replacement of old/damaged water line in C-2 Block from HNo-2/94 Vijay Enclave under SW-I	208374
22.	P/L 150mm dia water line from H.N-C-6 to C-82 at Madhu Vihar in Palam Assembly under SW-I	179850
23.	P/L 100mm dia water line in Rajiv Gandhi Camp 35 C Sadh Nagar under SW-I	501925

24.	Imp. Of water supply from Gali No-16 to Gali No. 3 in Sadh Nagar under SW-I	38557
25.	Imp. Of water suppy in C&D block Mahavir Vihar in Palam Assembly under SW-I	569548
26.	Imp. Of water supply by replacing damaged 100mm dia water line around Gole Chakkar area inpalam Village under SW-I	1848682
27.	Imp. Of water supply at Badiyal mohala Palam Village under SW-I	126680
28.	P/F Cl sluice valves in the water supply network for the improvement of water supply in Palam const. Under SW-1	665083
	2017-2018	
29.	Repairing of settled sewer line near H.No-1119A in Gali No-14/5 Sadh Nagar Palam Assembly under SW-I CA 39	63215
30.	Replacement of old damaged water line with 100mm/150mm dia D.I Pipe in Gali No-1 and 2 of MCD School road Mahavir Enclave in SW-I	798684
31.	Shifting of sagging 900mm dia water line over drain near Maruti Showroom on Dabri road in AC-37 under SW-I	761060

Sl. No.	Name of work and Agreement No	Expenditure
32.	Imp. Of Sewerage system by construction of additional M/H and repairing of M/H in ward No-148 Madhu Vihar Palam under SW-I	624162
33.	Replacement of old damaged water line with 100mm dia D.I pipe in I Block Mahavir Enclave in Palam under SW-I	314481
34.	Replacement of old damaged water line with 100mm dia D.I pipe at Vijay Enclave in Palam under SW-I	Work completed but Payment has not done
35.	Imp. Of water supply by P/L 200mm/150mm dia water line from SDMC School to C-2 Block Mahavir Enclave under SW-I	Work completed but Payment has not done
36.	Removal of contamination by replacement of 100mm dia old damage water line from MCD Office to Raj Dairy in Sadh Nagar Palam under SW-I	Work completed but Payment has not done
37.	Removal of contamination by replacement of 100mm dia old damage water line gali No-14/4 in Sadh Nagar Palam under SW-I	650331

38.	Imp. Of water supply by laying of 100mm dia water line at L Block Vijay Enclave in Palam under SW-I	904143
39.	Replacement of old damage water line 100mm dia water line from House No-G-9 to A-11A Nanda Block Mahavir Enclave in AC-33 under SW-I	Work completed but payment has not done
40.	Imp. Of water pressure at Nanda Block by laying 150mm dia water line from Veterinary Hospital to 30' road in Mahavir Enclave under SW-I	1381043
41.	Removal of contamination of water by replacing old/damaged water line emanating from CT-1 UGR BPS with 100mm dia water line in Bangali Colony in Mahavir Enclave in AC-37 under SW-I	Work completed but payment has not done
42.	Imp. Of water supply by replacement of oldldamaged water line gali No-34 Sadh Nagar under SW-I	Road cutting permission awaited from SDMC
43.	Road restoration of water line cut repair in street No-27 to 16 Sadh Nagar and cuts repair on front of JJC Sadhnagar in Palam under SW-I	Work not completed

Sl. No.	Name of work and Agreement No	Expenditure
44.	Repairing of leakage in 450mm dia water main on Dada Dev Road in Palam Const. Under SW-I	346906
45.	Rep. Of old damaged with 100mm dia water line in Ashram Gali in Palam Village in AC-37 under SW-I	399489
46.	Imp. Of water supply by replacing of leakages and maintenance of distribution network in ward No-145 in AC-37	743832
47.	Replacement of old damaged 100mm dia water line at Saini Mohalla in Palam Village	544568
48.	Making interconnections from 600mm dia to 150mm dia water line and 600mm dia and 100mm dia water line near Gali no. 27 Sadh nagar & machi Market in Palam under SW-l	665187
49.	PI/100m mdia water line from Ro. No-721/78 to H. No. RZ-721/G in Puran Nagar under Sw-1	275710
50.	Re/of old damaged 100mm dia water line Sam Bazar Road, Mahavir Enclave in AC-37 under SW-l	318796
51.	Imp. Of water supply by P/L 100mm dia water line in Prakash Gali Palam Village in AC-37	590140
52.	Imp. Of S/S by repairing/rasing of M/H in ward No. 146, Sadh Nagar in AC-37	601394

2018-19 (New Scheme) AC-37 Palam

S. No.	Name of work	Budget required in 2018-19
1	2	3
1.	Replacement of old/damaged 100mm, 150mm & 200mm dia water line with 0.1 Pipe at Tamil Enclave in Palam Constituency to avoid contamination of water under SW-I	46,31419/-
2.	Replacement of old damaged water line in "A" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I	30,00000/-
3.	Replacement of old damaged water line in "B" Block RSC sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I	45,00000/-
4.	Replacement of old damaged water line in "C" Block RSC sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I	35,00000/-
5.	Replacement of old damaged water line in "D" Block RSC sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I	30,00000/-

1	2	3
6.	Replacement of old damaged waterline H-3 Block Mahaveer Enclave, Palam Assembly under SW-I	50,00000/-
7.	Replacement of old damaged water line H-2 Block Mahaveer Enclave, Palam Assembly under SW-I	50,00000/-
8.	Replacement of old damaged water line C-2 Block Vijay Enclave, Palam Assembly under SW-I	30,00000/-
9.	Replacement of old damaged water line "L" Block Vijay Enclave, Palam Assembly under SW-I	30,00000/-
10.	Replacement of old damaged water line in "C" Block JJC Sector-1, Dwarka in AC-37 under SW-I	35,00000/-
11.	Replacement of old damaged water line in "A" Block RSC sector-1, Dwarka in AC-37 under SW-I	35,00000/-
12.	Replacement of old damaged water line in "D" Block RSC sector-1. Dwarka in AC-37 under SW-I	30,00000/-
13.	Replacement of old damaged water line in "E" Block RSC sector-1, Dwarka in AC-37 under SW-I	30,00000/-
14.	Replacement of old damaged 200mm dia water main in RSC Sector-L, Dwarka in AC-37 under SW-I.	35,00000/-

15.	Replacement of old damaged water line C-2 Block Mahaveer Enclave in AC-37 under SW-I	45,00000/-
16.	Replacement of old damaged water line in Tamil Enclave in Vijay Enclave in AC-37 under SW-I	45,00000/-
17.	Replacement of old damaged water line H-4 Bangali Colony in AC-37 under SW-I	50,00000/-
18.	Improvement of water supply in Balmiki Mohalla, Palam Village in AC-37 under SW-I	20,00000/-
19.	Replacement of old damaged water line in Mahavir Vihar in AC-37 under SW-I	50,00000/-
20.	Replacement of old damaged water line in "A" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
21.	Replacement of old damaged water line in "B" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
22.	Replacement of old damaged water line in "C" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
23.	Replacement of old damaged water line in "D" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-

1	2	3
24.	Replacement of old damaged water line in "C" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
25.	Replacement of old damaged water line in "D" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
26.	Replacement of old damaged water line in "E" Block RSC Sector-7, Dwarka in AC-37 under SW-I.	50,00000/-
27.	Improvement of water supply replacement of water line in Street No. 20, Sadh Nagar in AC-37 under SW-I.	12,00000/-
28.	Improvement of water supply replacement of Water line in Gali No. 10 & adjoining salies of T-Extension Vishwash Park in AC-37 under SW-I.	25,00000/-
29.	Improvement of water supply replacement of water line in Street No. 27F, Sadh Nagar in AC-37 under SW-I.	12,00000/-
30.	Improvement of W/supply by replacement of old/damaged water line in gali No. 12 & adjoining salies of Indra Park in AC-37 under SW-I.	25,00000/-
31.	Improvement of Water supply by replacement of old/damaged water line in Gali No. 18A, 18B in Sadh Nagar in AC-37 under SW-I.	12,00000/-

32.	Removal of contamination in Gali No. 10 & 11 Kailash Puri in Palam AC-37 under SW-I.	20,00000/-
33.	Improvement of W/supply by replacement of old/damaged water line in Gali No. 4, Indra Park in Palam AC-37 under SW-I.	10,00000/-
34.	Removal of contamination in Gali No. 46, Sadh Nagar in Palam AC-37 under SW-I.	20,00000/-
35.	Improvement of Existing Sewerage system by replacement of 250mm dia Sewer Line in Gali No. 11, Kailash Puri in AC-37 under SW-I.	12,00000/-
	Total	12,39,31419

267. सुश्री भावना गौड़ : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में जलापूर्ति की समय सारणी क्या है;

(ख) वार्ड वाइज विभिन्न कॉलानियों में जलापूर्ति के समय की अलग अलग सटीक जानकारी का ब्यौर क्या है;

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र में यू.जी.आर. की संख्या कितनी है;

(घ) क्या वहां नए यू.जी.आर. बनाने की कोई योजना है;

(ङ) सभी हैड्स के वॉटर-इनफ्लो एवं वॉटर-आऊटफ्लो का क्या विवरण है;

(च) वॉटर-आऊटफ्लो के उपरोक्त ब्यौरे में प्रत्येक हैड से होने वाली जलापूर्ति की अवधि, जलापूर्ति का प्रेशर तथा जलापूर्ति की मात्रा का क्या विवरण है; और

(छ) प्रत्येक वॉटर-इनफ्लो एवं वॉटर-आऊटफ्लो पाईपों की विभिन्न टेपिंग का ब्यौरा क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) पालम विधानसभा क्षेत्र में कमाण्ड टैंक (एक) से तीन वार्डों (पालम, साध नगर, महावीर एन्कलेव में सुबह 3 A.M से 10:30 A.M. तक (एक दिन के अंतराल पर) मधु विहार वार्ड को कमाण्ड टैंक (दो) से प्रतिदिन 4 A.M से 7.00 A.M., 7 P.M. से 12:00 A.M. एवं द्वारका खंड के अंतर्गत सैक्टर-1, सैक्टर-7 प्रतिदिन 1.30 P.M. से 4.45 P.M. 9.15 P.M. से 11-30 PM जलापूर्ति का समय है।

(ख)

- पालम वार्ड (54S)- 3.00 A.M. से 10:30 A.M. (एक दिन के अंतराल पर)

- महावीर एन्कलेव वार्ड (52S)- उपरोक्त -
- साध नगर (53S) वार्ड - उपरोक्त -
- मधु विहार वार्ड (51S) - 4.00 A.M. से 7.00 A.M. 7.00 P.M. से 12.00 A.M. जलापूर्ति का समय प्रतिदिन है।
- द्वारका खंड के अंतर्गत सैक्टर-1, सैक्टर-7

  1.30 P.M. से 4.45 P.M. 9.15 P.M. से 11.30 P.M. जलापूर्ति का समय है;

(ग) पालम विधानसभा क्षेत्रों में यू.जी.आर. की संख्या 10 है;

(घ) जी नहीं;

(ङ) कमाण्ड टैंक नं.-1 व कमाण्ड टैंक नं.-2 का इन्फ्लो द्वारका जल शोधान (नांगलोई) के अंतर्गत आता है।

कमाण्ड टैंक नं.-1 : पालम, नसीरपुर, द्वारका का आउटफ्लो क्रमश : 1100 mm, 1000 mm, 900mm की लाईनों द्वारा की जाती है।

कमाण्ड टैंक-2-राजापुरी, मधु विहार व द्वारका क्षेत्रों का आउटफ्लो क्रमशः 900 mm, 700 mm, की लाईनों द्वारा किया जाता है;

(च) कमाण्ड टैंक नं.-1 सुबह 3.00 A.M से 10.00 A.M तक पानी की जलापूर्ति पालम व द्वारका विधानसभा में एक दिन के अंतराल पर की जाती है। पानी का दबाव 36 PSI रहता है। (मात्रा 13 एम.जी.डी. लगभग है);

कमाण्ड टैंक नं.-2 मधु विहार क्षेत्रों में सुबह 4.00 A.M से 7.15 A.M तक है। पम्प प्रेशर लगभग 30 PSI रहता है। राजापुरी क्षेत्र में 7.30 P.M से 12:00 A.M

जलापूर्ति होता है। पम्प प्रेशर लगभग 18 PSI रहता है। मात्रा लगभग 11 एम.जी.डी.। द्वारका क्षेत्र में सुबह 9.00 A.M से 12.45 P.M 5.15 P.M से 6.30 P.M तक जलापूर्ति होता है। पम्प प्रेशर 36 PSI रहता है;

(छ) सूची संलग्न है। (संलग्नक ''अ'')।

अनुलग्नक ''अ''

CT-1 table

S. No.	Tapping Details	Size of tapping (mm)
1	2	3
1.	At Delhi Cantt. BPS from 1500 mm dia to 200 mm dia tapping for 14 hrs i/c filling of tanker (1500×200mm)	200
2.	At gali no. 11, East Sagarpur, Kailashpuri Road, 6 "dia connection From 24" dia	150
3.	Kamal Park	6" dia connection from 24" dia
4.	Mangal Bazar, Indra Park	4" dia connection From 24" dia
5.	Near Mother Dairy, Indra Park 600×200	200 mm dia tee
6.	Near Taxi Stand, KallshPuri, 600×50 mm	50 mm dia bore
7.	Kailash Puri Chowk (Road From Kailashpuri chowk to Nasirpur village) 1000×50mm	50 mm dia bore

1	2	3
8.	Gali No. 22, Sadh Nagar, 1000×100 mm dia	100 mm dia bore
9.	Gali No. 21, Sadh Nagar, 1000×100 mm dia	100 mm dia bore
10.	At PradhanChowk, Sadh Nagar, 1000×200 mm dia	200 mm dia tee
11.	Opp. Jat Dharamshala, Sadh Nagar Gali No. 37,	100 mm dia bore 1000×100 mm dia
12.	Main Solanki chowk (to gali no. 42-sadh nagar),	50 mm dia bore 1000×500 mm dia
13.	Pakora park to gali no. 42, Sadh Nagar,	200 mm dia tee 700×200 mm dia
14.	Oppgali no. 46, Sadh Nagar, 700×100 mm dia	100 mm dia bore
15.	Gali No. 6, Main sagarpur	2" bore From 600 mm dia
16.	D.M. sharmarnarg, Indra Park	200×600 mm dia
17.	Gali No. 7, East Sagarpur	100×600 mm dia
18.	Gali No. 5, main Sagarpur, Kailashpuri road	6×24' dia
19.	Gali No. 11, East Sagarpur, East Sagarpur,	2"dia bore from 24" dia Kallashpuri road
20.	At Kailashpuri road for Geetanjali park	6"×24" dia
21.	Gali No. 13, Durga Park, Nasirpur Road	4"×16"dia
22.	Gali No. 8, Durga Park, Nasirpur Road	4"×16"dia

1	2	3
23.	Gali No. 5, Durga Park, Nasirpur Road	4"×16"dia
24.	Gali No. 4, Durga Park, Nasirpur Road	6"×16"dia
25.	Gali No. 11, Durga Park, Nasirpur Road	4"×16"dia
26.	Gali No. 7, Durga Park, Nasirpur Road	4"×16"dia
27.	Gali No. 1, Durga Park, Nasirpur Road	3 nos[4"dia×16"dia]
28.	Gali No. 12, Durga Park, Dashrathpuri	2nos[4"×16"dia]
29.	At Nasirpur road for Dayal park	6"×16"dia
30.	At Nasirpur road for Jagdamba Vihar	4"×16"dia
31.	At Nasirpur road for gali No. 15 shiv puri	4"×16"dia
32.	At Nasirpur road for gali No. 14 Durga Park	4"×16"dia
33.	Gali no. 2, Dabri Extn.	4"×12"
34.	Syndicate Endave	4"×12"
35.	Mohan Block	4"×12"
36.	Vishisht Park From Mohan Mandir	6"×12"
37.	Service road nala	2"dia from 12" dia
38.	Service road nala for I-block	4"×12"dia
39.	At Nata Service near Shakuntala Nursing Home	2x4"×12"dia
40.	At Nata Service near Shakuntala Nursing Home	2x4"×12"dia of J-block

1	2	3
41.	At nala service road F-block	4"×12"dia
42.	gali No. 3, main Sagarpurner Sabzi Mandi	4"×12"dia
43.	At nala service road gali No. 3	2"bore from 12"dia
44.	Dabri village at Nasirpur road	4"×12"dia
45.	From 1000 mm near Gole Chakker Palam Village	200
46.	From 500 mm near Bata Chowk Palam Village	100
47.	From 700 mm near Gali No. 3, Puran Nagar	100
48.	From 700 mm Syndicate Market, Raj Nagar	100
49.	From 700 mm Near Chhatri Walamarg, Raj Nagar	150
50.	From 1100 mm near OHT Palam Village	200
51.	From 900 mm near Gali No. 1, Harijan Basti	50
52.	From 700 mm near Samsung Showroom, Ramphal Chowk Road, Palam	100
53.	From 700 mm Nera Kumahorowali gali, Palam Village	100
54.	From 500 mmnear Bazar Road, Palam Village	100
55.	From 900 mm near Sulabh, Dabri-Palam Road	200
56.	From 700mm near Kali Bari Mandir Marg, Dabri-Palam Road	200
57.	From 700 mm near mandirmarg, Dabri-Palam Road	150

1	2	3
58.	From 700 mm near som bazar road, Palam Dabri road	100
59.	From 700 mm near Gurudwara road, Dabri Palam Road	250
59(A).	Agarsen Plaza, Mahavir Enclave	100
60.	From 600 mm near Kali Mata Mandir, Vijay Enclave	400
61.	From 500 mm Dwarkapuri, Vijay Enclave, Dabripalam road	250
62.	Bharat Vihar Road	900×150
63.	Rajapuri, Main Road of gali No. 38	900×100
64.	Raja puri, Main road, gali No. 34	900×100
65.	Jain properties, Raja puri main road	900×150
66.	Rajapuri, main road, gali no. 22	900×150
67.	Jain Plaza, Matiala, Bindapur road	700×150
68.	T-Ext, Matiala, Bindapur road	500×150
69.	Near Navjeevan school, Madhu Vihar	700×150
70.	Bore, D-277, Madhu Vihar	900×50
71.	Gali No. 8, near High tension elect line, Rajapuri Main road	900×150
72.	Gali No. 1, Mahavir Enclave	900×250

1	2	3
73.	Gali No. 2, Mahavir Enclave, Nasirpur Road	700×100
74.	Gali No. 3, Mahavir Enclave, Dabri Road	900×100
75.	Gali No. 5, mahavir Enclave, Dabri road	700×150
76.	Gali No. 5, Nasirpur road	700×150
77.	Gali No. 9, Mahavir Enclave, Palam Dabri road	700×100
78.	Harijanbasti, Nasirpur road	700×150
79.	Nasirpur Village	700×100
80.	Kailashpuri Extn.	450×150
81.	Shanker Bazar Chowk Raj Nagar Part-II	450 mm×150 mm
82.	P Block, Near School Gali No. 01	300 mm×250 mm
83.	Gali No. 10 Dev Kunj Raj Nagar-II	450 mm×150 mm
84.	Gali No. 08 Dev Kunj Raj Nagar-II	450 mm×150 mm
85.	Mehrauli Road Near Maruti Chowk Palam Colony	800 mm×200 mm
86.	Gali No. 10 Gurudwara Road	800 mm×100 mm
87.	Mamta Bakery Road Near ATM	800 mm×100 mm
88.	Gali No. 01 Near Shanker Chowk	800 mm×150 mm
89.	Shaheed Bhagat Singh Marg Near Railway Line	600 mm×300 mm
90.	Gali No. 08 F Block, Near Railway line	400 mm×100 mm

1	2	3
91.	Near Deep Parmar School	800 mm × 150 mm
92.	Opp. Kabristan, Shah Nagar, Manglapuri	1000mm × 65mm
93.	Opp. Masjid, Sarai Sole Village, Manglapure	1000mm × 100mm
94.	L Point Mandi near Solanki Chowk, Gali no-42,	200mm × 150mm Sadh Nagar
95.	Ram Gopal Market	1000mm × 100mm
96.	Solanki Chowk to Gali No. 1, Mahavir Enclave	200mm × 200mm
97.	Opp. Gall No. 27, Sadh Nagar	1000mm × 150mm
98.	To Manglapuri Village & Mayapuri Phase-I	1000mm × 100mm

CT-2 table

S.No.	Location Nearby	Dia (mm)
1.	Anoopnagar & Jeewan Park	400 mm
2.	JJ colony	150 mm
3.	Old Pankha Road	400 mm
4.	Community centre road	100 mm
5.	B block school road	100 mm

S.No.	Location Nearby	Dia (mm)
6.	Aryasamaj road	400 mm
7.	Aryasamaj road	150 mm
8.	C & ‘D block Uttamnagar	100 mm
9.	Premnagar road	100 mm
10.	L. block, Premnagar	200 mm
11.	Dayal Sir road	300 mm
12.	E-81-82 Near Gurudwara	150 mm
13.	E-81-82 Near Gurudwara	200 mm
14.	E-81-82 Near Gurudwara	250 mm
15.	Azad Juice corner Ch. PI.-1	250 mm
16.	Bindapur village road	250 mm
17.	RZ-148 Indra Park	150 mm
18.	RZ-143 Indra Park	100 mm
19.	RZ-4 Indra Park	100 mm
20.	Near Tilak Pul	300 mm
21.	Jain Park	150 mm dia water line connected with 200mm dia water line in Jain Park, Gali No. 3 from CT-3

S.No.	Location Nearby	Dia (mm)
22.	Om Vihar Extn.	50 mm dia bore in 600mm water line at Najafgarh dia Road, Piller No. 707 from Budhela UGR
23.	Matiala Extn./E-block Nanhey Park Nangloi WTP	100mm dia tapping from 900mm dia water line at Matialaphirni Road, near Malohtra tyre Factory from
24.	Sehyog Vihar	50mm dia bore in 900mm dia water line from Nangloi WTP at Sahyog Vihar Chowk
25.	Jain Colony	Two tappings 150mm dia water line connect with Budh Bazar Road and Solanki Road with 500mm dia water line at Bindapur Road
26.	Om Vihar Extn.	150mm dia water line connect with 500mm dia water line at Bindapur Road
27.	New T-block	150mm dia water line connect with 500mm dia water line at Bindapur Road

S.No.	Location Nearby	Dia (mm)
28.	Kushi Ram Park	100 mm dia water line connect with 500mm dia water line at Bindapur Road
29.	G & S block, Vishwas Park	150 mm dia tapping in 900 mm dia water line from Nangloi WTP at Sehyog Vihar Booster

268. सुश्री भावना गौड : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति संबधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां तो इन शिकायतों के निपटान के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से क्या स्थाई समाधान किए गए है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी हाँ, कभी कभी कुछ क्षेत्रों से गन्दे पानी की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) क्षतिग्रस्त पानी की लाइन की मरम्मत करके और जरूरत पड़ने पर पुरानी एवं जर्जर पाइप लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्व तरीके से बदलकर एवं पुराने कनैक्शनों की मरम्मत कर शिकायतों का निबटारा किया जाता है।

(ग)

- H3 ब्लाक बंगाली कालोनी महावीर एंकलेव (पानी की लाइन बदली जा चुकी है)
- B ब्लाक पुनर्वास कालोनी सै. एक (पाइप लाईन बदली जा चुकी है)
- CD ब्लाक महावीर एंकलेव (पानी की लाईन बदलने का कार्य चल रहा है)

269. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने वाटर पंप हाउसों को गिर दिया गया है जो काम नहीं कर रहे थे और क्या इन्हें पुनः प्रारंभ करने पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) आजाद मार्केट बैरेल को दिल्ली जलबोर्ड ने कब साफ किया था और अब ये कब साफ की जाएगी;

(ग) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने इसका कोई एस्टीमेट तैयार किया है,

(घ) यदि हां, तो एस्टीमेट राशि कितनी है; और

(ङ) बैरल का साइज और गहराई क्या है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) 03 वाटर पम्प हाउसों को गिराया गया था और इन्हें पुनः प्रारंभ करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) एवं (ग) आजाद मार्केट बैरल में दुकान नं. 32 के पास अवरोध आ गया था। इस अवरोध को हटाने के लिए लगभग 90 मीटर की लम्बाई में दिसंबर 2017

से फरवरी 2018 के दौरान सफाई (डिसल्टिंग) की गई थी। इस बैरल के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार सफाई के लिए रुपये 24.30 लाख का एस्टीमेट बना हुआ है, जिसकी निविदा चौथी बार आमंत्रित गई है। यह कार्य अवार्ड होने के बाद 03 माह में पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) रुपये 24.30 लाख।

(ङ) 2100 mm dia व गहराई 05 से 07 मीटर।

270. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने अपनी नवीनतम टिप्पणियों और आदेशों में यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधीन दिल्ली जल बोर्ड पर क्या टिप्पणियां की है;

(ख) इनको लेकर सरकार का क्या उत्तर है, क्रमानुसार बताएं;

(ग) क्या इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार, अनियमिततायें और अकार्यकुशलता सीधे तौर पर जिम्मेदार है;

(घ) एन.जी.टी. की टिप्पणी कि पिछले तीन साल में जमीनी स्तर पर कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है, के क्या कारण है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि यमुना नदी को साफ करने के लिए सीवर इन्टरसेप्टर परियोजना को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को फंड उपलब्ध नहीं कराएं; और

(च) क्या यह सत्य है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 14 विकेन्द्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने का काम एक विख्यात अंतरराष्ट्रीय कम्पनी को

सौंपा गया था। इसके लिए 50 प्रतिशत फंड भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया, परन्तु दिल्ली सरकार ने सभी योजनाओं को ठप्प कर दिया?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) NGT ने जल बोर्ड द्वारा NGT के निर्देशों से हो रहे कार्यो की समीक्षा की है जिसका पूर्ण विवरण NGT के 25.07.2018 और 26.07.2018 के आदेश में है। कॉपी संलग्न है;

(ख) NGT के आदेश अनुसार मैली से निर्मल यमुना रेजुवेशन प्लान 2017 के अंतर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

1. इंटरसेप्टर सीवर
2. 70 MGD STP at कॉरोनेशन पिलर का निर्माण
3. परिधीय सीवर का पुर्नवास
4. 14 STPs के नजफगढ़ क्षेत्र में निर्माण

उपरोक्त 1 से 3 तक के सभी कार्य प्रगति पर है। क्रमांक 4 कार्य में भूमि अधिग्रहण में देरी व NMCG द्वारा पूर्ण फंड की उपलब्धता न होने के कारण कार्य न होने के मुख्य कारण हैं;

(ग) जी नहीं;

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार;

(ङ) जी नहीं, इस कार्य के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है;

(च) 14 विकेन्द्रित एस.टी.पी. का कार्य मैसर्स एल. एण्ड. टी. को दिया गया

है। NGT ने सभी 14 विकेन्द्रित एस.टी.पी के कार्यों हेतु 70:30 अनुपात में फंड उपलब्ध करने के लिए NMCG ने अभी तक केवल 7 एस.टी.पी. के लिए फंड देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। अत: यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार ने 50% फंड उपलब्ध कारया। NMCG ने 7 एस.टी.पी. की लागत का अपने शेयर का केवल 20% फंड राशि जारी की है। इस कार्य के शुरू न होने की वजह भूमि अधिग्रहण में देरी एवं फंड की उपलब्धता न होना है। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले नालों के बहाव को माप कर एस.टी.पी. की क्षमताओं का पुन: निर्धारित किया जाए। इसके लिए M/s WAPCOS को आदेश दिया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट बारिशों के पश्चात् अक्टूबर माह में आने का अनुमान है।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 06 of 2012

(M.A. No. 641/2015, M.A. No. 1014/2016, M.A. No. 1016/2016 M.A. No.

1243/2016, M.A. No. 564/2017, M.A. No. 1148/2017, M.A. No. 1237/2017, M.A.

No. 333/2018, 347/2018 & M.A. No. 811/2018)

And

(M.A. No. 1990 (2015, M.A. No. 2380 (2015, M.A. No. 3440 (2015, M.A. No. 512 of 2015, M.A. No. 5130 (2015, M.A. No. 692 of 2015, M.A. No. 3100 (2016 & M.A. No. 508 of 2016)

In

Original Application No. 300 of 2013

And

Original Application No. 164 0f 2015

And

Original Application No. 223 of 2016

And

M.A. No. 525 of 2017 & 526 of 2017

(I.A. No. 20 & 21 of 1997 in

W.P. (C) No. 4677 of 1985)

(M.A. No. 1085 of 2017)

And

Original Application No. 276 of 2017

(W.P. (C) No. 725 of 1994)

(M.A. No. 161 of 2018)

And

Original Application No. 430 of 2017

(Earlier M.A. No. 527 of 2017)

(Contempt Petition (C) No. 64 of 2013 in

(W.P. (C) No. 914 of 1996)

And

Original Application No. 277 of 2017

(W.P. (C) No. 1082 of 2013)

And

Original Applicalion No. 278 of 2017

(W.P. (C) No. 13 of 2012)

IN THE MATTER OF :

Monoj Mishra Vs. Union of India & Ors.

And

Manoj Kumar Misra & Anr. Vs. Union of India & Ors.

And

Rejeev Suri Vs. Vice Chairman, DDA & Ors.

And

Nizamuddin West Association (Regd.) Vs. Union of India & Ors.

And

M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors.

And

News Item Published in Hisdustan Times

"And Quiet Flows the Maily Yamuna"

Vs.

Cental Pollution Control Board & Ors.

And

Sector 14 Resident Wefare Association Vs. State of Delhi & Ors.

And

Ashok Narain Sharma Vs. National Ganga River Basin Astority

And

All India Lokadhikar Sangathan Vs. Union of India & Ors.

Coram : Hon'ble Mr. Justice Adarsh Kumar Goel, Chairperson
Hon'ble Mr. Justice S.P. Wangdi, Judicial Member
Hon'ble Dr. Nagin Nanda, Expert Member

Present:	Applicant:	Mr. Rahul Choudhary and Ms. Meera Gopal, and Ms. Gitanjali Sreedhar, Advs.
		Mr. Atif Suhrawardy, Adv.
		Ms. Suaei Anand, Adv.
	Amicus Curiae:	Mr. Vivek Chib, Mr. Vikamaditya, Ms. Pracheta Kar and Rudrajit Ghosh, Advs.
	Respondents:	Mr. V.K. Shukla, Adv. with Ms. Vijay Laxmi,
		Advs. for State of MP
		Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB
		Mr. Anil Grover, MG, Haryana along with MI Rahul
		Khuran, for State of Haryana and HSPCB
		Mr. I.K. Kapila, Adv. for Uttar Pradesh Jal Nigam.
		Mr. Abhishek Paruthi, Adv
		Mr. Narender Pal Singh, Ms. Aditi Singh, Advs. and
		Mr. Dinesh Jindal, LO,
		Mr. Vivek Kumar Tondon, Adv.
		Mr. Ravlndra Kumar, Adv. for NOIDA
		Mr. Mukesh Verma, Adv. for UEPPCB

Mr. Rahul Verma, MG, State of Uttarakhand

Mr. Ishwer Singh, Adv. for NMCG (MoWR)

Mr. Tarunvir Singh, Ms. Guneet Khehar and Mr. Sandeep Mishra, Adys.

Mr. Shiv Mangal Sharma, MG, Mr. Saurabh Rajpal and Mr. Vikramjeet Singh, Advs.

Mr. Balendu Shekhar, Mr. Sriansh Prakash and Mr. Rajkumar Maurya, Advs. For SDMC & East Delhi

Municipal Corporation

Ms. Puja Kalra, Adv. for North & South MCD

Mr. Aradhita Ghosh Mandai, Adv. for WBPCB

Mr. Varun Thakur and Ms. Sbradiiba Saran, Advs.

For National Mission for Clean Ganga

Mr. Nikhil Nanar and Ms. Smriti Shall; Adva. For TSPCB

Ms. Sudha Varshney, adv.

Mr. Sanjay Upadhyay and Ms. Upama Bhattacharjee, Advs.

Ms. Deep Shikha Bharti Adv. for State or Up

Mr. A.K. Prasad and Mr. Shashank Shashank Sexena, Advs. For MoUD

Mr. Moni Cinmoy, Adv. For DSIIDC

Mr. H.S. Phoolka, Sr. Adv., Mr. Sumeet Pusbiarna,

Mr. Devanshu Lahlry, Advs; With Mr. V.K. Gupta (CE),

Mr. Vikam Singh (CE), Mr. Mukul Mendori (S.E.) and Mr. Parvesh Tyagi (SE) for DJB

Mr. Alok Gupta, Adv. For DJB

Mr. Mukul Singh, Adv. Ministry of Environment, forest and Climate Change

Mr. Vikas Mahajan, AAG for State ot HP

Ms. Sumi Anand, Adv. for Peasants Multipurpose Society.

Mr. Avneesh Arputham, Mr. Kabeer Srivastava and Ms. Simranjeet, Adv.

Mr. Rajkumar, Adv. for CPCB

Ms. Sakshi Popli, adv. For Delhi Jal Board

Mr. Rajiv Bansal, Sr. Adv, with Mr. Kush Sharma,

Mr. Prateek Gautam, Ms. Kamna, Adv.

Mr V.K. Gulati Adv.

Date and Remarks		Orders of the Tribunal
Item Nos. 03 to 10 July 25, 2018	1.	Proceedings in this matter were initiated on an application pointing out pollution in the river Yamuna, by dumping of debris, encroachments and dumping of untreated effluents. After examining the factual aspects emerging from the pleadings and various reports of the Experts, this Tribunal' passed order dated 13th January, 2015 directing as follows :-
Item Nos. 03 to 10		i. "The Tribunal hereby accepts both the reports filed by the Expert Committees: first report dated 19th April, 2014, read with the gist of recommendations submitted by the Principal Committee on 2nd August 2014, on the aspects of preservation, restoration and beautification of the banks of River Yamuna and the second report dated 13th October, 2014, read with its annexure, m relation to drainage system in Delhi, together with the Action Plan prepared by the DJB for revitalization of River Yamuna. Botii these reports shall form integral part of this judgment. All the concerned authorities of NCT of Delhi; State of UP and State of Haryana shall implement the same without demur and default, expeditiously. The entire project contemplated under these reports and this judgment of the Ttibunal shall be completed by 31st March, 2017.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal

ii. This project shall be called 'Maily Se Nirmal Yamuna' Revitalization Project, 2017

iii. Implementation of both these reports and the components of the project shall be simultaneously executed by the conceremed agencies, who shall prepare their respective Action Plans in terms of the reports as well as this judgment and submit it to the Principal Committee constituted hereinafter, in not later than four weeks from the date of pronouncement of this judgment.

iv. (a) Presently, under the jurisdiction of the DJB, there are 23 STPs in existence or planned to be made operational by 2015. Out of them, the oxidation pond at Timarpur is proposed to be closed, as it was commissioned in the year 1947. The STPs at Okhla and Kondli are lying closed due to inadequate sewerage and majority of the STPs are not operating to their optimum capacity. Thus, 'We direct that the DJB and other concerned Corporations under whose jurisdiction the existing STPs fall, shall, within two months from today, ensure that all these STPs, including the one proposed to be commissioned at Delhi Canit., should be made fully operational, should operate to their

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	optimum capacity and operate effectively 24×7, without compromising the quality of treated water released from such STPs.
	(b) It is further directed that the Action Plan in reaard to installation of STPs on 32 major and minor drains shall be prepared, in accordance with the recommendations in the Expert Committee Report afore-referred and action. taken in furtherance thereto, within three months from the date of passing of this order.
	(c) All the newly proposed 32 STPs should be constructed and installed with the requisite capacity varying from 0.6 mgd to 10 mgd, at the sites specified in the report of the Expert Committee within the time frame indicated in this judgment. Once, the total of 55 STPs would operate effectively and to their optimum capacity, the water released from them shall be recycled and utilised for agriculture, horticulture and industrial purposes and least of this recycled water would be discharged into the River Yamuna.
	(d) Action Plan to be prepared to utilize the treated water from the existing 23 STPs as well as from the 32 proposed STPs. lt will be ensured that the release of water from these existing STPs should be stictly in

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	accordance with the prescribed parameters and free of any odour and it should meet the faecal coliforms existing STPs should be strictly irt accordance with the prescribed parameters and free of any odour and it should meet the faecal coliforms standards. (e) Wherever necessary, the technology of the existing STP's should be upgraded to ensure proper performance and adherence to the prescribed standards of effluent discharge. (f) The concered authorities shall construct and and install 26 pump stations at the locations and of the capacity as indicated in the Action Plan placed before the Tribunal. The process thereof should begin within three months from the date of passing of this judgement. (g) Further, all the STP shall be provided with a power backup to ensure that they operate effectivety 24×7. It shall be ensured that the functional data of all STPs is online and is connected to the Delhi Pollution Control Committee as well as the Central Pollution Control Board, particularly in respect of COD, TDS, TSS and pH and it shall be respect of COD, TDS, TSS and pH

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	and it shall be ensured that the STP's are operational even during power failures.
	(h) All the industrial clusters in Delhi shall be provided with Common Effluent Treatment Plants (CETPs). These CETPs shall be effluent-specific and capacity-specific, with reference to the particular industrial cluster. The installation cost of the CETP shall be borne preferably by the authority that owns and maintains that industrial cluster. In the event of shortage of finances the authority concerned can require the persons running the industrial activity/unit in that cluster to share the cost on 'Polluter Pays Principle' in the ratio 2/3 and 1/3 respectively.
	(i) We direct the State of Haryana to ensure that all the industries/industrial clusters that are located near or at the banks of River Yamuna, should preferably be no discharge units. If that is not possible, then such industrial clusters should be directed to install CETPs of the requisite szze and standards, so as to ensure that the effluent discharged by them is strictly in accordance with the prescribed norms.
	v. (a) Having given our considered view to the various reports placed on record, submissions made by the Learned Counsel appearing for

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	the parties and the Experts, we are of the opinion that ptesently the flood plain should be identified for the flood of once in 25 years in the interest of ecology, bio-diversity and the river flour. Thus, we direct accordingly and also direct that the DDA shall prepare a map in this regard and would physically demarcate the entire flood plain. Above interim prescription of the flood plain is not rigid, but is subject to change, in the event any of the public authorities, including the MoEF, moves the Tribunal, based upon. some collected data or any other specific information in that regard. (b) We direct and prohibit carrying on of any construction activity in the demarcated flood plain henceforth. We further direct the Principal Committee to identify or cause to be identified, all existing structures as of today which fall on the so identified and demarcated flood plain. Upon identification, the Principal Committee shall make its recommendations as to which of the structures ought or ought not to be demolished, in the interest of environment and ecology, particularly, if such structures have been raised in an unauthorised and illegal manner.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	(c) The Principal Committee may keep in mind that certain structures need to be protected, amongst other reasons, for their historical, mythological and heritage importance and/or are protected structures. The Committee shall clearly spell out the regulatory regime that should be provided for dealing with such existing structure in the flood plain.
	(d) We direct all the concerned authorities including the DDA, Municipal Corporations and the NCT of Delhi, to take immediate and effective steps for repossessing the Flood Plain area under the unauihorised and illegal occupation of any person and/or any other body.
	This direction is also necessitated for the reason that as per the records before the Tribunal, out of total area of 9700 hectares for River Front Development ('O' Zone), only 1452 hectare is presently available with the DDA for development and the remaining area is occupied in an unauthorised manner and is under agriculture activity for which leases had been granted by the DDA or even otherwise.
	(e) It is an established fact that presently, vegetables, fodder grown and allied projects

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	at the flood plain of River Yamuna are highly contaminated. Besides containing ingredients of high pollutants, such produce is even found to contain metallic pollutants. Thus, it is an indirect but a serious public health issue as the persons eating or using such agricultural produce can suffer from serious diseases including cancer.
	Therefore, we direct that no authority shall permit and no person shall carryout, any edible crops/fodder cultivation on the Flood Plain. This direction shall strictly be adhered to till Yamuna is made pollution free and is restored to its natural wholesomeness.
	vi. (a) During the pendency of this application, it was brought on record that nearly 37,000 cubic m. construction debris are lying on the eastern bank of River Yamuna, while 53,000 cubic m. debris is lying on the western bank of the River. The major part of this debris has already been removed under the orders of the Tribunal during pendency of this application. The local Commissioners appointed had reported to the Tribunal that major part of debris had been removed by the DDA, DMRC, Corporations, the PWD and the UP Government. DMRC has removed 33,000 cu. m. from Sarai Kale

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Khan and 20,000 MT from Shastri Park, the State of UP has removed 37,000 MT from the Flood Plain and DDA has removed 2500 cu. m. from Eastern Bank of River Yamuna and 7500 cu. m. from Western bank of River Yamuna amongst others.
	(b) Indiscriminate dumping, of debris and construction waste is a direct source of not only pollution of River Yamuna, but even the environment and ecology as a whole, In order to control and prevent such pollution, we confirm the interim order dated 22nd July, 2013, passed by the Tribunal, with the variation in payment of amount of compensation payable by the offender and direct that no person, authority, corporation. and/or by whatever name or designation it is called, shall dump any kind of construction debris, municipal, or any other waste on the floodplain/river bed of River Yamuna and its associated water bodies, There shall be complete prohibition on dumping of any material in and around River Yamuna.
	(c) Whoever violates this direction, relating to the dumping of debris, shall be liable to pay compensation of Rs. 50,000/on the 'Polluter Pays' Principle and the Precautionary' Principle. Such compensation

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	shall, be used for removal of such waste and restoration. of environment.
	(d) We hereby prohibit any person, from throwing pooja material or any other material like, food-grain, oil, etc into River Yamung, except on the desiqnated. site. Any person who is found disobeying this direction shall be liable to pay compensation of Rs. 5,000/- on the 'Polluter Pays' Principle. At the same time, we direct the concerned authorities, particularly, the Irrigation Department and concerned Corporations or authorities to build special Ghats on the banks of River Yamuna, where people could offer or immerse such materials, which shall then by duly collected by the concerned authbrities for immediate and proper disposal in a scientific manner. It shall be ensured that no such material is permitted to join the main stream of the river at any point. In this regard they may take such steps, as may be technically advised, including, providing of screens and barricades.
	(e) We have provided the above compensation payable by the offenders who are found to be throwing municipal or any other waste into the river or its flood plain and by the persons who are found to be dumping

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	construction and heavy debris, based on the (Polluter Pays' Principle. Even though, it is not practically possible to determine the amount of compensation with. exactitude, that such offenders should be directed to pay, however, on a rough estimation based on manpower required, time and money spent for removal of such waste and debris as well as making the river free from adverse environmental impacts of such dumping into the river and on the flood plain, we have fixed the above compensation for environmental degradation under Section 15 of the NGT Act.
	(f) Whatever remnant construction or other waste is still lying on the banks of the entire stretch of Yamuna in NCT Delhi, would be removed positively within four months from today by the concerned authority/State under whose jurisdiction the said area falls.
	vii. We direct all the concerned authorities, corporations, bodies including Resident Welfare Associations to dean all the 157 natural storm water drainsias identified by the Committee, within four month from the date of passing of this judgment and the drains should be made obstruction free and no waste should be permitted to bedumped in such

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	drains. The drains may be cleaned mechanically or manually as the situation may demand. Such cleaning would include the dredging of the drains besides compliance of the specific recommendations of the Expert. Committee. There shall be controlled dredging of River Yamuna to remove the huge accumulation of sediments and sludge for restortion of the River Yamuna.
	viii. Existing wetlands and water bodies, both up stream and downstream of Wazirabad, reservoir, should be deeppended and enlarged. This sholuld be done in addition to providing more water bodies.
	We direct the Chief Secretaries of the States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, NCT of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, Secretary, Water Resources, Government of India and Secretary, MoEF, to hold a meeting within four weeks from today to prepare an immediate action plan required to ensure proper environmental flows throughout the year, in the entire river and particularly the stretch flowing through Delhi.
	ix. The concerned Corporations under the guidance of the Principal Committee shall submit a report as to the identification guidance of the Principal Committee shall

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	submit a report as to the identification and existence of the 44 drains (natural) which have been reflected in the Drainage Map of 1976, but uiere'not traceable, as pointed out by the Expert Committee before the Tribunal. This report will be submitted to the Principal Committee within three months from the date of passing of this judgment.
	x. The compostable material drawn out of such immersion or offering, should be used for manure purposes and should not be unduly stored. All other scientific method may be adopted for its removal and disposal.
	xi. The Yamuna River Front i.e. the flood plain shall be restored, preserved and beautified, strictly in accordance with the report of the Expert Committee dated 19th April, 2014 as per its acceptance on 2nd August, 2014 by the MoEF as well as High Powered Committee.
	xii. However, restricted activities of floriculture and silviculture can be carried on, subject to such specific permissions and restrictioris as may be imposed by the authorities/Principal Committee and also subject to the orders of the Courts, wherever, the matters are stated to be pending.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	xiii. The respective Corporations and/or authorities would be responsible for execution of these directions directy under the supervision of the Principal committee constituted herein.
	xiv. The Government of the NCT of Delhi and the neighbouring State shall, within a period of three months from today identify the site where the sludge/dredged material from the drains and River Yamuna is to be stored. The Principal Committee shall also issue directions as to the best way of utilisation of such sludge/dredged material including, for construction of tiles, particularly in reference to paver blocks.
	xv. Sites for storage of fly ash are a direct source of air and water pollution. Therefore, in furtherance to the MoEF Notification dated 14th September, 1999 and this judgement, we direct proper covering of fly ash at the particular sites on the river bank of Yamuna, All the concerned authorities shall ensure that such fly ash should be disposed of at the earliest. Further, we direct that the Government should provide incentives for use of bricks made of fly ash in preference to red bricks. Since the Indraprastha Power Station generates considerable amount of

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	fly ash and is located very close to the river bank, thus, the unit should take all effective steps to prevent pollution of the river water by dumping fly ash at suitable locations.
	xvi. We are informed that Rupees Twenty Thousand Crores has already been provided under the planned expenditure to the NCT of Delhi, out of which Rs. Two Thousand Thirty One Crores have been specifically earmarked for providing sewage connection, sewage treatment, sewage disposal and water network. As per the Expert Committee the total expenditure of the present project is estimated at Rs. Four Thousand Crores, which can safely be met from the above head under the planned budget. However, still if there be need, we direct that the public authorities/Municipal Corporations could require the public at to contribute to this expenditure based on the 'Polluter Pays' Principle. Funds/compensation. so collected shall exclusively be used for this project and allied projects, with the object of ensuring pollution free Yamuna, clean and effective drainage system and for providing wholesome water to the residents of Delhi. Such environmental compensation may be determined by the Authority/Corporation with reference to the size of plots, construction

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	raised thereupon, activity being carried on therein, consumption of water, quantum of sewage and domestic discharge and such other relevant Considerations as the autority may deem fit and proper. The charged could be collected as part of the property/house tax.
	xvii. We direct all Public Authiorities, Municipal Corporations and the concerned Departments, including the Department of Irrigation, to take effective steps to protect the Flood Plain - as well as to educate all sections of society to co-operate and not to do any acts or deeds which are prohibited under this judgment and would have adverse consequences. These authorities should place large-sized dustbins, beyond the demarcated Flood Plain and towards the inhabitation, as well as in the bio-diversity parks. They shall request for concerted efforts both by the ones who are governing and ones who are governed. They shall issue circulars, display signages and may take recourse of Print and Electronic Media for educating people at large for effective completion of this project.
	xviii. We direct all concerned to make every possible effort to ensure that the storm water drains do not carry sewage. Sewage may be

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	carried through those drains upon which the STP's have already been installed, till the completion of the project. After the completion of the project, steps shall be taken so that only minimal quantity of treated water from the STPs reaches Yamuna.
	xix. The CPCB, DPCC in coordination with the WB, shall collect samples from River Yamuna, its floodplain and from the respective STP's at different places and sites for detailed analysis. This shall form the baseline data for implementation of this project. It will also be helpful in determining the improvement in the water quality.
	xx. The authorities concerned shall take all steps to rejuvenate the water bodies associated with River Yamuna.
	xxi. All concerned authorities shall deal with utmost priority and expeditiousness, in case any application in furtherance to any construction or authorization is moved by any of the authorities, Corporations or DJB, directly or through the Principal Committee, in execution of the Project. We grant liberty to the State Authorities, Corporation and DJB to approach the Tribunal in the event there is undue delay in dealing with such application in accordance with law.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	xxii. There shall be no construction and/or coverage of any of the drains in Delhi by any Authonty or Municipal Corporation. All the drains shall be kept obstruction free by the concerned Corporation. Where substantial work (more than 85%) has been completed, such work is permitted to be completed by the Corporation after obtaining specific orders from the Tribunal in that regard. Rest of the work, where construction has just begun, the construction, including iron material, shall be removed. While completing such remnant work, Corporation shall ensure that the cross section of the drains to carry the requisite storm water for the flood of once in 25 years and other effluents, are not compromised. Such construction and/or removal shall be carried on in terms of paragraph no. 61 of this judgment.
	xxiii. We constitute the 'Principal Committee' which shall be responsible and under whose supervision the directions contained in this judgment and the project reports shall be completely, effectively and expeditiously complied with. All concerned Authorities, Corporations, DJB and any other department, responsible for carrying out directives of this judgment, shall report the matters and submit the respective reports and data to the

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Principal Committee, for onward transmission to this Tribunal. The Committee shall file quarterly report of compliance before the Tribunal. The Committee shall consist of Special Secretary, MoEF, Joint Secretary of Ministry of Water Resources, Chief Secretary, Delhi Administration, Vice Chairman, DDA, Commissioner of all the Corporations, Commissioner, WB, Secretary, Department of irrigation, NCT of Delhi, concerned Secretaries of the States of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The four Members, namely, Professor C.R. Babu, Professor AK. Gosain, Professor Brij Gopal and Professor AA Kazmi shall be the Members of the Principal Committee and shall be associated with commencement and completion of all the aspects of this project. The Delhi Jal Board along with Corporation under whose jurisdiction the required number of STP is to be constructed and established as well as the drains which are to be completed and made obstruction free shall be responsible for execution of the work as contemplated in the action plan, reports of the Committee and the judgment of the Tribunal. They shall work in tandem and under the supervision of the Principal Committee.

Date and Remarks		Orders of the Tribunal
	xxiv.	All the Authorities, Corporation, DJB, CPCB, DPCC and any other: department or authority, directly or indirectly connected with the compliance of these directions and the Project Reports, shall report to the Principal Committee in relation to all the actions taken in furtherance thereto and their progress from time to time. In the event of default, the Head of Department of such Authority! Corporation! Board would be held personally responsible.
	xxv.	These specific directions are in addition to any other direction that we have recorded in the entire judgment.
	xxvi.	By this judgment, we not only mandate but even request all the concerned Authorities, State Governments and the Principal Committee to ensure timely compliance of these directions, as this is the only plausible and practical uiau bu which River Yamuna would become pollution free and its flood plain conducive for the biodiversity that it deserves. We have no doubt that with the concerted efforts of all concerned, 'Maily Se Nirmal Yamuna' Revitalization Project, 2017, would be a success. It would not only meet the ecological and environmental standards prescribed but would also provide

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	clean air and water to the residents of Delhi, who are entitled to it and have a legal and constitutional right to receive the same. It will also help in providing sufficient water for agricultural and industrial purposes, thus, saving considerable quantity of potable water, so as to enable the-concerned authorities to provide the same to all the colonies of Delhi. We also express a pious hope that residents of Delhi would render all help and assistance to all concerned and even abide by their fundamental duty for rejuvenating River Yamuna.
	xxvii. We would be failing in our duty if we do not record our sincere appreciation: for the contribution made, efforts put in and technical guidance provided, by the Members of the Principal Committee constituted boy the Tribunal particularly the Expert Members, namely, Professor C.R, Babu, Professor A.K, Gosain, Professor Brij Gopal and Professor A.A. Kazmi."
	2. In short, the directions in the above order are to set up and operationalise STPs to overcome the deficiency in treating the, sewerage being discharged in the river Yamuna; checking encroachments and damage to the flood plains; improve the level of BOD and other relevant

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	parameters viz. pH, DO, COD, Total Coliform/ Faecal Coliform, Suspended Solids and Ammonia (mg/1) in the Yamuna water in Delhi which was found to be very high. It was noted in direction (xvi) above that Rs. 20,000 Crores had already been provided under the planned expenditure to the NCT of Delhi. Out of which 2031 Crores was earmarked for sewerage treatment disposal and water cleaning network. Total expenditure estimated for restoration projects in terms of directions of this Tribunal was Rs. 4,000 Crores which could be met from different heads of the planned expenditure. The Tribunal directed that if more funds are required for the project, the public at large can be asked to contribute on the 'Polluter Pays' principle. The project was directed to be completed by 31st March, 2017. The first part of the project was to deal with the Najafgarh drain and 2nd Phase was to be for the remaining drains from which the pollutants are flowing into the river. 55 STPs were expected to operate effectively so that treated water could be discharged into the river Yamuna. Apart from the STPs which were proposed to set up, the direction also included upgrading the existing STP and installation of pumping stations at different locations. Data in respect of COD, TDS, TSS and pH was required to be monitored.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	3. A Principal Committee has been constituted for supervision anddirection for the project. The Committee constituted by the Tribunal was expected to quarterly report of compliance. The Committee representatives of the Ministry of Water Resources, the Delhi Administration, the Delhi Development Authority, the Delhi Municipal Corporation, the Delhi Jal Board, the Department of Irrigation, NCT of Delhi and the States of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Uttarakhand, We are informed that the most vital component of the project, i.e. STPs, is the responsibility of Delhi Jal Board.
	4. After the judgment dated 13th January, 2015, the matter was taken up on 02nd March, 2015. It was noted that none of the agencies had taken effective steps in terms of the judgment. Accordingly, further directions were given including cleaning of all the drains flowing into the river Yamuna and installation of CCTVs at various locations. The matter was also taken up on several dates including 08th May, 2015, 25th May, 2015, 11th June, 2015, 14th July, 2015, 28th July, 2015, 29th July, 2015, 11th August, 2015, 16th September, 2015, 06th June, 2016, 06th July, 2016, 05th August, 2016, 12th April, 2017, 19th May, 2017, 07th June, 2017; 23rd October, 2017 and 05th December, 2017.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	5. In the order dated 08th May, 2015, it wasnoted that Najafgarh drain. caused 63% of Yamuna pollution and the same is being tackled in the first phase by rthe Delhi Ja1 Board. The said project was to be completed within the year 2016. Thetotal cost of the project was Rs. 3,695/- Crores for the STPs including the cost of new STP, interceptors and sewerage lines. The NCT Delhi was permitted to recover the amount by way of environmental compensation. We are informed that no steps have been taken/to collect any money in spite of this direction, On 25th May, 2015 it was again observed that there was not even little compliance of the directions. Not a single drain had been cleaned, On 11th June, 2015, it was observed that what to take of zero pollutants the report of the joint inspection was that there were high pollutants, It was directed that effiuents entering the Najafgarh drain should be plugged and only treated water may be drained in the Najafgarh drain. Direction was also issued for de-silting. It was noted that amount of Rs. 1,666 Crores had already been sanctioned in favour of Delhi Jal Board for some projects and the same was directed to be utilised for the present project. We are informed that so far only Rs. 100 Crores have been utilized.
	6. On 11th August, 2015, this Tribunal again found failure on the part of the authorities to take steps

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	and imposed cost of Rs. 1 Lakh on the NCT Delhi to be recovered from the salary of erring officers from the concerned departments. Show cause notice was also issued to the concerned officers for their .inaction. On 16th September, 2015, certain further directions were issued. On 06th April, 2016, information was sought about progress. On 09th May, 2016, statement on behalf of Delhi Jal Board was that. 95% of the work had been completed but it is now stated that the statement was not correct. Direction for inspection was issued. With regard to financing of the project, it was noted on 03rd June, 2016 that the Delhi Jal Board could spend money out of Rs. 916 Crores available with it. The Delhi Development Authority was to provide the amount of Rs. 285.33 Crores. It was also observed that the work of this nature could be executed by 'annuity mode' as against the 'Design Built Operate' mode. However, first phase of the project was directed to be completed without the annuity mode as tenders had already been awarded. For Phase-II choice for annuity mode was given. On 05th August, 2016, the Tribunal again noted non-cooperation of the stakeholders for non-implementation of the project. Accordingly it was directed that the Delhi Jal Board may finalise the tenders for which

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	funds had already been earmarked. A Committee was directed to be constituted to examine the tenders, the scope of tenders including the construction of new plant of 70 MGD and completing 15% of the incomplete work at Coronation Pillar. Delhi Jal Board was to spend Rs. 1309 Crores from its own budget. National Mission for Clean Ganga was to provide Rs. 900 Crores. The JICA project was to be executed forthwith. On 12th April, 2017, the progress was further reviewed and it was noted that no work had started for 7 STPs required to be constructed and the same are to be financed by the National Mission for Clean Ganga. On 19th May, 2017, it was noted that the work of 65% of river pollution of river Yamuna had been commenced by Delhi Jal Board by giving contract to Larsen & Toubro. It was to be completed by May, 2019. Three rehabilitation projects were also awarded to the contractors. On 24th July, 2017, certain further directions were issued. On 08th August, 2017, it was noted that the construction work of 14 STPs though awarded had not started. We are informed that even today the work has not started, allegedly on account of failure to measure the flow. On 21st November, 2017, the Tribunal noted the stand that the work had already started which was under three heads: (i) Coronation Pillar (ii)

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Rehabilitation of old peripheral sewer lines and (iii) Setting up of 14 STPs. 30% work was executed with regard to Coronation Pillar, 10-12% for Rehabilitation Project and 2% for the 14 STPs. Direction was issued to expedite the work. On 28th November, 2017, it was noted that National Mission for Clean Ganga had sanctioned Rs. 45.20 'Crores and released Rs. 45.20 Crores under the ratio of 70:30. The Delhi Jal Board was to spend Rs. 437 Crores and National Mission for Clean Ganga was to spend Rs. 515 Crores. Work of 9 STPs was awarded under one package and 5 STPs for another package.
	7. On 06th December, 2017, it was noted that Delhi Jal Board was the executing agency for the work. It was directed that all the 14 STPs be financed by National Mission for Clean Ganga in the ratio of 70:30. Delhi Jal Board was directed to expedite the matter. JICA project to be continued to be funded in the ratio of 85: 15. On 18th December, 2017, directions were issued With regard to Phase-II and Delhi Jal Board was directed to ensure that the 10 drains which have been trapped or intercepted be totally sealed to avoid any leakage to the river Yamuna. It was also directed that STP at Okhla be upgraded.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	8. When the matter was taken up today, we have perused the proceedings recorded above and interacted with learned Senior Counsel Mr. H.S. Phoolka for Delhi Jal Board as well as the officers present including the Chief Engineer, Drainage, Project-II who is looking after the work of Coronation Pillar and the Chief Engineer, Drainage, Project-I who is responsible for the 14 STPs and the rehabilitation project.
	9. In-spite of repeated directions in the last more than three years there is no meaningful progress at the ground level. It is undisputed that the work for 14 STPs has not even begun at site. We do not find any justification for this lapse. There is clear inference that the officer in charge for setting up the the 14 STPs is either not competent enough to handle the situation or is not being allowed to proceed. We are informed that the present incumbent is posted since September, 2017. If is present incumbent is not fit, the CEO of Delhi Jal Board can put in place a suitable officer who can take the responsibility to ensure that the work of 14 STPs positively commences on or before Oist December, 2018. Let an affidavit of CEO be filed within two weeks and the person to whom the responsibility is entrusted should also file affidavit and the steps taken by them, We are told by learned Senior Counsel that according to his instructions, Coronation

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Pillar Project is to be completed by April, 2019. This is in direct conflict With the timeline in, the order of this Tribunal.
	10. With regard to Coronation Pillar, it is stated that as per the terms of work awarded, the work was started in 12th October, 2016 and the same will be completed on 11th April 2019 for which performance guarantee equal to the 5% of the cost of the work have already been taken. Trial period is upto December, 2019. It must be ensured that there is a proper and due monitoring and no situation arises for further extension granted on account of any lapse on the part of any authority or the contractor executing the work. This attitude is required in public interest particularly when the work was expected to be completed in March, 2017 on the directions of this substantial work has been done and the same will be Tribunal. With regard to Najafgarh drain it IS stated that positively completed by 31st December, 2018. An affidavit to this effect be flied within two weeks by the person incharge who is looking after the said work. With regard to Phase-II, it is stated that 11 drains have been trapped and the effluents are being treated with regard to the said drains. With regard to remaining six drains which drain into Shahdara drain, it is stated that the work for trapping for 5 drains

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	awarded will be completed in December, 2020 except for one which will be completed by 2018. We are surprised as to how such long date could have been given on the face of the timelines in the orderof this Tribunal. As regards one drain no work has been started. It is stated that the land has not been provided. According to learned Counsel for Delhi Development Authority, no joint meeting took place and no initiative has been taken beyond writing a letter by the Delhi Jal Board. Let a joint meeting now take place on Monday at 11:00 AM in thet office of the Delhi Development Authority, The land may be identified and further steps be taken to ensure that the work of the said, drain commences at the earliest. We make it clear that no objection of any technical nature shall be raised by the Delhi Development Authority and having regard to the fact that land is required for public utility and trapping of drains carrying untreated sewage which is a necessity for public health and an emergency, the land be positively given on or before 01st December, 2018.
	11. The State of Haryana may file an affidavit indicating the steps taken or proposed for complying with the directions of this Tribunal for ensuring that no untreated pollutants flow into the Najafgarh Drain. The State of Haryana may also indicate that it has been ensured that no

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	untreated sewage is flowing from DD2 drain at Panipat. Such affidavit may be flied within two weeks from today. If the steps taken are not adequate such steps may be planned and mentioned in the said affidavit. Since bar to dumping pollutants in river or water bodies is constitutional mandate, the same must be strictly enforced at all levels and places by concerned statutory authorities for which an action plan must be prepared at the earliest.
	12. We asked learned Counsel for Jal Board whether in view of gross failure noted above another expert or team of experts or team of experts should be designated to monitor. Though he agreed with such need but is unable to name such expert. List again for further proceedings tomorrow on 26th July, 2018.

....................................., CP
(Adarsh Kumar Goel)

....................................., JM
(S.P. Wangdi)

....................................., EM
(Dr. Nagin Nanda)

25.07.2018

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 06 of 2012

(M.A. No. 641/2015, M.A. No. 1014/2016, M.A. No. 1016/2016 M.A. No. 1243/2016, M.A. No. 564/2017, M.A. No. 1148/2017, M.A. No. 1237/2017, M.A. No. 333/2018, 347/2018 & M.A. No. 811/2018)

And

(M.A. No. 199 of 2015, M.A. No. 238 of 2015, M.A. No. 344 of 2015, M.A. No. 512 of 2015, M.A. No. 513 of 2015, M.A. No. 692 of 2015, M.A. No. 310 of 2016 & M.A. No. 508 of 2016)

In

Original Application No. 300 of 2013

IN THE MATTER OF:

Manoj Mishra Vs. Union of India & Ors.

And

Manoj Kumar Misra & Anr. Vs. Union of India & Ors.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Present:	Applicant:	Mr. Rahul Chaudhary and Ms.'Meera Gopal, Advs. Mr. Atif Suhrawardy, Adv.
		Ms. Anupradha Singh, Adv.

Amicus Curiae:	Mr. Vivek Chib, Mr. Vikramaditya, Ms. Pracheta Kar and Rudrajit Ghosh, Advs.
Respondents:	Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCD
	Mr. Anil Grovel, AAG, Haryana along with Mr. Rahul Khuran, for State of Haryana and HSPCB
	Mr. I.K. Kapila, Adv. for Uttar Pradesh Jal Nigam.
	Mr. Abhishek Paruthi, Adv.
	Mr. Narender Pal Singh, Ms. Aditi Singh, Advs. DPCC
	Mr. Mukesh Verma, Adv. for UEPPCD
	Mr. Ishwer Singh, Adv. for NMCG (MoWR)
	Mr. Sanjeev Ralli, Adv. for Mr. Dinesh Jindal, LO
	Mr. Tarunvir Singh, and Mr. Sandeep Mishra, Advs.
	Mr. Balendu Shekhar, Mr. Sriansh Prakaah and Mr.-Rajkumar Maurya; Adva. For SDMC & East Delhi Municipal Corporation
	Ms. Puja Kalra, Adv: for North & South MCD

	Mr. Varun Thakur and Mr. Brajeah Pandey, Advs. For National Mission for CIl!an Ganga Mr. Sanjay Upadhyay and Ms. Upama Bhattacharjee, Advs. Ms. Deep Shikha Dharti Adv. for State or UP Mr. A.K. Prasad and Mr, Shashank Saxena, Advs. For MoUD Mr. H.S. Phoolka, Sr. Adv., Mr. Sumeet Pushkarna, Mr. Devanshu Lahiry, Advs. with Mr. A.K. Singh, CEO Mr. R.S. Negi, Member Drainage for DJB With Mr. V.K. Gupta (CE), Mr. Vikram Singh (CE), Mr. Mukul Mendola (S.E.) and Mr. Parvesh Tyagi (SE) for DJB Mr. Alok Gupta, Adv. For DJB Dr. Praveen, Director for Dr. Sandeep Singh Mr. Vikas Mahajan, AAG for State of Himachal Pradesh Ms. Sumi Anand, Adv. for Peasants Multipurpose Society

Mr. Rajkumar, Adv. for CPCB

Ms. Sakshi Popli, adv. For Delhi Jal Board

Mr. Divya Prakash Pande, Adv.

Mr. Rajiv Bansal, Sr. Adv, with Mr. Kush Sharma, Mr. Prateek Gautam, Ms. Kamna, Adv.

Mr. V.K. Gulati, Adv.

Mr. Bhanwar Pal Singh, Adv.

Mr. Anil Grover, AAG, Mr. Rahul Khurana and Mr. Mishal vie., Advs.

Mr. Ishwer Singh, Adv. for NMCG

Mr. Vivek Kumar Tandon, Adv.

Mr. Manoj Kumar and Mr. Moni Cinmoy, Advs.

Mrs. D. Bharathi Reddy and Mr. C. Rannan, Advs.

Mr. Rajeev Bansal, Sr. Adv., Mr. Kush Sharma and Ms. Ramna Singh, Advs.

Mr. Avneesh Arputham, Ms. Anuradha Arputham and Mr. Alok Kumar, Mr. Abhishek Paruthi adv., Mr. Pratik Gaur, Advs. for CPCB

Ms. Simran Jeet, Advs.

Mr. Ravindra Kumar, Adv. for NOIDA

Mr. Alok Gupta, Adv. for DJB

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item Nos. 05 & 06 July 26, 2018 dv	1. We have taken up the matter for further hearing in continuation of the order passed yesterday i.e. 25.07.2018.
	2. Learned Counsel for the DJB has handed over a revised status report about the stages of the works of interceptors, sewage project, sewage treatment plants, rehabilitation of peripheral sewer lines, projects for trapping of drains. It is stated that out of 14 STPs to be set up, the land is not available for 8. Out of 7 STPs for which NMCG has given funds, land is available only for 5 STPs. Contra inforation earlier given was not correct.
	3. Our attention has been drawn to a status report published by the DJB on the sewerage management in the NCT of Delhi. Learned, Counsel Jor the DJB states that this is only draft report. In the said report, under the head of capacity utilisation and performance status of STPs, it is recorded that at most of the places, BOD/SS/MGD(L), do not meet the designed parameters and most of the STPs are either closed or working below capacity. The chart is as follows:

Table I: Capacity utilization & performance status at the STPs

Sl. No.	Location of STP	Phase wise breakup		Utilization		Performance		Remarks
			Capacity (MGD)	MGD	%	Designed parameters (BOD/SS, mg/1)	Achieved parameter (BOD/SS, mg/1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Okhla	Phase-I	30	Nil	-	-	-	Plant closed. To be reconstructed under YAP-III.
		Phase-II	12	Nil	-	-	-	Under maintenance To be rehabilitated under YAP-III.
		Phase-III	37	18.24		30/50	16/16	To be rehabilitated under YAP-III.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Phase-IV 05 & 06	45	38.80		30/50	28/31	To be rehabilitated under YAP-III.
		Phase-V	16	14.15		30/50	26/26	Below capacity
		Phase-VI	30	28.36		20/30	8/6	Functioning rehabilitated under YAP-III.
2.	Rithala	Phase-I	40	28.70		30/50	36/70	To be rehabilitated under YAP-III.
		Phase-II	40	47.05		15/20	16/22	Not meeting the norms DBO plant
3.	Kondli	Phase-I	10	Nil	-	-	-	Plant closed To be rehabilitated under YAP-III.

		Phase-II	25	21.9		30/50	20/42	To be rehabilitated under YAP-III.
		Phase-III	10	Nil	-	-	-	
		Phase-IV	45	44.23		20/30	16/23	Functioning well DBO plant
4.	Keshopur	Phase-I (New)	12	11.00		20/30	8/30	Functioning well DBO plant
		Phase-II	20	16.32		30/50	26/41	Below capacity
		Phase-III	40	41.57		30/50	50/46	Not meeting the norms.
5.	Yamuna Vihar	Phase-II	10	Nil	-	-	-	Plant closed as new plant has been commissioned
		Phase-III	25	8.78		20/30	13/20	Below capacity DBO plant

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Vasant Kunj	Phase-I	2.2	1.82		30/50	27/38	Below capacity
		Phase-II	3	1.16		30/50	13/16	Below capacity
7.	Mehrauli	-	5	3.22		20/30	16/18	Below capacity
8.	Coronation	Old	10	Nil	-	-	-	Abandoned
		Phase-I	20	16.39		30/50	26/32	Below capacity
		Phcse-II	10	5.0		30/50	25/28	Below capacity DBO plant
9.	Timarpur	-	6	Nil	-	-	-	Closed To be redesigned.
10.	Narela	-	10	1.40		30/50	24/27	Below capacity
11.	Nilothi	Phase-I	40	17.57		30/50	16/22	Below capacity

12.	Najafgarh		5	2.75	30/50	2/48	Below capacity
13.	Pappankalan	Phase-I	20	16.37	30/80	-/43	Below capacity
		Phase-II	20	19.30	10/10	+/3	Functioning well DBO plant
14.	Sen Nursing	-	2.2	2.31	10/15	8/10	Functioning well DBO plant
15.	Delhi Gate	Phase-I Naillah	2.2	2.29	10/15	8/10	Functioning well DBO plant
16.	Rohini	-	15	4.15	30/50	38/60	Below capacity
17.	Ghitorni	-	5	0.5	-	-	Only 0.5 MCD flow is received at the plant
18.	Kapashera	-	5	2.04	10/10	8.6/6	Below capacity

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Chilla	-	9	9.01		10/10	3.1/7	Functioning well DBO plant
20.	Common Wealth Village	-	1	0.20		2/1	15/1	Below capacity
21.	Molar Bandh	-	0.66	0.63		30/50	28/28	Below capacity
22.	Bakakwala	-	0.66	Nil	-	-	-	Plant closed as no sewage in received

Out of total 607.06 MGD operational capacity, 476.74 MOD* sewage is treated which is about 78.5% of operational treatment capacity.

Date and Remarks		Orders of the Tribunal
Item Nos. 05 & 06 July 26, 2018 dv	4.	It is also mentioned that the situation is unacceptable and calls for urgent steps, There is no proper management of sludge produced at most of the STPs locations with all the digesters lying defunct or unused.
	5.	We have already recorded a clear finding of the failure of the administration in handling the situation and repeated failure in carrying out binding directions in various orders. Even information given from time to time has been found to be incorrect on several occasions. There is, thus, undoubted need for a constant monitoring Committee on day to day basis by a competent full time team as commissioners to execute orders of the Tribunal under Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010.
	6.	Accordingly, we constitute two members Monitoring Committee comprising of Ms. Shailaja Chandra, former Chief Secretary, Delhi and Mr. B.S. Sajwan former Principal Chief Conservator of Forests and former Expert Member of this Tribunal. They may be provided suitable place of working and all other facilities necessary for the purpose. The Chief Secretary, Delhi and CEO, Delhi Jal Board (who is present before the Tribunal) may contact them for further action. They

Date and Remarks	Orders of the Tribunal

may be paid suitable honorarium to be fixed in consultation with them. We request the Members of the Committee to assume charge within one week.

7. The mandate of the Monitoring Committee will be as follows :

   i. To take stock of all the actions taken so far in the light of the various directions of the Tribunal.

   ii. Propose time bound action plan to deal with the problem. The Committee may suggest the framework for implementation. Preferably a comprehensive, integrated and inclusive strategy with clear measurable indicators of progress and success.

   iii. The time lines prepared by the committee will be treated as revised time lines to substitute the time line earlier laid down by the Tribunal.

   iv. The committee my requisition services of any technical experts.

   v. The action plan should also include creation of Bio-diversity Parks created by the Centre for Environmental

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Management of Degraded Ecosystems (CEMDE) of University of Delhi, A Centre of Excellence of the Ministry of Environment and Forest & Climate Change, Government of India and City Forests of Urban Forests bell of suitable species that are capable of capturing pollutants from environment on the entire Yamuna flood plain right from Wazirabad to Okhla in NCT of Delhi. For this Purpose the DDA, who is the owner of the land in Yamuna flood plains, sha1l make the entire flood plain available to the Forest department aafter demarcating the land on the ground. All such lands should be cleared of all the encroachments if any. vi. After assessing the current status of Yamuna, they may clearly indicate the reasons for delay in implementation of our orders issued from time to time. vii. Ozonation and aeration in some of the drains may be experimented. It is to be ensured that the treated effluents should not be mixed with untreated effluents and the treated effluents are utilised for horticulture and other relevant purposes.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	viii. The online mechanism for monitoring the sewage treatment plants should also be connected to the servers of CPCB and DPCC so that the CPCB can also monitor the data.
	ix. The Monitoring Committee may also setup a website for receiving and giving information on the subject.
	x. The Committee may also involve educational institutions for expectations, awareness and feedback about the results.
	xi. The Monitoring Committee will have powers to make such inspections as may be necessary induding ro have the water quality inspected from time to time. The Committee may also call for such help of security forces as may be necessary and require dedicated forces being made available for removing the encroachment on the flood plains-of river Yamuna. The Delhi Police may make temporary recruitment to be funded out of the present project if so suggested by the Committee.
	xii. The mandate of the Monitoring Committee is to ensure requisite level

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	of standard of water at the entry point and the exit point of river Yamuna as well as the in drains which meet river Yamuna so that there are no pollutants beyond the determined standards.
	xiii. If the final plans are likely to take longer time, interim targets may be fixed for the specific purpose. The existing STPs may be planned to be fully operational within the specified time. Terminal points of the drains should be first cleaned.
	xiv. The Monitoring Committee may also consider and approve any plan for collection of funds on the Principle of Polluter Pays apart from requisitioning funds from the concerned authorities in terms of the orders already passed by this Tribunal.
	xv. The Committee will also issue directions to deal with the problems of idol immersion in the river Yamuna taking into account the guidelines of the CPCB to ensure that no pollution is caused in Yamuna at Delhi.
	xvi. No application in respect of work to be executed by the Committee will henceforth be moved before this Tribunal directly till further orders.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	xvii. The States of Haryana and Uttar Pradesh may consult the members of the Monitoring Committee appointed by this Tribunal for constituting their own full time committees. Members of the Committees of States of Haryana and Uttar Pradesh may also have a joint meeting with the members of the Monitoring Committee appointed by this Tribunal, after making mutual arrangements. The State of Uttar Pradesh will be at liberty to assign work of Phase-It of Ganga to the same Committee depending on the performance.
	xviii. The State of Uttar Pradesh will also be at liberty to file a copy of status report before the Committee for information on behalf of the Uttar Pradesh Jal Board.
	xix. Any existing Committee already working may work in- tandem with the Monitoring Committee constituted today.
	8. The Committee may prepare its action plan by 15.09.2018. First interim report of the Committee may be sent to this Tribunal by email by 31.12.2018. The Committee may

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	also give suggestions to the State of Haryana after considering status report which, learned Counsel for State of Haryana states, will be filed within four weeks from today.
	9. Having regard to the nature of the subject involved, all the authorities have to take up the job as a mission for service to the society and in such a situation there can be no issue of any conflict arising in the working of any of the Bodies. In case, any conflict or difficulty arises, it will be open to the Monitoring Comrnittee to send a communication to this Tribunal by email so that such conflict may be resolved. Thus, we .expect that, if as a result of steps taken any improvement takes place, this can be a model for other rivers facing the same challenges.
	10. It is made clear that basic mandate of the Committee will be atleast two Members who can work in co-ordination with the Monitoring Committee appointed by this Tribunal today. Such whole-time Expert Committees may be constituted within two weeks from today.
	11. All the concerned authorities including Vice-Chairman, DDA, Secretary, PWD, NCT of Delhi, Commissioners of Municipal Corporations, Chairman of NDMC and NMCG, State of Haryana, State of Uttar

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	Pradesh and the Members of the Principal Committee will co-operate and co-ordinate with the Monitoring Committee. The Monitoring Committee can seek such scientific and technical assistance as may be required from any relevant authorities, including the CPCB.
	12. The DJB will use all available funds for the project on directions of the Committee. The NCT of Delhi will collect funds, in case of deficiency, in the manner already laid down by this Tribunal.
	13. The Committee will also beat liberty to take up all incidental issues.
	14. The Registry is directed to send a copy, to this order to the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and to the Members by email.
	List again in last of January, 2019, to consider the progress in the matter.

....................................., CP
(Adarsh Kumar Goel)

....................................., JM
(S.P. Wangdi)

....................................., EM
(Dr. Nagin Nanda)

26.07.2018

271. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र की सीवर लाईन तथा पाईप लाईन्स लगभग 30 साल पुरानी हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत आबादी को गन्दा पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड में स्टॉफ की कमी होने के कारण इस क्षेत्र में जल भराव व सीवर की सफाई न हाने की समस्या बनी रहती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या के निदान के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) (क, ख, व ग):- जी नहीं;

(घ) सीवर की शिकायत आने पर उसका तुरंत समाधान कर दिया जाता है; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है;

272. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम जनता को हो रही परेशानी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अर्जेंट बेसिस पर जो कार्य सूचीबद्ध किये जाते हैं, उन कार्यो को पूर्ण करने की समय अवधि क्या है;

(ख) उक्त कार्य समय पर पूर्ण न होने पर क्या विभाग सम्बन्धित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दी जाए?

मुख्य मंत्री : (क) आम जनता को हो रही परेशानी को मददेनजर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तत्काल आधार जो कार्य किये जाते हैं उन कार्यो को पूर्ण करने की समय अवधि कार्य की आवश्यकता के अनुसार तय की जाती है; और

(ख) (ख एवं ग) कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

273. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापसहेड़ा, समालका में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डाली गई सीवर लाइन को चालू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है एवं इसके विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट कापसहेड़ा द्वारा शोधित जल का सदुपयोग करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की क्या योजना है;

माननीय मुख्य मंत्री : (क) कापसहेड़ा एवं स्मालका में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईनें कई वर्ष पूर्व डाली गयी थी। इस दौरान सड़कें एवं अन्य विकास कार्यों की वजह से काफी मैनहोल्स दब गये हैं एवं काफी जगह डिस्लिटिंग की आवश्यकता है, जिन्हे ढूंढ़कर लाईन को पूर्ण रूप से चालू करने के अनुमान बनाये जा रहे हैं। इस कार्य को लगभग 06 माह के अंदर इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है; और

(ख) दिल्ली जल बोर्ड कापसहेड़ा सीवेज ट्रींटमेंट प्लांट द्वारा शोधित जल का सदुपयोग करने के लिए कापसहेड़ा सीवेज ट्रींटमेंट प्लांट के अधीन क्षेत्र में शोधित जल वितरण करने के लिए पाइप लाइन डालने की योजना विचाराधीन हैं।

274. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिपालपुर में जलाशय का निर्माण कार्य चल रहा है, यहां स्थित रंगपुरी पहाड़ी, इन्द्रकैंप नाला पार कैंप, शंकर कैंप दलित एकता कैंप और अर्जुन कैंप को शोधित पानी सप्लाई की योजना का विवरण दें; और

(ख) कापसहेड़ा–समालका में पानी पहुंचने पर यहां स्थित सोनिया गांधी कैंप को यमुना का पानी पहुंचाने की योजना का विवरण दें?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) वर्तमान में महिपालपुर में 3 मिलियन लीटर क्षमता के जलाशय का निर्माण कार्य तथा महिपालपुर व रंगपुरी शहरी गाँवों के लिए पेरिफेरल वाटर लाइनों के डालने का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के अर्न्तगत महिपालपुर जलाश्य से महिपालपुर गांव, रंगपुरी गांव तथा डी.डी.डी. की सुल्तान गढ़ी तथा नांगल देहात कालानियों एक जलापुर्ति प्रस्तावित हे केवल इन कालोनियों में उपरोक्त जलाशय से जलापूर्ति की जाएगी। इन सभी क्षेत्रों में पीने का पानी टैंकरों द्वारा दिया जाता हैं इन अलावा वर्तमान में और कोई योजना नहीं है; और

(ख) इन सभी क्षेत्रों में पीने का पानी टैंकरों द्वारा दिया जाता है। इन अलावा वर्तमान में और कोई योजना नहीं है।

275. कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एन.जी.टी. के आदेश का पालन करते हुए द्वारका के सेक्टर-9 की सोसाइटियों में सामूहिक उपयोग में आ रहे बोरवेल सील किए गए थे,

(ख) क्या यह भी सत्य है किन्तु अमीर लोगों के फार्म हाउसों, शादी स्थलों, होटलों, मोटेल, पांच सितारा होटलों आदि में बोरवेल, पूल आदि सुविधाओं का अभी भी हेतु उपयोग किया जा रहा; और

(ग) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं के अवैध बोरवेलों को सील करने पर की गई कार्रवाई का विवरण दें?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) जी हाँ। एन.जी.टी. के आदेशानुसार द्वारका के सेक्टर-9 की कुछ सोसाइटियां में बोरवेल सील किये गए थे।

(ख) और (ग) जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सर्वे के दौरान पाए गये अवैध बोरवेलों को सील करने की कार्यवाही जिलाधिकारी (द.प.) के कार्यालय द्वारा की जा रही है।

276. श्री पंकज पुष्कर : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड की रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में नीति, कार्य योजना एवं कार्य प्रगति क्या है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं;

(ख) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में क्या-क्या आदेश और क्या-क्या परामर्श हैं, इसके विवरण से अवगत कराएं;

(ग) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन किस-किस प्रकार के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी अनिवार्य है;

(घ) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं;

(ङ) उक्त आदेश की अनुपालना संदर्भ में प्रगति की क्या स्थिति है; और

(च) उक्त आदेश के भविष्य में अनुपालन की क्या कार्य योजना है?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्षा जल संचयन पर नीतियां, कार्य योजना और प्रगति निम्नानुसार है :-

1. अपनी स्थापनाओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली का कार्यान्वायन करना। जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है, वर्षा जल संचयन प्रणाली को 250 प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है;

   तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड के अन्य प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार भूजल रिचार्ज के लिए बारिश के पानी के संग्रहण के लिए कृत्रिम रिजार्च संरचनाओं की सिफारिश वही पर की जाती है, जहां भूजल का वर्षा ऋतु के बाद का स्तर जमीन के नीचे, 5 मीटर से ज्यादा गहराई पर हैं।

2. शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (दिल्ली डिवीजन) द्वारा जारी 28.07.2001 की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के लिए बिल्डिंग बायलाज के प्रावधान के अनुसार 100 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के भूखंडों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य हैं।

   वर्षा जल संचयान (आर.डब्लयू.एच.) के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. 100 स्क्वायर मीटर और ऊपर के प्लांट आकारों के उपभोक्ताओं को पानी के बिलों में 10 प्रतिशत छूट दी जाती है, यदि वे पर्याप्त और कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करते है। अभी तक 14.24 करोड़ रुपये छूट में दिए गए हैं।

2. 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक के भूखंडों पर दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं द्वारा वर्षा जल संचयन का प्रावधान नहीं करने पर, जुर्माने के अंतर्गत, पानी के बिल 1.5 गुना बढ़ाए जाते हैं। वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन नहीं करने के लिए 500 वर्गमीटर और उससे अधिक के भूखंडों/संपत्तियों के उपभोक्ताओं पर 29.63 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि लगाई गई है।

3. दिल्ली जल बोर्ड के पास वर्षा जल संचयन के बारे में तकनीकी सहायता देने के लिए कार्यकारी अभियंता (सिविल) की अध्यक्षता में एक समर्पित वर्षा जल संचयन कक्ष है। इसके पूरक के लिए, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों में तीन वर्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्षा जल संचयन सेल ने जून 2018 तक 1600 आवेदकों (व्यक्तियों और संस्थानों) को तकनीकी डिजाइन प्रदान किए हैं;

4. प्रिंट मीडिया, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, पुस्तिकाओं और पुस्तिकाओं के वितरण आदि के माध्यम से वर्षा जल संचयन पर प्रचार और संवेदना बनाई जा रही हैं।

5. दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय के विभिन्न सरकारी अधिकारियों को समय-समय पर वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करने के लिए अनुग्रह किया गया हैं;

1. O.A No. 94/2013 के मामले में माननीय एन.जी.टी. का दिनांक 17.07.2018 का आदेश संलग्न है।

2. O.A No. 72/2014 के मामले में माननीय एन.जी.टी. का दिनांक 20.08.2015 और 16.08.2016 के आदेश संलग्न है;

आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों सहित सभी हितधारकों द्वारा वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन पर जोर देते हैं;

(ग) माननीय एन.जी.टी. ने सभी इमारतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के दिशानिर्देश बनाने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जहां क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक है;

(घ) O.A No. 94/2013 में 17.07.2018 के आदेश के अनुसार एक माह के भीतर एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए और हलफनामे दो महीने के भीतर दायर किया जाना हैं;

(ड) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है, वर्षा जल संचयन प्रणाली को 250 प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है; और

(च) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है तकनीकी व्यवहार्यता के आधर पर बारिश जल संचयन प्रणाली अपने अन्य प्रतिष्ठानों में लागू की जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार भूजल रिचार्ज के लिए बारिश के पानी के संग्रहण के लिए कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं की सिफारिश वही पर की जाती है, जहां भूजल का वर्षा ऋतु के बाद का स्तर, जमीन के नीचे 5 मीटर से ज्यादा गहराई पर हैं।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 94 of 2013

(M.A NO. 904/2014, M.A NO. 592/2015, M.A. NO. 806/2015, M.A. NO. 236/2016 & M.A. NO. 289/2017)

Vikrant Kumar Tongad
Vs.
Delhi Metro Rail Corporation Ltd.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON HON'BLE DR. JUSTICE JAWAD RA;HIM, JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORS, JUDICIAL MEMBER HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER

Present: Applicant: Mr. Rahul Choudhary and Ms. Meera Gopal, Ms. Gitanjall Sreedhar, Adv

Mr. B.V. Niren and Mr. Vinayak Gupta, Advs., CGWA

Mr. Sanjeev Ralli, Adv. with Mr. Dinesh Jindal, LO for DPCC

Ms. Sakshi Popli, Adv. for DJB and NDMC

Ms. Puja Kalra, Adv.

Mil. Ashwani Kr. For DDA

Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv.

Ms. Shefali Roy, Advs.

Mr. Saurabh Chadda with Mr. Rohit Bhagat,

Adv. for ESI

Mr. Manoj Kwnar proxy for Mr. Moni

Cinmoy, Adv. for DSIIDC

Mr. Himanshu, Adv. for Khandelwal Hospital

Mr. Abhishek Gautam Adv. & Mr. Moni Singhal, Adv.

Mr. Ankur Seth for DMRC

Date and Remarks		Orders of the Tribunal
Item No. 07 July 17, 2018	1.	The matter taken up for consideration relates to installation of rain water harvesting systems in all the buildings. in the NCT of Delhi. Learned Counsel appearing for the applicant states that the guideline issued by the Central Ground Water Board dated May, 2011 referred to in the docuinent at page 13 of the paper book with the title "Select Case Studies Rain Water Harvesting & Artificial Recharge" to the effect that rain water harvesting system be made mandatory for every building having area of 100 sq.m and above by amending the building bye laws. Our attention is also drawn to the Gazette Notification issued by Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	dated 28th July, 2001 regarding modifications/ additions to the building bye laws, 1983 under Section 11 A of Delhi Development Act, 1957 to the following effect:
	"2. 22.4.1 Water harvesting through storing of water runoff including rain water in all new buildings on plots of 100 sq. mtrs and above will be mandatory. The plans SUbmitted to the local bodies shall indicate the system of storm water drainage along with points of collection of rain water in surface reservoirs or in recharge wells. These provisions will be applicable as per the Public Notice (s) of Central Ground, Water Authority issued from time to time.
	2. Accordingly vide order dated 1st December, 2014, this Tribunal directed that the Central Ground Water Authority, the DJB and the Municipal Corporation, in collaboration with DPCC, should take effective steps for ensuring that the hospitals, malls, commercial complexes, hotels and RWAs install the rain water harvesting system at the earliest.
	3. 22.4.2 All buildings having a minimum discharge of 10,000 litres and above per day shall incorporate waste recycling system. The

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	recycled water should be used for horticultural purposes.
	3. Thereafter, the matter was taken up for consideration from time to time. The Tribunal noted the step taken, inter alia, in orders dated 24.12.2014, 24.04.2015, 27.04.2015, 11.05.2015, 18.05.2015, 09.07.2015, 15.09.2015, 24.09.2015, 30.09.2015, 06.10.2015, 26.10.2015, 30.10.2015, 04.11.2015, 19.01.2016, 25.01.2016, 23.10.2016, 03.03.2016, 23.03.2016, 03.03.2016, 18.04.2016, 14.07.2016, 15.07.2016, 03.08.2016, 17.08.2016, 01.09.2016, 03.11.2016, 23.08.2017, 25.08.2017, 23.08.2017, 13.09.2017, 15.11.2017, 22.12.2017
	4. The matter was considered in a connected matter "Tribunal on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Ors." (O.A No. 496 of 2016) on 06.07.2018 and statement recorded was on behalf of the Delhi Jal Board that the plan for ground water recharge has been finalized. The guidelines were issued regarding water harvesting system. It was, however, also stated that there was no direction for making installation of rain water harvesting compulsory. It has been now explained that the statement was on account some

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	communication gap. The Rain water 'harvesting was compulsory in term of the bye laws referred to above.
	5. The Delhi Jal Board was directed to inspect all such areas where rain water harvesting system was required but have not been installed. Learned counsel for the Delhi Jal Board now states that inspection have been carried out in this regard and wherever inspection have not been carried out, the same will be carried out forthwith. It has also been pointed out that concerned Deputy Commissioners are the Nodal agency in term of instruction of the CGWA dated 25th May, 2010.
	6. We accordingly direct all the Deputy Commissioners to ensure that ground water harvesting systems are duly installed in every building. The Chief Secretary of Delhi may convene a meeting of all the Deputy Commissioner on the focused issue of implementation of guidelines for installation of rain water harvesting system in all the buildings where the area is more than 100 ms, within one month from today. The steps already taken or proposed to be taken may be discussed in the said meeting so as to make the installation of ground water harvesting

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	system a reality on the ground. After the systems are installed, tile same must be maintained and remain effective. Effective monitoring mechanism may be put in place in suitable manner.
	7. An affidavit of the Chief Secretary of Delhi may be filed within two months from today and the said compliance affidavit may be registered separately.
	The Original Application no. 94 of 2013 is disposed of accordingly. M.A No. 904 of 2014, M.A No. 592 of 2015, M.A No. 806 of 2015, M.A No. 236 of 2016 and M.A No. 289 of 2017 do not survive for consideration as the main application stands disposed of.

.................................., CP
(Adarsh Kumar Goel)

.................................., JM
(Dr. Jawab Rahim)

.................................., JM
(Raghuvendra S. Rathore

.................................., EM
(Dr. Satyawan Singh Garbyal)
17.07.2018

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 72 of 2014

IN THE MATTER OF:-Abhis

Vinod Kumar Jain Vs. NCT of Delhi & Ors.

CORAM: HOWBLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON HON'BLE MR. JUSTICE M.S. NAMBIAR, JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER

Present:	Applicant:	Respondent Nos. 6, 7, 15 & 17 : Mr. Abhishek Yadav, Adv.
		Mr. Vivek Tandon and Mr. Vikram Slngh, Advs.
		Mr. Arvind Saha.
		Ms. Sakshi Popll & Ms. Juhi, Adv for NDMC
		Mr. B.V. Niren, Adv. CGSC for CGWA
		Mr. Mukesh Verma, Adv.
		Mr. Rajiv Bansal, St. Standing Counsel, Mr.
		Kush Sharma, Ms. Arpita, Advs. for DDA
		Mr. Tarunvir Singh Khehar, Adv. for GNCTD
		Mr. Attin Shankar Rastogi Adv. for MoEF & CC

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 02 August 16, 2016	After hearing the Learned Counsel appearing for the parties, we direct to the Learned Counsel appearing for NCT, Delhi, DDA, Applicant and the Court Commissioner to sit down together on. 19th August, 2016 in the Chamber of Mr. Vivek Tandon Court Commissioner. They will prepare a comprehensive report in relation to the flyovers and Gcvernment Buildings, whether such buildings and flyovers are having-Rain Water IJttvesting System or not and if they are whether they are whether they are functional or not.

List this matter on 26th September, 2016.

...., CP
(Swatanter Kumar)

...., JM
(M.S. Nambiar)

...., JM
(Raghuvendra S. Rathore)

...., EM
(Prof. A.R. Yousuf)

...., EM
(Bikram Singh Sajwan)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 72 of 2014

Vinod Kumar Jain Vs. NCT of Delhi & Ors;

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON HON'BLE DR. D.K. AGRAWAL, EXPERT MEMBER

Present:	Applicant in M.A. :	Mr. Vivek Tandon, Adv. and Mr. Arvind Sam, Adv.
	Respondent No. 1:	Mr. Narendra Pal Singh, Sr. Advocate
	Respondent No 2:	Mr. B.V. Niren, Adv. CGWB
	Respondent No. 3:	Mr. Sandeep Mahapatra and Mr. Kayesh Begg, Advs.
	Respondent No. 5:	Mr. Vikas Malhotra, Adv.
		Mr. Rajiv Bansal and Mr. Kush Sharma, Advs. for DDA
		Ms. Puja Kalra, Adv. For North MCD

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 06	We have heard the Learned counsel appearing for the parties.
August 20, 2015	Learned counsel appearing for NCT of Delhi, MOEF, CPWD, Urban Development, DDA, DJB and MCP submit that the Government, all Public Authorities and Corporations are taking all effective steps to ensure that rain

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	water harvesting systems are installed in every Government building, if not already installed. They further submit that wherever rain water harvesting systems have been installed or would be installed in the existing building, the concerned Committee/Officer would ensure their proper maintenance and efficient performance. As far, as new Government projects are concerned including flyovers, bridges or any other construction carried out by the Government itself or through its Agencies or contractors, they would ensure that no protect is approved without a specific stipulation in the tenders documents itself that they would have to construct adequate capacity rain water harvesting systems as part of their project. While accepting the statement made on behalf of the Government and all Authorities, we direct NCT of Delhi, all public Authorities and Government of India to ensure that rain water harvesting systems are- installed in every project without default. Each Department of the Government as well as Corporation would notify an Officer who shall be responsible for ensuring that the already installed rain water harvesting systems and/or that are installed in future, work efficiently and are maintained properly. Such name of Officer and his phone number shall be put on the website of the

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
	respective Departments. He shall be Officer who will receive all complaint and ensure implementation as above directed. The quarterly report shall be submitted to a Committee which will be constituted by the Chief Secretary of NCT of Delhi and MoEF. The Committee shall perform all supervisory functions while ensureing due implementation of the directions and efficient working of the rain water haryesting systems particularly in NCR of Delhi. The Committee would personally certify wherever the ground water level is so high that rain water harvesting system would be futile to be constructed. With this exception, it shall be adopted as a rule. The report in relation to the construction of rain water harvesting systems on the flyovers would be submitted within one month from to dray. The Registry shall place that report before the Tribunal. With the above directions, Original Application No. 72 of 2014 stands disposed of without any order as costs.

...., CP
(Swatanter Kumar)

...., EM
(Dr. D.K. Agrawal)

277. श्री राजेश गुप्ता : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पार्क मेन सीवेज प्लांट पंपिंग स्टेशन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि एक पंपिंग स्टेशन पहले ही बंद हो चुका है और दूसरा भी बहुत बुरी स्थिति में है;

(ग) उक्त पंपिंग स्टेशनों को पूरी तरह ठीक करने में कितना समय लगेगा;

(घ) अब तक इन्हें ठीक न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन्हें सुधारने या बदलने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(च) यह कार्य कौन-सी एजेंसी करेगी?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) अशोक पार्क में कोई सीवेज पम्पिंग स्टेशन नहीं है; और

(ख) से (ङ) एवं (च)

उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है;

278. श्री राजेश गुप्ता : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.डी.ए. फ्लेटस में सीढ़ियों के नीचे जो सीवर है क्या वह प्राइवेट है या सरकारी;

(ख) क्या यह सत्य है कि चौथी विधानसभा के कार्यकाल में इनमें से कुछ लाईनें बदली गई हैं; और

(ग) इन्हें साफ करना किसका दायित्व है?

मुख्य मंत्री : (क) डी.डी.ए. फ्लेटस में सीढ़ियों के नीचें बने सीवर डी.डी.ए. द्वारा निर्मित है;

(ख) जी हाँ, जिन स्थानों पर इन लाइनों की स्थिति खराब थी वहाँ जल बोर्ड द्वारा इन लाइनों को बदला या मरम्मत की गयी है; और

(ग) दिल्ली जल बोर्ड जनहित में समस्या आने पर इन्हें साफ करता है।

279. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में चल रहें अस्पतालों की संख्या और इनमें से कितने अस्पतालों स्वास्थ्य विभाग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट/एन.ओसी प्राप्त है, नाम व पते सहित पूरा विवरण दें;

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने मोहल्ला क्लीनिक हैं और उनमें से कितने चालू हालत में हैं; और

(घ) गांव हिरनकूदना स्थित सरकारी औषधालय में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) सूची संलग्नक ''ए'' में संलग्न है;

(ख) सूची संलग्नक ''बी'' में संलग्न है;

(ग) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कुल 06 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे है सूची सूची संलग्नक ''सी'' में संलग्न है; और

(घ) हिरनकूदना डिस्पेंसरी में वे सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अन्य सरकारी डिस्पॅसरियों में दी जाती है जैसे :–

1. चिकित्सा जांच
2. ओ.पी.डी.
3. लैब टैस्ट
4. टीकाकरण सुविधा
5. जच्चा बच्चा जांच
6. परिवार नियोजन सुविधा
7. आर.सी.एच. की सभी स्कीम
8. आशा स्कीम
9. अन्य सभी सरकारी सुविधायें उपलब्ध है।

Annexure–A

Schemes/Projects under DGHS

S.No.	Name of the Scheme
1.	PPP (Dialysis)
2.	scheot Health Scheme
3.	Health Insurance
4.	Lab facility through PPP

S.No.	Name of the Scheme
5.	Tele Radiology
6.	CTScan/MRI in PPP
7.	Mobile Van Dispensaries for J.J. Clusters
8.	Outsourcing of Jan Aushdhi Generic Pharmacy
9.	Aam Admi Dental Clinics
10.	Financial Incentive to good Samaritans for transporting road traffic accident victims to hospital for medical care
11.	Health Helpline
12.	Health card
13.	Dte. of Public Health
14.	Estt. Disaster Management Cell
15.	Setting UP of Cancer Control Cell
16.	Cell for Prevention of Smoking
17.	Leprosy Control Cell
18.	Spl. Cell forconductlng various Public Health Campaigns
19.	Spl. Health Programme for Geriatrics Population
20.	Delhi Arogaya Kosh
21.	Mobile Vans Clinics for Eye and Ear Care Services

Annexure B

Sh. Jiya Lal Hosp. & Maternity Centre	6, Inder Enclave, New Rohtak Road	Peera Garhi	Delhi	110087
Sonia Hospital Pvt. Ltd.	Gulshan Park, Main Rohtak Road	Nangloi	Delhi	110041
Kalawati Kasturba Hospital pvt. Ltd.	2, Inder Enclave, Peeragarhi	New Delhi	New Delhi	110087
Mudit Vishwa karma Hospital	Plot no. 20 & 23, Bindapur, Near C-1, Janakpuri	Janakpuri	Delhi	110059
Suman Superspeciality Hospital	Plot no. 14, Sector-7, Pocket 4, Bindapur	Bindapur	Delhi	
Dwarka Medicare & Matemlty Centre	A-95, Nanhey Park, Matiyala Bindapue Road,	Uttam Nagar, New Delhi	Delhi	110059
Asha Hospital	B-68 Vikas Nagar Budh Vihar PHASE-II		Delhi	110059
Tomar Multi Specialty Hospital	House No. 35, Gali No. 2, Pratap Vihar Part-I, Kiraral	Kirari, Nangloi	Delhi	110041

Goyal Hospital	A-51, Uday Vihar, Main Chander Vihar Market Road, Nilothi Extension,	Nilothi Delhi	Delhi	110041
Pushpanjali Hospital and Trauma Centre	11 Ground Floor, Inder Enclave, Main Rohtak Road,		Delhi	110087
Bharat Hospital	RZ-G-11A, Nihal Vlhar, Nangloi	Nangloi	Delhi	110041
Sanjivini Medicare & Maternity Centre	Plot No. 3-C & 3, Arnar Colony Extn., Kamruddin Nagar, Sunday Bazar Road, Mundka, Nangloi, New Delhi-110041	Nangloi	New Delhi	110041
Sharma Hospital	A-220, Avadh Vihar, Prem Nagar-II Kirari Suleman Nagar,	Suleman Nagar,	Deihi	110086
Sanjivni Medicare & maternity Centre	Plot no. 3 C & 3, Amar colony Extn. Kamarudding Nagar, Mundka Nangloi,	Munkda, Nangloi	Delhi	110041

Annexure–C

Mundka

Sl. No.	Assembly No.	Assembly Name	Address
1.	8	Mundka	Village Ghevra, Munka
2.	8	Mundka	AAMC C-62, Adhyapak Nagar, Nangloi, New Delhi
3.	8	Mundka	AAMC Ho. No. 9, Gali No. 3, Lekh Ram Park, Tikri Kalan
4.	8	Mundka	AAMC E-3/62, Shiv Ram Park, Nangloi
5.	8	Mundka	Kanjhawala (School Site)
6.	8	Mundka	Aggarwal Chowk, Chander Vihar, Nilothi Ext-II

280. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) पिछले दो सालों से लोकल सेनिटेशन, मेडिसिन, लैब से संबंधित परचेज के आर्डर किस कपंनी को अवार्ड हुए और किन कंपनीज को अवार्ड नहीं हुए, विस्तारपूर्वक जानकारी दें;

(ख) बोली लगाने वाली कंपनियों की पूर्ण जानकारी दें;

(ग) क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को लैब टेस्ट के लिए अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि हां तो विस्तारपूर्वक विवरण दें,

(ङ) यदि नहीं, तो जनवरी 2018 से अब तक की सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेस दी जाए;

(च) अस्पतालों के द्वारा कितने वेंटिलेटर खरीदे गए, किस स्तर पर लिए गए और कितनी बार इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया गया, विस्तारपूर्वक वर्णन दें; और

(छ) क्या वेंटिलेटर का प्रयोग करने के लिए अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो उनका पूरा विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) पिछले दो सालों से सेनिटेशन का टेंडर जैन मेडिकोज, रघु इन्टरप्राईजेज, एंड मार्केटिंग कंपनी, शिवालिक हाउस कीपींग सर्विसेज, लाइफ लाइन सर्विसेज, पेस्ट कन्ट्रोल इंक, एलर्ट पेस्ट कांट्रोल, यासीका इन्टरप्राईजेज आदि फर्मों को दिये गये हैं। मेडिसिन और लैब से संबंधित सूची संलग्नक 'A' और संलग्नक 'B' पर उपलब्ध है;

(ख) जानकारी संलग्नक A के बिन्दु A, B, C & D पर उपलब्ध हैं;

(ग) किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को लैब टेंस्ट के लिए अनुमति नहीं दी जाती है;

(घ) उपरोक्तानुसार 'ग' के अनुसार लागू नहीं है;

(ङ) सी.सी.टी.वी. कैमरे की पुरानी फुटेज अस्पतालों के अनुसार उपलब्ध नहीं है;

(च) जानकारी संलग्नक 'A' और बिन्दु 'F' पर संलग्नक है।

अस्पतालों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सी.पी.ए. (डी.जी.एच.एस.) द्वारा 22 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर एवं 125 आई.सी.यू. वेंटिलेटर खरीदे गये;

(छ) हाँ; और

(ज) अस्पतालों में वेंटिलेटर का प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर एंव सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर उपलब्ध है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं।

संलग्न 'A'

Vidhan Shabha Unstarred Question No. 280 asked by Shri Surender Singh

Question A – Answer – List of Suppliers of Last Two Years

a. List of supplier of medicines in Year 2016-17

Sl. No.	Supplier
1.	CIPLA LIMITED
2.	Park Pharmaceuticals
3.	Biogenetic Drugs Pvt. Ltd.
4.	Centurion Laborator (Div. of Centurian Remedies Pvt. Ltd.)
5.	Unicure India Pvt. Ltd.
6.	Microlab Ltd.
7.	Rhydburg Pharmaceuticals Ltd.
8.	saar biotech

Sl. No.	Supplier
9.	Celon Laooraties Ltd.
10.	Skymap Pharmaceuticals Pvt Ltd.
11.	Modern Laboratories
12.	Scott Edil
13.	Pentagon Labs Ltd.
14.	Kwality Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
15.	Intas Pharmaceuticals Ltd.
16.	Vivek Pharma Chem Ind Ltd.
17.	Yeluri Formulations Pvt. Ltd.
18.	Bharat Parenterals Ltd.
19.	Jackson Laboratories Pvt. Ltd.
20.	Maxmed Life Sciences Private Limited.
21.	STANDARD PHARMACEUTICALS LIMITED
22.	Bharat Serums And Vaccines Ltd.
23.	Zee Lab, Limited
24.	Bharat Biotec International Ltd.
25.	Biological E Ltd.
26.	hetero health care limited
27.	Alliaance Biotech

Sl. No.	Supplier
28.	Ciron Drugs Pharmaceuticals Pvt.
29.	Samarth Lifesciences Pvt. Ltd.
30.	overseas health care Pvt. Ltd.
31.	Micron Pharmaceuticals
32.	AFFY PARENTERALS
33.	Wallace Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
34.	bajaj pharmaceutlcals Pvt. Ltd.
35.	PULSE PHARMACEUTICALS PVT LTD.
36.	Curetech Skincare
37.	Synokem Pharmaceuticals Limited
39.	Verve Human Care Lab
40.	Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.
41.	INOCO REMEIDES LTD.
42.	Guffic Biosciences Limited
43.	Macleods Pharmaceutocals Ltd.
44.	Scott-Edil Advance Research Laboratories & Education Limited
45.	Omena Biotech Ltd.
46.	Theon Pharmaceuticals Limited
47.	Saitech Medicare Private Limited

Sl. No.	Supplier
48.	Daffodills Pharmaceuticals Ltd.
49.	Syncom Health Care Ltd.
50.	RIDLEY LIFE SCIENCE PVT. LTD
51.	Adroit Pharmaceuticals Pvt Ltd.
52.	Ipca Laboratories Limited
53.	Wings Biotech
54.	COMBITIC GLOBAL CAPLET PRIVATE LIMITED
55.	BENNET Pharmaceuticals Ltd.
56.	UNITED BIOTECH PRIVATE LIMITED
57.	Unijutes Life Sciences Ltd.
58.	Nanz Med Science Pharma Pvt. Ltd.
59.	Ortin Laboratories Ltd.
60.	Pfizer Limited
61.	Cadila Health Care Ltd.
62.	PANACEA BIOTEC LTD.
63.	DM PHARMA
64.	Novartis India Limited
65.	CLARIS OTSUKA LIMITED
66.	Ives Drugs (India) Pvt.Ltd.

Sl. No.	Supplier
67.	Abaris Healthcare Pvt. Ltd.
68.	LA-CHEMICO PVT. LTD.
69.	Hindustan Laboratories
70.	Zuvius Lifesciences Pvt. Ltd.
71.	PSYCHOTROPICS INDIA LTD
72.	Venus Remedies limited
73.	swanand foods Pvt. Ltd.
74.	Khandelwal Laboratories Pvt. Ltd.
75.	BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.
76.	Reliance Life Sciences Pvt. Ltd.
77.	Akum Drugs & Pharmaceuticals
78.	Sqnofi India Ltd.
79.	AGIO PHARMACEUTICALS LTD.
80.	Unimark Remedies Ltd.
81.	East african (India) overseas
82.	Unilab Chemicals and Phannaceuticals Pvt. Ltd.
83.	Pharma Synth Formulations Ltd.
84.	Denis Chem Lab Ltd.
85.	Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
86.	RUSAN PHARMA
87.	Piramal Enterprises Limited
88.	Plasmagen Bio Sciences Pvt. Ltd.
89.	Shreya Life Sciences Pvt. Ltd.
90.	APPASAMY ASSOCIATES
91.	Shamshree Lifesciences Limited
92.	Wockhardt Ltd.
93.	Wipro G E Healthcare Pvt. Ltd.
94.	Penta Biotech
95.	Midas Care Pharamacutical (P) Ltd.
96.	Glaxosmithkline Pharm Ltd.
97.	Aishwarva Healthcare
98.	Shree Krishnakeshav laboratories Ltd.
99.	vtvlrned labs Ltd.
100.	Fresenius Kabi India Pvt. Ltd.
101.	USV PRIVATE LIMITED
102.	Albert David Ltd.
103.	Fresenius Kabi Oncology Limited
104.	cyper Dharma

Sl. No.	Supplier
105.	Glide Chern Pvt. Ltd.
106.	Luoin Pharmaceuticals Ltd.
107.	Hab Pharmaceuticals & Research Ltd.
108.	Baxter India Pvt. Ltd.
109.	Strides Shasun Limited
110.	Corona Remedies Pvt. Ltd.
111.	BROOKS LASORA TORIES LIMITED
112.	BIOCON LTD.
113.	Novartis Healthcare Pvt. Ltd.
114.	Softesule Pvt. Ltd.
115.	Merck Ltd.
116.	Medlcamen Biotech Ltd.

b. List of Supplier for year 2017-2018

Sl. No.	Supplier
1.	A.C. Surgipharma Pvt. Ltd.
2.	Celon Laboraties Ltd.
3.	Unicure India Ltd.
4.	Kwality Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
5.	Vindeca Life Sciences Pvt. Ltd.
6.	Sakhi Enterprises
7.	Zee Lab, Limited
8.	Maxchem Pharmaceuticals Pvt. Ltd
9.	Pulse Pharmaceutical Pvt. Ltd
10.	Troikaa Pharmaceuticals Ltd
11.	Radicura Pharmaceuticals private Limited
12.	B J Madan and Co.
13.	Otsuka Pharmaceutical India Private Limited
14.	Bharat Serums and Vaccines Ltd.
15.	Consern Pharma Pvt. Ltd.
16.	Affy Parenterals
17.	BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.
18.	Daffodills Pharmaceuticals Ltd.
19.	Winga Biotech
20.	Saar biotech
21.	Synmedic Laboratories Ltd.
22.	Sai Parenterals Private Limited
23.	Jackson Laboratories Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
24.	SHILPEX PHARMYSIS
25.	CYANO PHARMA PRIVATE LIMITED
26.	Bharat Parenterals Ltd.
27.	CIPLA LIMITED
28.	Globela Pharma Pvt. Ltd.
29.	Brassica Pharma Pvt. Ltd.
30.	Pharma Surge Impex
31.	Sirmaxo chemicals Pvt. Ltd.
32.	Hemarus Theraoeutics Ltd.
33.	Verve Human Care Lab.
34.	RUSAN PHARMA
35.	EUROLIFE HEAL THCARE PVT LTD.
36.	Uniiules Life Sciences Ltd.
37.	Intas Pharmaceuticals Ltd.
38.	Reliance Life Sciences Pvt. Ltd.
39.	BAXALTA BIOSCIENCE INDIA Pvt. Ltd.
40.	VIRCHOW BIOTECH PRIVATE LIMITED
41.	Novartis Healfhcare Pvt. Ltd.
42.	Eli Lilly Company India Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
43.	Roval Care Pharma
44.	HaJewood Laboratories Private Limited
45.	Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.
46.	Sun Pharma Laboratories Ltd.
47.	Aeon Formulations Pvt. Ltd.
48.	Sunwavs (India) Pvt. Ltd.
49.	Galpha Lab Ltd.
50.	Nanz Med Science Pharma Pvt. Ltd.
51.	Cadi/CI Pharmaceuticals Ltd.
52.	Amro Pharma
53.	Kedrion Biooharma India Private Limited
54.	Aaron Remedies Pvt. Ltd.
55.	LA-CHEMICO PVT. LTD
56.	Win Medicare Private Limited

C. **The List of Unsuccessful Bidder of 2016**

S.No.	Firm Name
1.	3M India Limited
2.	Abbott Healthcare Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
3.	Abbott India Limited
4.	Aishwarva Health Care
5.	Alleraan Healthcare India Pvt. Ltd.
6.	ANG Lifesciences I Private Limited
7.	Arion Healthcare
8.	Astra Lifecare India Pvt. Ltd.
9.	Auro Lab
10.	Axa Parenterats Ltd.
11.	Bat Pharma Limited
12.	Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.
13.	Saver Zvdus Pharma Pvt. Ltd.
14.	Bharat Biotech
15.	Bharat Parenterals Limited
16.	Biocnern Pharmaceuticals Industries Ltd.
17.	Bristol-Myers Souibb India Private Limited
18.	Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
19.	Chiron Behrin Vaccines Private Limited
20.	Claris Iniectables Ltd.
21.	conceot Pharmaceuticals, Ltd.

Sl. No.	Supplier
22.	Cvano Pharma P. Ltd.
23.	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
24.	Eli Lilly and Company India Pvt Ltd.
25.	Emcure Pharmaceuticals Ltd.
26.	Eurolife Healthcare Pvt. Ltd.
27.	Ferrina Pharmaceuticals
28.	Gennova Bioeharmaceuticals Limited
29.	Glen Mark Pharmaceutlcats Ltd.
30.	Glitle Chem Pvt. Ltd.
31.	Halewood Laboratories Pvt. Ltd.
32.	Haseeb Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
33.	Hexagon Nutrition Pvt. Ltd.
34.	Imagind Products India Pvt. Ltd.
35.	Indian Immunotoolcats Ltd.
36.	lnfutec Healthcare Limited
37.	Innova Captab
38.	lnnova Captab Pvt. Ltd.
39.	Intas Pharmaceuticals Limited
40.	Inter Med

Sl. No.	Supplier
41.	J.B. chemicals & Pharmaceuticals Limited
42.	Johnson & Johnson Private Limited
43.	Lifecare Innocattons
44.	M.J. Biopharm Priate Limited
45.	Maan Pharmaceuticals Ltd.
46.	Medico Remedies Pvt. Ltd.
47.	Medipol Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.
48.	Medopharm
49.	Medooharm Pvt. Ltd.
50.	MMG Healthcare
51.	MSD
52.	MSN Laboratories Private Limited
53.	Mylan Laboratories Limited
54.	Mylan Pharmaceuticals Private Limited
55.	Natco Phartna Ltd.
56.	Oxalis Labs
57.	Ozone Pharmaceuticals Ltd.
58.	Paviour Pharmaceuticals P. Ltd.
59.	Pfizer Products India Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
60.	Pharma Impex Laboratories Pvt. Ltd.
61.	Pinnacle Life Science Pvt. Ltd.
62.	Pro Laboratories Pvt. Ltd.
63.	Prosoer Channel Lifescience India Pvt. Ltd.
64.	R.N. laboratories Pvt. Ltd.
65.	Roche Products India Pvt. Ltd.
66.	Roval Care Pharma
67.	RPG Life Sciences Limited
68.	Saitech Medicare Pvt. Ltd.
69.	Samarth Life Sciences Private Limited
70.	Sanofi India Limited
71.	Sanofi-Synthelab India Private Limited
72.	Sava Heathcare Limited
73.	Sirmaxo Chemicals Pvt. Ltd.
74.	Stallion Laboratories Pvt. Ltd.
75.	Strides Shasun
76.	Sun Pharma Laboratories Limited
77.	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
78.	Symbiosis Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Sl. No.	Supplier
79.	Troikaa Pharmaceuticals Limited
80.	Unison Pharmaceuticals
81.	VHB Medisciences Limited
82.	VINS Bioproducts Limited
83.	Virchow Biotech Private Limited
84.	Win-Medicare Pr1vate Limited
85.	Zest Pharma
86.	Zim Laboratories Limited
87.	Zuyentus Healthcare Limited
88.	MSN labortories Pvt. Ltd.
89.	Medopharma
90.	Medo Pharma Pvt. Ltd.

d. The List of Unsuccessful Bidder of 2017

S.No.	Name of Firm
1.	Abbott Healthcare Pvt. Ltd.
2.	Admac Life Sciences
3.	Akurn Drugs & Pharmaceuticals Limited
4.	Alpa Laboratories Ltd.

S.No.	Name of Firm
5.	Alpha Drugs
6.	ANG Lifesciences Priyate Ltd.
7.	Apple Formulation Pvt. Ltd.
8.	Aurolab
9.	Bal Pharma Ltd.
10.	Bharat Biotech
11.	Bio-Med Private Limited
12.	British Biologicals
13.	Centurion Laboratories
14.	Curetech Skincare
15.	East African India Overseas
16.	Fresenius Kabi India Pvt. Ltd.
17.	Fresenius Kabi Oncology Ltd.
18.	Getwell Pharmaceuticals
19.	Hetero Labs Limited
20.	Hexagon Nutrition Pvt. Ltd.
21.	Johnson & Johnson Private Limited
22.	LN Medicare Services
23.	Novartis Pharmaceuticals

S.No.	Name of Firm
24.	Novo Nordisk India Private Ltd.
25.	Omega Biotech Ltd.
26.	Ortin Laboratories Ltd.
27.	Ozone Pharmaceuticals Ltd.
28.	Park Pharmaceuticals
29.	Plasmagen Biosciences Pvt. Ltd.
30.	Popular Generics
31.	Pro-Pharma Care Pvt. Ltd.
32.	Pushkar Pharma
33.	Sanofi India Limited
34.	Sanofi-Synthelabo (India) Private Limited
35.	Serum Institute of India Pvt. Ltd.
36.	Synokem Pharmaceuticals Ltd.
37.	Tablets India Ltd.
38.	Unibiotech Formulations
39.	Unlrnarck Pharma (lndia) Ltd.
40.	Universal Enterprises
41.	Wipro Healthcare Pvt. Ltd.
42.	Zest Pharma

B. The firms participates In Tender In the Last Two Year as given at tables a, b, c. & d.

C. Not Applicable.

D. Not Applicable.

E. Not Applicable.

F. Ventilator Purchase by CPA on the demand received from various GNCTO Hospitals/ Institutions as detail given below.

a. Transport Ventilator - 22 Units (MVH - 3, RTRMH - 1, LBSH -1, DCBH-1, GTBM-7, GBPH - 3, LNH-3, BMH-1, BSAH-2)

b. ICU Ventilator - 125 units (BSAH-17, DDUH-10, GBPH-33, GTBH-20, LNH-35, DCBH-4, BMH - 3, GGSGH - 2, MVH -1,)

G. Not Applicable

H. Not Applicable.

संलग्नक 'B'

Sl.No.	Description of Work 7 Item (S)	Name of Firm
1	2	3
1.	Alcohol swab-non-woven cellulose, measuring not less than 25×55mm, saturated with 70%(v/v) isopropyl alcohol	Pharma Surge Impe

1	2	3
2.	ASO latex kit with positive and negative controls and sensitivity 200 IU/ml, CE/WHO GMP Approved	Popular Scientific Corporation
3.	Autopippettes 100 (single channel fixed) CE Approved simple turn of the thumb knob sets desired volume - Tip ejector should be separate from the operating system. Pipette shaft should be slender to allow entry into narrow tubles (12mm × 75mm)	Sakhi enterprises
4.	Autopippettes - 1000ul. (single channel, Approved, simple turn of the thumb knob sets desired volume - Tip ejector should be separate from the operating system. Pipette shaft should be slender to, allow entry into narrow tubes (12mm×75mm)	Sakhi enterprises
5.	Autopippettes - 50ul (single channel, fixed), CE Approved, simple turn of the thumb knob sets desired volume - Tip ejector should be separate from the operating system. Pipette shaft should be slender to allow entry into narrow tubes (12mm × 75mm)	Sakhi enterprises

1	2	3
6.	Autopippettes - variable volume - 10-100 microliter, CE Approved, simple tunn of the thumb knob sets desired volume - Tip ejector should be separate from the uperating system. - Pipette shaft should be slender to allow entry, into narrow tubes (12mm × 75mm)	Sakhi enterprises
7.	Autopippettes - variable volume, 100-1000 microntre. CE Approved, simple turn of the thumb knob sets desired volume - Tip ejector should be separate from the operating system-Pipette shaft should be slender to allow entry into narrow tubes (12mm × 75mm)	Sakhi enterprises
8.	Blood Group Kit a. Blood Grouping anti sera Anti A lg M, Monocional, CE/WHO GMP Approved	Sakhi enterprises
9.	b. Blood Grouping anti sera Anti B lg M, Monocional, CE/WHO GMP Approved	Sakhi enterprises
10.	c. Blood Grouping anti sera Anti D (Rhl) Ig M & Ig G/Monocional, CE/WHO GMP Approved	Sakhi enterprises
11.	Calcium kit arsenazo III end point, single reagent in liquid	KRISH BIOMEDICALS
28.	Filter paper (75×46)] 500 sheets rim	Sakhi Enterprises

1	2	3
29.	Geimse stain (Per 500 ml)	Popular Scientific Corporation
30.	Glass test tubes 12×75 mm, (Borosilicate Glass Heat Resistant)	Popular Scientific Corporation
31.	Glass test tubes 12×100 mm, (Borosilicate Glass Heat Resistant)	Popular Scientific Corporation
32.	Glucose reagent in lypholized form GOD/POD end point kit with reagent in stable liquid form with standard, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer.	Pharma Surge Impex
33.	Hb Pipette for Sahlis Hb meter-made of glass with clear markings, 20 microlitre, with rubber teat	Sakhi Enterprises
34.	Hb Tube for Sahlis Hb meter-square, made of glass with clear markings	Popular Scientific Corporation
35.	Hepatitis B Ag rapid card test for detection of surface Ag of all different subtypes of HbsAg in human serum or plasma; sensitivity and specifity should be nearly 100% kit with positive control incorporated in each card approved for blood bank use by drug controller, CE & WHO GMP Approved	Krish Biomedicals

1	2	3
36.	Hepatitis C rapid card test combination of HCV Ag (core, NS3, NS4, NS5 and E1 or E2); sensitivity and specifity should be nearly 100%, kit with positive control Incorporated in each card approved for blood bank use by drug controller, CE & WHO GMP Approved	KRISH BIOMEDICALS
37.	Holder for Vacutainer needle	Bristal Healthcare
38.	Immersion oil for microscopy-refractive index 1.515 free from PCB(Per 100 ml)	3V Shoppe
39.	KIDNEY FUNCTION TEST KITS-	Sakhi Enterprises
	a. Urea kinetic GLDH method kit with reagent in stable liquid form with standard, CE/WHO GMP Approved to be run in semi automatic biochemistry analyzer	
40.	b. Uric acid enzymatic end point, Uricase method, single reagent In stable liquid form kit with standard, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	KRISH
41.	c. Creatinine kinetic test kit jaffe fixed time lest with stable reagent in liquid form with standar CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Sakhi Enterprises

1	2	3
42.	LIPID PROFILE KITS- a. Total cholesterol reagent enzymatic/POD end point single stable reagent in liquid form with standard and calibrater, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Sakhi Enterprises
43.	b. Triglyceride test kit lipase/glycerol KIN/ GOP/PEROX, End point single step stable reagent in liquid form with standard, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer.	1. Sakhi Enterprises
44.	c. Hdl cholesterol third ganeration direct homogeneous method based on selective solublizing effect by use of special surfactants having two reagents ready to use liquid stable till expiry with standard and calibrater, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	1. Sakhi Enterprises
45.	LIVER FUNCTION TEST KITS- a. Bilirubin kit total and direct Jandrassik and gruff method. Liquistable, CE/WHO GMP Approved, to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Krish Biomedicals

1	2	3
46.	b. Serum glutamate oxa1oacetae transaminase test kit IFCC/MDH/NADH kinetic single step with stable reagent in liquid form, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Krish Biomedicals
47.	c. Serum glutamate pyruvate transaminase test kit IFCC/LDH/NADH kinetic single step with stable reagent in liquid form, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Krish Biomedicals
48.	d. Alkaline Phosphatse kinetic AMP method, reagent in stable liquid form with standard, CE/WHO GMP Approved to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Krish Biomedicals
49.	e. Total Protein biuret reagent kit end point with standard, CE/WHO GMP Approved, Liquistable, to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer	Krish Biomedicals
50.	Albumin bromocresol green reagent kit end point with standard, Liquistable, to be able to run in semi automatic biochemistry analyzer, CE/WHO GMP Approved	Krish Biomedicals
51.	Lancets for finger prick medium flow disposable, steel	Sakhi Enterprises.

1	2	3
52.	Leishman stain ready made with stock buffer WHO GMP certified. (Per 500+500 ml)	3V Shoppe
53.	Lens cleaning solution for removing oil from objective of microscope or any optical surface. It should not affect a coated optic or soften the mounting. Non inflammable. Non toxic	3V Shoppe
54.	Malaria antigen detection kit-rapid Immunochromatographic test with antigen capture assay of P. Falciparum and P. Vivax, with inbuilt control, CE/WHO GMP approved	Popular Scientific Corporation
55.	Micro Pipette 20 ul, single channel, fixed, CE Approved, simple turn of the thumb knob sets desired volume-Tip ejector should be separate from the operating system. Pipette shaft should be slender to allow entry into narrow tubes (12mm × 75mm)	Popular Scientific Corporation
56.	Micro Pipette 5 ml, single channel, fixed, CE Approved, simple turn of the thumb knob sets desired volume-Tip ejector should be separate from the operating system. Pipette shaft should be slender to allow entry into narrow tubes (12mm × 75mm)	Popular Scientific Corporation

1	2	3
57.	Microscope cleaning paper	Sakhi Enterprises
58.	Multistix (Multiparameter Urine Stix) with long sheet 11 parameter (with microprotein) including Blood, bilirubin, urobilinogen, Protein, ketone, nitrate, Glucose, Ph and specific Gravity etc, CE/WHO GMP Approved	Sakhi Enterprises
59.	N/10 HCL	Popular Scientific Corporation
60.	Neubaur's Chamber (Haemocytorneter) improved depth 0.1 mm	Sakhi Enterprises
61.	OHP marker pens with thin tips-Black, Blue, Red	3V Shoppe
62.	Pregnancy card sensitive as low as 20iu/ml with in built control, store at room temperature. Result as early as 1 min with nearly 100% specificity, CE/WHO GMP Approved	Sakhi Enterprises
63.	Pricking pen device	Sakhi Enterprises
64.	Pricking pen device lancet disposable	Popular Scientific Corporation
65.	Printing paper for biochemistry analyzers	Popular Scientific Corporation

1	2	3
66.	Rheumatoid arthritis factor latex kit with controls, sensitivity 8 IU/ml, CE/WHO GMP Approved	Pharma Surge Impex
67.	Sahli hemoglobinometer	Pharma Surge Impex
68.	Slides - size 25×75mm, 1.45mm thick, 1.25 mm thick polished edges, lint free packing, Clear corrosion resistant glass with flat surfaces	Popular Scientific Corporation
69.	3.8% Sodium cltrate solution (Per 500 ml)	Popular Scientific Corporation
70.	Sodium hypochlorite solution, 5% w/v available chlorine in tightly sealed can CE/WHO GMP certified (Per 5 ltr)	Popular Scientific Corporation
71.	Sterile evacuated blood collection tube (plastic) with 3.2% buffered sodium citrate for coagulation tube size 13×75mm with 2.7 ml draw volume	Sakhi Enterprises
72.	Sterile evacuated blood collection tube EDTA (Silicon Coated) [K3 EDTA 7.5%] spray dried for hematology-tube size 13×75mm with 3 ml draw volume	Bristal Healthcare
73.	Sterile evacuated blood Collection tube (plastic) for serum chemistry determination-tube size 13×75, 5, ml draw volume	Bristal Healthcare

1	2	3
74.	Strip to test albumin and sugar in urine	Phama Surge Impex
75.	Strips for Glucometer. (Glucometer to be provided free to all dlspensaries as per the demand.)	Shakti Medical and Surgical Stores
76.	Tepol (Per 5 Litre)	3V Shoppe
77.	Test tubes-disposable plastic	Popular Scientific Corporation
78.	THYROID FUNCTION TEST KITS-	Sakhi Enterprises
	a. T3 kit for ELISA, CE/WHO GMP Approved	Sakhi Enterprises
79.	b. T4 kit for ELISA, CE/WHO GMP Approved	Sakhi Enterprises
80.	c. TSH kit for ELISA, CE/WHO GMP	Sakhi Enterprises
81.	Tips for Micro Pipette 20 ul	1. Krish Biomedicals & 2. Popular Scientific Corporation
82.	Tips for Micro Pipette 5ml	Krish Biomedicals
83.	Tissue roll absorbent and fruffiess 2 plv 100m roli	Popular Scientific Corporation
84.	Tooth Picks	Popular Scientific Corporation

1	2	3
85.	Tourniquet-rubber, 1 meter in length	Sakhi Enterprises
86.	Tourniquet-Veicro, strap Type one inch in breath	Popular Scientific Corporation
87.	Tube cleaning brush (small)	Popular Scientific Corporation
88.	Typhi dot, lgG/lgM, CE/WHO GMP Approved	Sakhi Enterprises
89.	Urine Container-non sterile, with screw cap, disposable, 50 ml volume	Popular Scientific Corporation
90.	Urine Strips for Unrine Analyzer Model Uritek 151	Pharma Surge Impex Corporation
91.	VDRL with positive and negative control RPR method CE/WHO GMP approved	Vinay Brithers Diagnostics
92.	WBC Diluting fluid (Per 500 ml)	Popular Scientific Corporation
93.	WBC pipette-glass with clear markings with rubber teat	Popular Scientific Corporation
94.	Widal slide test kit coloured antigen for salmonella typhi O, H & Salmonella paratyphi AH, BH/with positive control, CE/WHO GMP Approved	Popular Scientific Corporation

281. श्री सोमनाथ भारती : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में चल रहे तथा भविष्य में प्रारंभ होने जा रहे मोहल्ला क्लीनिकों का संपूर्ण विवरण विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध कराएं ;

(ख) किसी विधानसभा में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की मानक प्रक्रिया क्या है, चरणबद्ध विवरण उपलब्ध कराएं जिसमें प्रत्येक चरण में अनुमत्य समयावधि तथासंबंद्ध अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संपर्क-ब्यौरा शामिल हो;

(ग) एक विधानसभा क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की अनुमति हैं अथवा कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने तय हैं और इसका निर्णय करने की क्या कसौटी है;

(घ) प्रश्नकर्ता विधायक ने जिन 23 स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने का अनुरोध किया था, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कृपया उपर्युक्त में से प्रत्येक स्थान के बारे में बताएं कि वहां पर मोहल्ला क्लीनिक कब तक खुल जाएंगे;

(ङ) मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों का नाम, पदनाम तथा संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(च) क्या यह सत्य है कि हौजरानी में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंद्ध भूमि पर एक मोहल्ला क्लीनिक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;

(छ) यहां पर मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि मालवीय नगर स्थित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आई.सी.यू. की सुविधा, उच्च-स्तरीय नैदानिक सुविधाएं जैसे एम.आर.

आई. सीटि स्कैन आदि नहीं है और लंबे समय से यहां कोई कंसल्टेंट सर्जन भी नहीं है;

(झ) क्या दक्षिणी दिल्ली के निवासियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसलिए यहां उक्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ञ) इस अस्पताल में डायलेसिस केंद्र कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) वर्तमान में चल रहे मोहल्ला क्लिनिक तथा भविष्य में प्रारंभ होने जा रहे हैं मौहल्ला क्लिनिक का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न है;

Annexure- 'A' & 'B'

(ख) प्रस्तावित जगहों पर संयुक्त निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और भूमि मालिकाना एजेंसी करती है। भूमि मालिकाना एजेंसी से मौहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाता है। इस प्रक्रिया को दो महीनों में पूरा किया जाता है। मौहल्ला क्लिनिक की साध्यता होने के बाद इस जगह को लोक निर्माण विभाग को छः महीने के अन्दर मौहल्ला क्लिनिक तैयार करना होता है। तीन महीनों में बिजली, पानी व स्टॉफ की पोस्टिंग/Empanelment कर इसे शुरू कर दिया जाता है। संबंधित अधिकारियों की जानकारी Annexure- 'C' में संलग्न है;

(ग) दस से पंद्रह हजार जनसंख्या पर एक मौहल्ला क्लिनिक खोले जाने का मापदण्ड है;

(घ) जानकारी Annexure- 'E' में संलग्न है;

(ङ) संबंधित अधिकारियों की सूची (नाम, पात, दूरभाषा नं. सहित संलग्न हैं; Annexure- 'C'

(च) जी हाँ;

(छ) लो.नि.वि. को संबंधित जिला चिकित्सा अधिकारी ने निर्माण कार्य के लिए पत्र जारी कर दिया है;

(ज) मदन मोहन मालवीय अस्पताल में उक्त सारी सुविधाऐं उपलब्ध है। अस्पताल में कंसल्टेंट सर्जन की सेवा भी उपलबध है;

(झ) उपरोक्त 'ज' के अनुसार लागू नहीं।

(ञ) अस्पताल में डॉयलेसिस की सुविधा दिनाँक 04/08/2018 से उपलब्ध है।

Sl. No.	Assembly Name	District	Name of Aam Aadmi Mohall Clinic
1	2	3	4
1.	Adarsh Nagar	North	Outsite park, amber tower near Azdpur flyover, Azadpur Delhi-33
2.	Adarsh Nagar	North	Azadpuri Sabzi Mandi
3.	Adarsh Nagar	North	Azadpuri Fruit Mandi
4.	Babarpur	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Road no. 65 in front of Janta Colony
5.	Babarpur	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Road no. 66, along drain no. 1 in front of EDMC Court
6.	Babarpur	Shahdara	House No. D-44, Gali No. 9, Sattar Gali, Main Mohan puri, Maujpur, Delhi-110053

1	2	3	4
7.	Babarpur	Shahdara	House No. 58 Street No. 3, North Chhajupur, Shahdara, Delhi
8.	Babarpur	Shahdara	House No. C-11/96, Yamuna Vihar, Delhi-110053
9.	Babarpur	Shahdara	Balbir Nagar,Babarpur (AC-67)
10.	Babarpur	Shahdara	House No. 81, Gali No. 54-V/1, Near Bal Vaishali Public School, Molarband Extn.
11.	Babarpur	Shahdara	Tejpur Pahari School AC-53 Badarpur
12.	Badli	North	A-215, Bhalaswa Dairy Near Police Station
13.	Bawana	North	Sant Kirpal Singh Public Trust
14.	Bawana	North	811, GT Road Aluipur Delhi-36
15.	Bawana	North-West	Hno : 271 pole no. 521-1/2/7/5 Village Sultanpur Dabas Neemwali gali, Delhi-39
16.	Bawana	North-West	Kno : 25, H.No. 13A Rajiv Nagar, Begum-pur, Opp. Sector-22, Rohini, Delhi-110086
17.	Bijwasan	South West	RZF-1120, Lohia Marg, Pandit Chowk, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi
18.	Burari	Central	Mohalla Clinic Nathupura :- Budh Bazar Road; Nathupura, Burari,
19.	Burari	Central	AAMC Wazirabad Khasara No. 120, Gali No. 17, Main Road, Wazirabad, Delhi.

1	2	3	4
20.	Burari	Central	AAMC Shashtri Nagar L-74, Shiv Watika Chowk, Shastri Nagar, Delhi-52
21.	Burari	Central	Takia Chowk Chopal, Burari Village, Delhi
22.	Chandni Chowk	Central	AAMC Yamuna Pushta Rain Basera Yamuna pusta AC-20 Chandi chowk
23.	Chandni Chowk	Central	AAMC Hanuman Mandir Rain Basera, Hanuman Mandir, ISBT, Delhi
24.	Chattarpur	South	D-24, Bhati Mines, AAMC
25.	Chattarpur	South	E-224, Bhati Mines, AAMC
26.	Chattarpur	South	Rajpur Khurd, AAMC
27.	Chattarpur	New Delhi	Plot No. 223, Khasra No. 630 min, Ghitorni (AC-46), Chattarpur
28.	Chattarpur	South	MG Road Sultanpur
29.	Delhi Cantt	New Delhi	V-11, Old Nangal, Delhi cannt, Muradabad pahari, Delhi cannt, South West Delhi-110010
30.	Delhi Cantt	New Delhi	R-4C, R-Series, East Mehram Nagar Delhi Cantt Delhi-110037
31.	Deoli	South	Block-E-7, Dakshinpuri
32.	Deoli	South	Mahila Vikas Kendra, Tigri, Sangam Vihar
33.	Deoli	South	JJ Cluster tigri, Near MLA Office

1	2	3	4
34.	Deoli	South	Holi Chowk, Sangam Vihar, AAMC
35.	Deoli	South	E-5, Dakshinpuri
36.	Dwarka	South West	Govt. Girls School Dwarka Sec-3, School ID-1821203
37.	Dwarka	South West	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay Sec-10 Dwarka School ID-1821137
38.	Dwarka	South West	Rain Basera, Punarwas Colony, Dwarka Sec-1
39.	Dwarka	South West	RZ-269/396, Gali No. 10-C, Indra Park, New Delhi
40.	Gandhi Nagar	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- AAMC, Basti Vikas Kendra, Kailash Nagar, Chander Puri Railway Line, Old Seelam Pur, Delhi
41.	Gandhi Nagar	Shahdara	House No. B2/4A, Street 4, East Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051
42.	Gandhi Nagar	East	On Pusta road below loop at stating point of Geeta colony Fly over (Kailash Nagar side) AC-61 Gandhinagar
43.	Ghonda	North East	New A-118, MS Market, Second Pusta Main Road, New Usmanpur, Delhi
44.	Ghonda	North East	Infront of Galaxy Salon Centre, Gali No. 2, Pusta-3, Usmanpur,

1	2	3	4
45.	Ghonda	North East	K6/4B, Street No. 22, West Ghonda, Delhi
46.	Ghonda	North East	B-1, Kartar Nagar, 3.5 Pusta, Street No. 2, Near Hero Showroom, Delhi
47.	Ghonda	Shahdara	Below ROB Wazirabad Road Ashok Nagar Side (AC-66 Ghonda)
48.	Gokalpur	North East	D-29, Gokalpuri, Delhi
49.	Gokalpur	North East	455, Street No. 8, Moonga Nagar, Karawal Nagar Road, Delhi
50.	Gokalpur	Shahdara	House No. C-2/12-B Meet Nagar, Khasra 336, Sabli Village, Delhi-110094
51.	Gokalpur	North East	Gokul puri Road No. 59 alongwith school boundary near police station building (Ac-68 Gokal puri)
52.	Gokalpur	Shahdara	Road No. 68, Near ROB Towards Nand Nagri (AC-68 Gokalpur)
53.	Hari Nagar	West	Govt. Scool, Beri Wala Bagh, subhash nagar
54.	Janak Puri	West	AAMC 69 Hastsal Village, Ner DDA Park, Vikas Puri
55.	Janak Puri	West Ext.	AAMC RZ-22, Khushiram Park, Om Vihar
56.	Janak Puri	West	AAMC School ID : 1720014

1	2	3	4
			Sarvodya Sr. Secondary SKV Janakpuri D Block No. 1 (AC-30 Janakpuri)
57.	Jangpura	South East	Rain Basera, Sarai Kale Khan
58.	Jangpura	South East	195-A, Hari Nagar Ashram, New Delhi-14
59.	Karol Bagh	Central	AAMC Multani Dhanda Plot No. 9857-59,gali no. 5/6, Mutani Dhanda, Paharganj
60.	Karol Bagh	Central	AAMC Aram Bagh Near Centeral Park Aaram Bagh Road, Delhi-05
61.	Karol Bagh	Central	AAMC Khalsa College, Karol Bagh
62.	Kirari	North West	B-125, Pratap Vihar-3, Suleman Nagar, Delhi-86
63.	Kirari	North West	Kh No. 193, Shish Mahal enclave, prem nagar 3, Delhi-86
64.	Kirari	North West	H.No. C-441, Khasra No. 42/3, Inder Enclave, Phase-1, Delhi-86
65.	Kondli	East	AAMC Vasundhara Enclave : in front on Persona Elite Gym, Vasundhara Enclave Delhi
66.	Kondli	East	AAMC Kondli Gharoli : Shiv Mandir Kondli Gharoli Dairy Farm
67.	Kondli	East	AAMC Khichripur : Block 5 Khichripur Delhi

1	2	3	4
68.	Kondli	East	AAMC Khichripur : Block No. 19 Kalyanpuri Delhi
69.	Kondli	East	AAMC Prachin Shiv Mandir, Mayur Vihar phase-3, Pragati Marg Near Bharti Public School
70.	Kondli	East	AAMC Pratap Chowk : Pratap Chowk, Dallupura Kondli, Delhi
71.	Kondli	East	AAMC Dallupura : Near Samuday Bhawan, Harijan Basti Dallupura Village Kondli Delhi
72.	Krishna nagar	East	AAMC old Anarkali : House no. 52 Old Anarkali, Krishna Nagar
73.	Laxmi Nagar	East	AAMC Talab Chowk : Talab Chowk Mandawali Fazalpur, Delhi-92
74.	Laxmi Nagar	East	AAMC, CPA Building, Shakarpur
75.	Laxmi Nagar	East	AAMC Ganesh Nagar : C-95A Ganesh Nagar Complex, Delhi-92
76.	Madipur	West	AAMC E-115, Raghuvir Nagar
77.	Malviya Nagar	South	Lado Sarai, M B Road
78.	Malviya Nagar	South	Panchsheel Vihar, AAMC
79.	Mangolpuri	North-West	Outside Govt SR. Secondary School, Mangolpuri Khurd Delhi, AC-12 Mangolpuri

1	2	3	4
80.	Mangolpuri	North-West	H.No. A-4/291, Sector-4, Rohini, Delhi-85
81.	Mangolpuri	North-West	H.No. 66, Block-E, Pocket-18, Sector-3, Rohini, Delhi-85
82.	Matiala	South West	Khasra No. 161/162, B-Block, Qutub Vihar, New Delhi
83.	Matiala	South West	B-38, Banwarilal Complex, 25 Feet road, Shyam Vihar Phase-I, New Delhi
84.	Matiala	South West	C-92, Sahyog Vihar, Near Masjid, New Delhi
85.	Matiala	South West	Pochanpur, Near Harijan Chopal, Sector-23, Dwarka, New Delhi
86.	Matiala	West	AAMC E-159, A Mansaram Park, Uttam Nagar, New Delhi
87.	Mehrauli	South	Mehrauli, Andheri Mor
88.	Model Town	Central	AAMC Sindorakalan Opposite Nav Bharti School Sindorakalan, Delhi
89.	Model Town	Central	AAMC Kamla Nagar Oppsite Primary School Madavaliya School, Kamla Nagar, Delhi-07
90.	Model Town	North	H. No. 467 D Near Budh Mandir, Village Azadpur

1	2	3	4
91.	Moti Nagar	West	Near Govt. Sarvodya Bal Vidyalaya Shradhapuri Boundary Wall (AC-25 Moti Nagar)
92.	Mundka	North West	Village Ghevra, Munka
93.	Mundka	West	AAMC C-62, Adhyapak Nagar, Nangloi, New Delhi
94.	Mundka	West	AAMC Ho. No. 9, Gali No. 3, Lekh Ram Park, Tikri Kalan
95.	Mundka	West	AAMC E-3/62, Shiv Ram Park, Nangloi
96.	Mundka	North West	Kanjhawala (School Site)
97.	Mundka	West	Aggarwal Chowk, Chander Vihar, Nilothi Ext. II
98.	Mustafabad	North West	B-18/1, Ganga Vihar, Delhi-94
99.	Mustafabad	North West	C-45, Gali No. 03, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-94
100.	Mustafabad	North West	B-90, BG/F, House No. 36/17, Gali No. 14, Main 25 Feet Road, Phase-10, Shiv Vihar, Delhi
101.	Mustafabad	North West	H.No. 200, Gali No. 06, Phase-9, Shiv Vihar, Delhi-4
102.	Najafgarh	South West	School ID-1821026, SKV Chhawla
103.	Najafgarh	South West	School ID-1821026 GBSSS, Chhawla

1	2	3	4
104.	Najafgarh	South West	School ID-1821034, Govt. coed S. Sec. School, Kanganheri
105.	Najafgarh	South West	School ID-1822012, GBSSS, Kair
106.	Najafgarh	South West	RZ-247A, Gali No. 18, Ajay Park, Najafgarh New Delhi-110043
107.	Najafgarh	South West	RZ-38, A-block, Main Gopal Nagar, Najafgarh New Delhi-110043
108.	Najafgarh	South West	100-A, Dwarka Vihar Colony Phase-1, Najafgarh New Delhi
109.	Najafgarh	South West	School ID:1822055, Govt. Co-ed Senior Secondary School, Jaffar Kalan (AC-35, Najafgarh)
110.	Najafgarh	South West	School ID : 1822003, Sarvodya Senior Secondary School, Sureha (AC-35, Najafgarh)
111.	Najafgarh	South West	School ID : 1822004, Mundela Kalan, Govt. Co-ed, Senior Sec School (AC-35, Najafgarh)
112.	Nangloi Jat	West	AAMC Peeragarhi Near PWD office (AC-11 Nangloi Jat)
113.	Nangloi Jat	West	AAMC RZ B/149, Nihal Vihar
114.	Nangloi Jat	West	AAMC RZ-E-244, Thanewali Road, Nihal Vihar

1	2	3	4
115.	Nangloi Jat	West	AAMC RZ-Q-57, Gurudwara road, 500 Gaj Nagloi
116.	Nangloi Jat	West	Ranhoola Extn. Najafgarj-Naglori Road (AC-11 Nagloi Jat)
117.	Narela	North	126, Ishwar Colony Ext. 3
118.	Okhla	South East	AAMC Flood Control land Abul Fazal Enclave
119.	Okhla	South East	AAMC Flood Control land Shaheen Bagh
120.	Okhla	South East	S-10/D-15 Jogabai Ext. Zakir Nagar, Okhla, New Delhi
121.	Okhla	South East	C-5 Behind Masjid Noor Jogabai Ext. Khazuri Road, Okhla, New Delhi
122.	Palam	South West	RZ-D-87, A/1, Dabri Ext, Gali No. 9, New Delhi, (632 Sq.ft.)
123.	Palam	South West	G-70/4, Mandir Marg Mahavir Enclave New Delhi-110045
124.	Patparganj	East	AAMC West Vinod Nagar : D-55 Gali No. 11 West Vinod Nagar
125.	Patparganj	East	AAMC Shashi Garden : Shastri Mohalla Shashi Garden Delhi
126.	R.K. Puram	New Delhi	80-A/4, G/F, Near Canara Bank, Village Munirka, New Delhi-110067

1	2	3	4
127.	Rajender Nagar	New Delhi	WZ-115A, Todapur Village I.A.R.I. Delhi 110012
128.	Rithala	North West	Sec-16, near Sukdev Management College Rohini
129.	Rithala	North West	Sec-17, Near TPDDL Office, Rohini
130.	Rithala	North West	On the bank of nala, Rithala Village, Rithala, Delhi
131.	Rithala	North West	H.No. 231-32, Kh. No. 28/19, Mange Ram Park, Budh Vihar Phase-2 Delhi-86
132.	Rithala	North West	Kh No. 65/10, Q-44, Budh Vihar, Phase-I, Opp. Surya Market, Delhi-10086
133.	Rithala	North West	F4/6, Sector 16 Rohini, Delhi 85
134.	Rithala	North West	In front of Amrit Enclave Shahid Bismil Marg Deepali Chowk, AC-13, Pitampura
135.	Rohtash Nagar	Shahdara	House No. 1/1616-17 Gali No. 6, Subhash Park Ext. Shahdara, Delhi-110032
136.	Rohtash Nagar	Shahdara	House No. B-10(1/11805), Plot No. A-28, Panchsheel Garden, Naveen Shahdara, Delhi-110032
137.	Rohtash Nagar	Shahdara	House No. D-233, School Block Nathu Colony, Delhi-110093
138.	Rohtash Nagar	Shahdara	Shahdara Flyover Near DTC Depot (AC-64) Rohtas Nagar

1	2	3	4
139.	Sadar Bazar	Central	Below Metro Near Sai Mandir AC-19, Sadar Bazar
140.	Sangam Vihar	South East	AAMC Under Footover Bridge Batra Hospital near Sant Narayan Mandir Bus Stand
141.	Sangam Vihar	South East	J-2-B/75, Gali No. 2, Gupta Colony, Sangam Vihar
142.	Seelampur	North East	930, Gali No. 30/7, Jaferabad, Delhi
143.	Seelampur	North East	H.No. 42/1 Puri Street No. 1, Maujpur Near JM Convent School, Delhi
144.	Seemapuri	Shahdara	AAMC Prta Cabin :- Road No. 69, Gagan crossing to Tahirpur, Near Anand Gram Ashram Bus Stand.
145.	Seemapuri	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Gagan Cinema Xing towards Sunder Nagri
146.	Seemapuri	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Near Bus Depot of DTC, Seemapuri, Delhi
147.	Seemapuri	Shahdara	House No. A-170, Dilshad Colony, Delhi-110095
148.	Seemapuri	Shahdara	A-3 Nand Nagri, Near Deve Medical, Ac-63 Seemapuri
149.	Shahdara	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Near Jama masjid, behind MCD Primary School, Old Seemapuri

1	2	3	4
150.	Shahdara	Shahdara	AAMC Porta Cabin :- Below GT Road Flyover, Near Mansarover Park, Metro Station in frontof Friends colony, Jwala Nagar
151.	Shahdara	Shahdara	House No. 312, Gali No. 6, Gautam Gali, Jwala Nagar, Delhi-110032
152.	Shahdara	Shahdara	Flat No. 193A, Satyam Enclave, Delhi-110095
153.	Shahdara	Shahdara	House No. 7/376, Jwala Nagar, Main Road Shahdara, Delhi-110032
154.	Shahdara	Shahdara	R.No. 58 (Maharaja Surajmal Marg) Along wall of shaeed Shukhdev Business Collage, Near satyam Enclave (AC-62 Shahadara)
155.	Shakur Basti	North-West	Near Ran Basea, Cement siding, Shakur Basti Railway Station
156.	Shakur Basti	West	AAMC JJ Cluster colony, Meera Bagh (AC-15 Shakur Basti)
157.	Shakur Basti	West	AAMC Mohalla Clinic Peeragarhi, Peeragarhi relief camp
158.	Shakur Basti	West	AAMC A2/254, LIG Flats, Pratik Apartment, Paschim Vihar

1	2	3	4
159.	Shakur Basti	West	AAMC B-32/A, New Slum Quarter, Paschim Puri Shifted to BVK 640 sium tenements
160.	Shakur Basti	West	Container at Jwalaheri, Major Ashwani marg, Paschim Vihar
161.	Shalimar Bagh	North-West	Along Railway wall kela godan road oppo site BC block Shalimar Bagh AC-14 Shalimar Bagh Delhi.
162.	Shalimar Bagh	North-West	BH Block, 700A, East Shalimar Bagh, Janta Flat, Delhi-88
163.	Sultanpur Majra	North-West	P2/652, Sultanpuri J.J. Colony, Delhi-110086
164.	Sultanpur Majra	North-West	H.No. E 7/84, Near Sani Bazar Road, Sultanpuri, Delhi-110086
165.	Tilak Nagar	West	AAMC 12 Block Tilak Nagar DUSIB Land
166.	Tilak Nagar	West	School Id: 1514005, Sarvodya Sr. Second-ary School, Gurudwara Road, Tilak Nagar
167.	Timarpur	Central	AAMC Aruna Nagar E-28, Aruna Nagar, Majnu Ka Tila, Delhi
168.	Trilokpuri	East	AAMC Trilokpuri 6 Block : Block 6/233 Trilokpuri Delhi-91

1	2	3	4
169.	Trilokpuri	East	AAMC Trilokpuri 6 Block : Block 6/233 Trilokpuri Delhi-91
170.	Trinagar	North-West	Vacant Land opposite House No. 831 Block-G, Shakurpur, Ranjeet Nagar DGD Shakurpur (North West) AC-16 Tri Nagar
171.	Trinagar	North-West	Vacant Land of Dusib, In front house no. 307, Block-I, Shakurpur, Ranjeet Nagar DGD Shakurpur AC-16 Tri Nagar
172.	Tughlakabad	South East	Bus Stand Pul Prahladpur MB Road
173.	Tughlakabad	South East	AAMC MB Road Sri Maa Anandmayi Marg Prem Nagar
174.	Uttam Nagar	West	AAMC A-32/33 A Ext. Mohan Garden
175.	Uttam Nagar	West	AAMC H.No. L-2/D, 69A, Mohan Garden, Uttam Nagar
176.	Uttam Nagar	West	AAMC Plot No. 324 Aryan Garden Road, Om Vihar Uttam Nagar
177.	Vikas Puri	West	AAMC Plot No. 3 & 4, D Block, Jai Vihar-1, Najafgarh
178.	Vikas Puri	West	AAMC Gali No. 9, Kh. No. 79/20 Chanchal Park, Bakkaewalla, Vikas Puri
179.	Vikas Puri	West	AAMC House No. 112, Lions Enclave, Ranholla Road, Vikas Nagar

1	2	3	4
180.	Vikas Puri	West	AAMC B-43, AS/F, Vikas Nagar
181.	Vikas Puri	West	AAMC Plot No. B-340 Vikas Nagar, Vikas Vihar
182.	Vikas Puri	West	AAMC 150-A, Gali No. 4, Nathan Vihar, Ranholla, Nangloi
183.	Vikas Puri	West	AAMC B-5, Shiv Vihar, Col Bhatia Road, Tyagi Chowk
184.	Vikas Puri	West	AAMC DUSIB Land EWS Flat Baprola (AC-31 Vikaspuri)
185.	Vikas Puri	West	Dusib Land, SRC Colony Barkarwala (AC-31 Vikashpuri)
186.	Wazirpur	North-West	Adj. Delhi grant, Library MCD Sulabh Shauchalaya, Opp. Dusib sulabh toilet, Wazirpur, JJ Colony, Ranjeet Nagar AC 17 Wazirpur
187.	Wazirpur	North-West	Shiv Mandir, Sewa Samiti, Wazirpur Village, Delhi-52
188.	Wazirpur	North-West	A-2/131, Keshavpurm, Delhi-110035
189.	Wazirpur	North-West	C-3/76 Keshavpuram, Delhi-35

Annex-B

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
1.	North	Adarsh Nagar	4	DJB, Pump House, G & E Block Jahangir Puri, Delhi-33	DJB
2.	North	Adarsh Nagar	4	DJB ZRO Office, Majtis Park, Malik Ram Tandon Marg, Azadpur, Delhi-33	DJB
3.	South	Ambedkar Nagar	48	DJB Site, Main reservoir (pani ki tanki) near h block dakshin puri	DJB
4.	South	Ambedkar Nagar	48	DJB Site, F Block dakshin puri near big nala & mcd School	DJB
5.	Shahdara	Babarpur	67	DJB Site, North ghonda sps, Near Krishna park	DJB
6.	Shahdara	Babarpur	67	DJB SPS, Ghonda Chowk	DJB
7.	Shahdara	Babarpur	67	DJB New Kardampuri SPS	DJB
8.	South-East	Badarpur	53	DJB Site, Meethapur extn. near Molarband senior	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
				Secondary School Badarpur	
9.	South-East	Badarpur	53	DJB Booster pumping station No. 4 meethapur extn Badarpur	DJB
10.	South-East	Badarpur	53	DJB Site, Bye pass road, Molarband extension opposite MCD School, Badarpur	DJB
11.	South-East	Badarpur	53	DJB Site, Molarband extension opposite NTPC gate no. 3 near MLA office, Badarpur	DJB
12.	South-East	Badarpur	53	DJB Office, Meethapur Chowk, Badarpur	DJB
13.	South-East	Badarpur	53	DJB Booster pumping station Molarband shamsanghat Badarpur	DJB
14.	South-East	Badarpur	53	DJB Site, B P Station No. 1, Badarpur main market, near Ramsingh Neta Ji office, Badarpur	DJB
15.	North	Badli	AC-5	Siraspur	Gram Sabha

16.	North	Badli	5	DJB JE (Water) Office, Mandir Mohalla, Badli	DJB
17.	North	Badli	5	DJB Booster Pumping Station, Sanjay Gandhi Transport Nagar, Delhi-42	DJB
18.	North	Badli	5	DJB UGR & Booster Pumping Station, Bhaita Road, Gali No. 15, Swaroop Nagar, Delhi-42	DJB
19.	North	Badli	5	DJB UGR & Booster Pumping Station, CD Partk Jahangirpuri, Delhi	DJB
20.	North	Bawana	AC-07	Prahladpur	Gram Sabha
21.	North	Bawana	AC-07	Sultanpur Dabas	Gram Sabha
22.	North	Bawana	AC-07	Mungespur	Gram Sabha
23.	North	Bawana	AC-07	Shahbad Dairy	Gram Sabha
24.	North West	Bawana	AC-07	Punjab Khore	Gram Sabha
25.	North West	Bawana	AC-07	Qutubgarh	Gram Sabha
26.	North West	Bawana	AC-07	Bhudhanpur	Gram Sabha

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
27.	North West	Bawana	AC-07	Chandpur	Gram Sabha
28.	North West	Bawana	AC-07	Jatkhore	Gram Sabha
29.	North West	Bawana	7	DJB Site, Prahladpur DJB Building, Bawana	DJB
30.	North	Burari	AC-02	Mukhmelpur	Gram Sabha
31.	North	Burari	AC-02	Nangli Poona	Gram Sabha
32.	North	Burari	AC-02	Ibrahimpur	Gram Sabha
33.	Central	Chandni Chowk	20	JJ chusters, Aruna Nagar	DUSIB
34.	South	Chattarpur	46	DJB Land, Mandi Village, Chattarpur	DJB
35.	South	Chattarpur	46	DJB Land, Near Shiv Mandir, Dera Village, Dera Mandi	DJB
36.	South	Chattarpur	46	DJB Site, Water Tank, Adhikari Mohalls, IGNOU Main Road, Maidangarhi	DJB
37.	South	Chattarpur	46	DJB Site, Satbari village near	DJB Sai mandir

38.	South	Chattarpur	46	DJB Site, Aya nagar near shiv hansa chowk Chattarpur	DJB
39.	Shahdara	Gandhi Nagar	61	DJB Masjid, Premises DUSIB	DUSIB
40.	Shahdara	Gandhi Nagar	61	BVK along Kallash Lane Gali No. 17, Kalish Nagar	DUSIB
41.	Shahdara	Gandhi Nagar	61	DJB Office, West Kanti Nagar, Shanti Mohalla	DJB
42.	North-East	Ghonda	66	DJB Booster, Block-B, Yamuna Vihar, B/h Bhajanpur Thana	DJB
43.	Shahdara	Gokalpur	68	DJB Site, Mandoli Village Pani ki Tanki	DJB
44.	Shahdara	Gokalpur	68	DJB Site, Gali No. 6 Mandoli Vishtar Gokalpuri	DJB
45.	South	Greater Kailash	50	DJB Site, Balmiki Mandir Savitri Nagar	DJB
46.	South	Greater Kailash	50	DJB Site, DDA flats khirki pump house	DJB
47.	South	Greater Kailash	50	DJB Near DDA Park, NHP Sheikh Sarai, Ph-II, New Delhi	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
48.	South	Greater Kailash	50	DJB JE Office Near Booster Pumping Station, Chirag Delhi, New Delhi	DJB
49.	South	Greater Kailash	50	DJB Tubewell No. 55, Near Shiv Mandir, Chirag Delhi, New Delhi	DJB
50.	South	Greater Kailash	50	DJB Site, Kailash Colony Market, GK-1, New Delhi-48	DJB
51.	South	Greater Kailash	50	DJB Site Panchsheel Park, OHT (Overhead Tank)	DJB
52.	South	Greater Kailash	50	DJB Site, Near Guru Harkishan Public School, Hemkund Colony, GK-1	DJB
53.	South East	Greater Kailash	50	DJB land, behind M block Market opposite M-32, adjacent to W block, office of J E Water	DJB
54.	South East	Greater Kailash	50	DJB Site, D-607 CR park, jal board pumping house, GK Vidhansabha	DJB

55.	South East	Greater Kailash	50	DJB EPDP, B block C R Park, G K Vidhansabha	DJB
56.	South East	Greater Kailash	50	DJB Site, 47 block, 429 bus stop DDA flat Kalkaji, ward 87S C R Park, Greater Kailash	DJB
57.	South East	Jangpura	41	DJB Land, Block H Lajpat Nagar, Jal Vihar terminal	DJB
58.	South East	Jangpura	41	DJB Site, Opposite G-8 Nizammudin West Jangpura	DJB
59.	South East	Jangpura	41	DJB Sewer Store, Bhogal, Near Dhobi Ghat, Jungpura	DJB
60.	South East	Jangpura	41	Apna Bazar, Block-3, Nehru Nagar, Jungpura	DJB
61.	South East	Kalkaji	51	DJB pumping station (Water Booster) Transit camp B block near by petrol pump govindpuri kalkaji	DJB
62.	South East	Kalkaji	51	DJB office opposite Navjeevan E block near by Pocket A-10 Kalkaji extension	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
63.	South East	Kalkaji	51	DJB Land, G block east of Kailash, Sri Niwas Puri	DJB
64.	North East	Karawal Nagar	AC-70	Badapur Khadar	Gram Sabha
65.	South East	Karawal Nagar	42	DJB land, B-Block Sewa	DJB Nagar
66.	South East	Karawal Nagar	42	DJB Site, Q block DJB Pump house near railway crossing, Pant Nagar	DJB
67.	South East	Karawal Nagar	42	DJB Water Store, Defense Colony	DJB
68.	South East	Karawal Nagar	42	DJB Site, J Block, Opposite of Satsang Saheb Darbar, Lajpat Nagar-3, Block-J, Lajpat Nagar III, Lajpat Nagar	DJB
69.	South East	Karawal Nagar	42	DJB Office, Lajpat Nagar 1	DJB
70.	North West	Kirari	AC-9	Nithari	Gram Sabha

71.	East	Kondli	56	DDA flats Gazipur	DUSIB
72.	Shahdara	Krishna Nagar	60	DJB Site, Block-S, Lal Quarters near Sharma Wardi Wale	DJB
73.	East	Laxmi Nagar	58	DJB Site, Ramesh Park, Dak Khana Road, Laxmi Nagar	DJB
74.	West	Madipur	26	DJB Site, Near Bhagwati part back side of jheel park madipur village	DJB
75.	South	Malviya Nagar	43	DJB Site, Hauz Rani behind RRM sr sec school near community cntr and Facing zakaria park Hauz Rani, AC Malviya Nagar	DJB
76.	South	Malviya Nagar	43	DJB Site, Sewage Pumping Station, Arjun Nagar, Block B 7, Arjun Nagar, New Delhi	DJB
77.	South	Malviya Nagar	43	DJB Site, Office Of JE (Sewer) Green Park Extension, Yusuf Sarai, New Delhi	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
78.	North West	Mangolpuri	12	J-Block in National Flag Park Mangol Puri (Property DUSIB in Prossession NDMC)	DUSIB
79.	North West	Mangolpuri	12	I-Bik, Opp. H-Bik, DUSIB land four side open Adj. I-624 house no. near Sant Ram Chowk	DUSIB
80.	North West	Mangolpuri	12	NWD122, H Block Park, Near Govt. Sarvodya Kanya Vidyalaya, Mangolpuri	DUSIB
81.	New Delhi	Mehrauli	45	Near Masoodpur Crossing & Verternary Hospital	PWD
82.	North West	Mundka	AC-8	Jaunti	Gram Sabha
83.	North West	Mundka	AC-8	Mohd. Pur Majri	Gram Sabha
84.	North West	Mundka	AC-8	Ghewra	Gram Sabha
85.	North West	Mundka	AC-8	Sawda	Gram Sabha
86.	North West	Mundka	AC-8	Nizampur	Gram Sabha

87.	North West	Mundka	AC-8	Garhi randhala	Gram Sabha
88.	North West	Mundka	AC-8	Kanjhawala	Gram Sabha
89.	North West	Mundka	AC-8	Ladpur	Gram Sabha
90.	North West	Mundka	AC-8	Rasulpur	Gram Sabha
91.	North West	Mundka	AC-8	Chatesar	Gram Sabha
92.	West	Mundka	8	DJB 40 M.G.D. Sewage Treatment plant, Shivram Park, Nilothi Main Road, Mundka	DJB
93.	West	Mundka	8	Water Treatment plant, Firni road villege kamrudin nagar	DJB
94.	West	Mundka	8	DJB, Sewer store, Budh bajar road, Camp No. 2, J.J. Colony, Nangloi Delhi	DJB
95.	West	Nangloi Jat	11	Nangloi jj camp no. 3 near baraat ghar	DJB
96.	West	Nangloi Jat	11	Udyog Nagar Slum Near Peeragarhi, Nangloi	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
97.	North	Narela	AC-01	Kherakhurd	Gram Sabha
98.	North	Narela		Bankner	Gram Sabha
99.	North	Narela	AC-01	Singhola	Gram Sabha
100.	North	Narela	AC-01	Mohd Ramjaanpur	Gram Sabha
101.	North	Narela	AC-01	Holambikalan	Gram Sabha
102.	North	Narela	AC-01	Sanoth	Gram Sabha
103.	North	Narela	AC-01	Nays Bas	Gram Sabha
104.	North	Narela	AC-01	Auchandi	Gram Sabha
105.	North	Narela	AC-01	Tikrikurd	Gram Sabha
106.	North	Narela	AC-01	Harewali	Gram Sabha
107.	North	Narela	AC-01	Singhu	Gram Sabha
108.	North	Narela	AC-01	Khera Kalan	Gram Sabha
109.	North	Narela	AC-01	Alipur	Gram Sabha
110.	North	Narela	AC-01	Budhpur Bijapur	Gram Sabha

111.	North	Narela	AC-01	Kulakpur	Gram Sabha
112.	North	Narela	AC-01	Akbarpur Majira	Gram Sabha
113.	North	Narela	AC-01	Hamidpur	Gram Sabha
114.	North	Narela	1	DJB ZE & ZRO Office, Sanjay Colony Saifabad Road, Narela	DJB
115.	North	Narela	1	DJB Store, Alipur Garhi, Main Alipur Narela Road	DJB
116.	North	Narela	1	DJB Pump House, Hiranki Village, Narela	DJB
117.	North	Narela	1	DJB Booster Pump, Palla, Opposite GBSSS, Palla Majra	DJB
118.	North	Narela	1	DJB Booster Pump. House Tiggipur	DJB
119.	North	Narda	1	DJB Booster Pump House Sindhu Village. Near Temple. Opposite Mahalakshmi Dairy.	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
120.	North	Narda	1	DJB Site, Near Plot No. 92. A Block. Hoalmbi Kalan. Phase-I. Metro Vihar, Delhi-82.	DJB
121.	North	Narela	1	Metro Vihar. PH-I (New Dispensary) B-Block. Narela	DUSIB
122.	North	Narela	1	Metro Vihar, Ph-II (New Dispensary Narela	DUSlB
123.	South-	Okhla East	54	DJB, Filling point (not in use), M block Sarita Vihar Okhla	DJB
124.	South-	Okhla East	54	DJB bottling plant (Not in use) Sarita Vibar Madanpur Khadar village, Okhla	DJB
123.	South-East	Okhla	54	DJB, Filling point (not is use) M block Sarita Vihar Okhla	DJB
124.	South-East	Okhla	54	DJB bottling plant (Not in use) Sarita Vihar Madanpur Khadar village, Okhla	DJB
125.	South-East	Okhla	54	DJB Site, SPS, opposite A Block Sarita Vihar, Okhla	DJB

126.	South-East	Okhla	54	DJB land, Okhla Vihar near Ikra Masjid, opposite pocket 11 Jasola	DJB
127.	West	Patel Nagar	24	DJB Site, Ranjit Nagar, Block 7, South Patel Nagar.	
128.	West	Patel Nagar	24	DJB Site, Shaadi Khampur, Near Sarvodaya Kanya Vidyalaya, South Patel Nagar.	DJB
129.	West	Patel Nagar	24	DJB Site, Block-F, Pandav Nagar.	DJB
130.	West	Patel Nagar	24	DJB Site, Gali No. 1. Shiv Mandir Chowk, Prem Nagar	DJB
131.	West	Patparganj	57	DJB Site, B.D Block : Mayur Vihar Phase-II	DJB
132.	New Delhi	Rajender Nagar	39	DJB UGR Dasghara ward 103	DJB
133.	North-west	Rithala	6	DJB Site, Avantika Sector-1 B/h Pani ki Tanki, Rithala	DJB
134.	Shahdara	Rohtas Nagar	64	C-3, near H.No. 507, Nand	DUSIB Nagari

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
135.	Shahdara	Rohtas Nagar	64	Near Dr. Siddiqui Clinic Block C-3 Nand Nagari	DUSIB
136.	Shahdara	Rohtash Nagar	64	DJB site, MIG F1ats, East Of Loni Road. West Jyoti Nagar. Pocket A. Chitrskoot, Shahdara	DJB
137.	South-East	Sangam Vihar	49	DJB Sewer store, Okhla Estate Marg. Kalkaji Extension	DJB
138.	South-East	Sangam Vihar	49	DJB Booster Pump, Gali no. 13, Shiv Mandir Marg, Tuglakabad Extension	DJB
139.	South-East	Sangam Vihar	49	DJB Site, Gali no. 36 opposite jamia hamdard gate no 6 Tughlakabad extn.	DJB
140.	North-East	Seelampur	65	DJB Site, Gali No. 5, Gangotri Vihar, Near Bhagat Singh Chowk	DJB
141.	Shahdara	Seelampur	AC-66	Site at J-Blode New Seelampur near Madrasa, Delhi	DUSIB

142.	Shahdara	Seelampur	65	Vacant possession of BVK in Janta Mazdoor Camp Zafrabad Seelampur	DUSIB
143.	North-East	Seelampur	65	DJB Site Gurdwara Road, Phase-1. B-Block, New Seetampur	DJB
144.	North-East	Seelampur	65	DJB Site, Near khatta brahmpuri morh	DJB
145.	Shahdara	Seemapuri	63	DJB near 2142 Janta flat G.T.B enclave	DJB
146.	Shahdara	Seemapuri	63	DJB Land, A block near New	DJB
147.	Shahdara	Seemapuri	63	DJB Dilshad colony A, B, D, E block	DJB
148.	Shahdara	Seemapuri	63	BVK Sooia Camp Jhilmil Industrial Area	DUSIB
149.	Shahdara	Shahdara	63	F-1/351, Sunder Nagri, DeIhi-93	DUSIB
150.	Shahdara	Shahdara	62	DJB Pumping Station, R-Block, Dibhad Garden	DJB
151.	North West	Shahdara	62	DJB Land A-1 West Enclave	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
152.	North West	Sultanpur Majra	10	Sultanpuri 908 Bus Terminal k Pass, near M.sjld wala park	DUSIB
153.	North West	Sultanpur Majra	10	Sultanpuri F-2, Barat Ghar k Sath wala park	DUSIB
154.	North West	Sultanpuri	AC-48	Sultanpur Mazra	Gram Sabha
155.	West	Tilak Nagar	29	DJB Site, Vilw Purl trainer's colony, petrol pump road, opposite anlariksha appartments	DJB
156.	Central	Mimarpur	3	Kabir Basti Malka Ganj (within premise of Raghoshalla, Delhi	DUSIB
157.	North-West	Tri Nagar	16	DJB Office, Lawrence Road Industrial Alea	DJB
158.	North-West	Tri Nagar	16	DJB OffIce, Road No. 44, Harsh Vilar Pitarnpura	DJB
159.	North-West	Tri Nagar	16	DJB Site, Presktent Estate Near Kanhaiya Nagar Metro Station, Nagar	DJB

160.	North-West	Tri Nagar	16	Road Side Lala Lajpat Rai Marg, Next To ..., Shankar Chowk	DJB
161.	North-West	Tri Nagar	16	PWO Road Side, opposite Metro Pillor No. 217. Mahavir Singh Marg, Road No. 37	PWD Road
162.	North-West	Tri Nagar	16	PWD Road Side. Shri Nagar Coloney Gali No. 5	PWD Road
163.	East	Tri Nagar	35	Block No-9 vacant and abandoned space, trilok puri	DUSIB
164.	East	Trilok Puri	55	Block No-25 near Sant Nirnkari Bhawan, Trilokpuri	DUSIB
165.	East	Trilok Puri	55	DJB Site, Trilokpuri Pkt 5 UGR opposite Sanjay jheel	DJB
166.	East	Tughlakabad	52	DJB Site, Z-54, Sanjay Colony-II, Okhla Industrial Area	DJB
167.	South East	Tughlakabad	52	DJB tekhand sabji mandi ward 93	DJB
168.	South East	Tughlakabad	52	DJB Site, indira kalyan vihar near 177 phase 1 Ward 92	DJB

Sl.No.	Ditrict	Assembly	Assembly	Address	Agency
169.	South East	Tughlakabad	52	DJB HR block booster opposite LlG Prahladpur Ward 94s	DJB
170.	South East	Tughlakabad	52	DJB Land, MB Road, Tughlakabad	DJB
171.	West	Uttam Nagar	32	DJB Site, Bindapur JJ Colony, Uttam Nagar	DJB
172.	West	Uttam Nagar	32	DJB Site, H Block, Mohan Garden, Nawada	DJB
173.	West	Vikaspuri	31	DJB Site, Opposite gangotri appartments, Vilwpuri	DJB
174.	West	Vikaspuri	31	DJB Site, F Block, opposite K R mangalam school, Vikaspuri	DJB
175.	West	Vikaspuri	31	DJB Site, C block vikaspuri, Back side of indira Gandhi institute	DJB
176.	Shahdara	Vishwas Nagar	59	DJB Site, Dayanand Vihar, Anand Vihar	DJB
177.	North-west	Wazirpur		DJB Site, A-Block, Near Police Chowki,	DJB

Govt. of NCT to Delhi
Office of Chief District Medical Officer (South District)
Directorate of Health Services
Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi-110017
Phone-2569333, 26693016, 26592389
E-mail: cdmosouth.delhi@gov.in

F.No. 8(81)AMCC/CDMO/SD/CTB/DJB Sites & WCD Land/3058 Dated 03/08/18

To,

The Excutive Engineer (South) Maintenance,
(Old 422), Public Work Department,
PTS Malviya Nagar, New Delhi

Subject : Regarding setting of AAMC of WCD Land Plot No. 206, Hauz Rani, Malviya Nagar

Sir,

The WDC land Plot No. 206, Hauz Rani, Malviya Nagar, has been granted NOC by Women & Child Development Ministry to Health & Family Welfare Department Ministry for setting of AAMC, The land has been found feasible by health Department for AAMC and in view of NOC granted by WCD, PWD, South is hereby requested to set up the AAMC at the earliest.

Encl : (Dr. G.C. Mall)

CDMO South Distr

Encl:

(1) Copy of NOC granted by WCD.

(2) Copy of the onsite observation.

Office CDMO (SD)

The 23 Sites for AAMC Porta Cabin (Malviya Nagar)
All Sites have been visited by Health along with Honarable MLA Malviya Nagar

Sl.No.	Name and Address of the Site	Landowning agency	NOC	Feasibility by CDMO (SD)	Feasibility by PWD	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Delhi Jal Board Site, Land next to the Community Centre, Hauz Rani. New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Feasible	Visit done by PWD Feasibility report awaited	
2.	Property of WCD, (Already given to Delhi Govt., by Indian Union Cabinet Minister for Women & Child Development Smt. Maneka Gandhi)	WCD	NOC received from WCD	Feasible	Feasible	NOC handed over to PWD
3.	Delhi Jal Board Site,	DJB	NOC received from	Feasible	Visit done by PWD	

	Near Gandhi Park, Hauz Rani, Near R.K. Agency. Opp. Mall, T -Point Red Light		DJB		Feasibility report awaited	
4.	SDMC Park Area Hauz Rani. Opp. F-B1ock Malviya Nagar. Nre Delhi	SDMC	SDMC NOC status not known			
5.	Delhi Jal Board Site, Kumar Basti, KOT, Opp. Press Enclave, Near Metro Station, Malviya Nagar, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Feasible	Visit done by PWD Feasibility report awaited	
6.	Delhi Jal Board Site, Block-14 & 15 Malviya Nagar, Shivalik Road, behind Bus Stand, Opp. B-Block, Shivalik,	DJB	NOC received from DJB	Conditional Feasible (see Remarks)	Visit done by PWD Feasibility report with site awaited	population overlap with site at Sno 7
7.	Indira Camp, Basti Vikas Kendra, Begumpur Village, Near DSUIB Land, New Delhi	DUSIB	NOC received from DUSIB	Conditional Feasible (see Remarks)	Inspection with PWD not Done	Population overlap with site at Sno 6

1	2	3	4	5	6	7
8.	DMRC Property, Adjacent to DGD, Begumpur, Sarvapriya Vihar, Apptt, New Delhi	DMRC/ DDA/ MCD	Land owning agency not known			
9.	DTC Terminal, Kalu Sarai, Hauz Khas, New Delhi (Opp. Azad Apptt.)	DTC	DTC NOC status not known			
10.	Delhi Jal Board Site, Near Shiv Mandir, K-Block, Green Park Main, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Feasible	Inspection with PWD not Done (informed to PWD)	
11.	DDA Land, Adhchini, Main Aurobindo Road, New Delhi	DDA	DDA NOC status not known			
12.	PWD Land, Near IIT Flyover, Aurobindo Road, Opp. Essex Farm, New Delhi	PWD	PWD NOC status not known	Not Feasible (see Remarks)	Visit done by PWD Feasibility report awaited the site.	There is no 10000 population around

13. Delhi Jal Board Site, Office of Junior Engineer (Water), Green Park, Main Road to Market. New Delhi-110016	DJB	NOC received from DJB -	Not Feasible	Inspection with PWD not Done (informed to PWD) around.	Site is located in the market area with less than 10000 population
14. Delhi Jal Board Site, Office of Junior Engineer (Sewer), Green Park Extension, Yusuf Sarai, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Not Feasible	Inspection with PWD not Done (informed to (PWD)	There is less than 10000 population around the Site.
15. Land of SDMC Horticulture Department, Green waste Vermi Compost, Green park Nursery, (under Construction-Puckka Structure), Green park, New Delhi	SDMC	SDMC NOC status not known			
16. Delhi Jal Board Site, (Sewage Pumping System), Arjun Nagar, New Delhi	DIB	NOC received from DJB	Feasible	Inspection with PWD not Done (infonned to PWD)	

1	2	3	4	5	6	7
17.	Delhi Jal Board Site, (Locked Gate), Humayun Pur, Near Arjun Nagar DDA Mkt./Community Shopping Complex, Adjacent to Ambedkar Park, New delhi	DJB	NOC received from DJB	Feasible	Inspection with PWD not Done (infonned to PWD)	
18.	DDA Plot Corner, Chaudhary Harsukh Marg, Next to Reliance Fresh, Arjun Nagar, New Delhi	DDA	DDA NOC status not known			
19.	MCD/DDA Land, Maszid Moth Village, Behind AIlMS, Near Girls Hostel, (Near SAl Mandir), New Delhi	MCD/ DDA	Land owning agency not known			
20.	Delhi Lal Board Site. Opp. Siri Fort Complex. Behind Indian on Petrol	DJB	NOC received from DJB	Not Feasible (see	Inspection with PWD not Done (informed to	Site is located in the Office area with less

Pump. Next to SAI Baba Temple, Opp. Y-B1ock Ham Khas, New Delhi			Remarks)	PWD)	than 10000 population around
21. Delhi Jal Board Site, Corner Plot, Near NIFT, Hauz Khas, Opp. Gulmohar Park Gate, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Not Feasible	Inspection with PWD not Done (informed to PWD)	There Is less than 10000 population around the Site.
22. Delhi Jal Board Site, P-Block. Near Mother Dairy, Malviya Nagar, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Not Feasible		There is less than 10000 population around the Site.
23. Delhi Jal Board Site, Tooth Sarai, Malviya Nagar, New Delhi	DJB	NOC received from DJB	Feasible	Visit done by PWD (Feasibility report awaited)	

प. मदन मोहन मालवीय अस्पताल
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
मालविया नगर, नई दिल्ली-110017

क.स. 29(3) विधानसभा/एमएमएमएच/15 119-3 दिनांक 4/8/18

सेवा में,

उपसचिव (एस.एच.आई.बी.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
आई.पी. स्टेट दिल्ली सचिवालय
नई दिल्ली-110002

विषय : विधानसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या नं. 281 (क से ञ) का उत्तर निम्न है।

(क) वर्तमान में चल रहे तथा भविष्य में प्रारंभ होने जा रहे मोहल्ला क्लीनिकों का पूर्ण विवरण विधानसभा क्षेत्र पर उपलब्ध कराए;

(ख) किसी विधानसभा में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की मानक प्रक्रिया क्या है चरणबद्ध विवरण उपलब्ध कराएं जिसमें प्रत्येक चरण में अनुमत्य समयावधि तथा संबद्ध अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संपर्क ब्यौरा शामिल हो;

(ग) एक विधानसभा क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने की अनुमति है अथवा कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने तय है और इसका निर्णय करने की क्या कसौटी है;

(घ) प्रश्नकर्ता विधायक ने जिन 23 स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का अनुरोध किया था, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है कृपया उपर्युक्त में से प्रत्येक स्थान के बारे में बताएं कि वहां पर मोहल्ला क्लीनिक कब तक खुल जाएंगे;

(ङ) मौहल्ला क्लीनिक खोले जाने की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों का नाम पदनाम तथा संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराए;

(च) क्या यह सत्य है कि हौजरानी में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध भूमि पर एक मोहल्ला क्लीनिक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;

(छ) यहां पर मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि मालवीय नगर स्थित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आईसीयू को उच्च-स्तरीय नैदानिक सुविधाएं जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन आदि नहीं है और लंबे समय से यहां कोई कंसल्टेंट सर्जन भी नहीं है;

(झ) क्या दक्षिण दिल्ली के निवासियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसलिए यहां उक्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ञ) बस अस्पताल में डायलेसिस केंद्र कब तक प्रारंभ हो जाएगा।

उत्तर: (क) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(ख) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(ग) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(घ) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(ङ) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(च) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(छ) इस अस्पताल से संबंधित नहीं हैं।

(ज) पंडित मदन मोहन मालवीया अस्पताल में

1. आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है।

2. एम.आई.आई., सीटी स्कैन की सुविधा डाक, इण्डिया के द्वारा उपलब्ध है सीटी स्कैन एमरजेंसी पेसेन अथवा इन्डोर युसेन्ट के द्वारा ऑफ आरंभ के द्वारा उपलब्ध है।

3. कंसलटेंट सर्जन की सेवा भी उपलब्ध है।

(झ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ञ) पंडित मदन मोहन मालवीया अस्पताल में डायलेसिस दिनांक 4.8.2018 से उपलब्ध हैं।

282. श्री जरनैल सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) श्री गुरू गोंबिद सिंह, अस्पताल रघुबीर नगर में आधारभूत सुविधाओं को स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) अस्पताल में पी.डब्लू.डी. से संबधित बहुत सारे काम बहुत समय से लंबित है, उनके निपटान के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) अस्पताल में डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की आपूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है; इस कार्य को करने की समय सीमा सहित ब्यौरा दें;

(घ) अस्पताल में बंद पड़े कॉम्पीटटीकृत एम.आई. सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए क्या किया जा रहा है, समय सीमा सहित ब्यौरा दे;

(ङ) अस्पताल में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए क्या किया जा रहा है; इस विषय पर समय सीमाओं सहित ब्यौरा दें;

(च) अस्पताल के अंदर तथा आसपास कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) इस अस्पताल में सभी आधारभूत सुविधाएं स्वीकार्य स्तर पर है।

1. मरीजों व मरीजों के तीमारदारों के बैठने की समुचित व्यवस्था है।
2. विभिन्न स्थानों पर हवा के लिए पंखों व कूलर की व्यवस्था की गई है।
3. फ्री पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
4. विगलोगों के लिए अलग पट्टी का निर्माण किया गया है।
5. पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है।
6. स्त्री, पुरूष व विकलोगो के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई है।
7. व्हील चेयर व स्ट्रेचर इत्यादि की व्यवस्था की गई;

(ख) निम्नलिखित कार्य लंबित हैं :-

1. सड़क का पुनः निर्माण करना
2. सुरक्षा के लिए अस्पताल की बाहरी दीवारों को ऊँचा करना
3. नई तकनीक से सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाने का काम

4. District Early Invention Centre का निर्माण कार्य

5. अस्पताल में सफेदी का कार्य

6. रेजिडेन्ट डाक्टर हास्टल व सरकारी आवासीय परिसर की मरम्मत का कार्य

7. फ्री पार्किंग व नो पार्किं के बोर्ड लगाने का कार्य

8. बेसमेन्ट में सीलन को ठीक करने का कार्य

9. पेड़ों की छटाई व वृक्षारोपण का कार्य इत्यादि

पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारियों से लगातार पत्राचार व बैठकें कर रहें हैं। यह विशय रोगी कल्याण समिति की बैठकों में भी चर्चा के लिए समय समय पर लाते रहे हैं;

(ग) सभी डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा यू.पी.एस.सी. से मांग की जा रही है। इस संदर्भ में प्रक्रिया जारी है;

अस्पतालों के रिक्त पदों ग्रुप सी को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए इस विभाग द्वारा DSSSB को requisition भेज दी गई है तथा पदोनति द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया द्वारा अस्पताल अपने स्तर पर करता है;

(घ) इस आशय की दो फाईलें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास लंबित हैं, जिनमें एक फाईल 10 रजिस्ट्रशन काउनटर खोलने से संबंधित है तथा दूसरी फाईल ई-अस्पताल के लिए नई पोस्ट बनाने से संबंधित है;

(ङ) लगभग सभी आवष्यक मेडिकल उपकरण अस्पताल में उपलब्ध हैं तथा

अतिरिक्त उपकरणों के लिए सी.पी.ए. जैम व निविदा इत्यादि के द्वारा आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में लगभग तीन से छः महीने का समय लग सकता है;

(च) अस्पताल के अन्दर की सुरक्षा का जिम्मा 54 स्क्युरीटी गार्डस तैनात हैं। अस्पताल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोकल पुलिस से संपर्क में है। ए.सी.पी. व थाना अध्यक्ष ख्याला को इस बारे में समय-समय पर अवगत करवाया जा रहा हैं।

283. श्री जरनैल सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आपरेशन थियेटर विशेषकर वह 31 जिनके विषय में राज्य के मुख्य अखबारों में 30 अप्रैल 2018 में गंभीर कमियों के बारे में छपा था, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अप्रैल 2018 की उक्त रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों तथा अन्य स्टाफ की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) उक्त रिपोर्ट के बाद जरूरी उपकरणों जैसे Lights, Anesthesia machine, Cautery system Cardiac Defibrillator तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति के क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) पिछले 6 महीनों में उक्त 31 आपरेशन थियेटरों से संबधित कितने मरीजों को सुविधाओं के अभाव में अन्य सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में जाकर आपरेशन करवाना पड़ा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 190 ओ.टी. है। वर्तमान में 171 कार्यात्मक है और 19 गैर कार्यात्मक हैं;

(ख) डॉक्टरों की भर्ती के लिए विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के पद को भरने के लिए यू.पी.एस.सी को लिखा है स्टाफ नर्स ओटी तकनिशियन, ओ.टी. सहायक जैसे पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पत्र लिया गया है। अस्पतालों को सेवानिवृत्त डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कान्ट्रेक्ट भर्ती के लिए कहा गया है।

(ग) सूची Annexure 'A' संलग्न है; और

(घ) अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों में 766 मरीजों को सुविधाओं के अभाव में अन्य सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में जाकर आपरेशन करवाना पड़ा।

EQUIPMENTS INSTALLED/DELIVERED SUCCESSFULLY

1. OT LIGHT- 37 Units (DDV-2, LNH-1, GIPMER-3, OCBH-4, PMMMH-4. BJRM-1. BSA-5, GTBH-10, GGSH-2, JPCH-2, DSAH-2, AAAH-1)
2. SURGICAL EXAMINA nON LIGHT - 18 UNITS (DCBH-1, SGMH-1, GGSH-2, GTBH-2, AAAH-1, JPCH-6, BSA-2, ASBGH-3)
3. Anesthesia Workstation-·13 Units (DCBH-3, DDU-2, DHAS-3, MAIDS-1, BMH-1. ABGH-1. SVBH-1, BSA-1)
4. ELECTROSURGICAL UNIT - 49 UNITS (GIPMER-5, DCBH-2, DDUH-3, GGSH-4, BSA-7,GTBH-6, DHAS-7, AAAH-3, JPCH-2,BJRMH-2, RTRM-2, LNH-2, PMMMH-4)
5. OT TABLE - 37 UNITS (DDU-2, LNH-2, DCBH-3, BJRM-1, MMMH-5. BSA-6, DHAS-4, AAAH-1, JPCH-2, RTRM-1

,BJRM-1, LNJP-2(Radiotherapy), ABGH-1, BMH-4, SVBPH-1, ASBGH-1)

6. TRANSPORT VENTILATOR - 22 UNITS(MVH-3, RTRM-1 , LBSH-1 ,DCBH-1. GTBH-7, GIPMER-3, LNH-3, BMH-1, BSAH-2)

7. PORTABLE X- RAY - 19 UNITS(GTBH-2, MVH-4, BSAH-3, LBSH-2, DDUH-3. DHAS-2, GGSGH-1, LNH-2)

8. HIGH RESOLUTION ULTRASOUND MACHINE WITH COLOR DOPPLER (GYNAE.}- BSA-1

9. ULTRASOUND MACHINE WITH COLOR DOPPLER (RADIOLOGY) - 7 UNITS (BSA-1, LBS-2, LNH-1, DCBH-1, AAAH-1, GBPH-1)

10. leu VENTILATOR.-125 UNITS (BSAH-17, DDUH-10, GIPMER-33, GTBH-20, LNI-35-DCBH-4, BMH-3, GGSGH-2, MVH-1)

11. CTG MACHINE - 20 UNITS(AAAH-1, SVBH-2, LBSH-3, ABGH-1, BSAH-5, BJRM- 1, DCBH-1, DHAS-2, GGSGH-3, SDDMSC-1) CTG Machine- 5 Unit (JPCH-1, SDDMSC-1, BJRM-1, DDUH-2)

12. AUTOPSY TABLE - 9 UNITS(LNH-2, RTRM-1, BJRM-1, LBSH-1, AAAH-4)

13. HEART LUNG MACHINE-6. UNITS (GIPMER)

14. FOWLER BED5-1006 beds installed successfully.(LNJP-566, BSA-86, DDU-137, ABGH-27,PMMMH-60, MVH-30, BMH-100). FOWLER BED5-115 (GBPH-44, SGMH-71)

15. IMPEDENCE AUDIOMETER - 5 UNITS (DCBH-1, LBSH-1, BMH-1, BSAH-1, AAAH-1),

    IMPEDENCE AUDIQMETER - 2 UNITS (RTRMH-1, ABGH-1)

16. VACCUM EXTRACTOR-9 UNITS (LBSH-1, DCBH-2, DHAS-1, BSA-2, 1-ASBH,1-AAAGH)

17. T-PIECE RESUSCITATOR- 6 UNITS (DCBH-1, AAAH-2, RTRM-1, BSA-2)

18. LED PHOTOTHERAPY UNIT - 16 UNITS (DCBH-4, GGSGH-3, A,AAH-2, DSAH-5, BSA-2)

19. Bubble CPAP- -9 UNITS (BSA-2, SGMH-1, DCBH-2, AAAH-1, DHAS-3)

20. C-Arm Machine- 18 Units (LBSH-2, DCBH-1, GGSGH-1, AAAGH-1, BSAH-1, SGMH-1, DDUH-3, LNH-1, PMMMH-1, RTRMH-1,ABGH-1, BMH-1, JPCH-1, DHAS-1, GTBH-1).

21. Neonatal Ventilators- 9 Units (DCBH-3, SDDMASC-1, AAAH-1, BSA-2, SGMH-2)

284. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का अपने कार्यकाल में कितने मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का लक्ष्य है;

(ख) अब तक कितने मोहल्ला क्लीनिकों के कमरे तैयार हैं;

(ग) इनमें से कितनों में मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं;

(घ) शेष स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक कब तक चालू हो जाएंगे;

(ङ) कितने मोहल्ला क्लीनिक किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(च) इनमें से प्रत्येक का कितना किराया दिया जा रहा है;

(छ) इन मोहल्ला क्लीनिकों की सुरक्षा के लिए कितने गार्ड रखे गए हैं;

(ज) क्या यह सत्य है कि कुछ खाली पड़े क्लीनिकों में पशु बांधे जा रहे हैं, नशा खोरों और असामाजिक तत्वों का बोलबाला है;

(झ) अभी तक किन-किन स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक चालू नहीं किये जा सकते हैं जहां कमरे, पोर्टा केबिन अथवा किराये के भवन उपलब्ध हैं; और

(ञ) खाली पड़े मोहल्ला क्लीनिकों की सूची दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) सरकार का अपने कार्यकाल में 1000 मौहल्ला क्लिानिक स्थापित करने का लक्ष्य है;

(ख) 208 मौहल्ला क्लीनिक के कमरे तैयार हैं;

(ग) 187 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं।

(घ) शेष मोहल्ला क्लीनिक 31/10/2018 तक शुरू करने का प्रयास हैं;

(ङ) 99 मोहल्ला क्लीनिक किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(च) सूची संलग्न है। Annexure 'B';

(छ) कोई गार्ड नहीं है;

(ज) पिछले दो मौहल्ला क्लिनिक में ऐसा देखा गया था जिसे सुधारा जा चुका है;

(झ) सूची संलग्न है। Annexure 'A'; और

(ञ) सूची संलग्न है। Annexure 'A'

S.No.	District	Location
1.	North	Qutubgarh. Bawana
2.	South	E-2/10 DUSIB premises, Dakshinpuri (AC-47 Deohi)
3.	Shahdara	On Drain no.1, in front of Kabir Nagar (at corner of culvert) (AC-67)
4.	Shahdara	On road no. 57, near Bihari Colony, Besides Metro Line, Opposite Azad Nagar (AC-62) Shahdara
5.	Shahdara	On the left bank side along with boundary wall towards drain side, near road no. 8280M of Trunk Drain No. 1 (AC-67)
6.	Shahdara	Road No. 62 to Gauri Shankar Mata Mandir along wall of Red Cross Hospital, Dilshad Garden, (AC-62 Shahdara)
7.	Shahdara	Yamuna Bus Terminal
8.	North East	Ghari Gaon, Pustha Road, New Delhi (AC-66 Ghonda)
9.	Shahdara	Opp. Sidhartha International School, on Wazirabad Road, AC-64, Rohtas Nagar
10.	North West	Village Nizampur, Mundka
11.	North East	Below Flyover on wazirabad road, Khajoori chowk (AC-66 Ghonda)

12.	West	MLA office Jwalaheri
13.	South West	School ID : 1822024, Govt. Co-ed Sr. Sec. School, Rawta (Ac-35 Naiafoarh)
14.	South west	AAMC Bindapur, Near Police Station Bindapur
15.	South West	School ID : 1515022, Govt. Co-ed Sr. Sec. School, Panwal Kalan (Ac-35 Naiafoarh)
16.	South West	Govt. School, Sector-16, Dwarka School ld-1821242
17.	South West	Govt. Co-ed Sr. Sec School Pochan pur, school Id : 1821037 (Ac-34 Matiala)
18.	South West	School Id: 1822010 Govt. Boys Sr. See School Ghumanhera (AC-34 Matiala)
19.	South West	School/Id 1821282, Sarvodya co-ed Sr. See School Sector-22 Dwarka (Ac-33 Dwarka)
20.	South West	Sarvodaya Sr. Sec School Paprawat (Ac-35 Najafgarh)
21.	West	AAMC Gali No. 9, Kh No. 79/20 Charchal Park Non Functional we/01-08-2019

Financial Status of Rent of AAMC (South Distt.) 2016-17

Sl. No.	Owner Name	Address	Apr. 16 to (28.03. 16	Period May-16	Period Jun-16	Period Jul.-16	Period Aug-16	Period Sep-16	Period Ot-16	Period Nov.-16	Period Dec.-16	Period Jan.-17	Period Feb.-17	Period Mar.-17	Total
1.	Shipra	A-77, Rajpur Extn. Chhaterpur New Delhi-110074	15484	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	0	135484
2.	Seema	E-228, Sanjay Colony Bhati Mines New Delhi-110074	19355	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	169355
3.	Om Prakash	D-24 Sanjay Colony, Bhati Mines, Chhaterpur, Delhi-110074	19355	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	169355
4.	Basedeo Raut	B-111, Panchsheel Vihar, Malviya Nagar-110017	17903	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	217742
5.	Smt. Kamlesh	C-1/130A, Holi Chowk, Sangam Vihar, NewDelhi-110062	17903	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	217742
		Total	91839	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	859839

285. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में 150 एम.जी.डी. पानी बढ़ाने तथा 200 वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित करने की योजना पर कार्य करने जा रही है;

(ख) उपरोक्त योजना की विस्तृत जानकारी दें;

(ग) झीलों ओर तालाबों पर हुए अतिक्रमणों से निपटने के क्या उपाय हैं;

(घ) मुख्यमंत्री ने सिंगापुर मॉडल पर आधारित पानी साफ करने की नई योजना के विभिन्न चरणों की क्या टाईमलाईन निर्धारित की है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक व्यापक सीवरेज नेटवर्क और नई प्रभावशाली मल–जल उपचार संयंत्रों के निर्माण का वायदा किया था;

(च) इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(छ) क्या यह सत्य है कि इसके साथ ही साथ उसने मोहल्ला सभा की साझेदारी से झीलों, तालाबों और बावलियों जैसे निकाय का पुर्नजीवित करने का वायदा भी किया था; और

(ज) इसकी विस्तृत जानकारी दे?

माननीय मुख्य मंत्री : (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल 125 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट को यमुना नदी में प्रवाहित करने की योजना है जिसका विवरण निम्नलिखित है **:**

1. 70 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट नए निर्मित अवजल शोधन संयंत्र कोरोनेशन पिलर से।

2. 40 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट रिठाला फेज–II अवजल शोधन संयंत्र से, तथा

3. 15 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट रिठाला फेज–I अवजल शोधन संयंत्र से लिया जाएगा।

   रिठाला फेज–I अवजल शोधन संयंत्र की क्षमता 40 एम.जी.डी. है, परन्तु इससे 25 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट एग्रीमैन्ट के अनुसार प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड बवाना का दिया जा रहा है।

4. 200 वॉटर बॉडीज जो कि BDO के अधीन आती है अथवा जिनमें सीवर आ रहा है, उनको पुर्नजीवित करने की योजना है;

(ग) पर्यावरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में जल निकायों के रख रखाव के लिए समन्वय करने हेतु नोडल ऑफिसर (जल निकाय) के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है। दिल्ली में जल निकायों की स्थिति और प्रगति जानने हेतु समिति द्वारा बैठकों का आयोजन निरंतर कराया जाता है।

जल निकायों के साथ झीलों/तालाबों की स्थिति और प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु कोर्ट कमिश्नर, नोडल ऑफिसर (जल निकाय) के प्रतिनिधि तथा जल निकायों के स्वामित्व ऐजंसियों के साथ निरंतर मुआइना करते रहते है;

(घ)

1. प्रथम चरण में निर्मित कोरोनेशन पिलर अवजल शोधन सयंत्रं से निकलने वाले 70 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से यमुना नदी में डालने के लिए अप्रैल 2019 की समय सीमा रखी गई है।

2. द्वितीय चरण में दिसम्बर 2019 तक रिठाला फेज–II अवजल शोधन सयंत्रं से 40 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंट को कोरोनेशन पिलर पर प्रस्तावित एफ्लुएंट पम्पिंग स्टेशन तक लाने का प्रस्ताव है और वहां से यमुना नदी में डाला जायेगा।

3. तृतीय चरण में रिठाला फेज–I अवजल शोघन सयंत्रं के पुनरूत्थान के बाद 15 एम.जी.डी. शोधित एफ्लुएंड को कोरोनेशन पिलर पर प्रस्तावित एफ्लुएंट पम्पिंग स्टेशन तक लाने का प्रस्ताव है और यमुना नदी में डाला जाएगा;

(ङ) और (च) सीवरेज नेटवर्क और नई प्रभावशाली मल–जल उपचार संयंत्रों के संबंध में जल बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्य योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है उसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. दिल्ली जल बोर्ड ने सीवेरज मास्टर प्लान 2031 को अंतिम रूप दे दिया है जिसे विभिन्न चरणों में उन क्षेत्रों में जिनमें सीवर नहीं है, सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग रूपये 20000 करोड़ की लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है। सीवरेज मास्टर प्लान के प्रथम चरण के अन्तर्गत उन क्षेत्रों, जहां सीवर डालने की प्रक्रिया की जा रही है। लगभग 241 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछाने का कार्य कर लिया गया है तथा 250 अनधिकृत कालोनियों में सीवर डालने का कार्य जारी है;

2. यमुना नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए वाई.ए.पी.–3 में विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिससे कि कोड़ली, ओखला एवं यमुना विहार एस.टी.पी. का पुन: निर्माण सम्मिलित है। इस योजना का 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

3. कोरेनेशन पिलर पर 70 एम.जी.डी. अवजल शोधन सयंत्रं का कार्य प्रगति पर है उसका 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है;

4. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत, शहर के छोटे नालों से होकर आ रहे अवजल को बड़े नालों जैसे नजफगढ़, सम्लीमेंटरी व शाहदरा में गिरने से पूर्व ही ट्रैप करके शोधन के लिए सयंत्रों में भेज दिया जाएगा। वर्तमान में इन परियाजनाओं की प्रगति लगभग 92 प्रतिशत है जिसका कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है;

(छ) और (ज) वाटर बॉडीज को पुर्नजीवित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 12 वाटर बॉडीज को चिन्हित किया गया है उसके कार्य की कन्सलटेन्सी के लिए व्हेपकोस (जो कि भारत सरकार का उपक्रम है) से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। वाटर बॉडीज को पुर्नजीवित करने के लिए व्हेपकोस द्वारा डी.पी.आर. प्राप्त करने के पश्चात योजना को कार्यन्वित करने के लिए उचित कारवाई की जाएगी; और

द्वितीय चरण में 200 वाटर बॉडीज जो कि BDO के अधीन आती है अथवा जिनमें सीवर आ रहा है उनको पुर्नजीवित करने की योजना पर कार्य किया जा है।

286. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोहल्ला क्लीनिकों के लिए कौन-कौन सा स्टॉफ उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) उन्हें कितना-कितना मानदेय/वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या डॉक्टरों की नियुक्ति में सरकार को अड़चनें आ रही हैं;

(घ) मोहल्ला क्लीनिकों के विस्तार में स्टाफ को लेकर क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं;

(ङ) क्या सरकार फार्मेसिस्ट आउटसोर्स कर रही है या अपनी ही डिस्पेन्सरियों से डायवर्टिड केपेसिटी में लगा रही है, और

(च) कितने मोहल्ला क्लीनिकों में लैब टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) पायलट प्रोजेक्ट के तहत डाक्टर, हैल्पर और मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत है। पोर्टा केबिन प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर, मौहल्ला क्लिनिक, असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और मल्टी टास्क वर्कर का इनपेन्लमेंट करना है;

(ख) संलग्न Annexure 'A'

(ग) जी नहीं, 47 डॉक्टरों को इनपेन्लमेंट लैटर दे दिया गया है। प्रक्रिया चालू है;

(घ) वर्तमान में मोहल्ला क्लिनिकों के विस्तार में स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टाफ के इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मदद से प्रगति पर है जोकि शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी।

(ङ) फार्मासिस्ट जब तक लिखित परीक्षा के बाद एम्पेनल नहीं किए जाते, तब तक के लिए डायवर्टिड से मौहल्ला क्लिनिक में कार्यरत है; और

(च) 73 मौहल्ला क्लिनिकों में लैब टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

287. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत की स्वाथ्य बीमा योजना में कोई रूचि नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हाँ; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र के आगे सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान का लाभ देने की शर्त रखी थी;

(घ) क्या सत्य है कि केन्द्र ने इसे ठुकरा दिया है;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार अलग से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है;

(च) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) जी नहीं;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ङ) दिल्ली सरकार का आयुष्मान भारत के साथ संधि में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है;

(च) दिल्ली के निवासी, (सिवाय सरकारी/पी.एस.यू एम्पलोयी) को माध्यमिक (Secondary) केयर हेतु तथा तृतीयक (Tertiory) केयर हेतु स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल तथा पब्लिक अस्पताल में इसका लाभ निशुल्क उठा पायेगा।

288. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बना रही है;

(ख) इसके क्या उद्देश्य हैं, और;

(ग) अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार की स्टेट ब्लड ट्रास्फ्यूजन कॉउंसिल 1996 में स्थापित कर दी गई थी;

इसका रजिस्ट्रेशन दिनाँक 31 जुलाई 1996 में हो गया था;

(ख) इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. रक्तदान शिविरों को आयोजित करना
2. स्वैच्छि रक्तदान के लिए लोगों को शिक्षित करना
3. रक्त संग्रहण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तर पर केन्द्रों की स्थापना करना
4. चिकित्सकों, तकनीकी सहायकों, प्रशिक्षकों, रक्तदाताओं आदि को रक्तदान एंव रक्त संग्रहण के संबंध में संबंध में प्रशिक्षण देना; और

(ग) दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांस्फ्यूजन काउंसिल की स्थापना वर्ष 1996 में हो चुकी है।

289. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र डेंगू व चिकनगुनिया से विशेष पीड़ित इलाका है;

(ख) क्या उक्त रोगों की रोकथाम के लिए विभाग ने कोई योजना लागू की है;

(ग) यदि हां तो उसकी पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) उक्त विधान सभा के लिए उक्त संदर्भ में कोई विशेष योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने पिछले वर्ष के डेंगू, चिकनगुनिया के आंकड़ों का आधार पर उन क्षेत्रों की सूची बनाई जो क्षेत्र संवेदनशील पाए गए तथा उन क्षेत्रों झुग्गी बस्तियों स्लम क्षेत्रों में नगर निगम एवं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं दिल्ली सरकार द्वारा जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष 28/07/2018 तक डेंगू एवं चिकनगुनिया का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है हालांकि पिछले वर्ष आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में डेंगू के 17 मामले दर्ज नहीं हुए थे। इस साल की शुरुआत से ही इन सभी क्षेत्रों की क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जन जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्टेट और डिर्स्ट्रेक्ट लेवल की टीमों द्वारा इन स्थानों पर

दौरे किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा घरों में दवाईयों का छिड़काव व ब्रीडिंग चेकिंग कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर मच्छर के लार्वा हेतु जांच की जा रही है। नगर निगम कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

(ख) हाँ, डेंगू चिकनगुनिया व मलेरिया की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एंव नगर निगम ने काफी कदम उठाए हैं।

(ग) दिल्ली सरकार और नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न किया जा रहा है। (अनुलग्नक-I)

(घ) इस साल की शुरुआत से ही इन सभी क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जन जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमों द्वारा इन स्थानों पर दौरे किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा घरों में दवाइयों का छिड़काव व ब्रीडिंग चेकिंग कर्मियों द्वारा घर-घर जा रही है, नगर निगम कर्मियों द्वारा घर-घर जागर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

(ङ) पूर्ण विवरण उत्तर (ग) में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

8/3/2018

Gmail - ADARSH NAGAR is a HIGH RISK area for Dengue and others VBD.

M Gmail State Surveillance Unit DELHI <idspdelhi2@gmail.com>

ADARSH NAGAR is a HIGH RISK area for Dengue and others VBD.

IDSP NORTH DELHI <idspnorth1@gmail.com> Fri, Aug 3, 2018 at 5:16 PM
To: IDSP DELHI <idspdelhi2@gmail.com>

Sir,

In Reference DMCs Zone wise list of High Risk Area for Dengue and others VBD, ADARSH NAGAR is a HIGH RISK area for Dengue and others VBD.

Following Activities under taken for Preparedness, Prevention and control of Dengue. Chikunuunvn and Malaria in Adarsh Nagar Assembly.

- ❐ IDSP team visited in high risk areas of VBD in Jahangir Puri, under Adarsh Nagar Assembly.
- ❐ All MOI/Cs being nodal officers are responsible for any water logging/mosquito breeding in & around dispensary premises.
- ❐ ASHAs/ANMs had been directed to mobilize community at some fixed sites & medical officers. delivered health talks to the community in their area.
- ❐ Flex sheets/Banners received from State were distributed in various health Iacilities.

- IDSP team regularly visited public places, Govt. departments, slum areas for inspection of any water logging sites, collection of scrap etc.
- All MOI/Cs were designated Nodal officers of their premises. Sensitization of MOI/Cs has been done & writes up of dengue/chikungunya has been shared with all.
- MOI/Cs have done training/sensitization of all their staffs & ASHA worker etc.
- Each health facility is equipped with adequate amount of medicines, IV Fluids, platelet count facility for dealing with dengue/chikungunya and Malaria cases.
- LA/LT Training conducted for Platelets count test, Malaria Slide test etc done at MV Hospitals Pooth Khured. Delhi
- ANM Sensitization program for VBD conducted for different batches of 35 each at MV Hospitals Pooth Khured, Delhi. IEC material also conducted.
- ASHA Sensitization program for VBD conducted for different batches of 35 each at MV Hospitals Pooth Khured, Delhi. IEC material also conducted.
- Adequate IEC's regarding Do's & don'ts have been displayed in disperisary premises.
- Malaria monitoring task force meeting clone with MCD and DJB officials
- ASHA sensitization programme for Vector Borne Disease awareness has been done in A.B.D.H Block (DGD's & MCW Center) Jahangir Puri, under Adarsh Nagar Assembly.

- Circular has been sent to BJRM Hospital for reporting under IDSP & Preparedness, Prevention and control of Dengue, Chikungunya and Malaria. And sufficient number of beds must be earmarked in Government Hospitals for such VBD patients as per the need.
- Circular has been sent DGD's M&CW Center and Mohalla Clinic for Preparedness. Prevention and Control of Dengue, Chikungunya and other VBD Diseases.
- Circular has been sent to all Major Private Hospitals for Reporting under IDSP of under Adarsh Nagar.
- Line listing of dengue/Chikungunya cases is being maintained at DSU-IDSP & any clustering of cases is being noticed to take measures through MCD. Line listing of Positive cases like Dengue. Chikungunya Malaria sharing with DHO-MCD weekly basis.
- Visited and Checked Health Facilities Available in DGD's, M&CW Centers, Preparedness. Prevention and Control of Dengue, Chikungunya and other VBD Diseases in under Adarsh Nagar Area.
- Planning for Regular Visit to Public Place, School, Govt. Departments. Slum area for inspected for any water logging, breeding sites, collection of scrap, and proper disposal of waste Distributed of IEC Materials.
- Letter issued to Deputy Director Education Delhi Reg-Prevention, Control and Awareness activities in School of Adarsh Nagar Area.
- All the activities with outcome/feedback recorded in provided format on weekly basis and submitted of State Surveillance Unit.

- ❒ Operational Manual for Malaria Elimination shared with all health Facilities in Adarsh Nagar Area.
- ❒ List of Brief Note of Manufacture of NCDC Cooler shared with all.

Dr. Sanjay Sagar

District Surveillance Officer
North District, Delhi
O/o CDMO North
Integrated Disease Sunveillance Program &
National Vector Borne Disease Control Program
PH: 011-23643073. Email-idspnoth1@gmail.com

IEC & Other activities under DMCs wcf 01.01.2018 to till date (28.07.2018) for prevention and control of Dengue, Malaria and Chikungunya

Sl. No.	Municipal Corporation	No. Hand distributed	Munadi by Auto & Mega Mike		No.of RWA Meeting	No.of Stickers pasted	No. of Banners Display	No. of House Visits	House Found Positive	School Rellies/ meetings organized	No. of House Sprayed (FS)	Action Taken	
			No. of Auto Used	No. mega Mike Used								No. Legal Notice	No. Prosencution and collection of on the spot fine
1.	SDMC	469103			2275	55997	479	7324004	32803	321	242805	29596	3388
2.	NDMC	38409		214	88	63771	475	8157610	18124	130	153867	20.172	2054
3.	EDMC	171051			455	36145	30	3143899	18043	398	32668	21048	2600
	Total	678563			2818	155913	984	18625513	68970	849	429340	71016	8042

290. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन विधानसभा में कुल कितने मोहल्ला क्लीनिक हैं, विस्तृत विवरण प्रदान करें;

(ख) बिजवासन विधानसभा में नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने की क्या योजना है; और

(ग) कापसहेड़ा स्थित खसरा नं.–39/13(2–0) स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर स्वास्थ्य विभाग की क्या योजना है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लीनिक है विस्तृत विवरण संलग्नक ''क'' में संलग्न है;

(ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने की विस्तृत सूची संलग्नक ''ख'' में संलग्न है; और

(ग) कापसहेडा स्थित खसरा नं. 39/13 (2–0) स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर डिस्पेंसरी खोलने की योजना थी। दिल्ली सरकार द्वारा इस जमीन पर पॉलिक्लिनिक खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Annexure-'A'

Bijwasan

S.No.	Assembly	District	Address of Mohalla Clinic
1.	Bijwasan	South West	RZF-1120, Lohia Marg, Pandit Chowk, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi

Bijwasan

Annexure-'B'

Sl. No.	Assembly No.	Assembly Name	District	Name of matro station	Proposed Sites	Agency
1	2	3	4	5	6	7
1.	36	Bijwasan	New Delhi		Samlka	Gram Sabha
2.	36	Bijwasan	New Delhi		Rangpvri	Gram Sabha
3.	36	Bijwasan	New Delhi		BVK Milakpur, Kohi, Rangpuri	DUSIB
4.	36	Bijwasan	South West		DJB Site. Gali number 7, near girl primary school number 2, Kapashera Extension	DJB

1	2	3	4	5	6	7
5.	36	Bijwasap	South West		DJB Site, K-Block; Street No. 2, mahipalpur extn. mahipalpur new delhi 37	DJB
6.	36	Bijwasan	South West	Dwarka Sector 21	Right side of Gate No 2, Backside of sulabh shauchalaya,	DMRC
7.	36	Bijwasan	South West	Sector 9 dwarka	Sector 9 dwarka, Right side of gate no. 2	DMRC
8.	36	Bijwasan	South West	Sector 8 dwarka	Sector 8 dwarka, Near south end of the Station west side area	DMRC

291. श्री राजेश गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकारी अस्पतालों के लिए समाज कल्याण विभाग की मदद ली जा सकती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये हमारी रोगी कल्याण समिति के सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं;

(ग) यह विभाग हमारी अस्पताओं में क्या मदद कर सकते हैं; और

(घ) क्या ये कानों की मशीन, व्हील चेयर हमें अस्पतालों में करा सकते हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) जिला समाज कल्याण अधिकारी अस्पताल रोगी कल्याण समिति के आधिकारिक सदस्य हैं;

(ग) डी एडिक्शन सेन्टर में काउन्सिलिंग दी जा सकती है; और

(घ) उपलब्ध नहीं करा सकते।

292. श्री महेंद्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या ये सत्य है कि सरकार की सैक्टर-4, रोहिणी में सरकारी विद्यालय के समीप खाली पड़े भूखण्ड पर पोली क्लीनिक खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि रिठाला गांव में नाले के समीप चल रहे मौहल्ला क्लीनिक की स्थिति बद-से-बदतर है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि विभाग को पिछले एक साल से उस क्लीनिक को पूर्णरूप से मरम्मत करने के लिए कहा गया है;

(ङ) इसकी मरम्मत में देरी के क्या कारण है, पूर्ण जानकारी दें;

(च) क्या यह सत्य है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल सैक्टर-6 में विभाग द्वारा बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए भवन निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो योजना का विस्तृत विवरण दें;

(ज) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(झ) इस योजना से संबंधित सभी अधिकारियों के नाम व संपर्क नम्बर उपलब्ध करवाए जाए?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां;

(ख) इस सम्बंध में कमिशनर लैंड डिस्पोजल दिल्ली विकास प्राधिकरण से उपरोक्त प्राधिकरण से उपरोक्त जमीन पर पॉलिक्लिनिक बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है;

(ग) जी नहीं, हालांकि कई चोरी की घटनाओं के कारण मौहल्ला क्लिनिक के काम पर असर पड़ा है लेकिन अभी भी ओ.पी.डी. सेवायें प्रदान की जा रही हैं। भावी चोरी की घटनाओं के बचने के लिए आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक के चारों और कासर्टिन तार लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग को मंजूरी दे दी गई है;

(घ) जी हां, लोक निर्माण विभाग को फरवरी 2018 और अप्रैल 2018 में मंजूरी दी जा चुकी है;

(ङ) मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से लम्बित है;

(च) जी हां;

(छ) 463 बिस्तर का मदर एण्ड चाईल्ड ब्लॉक बनाने की योजना है;

(ज) अनुमानित लागत को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं टेंडर प्रक्रियारत है;

(झ) इंजिनियर अमित कुमार ई.ई. (हेल्थ प्रोजेक्ट डिविजन, लोक निर्माण विभाग, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल 9971205074)

293. श्री महेंद्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए निजी अस्पताओं में निशुल्क इलाज की योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या नियमावली है, पूर्ण जानकारी दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि अस्पतालों द्वारा इस योजना को न मानने की शिकायतें निरंतर आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हाँ;

(ख) यदि किसी भी व्यक्ति, आय तथा निवास मानदंड के निरपेक्ष, का एन. सी.टी. दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना होती है और उसका मेडिको लीगल केस बनता है तो उस दुर्घटना पीडित व्यक्ति का नि:शुल्क इलाज दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में करवाने का प्रावधान है;

(ग) कई शिकायतों की जांच के पश्चात् यह पाया गया है कि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के संबंधी/मित्र उसे या तो सरकारी अस्पताल से जबरन छुट्टी करवा कर प्राइवेट अस्पताल ले गए या दुर्घटना का स्थल एन.सी.टी. दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था या दुर्घटना 15/02/2018 से पूर्व हुई है; और

(घ) अब तक जांच के पश्चात् दो शिकायत, दो शिकायत, जयपुर गोल्डन अस्पताल तथा आयुष्मान अस्पताल, वास्तविक पाई गई है। जयपुर गोल्डन अस्पताल

को पीड़ित व्यक्ति एंव उसके परिवार द्वारा खर्च किए गए रकम को लौटाने का निर्देश दिया गया तथा उसने रकम लौटा दी। आयुष्मान अस्पताल को निर्देश देने की प्रक्रिया चल रही है।

294. श्री राजेश गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लीनिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन मोहल्ला क्लीनिक के लिए दवाइयों की व्यवस्था कहां से की जाती हैं;

(ग) इनके लिए दवाइयां खरीदने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) इन मोहल्ला क्लीनिकों में औसतन कितने रोगी आते हैं;

(ङ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने और मोहल्ल क्लीनिक खोले जाने की योजना है; और

(च) जहां ये मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने प्रस्तावित हैं, उन स्थानों की जानकारी प्रदान करें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चार मोहल्ला क्लीनिक कार्य कर रहे हैं, (सूची संलग्नक ''क'' में संलग्न है;

(ख) दवाइयों की व्यवस्था लिंक डिस्पेंसरी से की जाती है;

(ग) केन्द्रीय खरीद एजेंसी (सी.पी.ए.) के द्वारा की जाती है;

(घ) प्रतिदिन औसतन 94 रोगी आते हैं;

(ङ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 09 मोहल्ला क्लीनिक और खोले जाने का प्रस्ताव है; और इन्हें खोलने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है; और

(च) सूची संलग्नक ''ख'' में संलग्न है।

Annexure-'A'

Sl. No.	Assembly No.	Assembly Name	Name of mohalla clinic
1.	17	Wazirpur	Shiv Mandir Sewa Samin, Wazirpur Village, Delhi-52
2.	17	Wazirpur	A-2/131, Keshavpurm, Delhi-110035
3.	17	Wazirpur	C-3/76, Keshavpurm, Delhi-110035
4.	17	Wazirpur	Adj. Delhi grant Library MCD Sulabh Shauchalaya, Opp. Dusib sulabh toilet, Wazirpur. JJ Colony.

Annexure-'B'

Wazirpur

Sl. No.	Assembly No.	Assembly Name	Location of proposed sites	Agency
1	2	3	4	5
1.	17	Wazirpur	DUSIB land, Labour Weifarc Centre, Labour Deptt. Wazirpur JJ Colony	DUSIB

1	2	3	4	5
2.	17	Wazirpur	Near C&D Bik, Pathar Wala Bagh, Wazirpur JJ Colony	DUSIB
3.	17	Wazirpur	DJB Office, Asok Vihar-IV. Wazirpur	DJB
4.	17	Wazirpur	DJB Site, Complaint office DJB north-west, Block-E, Nimri colony	DJB site
5.	17	Wazirpur	DJB complaint office beriwala bagh Ashok vibar Phase-2 ward-73 Wazirpur	DJB
6.	17	Wazirpur	DJB Pump House DJB site J-bik near shri Ram mandir Phase-I Ashok vihar ward-75 Wazirpur	DJB
7.	17	Wazirpur	DJB Site, A-Block, Near Police Chowki	DJB
8.	17	Wazirpur	DJB Pump House, Keshavpuram	DJB
9.	17	Wazirpur	Keshavpuram Metro Gate No.-4	DMRC

295. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में चल रही 'गुटका' फैक्ट्रियों की संख्या व उनका पूर्ण विवरण क्या है,

(ख) दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग के क्या उत्तरदायित्व हैं,

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी आइसक्रीम फैक्ट्रियों, मिठाई की दुकानों, आटा चक्कियों, बेकरी फैक्ट्रियों की सूची उपलब्ध कराएं, और

(घ) दिनांक 10/02/2015 के बाद से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए, विस्तृत विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा दिल्ली क्षेत्र में गुटखा बेचना, बनाना व रखने पर रोक है, उक्त क्षेत्र गुटखा की किसी भी फैक्ट्री को लाईसेंस नहीं दिया गया है;

(ख) खाद्य संरक्षा विभाग का लक्ष्य नागरिकों के लिए दिल्ली में स्वच्छ, पौष्टिक व मिलावट रहित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। विभाग खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011, विनियम 2011, के अनुसार कार्य करता है;

(ग) विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 269 लाईसेंस तथा 384 पंजीकरण विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ व्यवसायियों को दिए गए हैं, जिनमें आईस्क्रीम फैक्ट्रियों, मिठाई की दुकान, आटा चक्की तथा बेकरी फैक्ट्री शामिल हैं;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र विभाग द्वारा दिनांक 10/02/2015 के बाद खाद्य पदार्थों के 33 जगहों पर छापे मारे गए तथा कुल 33 जगहों पर छापे मारे गए तथा कुल 33 नमूने जांच के लिए उठाये गए। जिनका ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर हैं।

अनुलग्नक 'क'

List of Samples Lifted From Mundka Assembly Constituency during 10/02/2015 to 02/08/2018

Sl. No.	Sample Number	Food Article	Address From where Lifted	Result	Area/Locality	Premise Name
1	2	3	4	5	6	7
1.	747/1041/52/2015	pure mustard oil	126 naresh park nangloi delhi	Genuine	NANGLOIJAT	garg oil and general mills
2.	747/1041/67/2015	lobia safed	a 10 nilothi mod shiv ram park nangloi delhi	Genuine	NANGLOI EXTENSION	bansal trading company
3.	747/1041/71/2015	Ajwain cookies	C 131 camp no 2 nangloi delhi	Genuine	NANGLOI EXTENSION	Bansal Store
4.	747/1041/78/2015	Gulab Jamun	metro piller no 495 mundka delhi	Genuine	MUNDKA	prem sweets and restaurant
5.	747/1041/95/2015	Atta Cookies	rz 308 309 nihal vihar nangloi	Genuine	NIHAL VIHAR delhi	kalra food products
6.	747/1032/86/2015	Kalakand	Y 301 302 Sultan Puri	Genuine	NANGLOIN	Ms Roshan

1	2	3	4	5	6	7
		Burfee	Nangloi Delhi Road		(JJ colony No. 3)	Sweets Corner
7.	7747/1032/87/2015	BESAN LADDOO	Plot no 4 Block C Yadav Delhi park	Genuine	YADAV PARK Nangloi	Ms Jain Sweets and Restaurant
8.	747/1014/08/2016	Ghee	Khasra No. 64/4 and 64/5 Plot No. 29 Rohtak Road Mundka Delhi	Genuine	MUNDKA	M/s. Parag Milk Foods Pvt. Ltd. Pune
9.	747/1032/20/2016	Kaju Katli	Y301 302 Sultanpuri Road Nangloi Delhi	Genuine	NANGLOIN (JJ -COLONY NO. 3)	Ms Roshan Sweets Corner
10.	747/1044/15/2016	Rape Seed Oil or Toria Oil or Oil or Mustard Sarson ka Tel	126 naresh park nangloi delhi	Genuine	NANGLOI EXTENSION	m/s garg oil and general mills
11.	747/1044/16/2016	MUSTARD OIL	A 5 Qamruddin nagar shiv ram park nangloi delhi	Genuine	NANGLOI	m/s saini store

12.	747/1044/17/2016	BURFI	shop no 1 and 2 near mundka metro station delhi	Genuine	MUNDKA	m/s burfiwala
13.	747/1021/67/2016	Khoya Ghevar	Y-301 Camp No 1 Sultan Puri Road Nangloi Delhi	Genuine	NANGLOIN (JJ COLONY NO. 3)	Roshan Sweets Corner
14.	540/1044/80/2016	POORI	Kh no 1058 karala village delhi	Genuine	KARALA	m/s guru kirpa women society
15.	747/1036/08/2017	BESAN	KH NO. 52/3/2 UDYOG NAGAR SWARN PARK MUNDKA DELHI	Genuine	MUNDKA	VINOD SNACKS AND Confectioners PVT LTD
16.	747/1021/19/2017	Puri	Plot No 1A Khasra No. 39/15 Vikash Vihar Nilothi Ext New Delhi	Genuine	NILDTHI	Poorvanchal Samaj Sewa Sangh
17.	747/1021/20/2017	Aloo Sabji	Plot No 1A Khasra No 39/15 Vikash Nagar Nilothi Ext New Delhi	Genuine	NILDTHI	Poorvanchal Samaj Sewa Sangh
18.	747/1021/21/2017	Kadhi	Plot No 35 to 41 Khasra No 31/1 GF Shiv Ram Park PoleAT 64 Pole No 55 Nangloi Delhi	Genuine	INILDTHI	Subharti Jan Kalyan Samiti

1	2	3	4	5	6	7
19.	747/1036/18/2017	Kadi	C-6 Kavita Colony Kirari Road Nangloi Delhi	Genuine	NANGLOI EXTENSION	Moon Light NGO
20. Kalyan EXTENSION	747/1036/19/2017	Alu Ki Subzi Kari	62 Kavita Colony Nangloi	Genuine	NANGLOI	S o h w a s i a Delhi
21.	747/1030/22/2017	POORI	PLOT NO A 10 NILOTHI MORE SHIV RAM PARK NSNGLOI DELHI 41	Genuine	NILDTHI	Subhari Jan Kalyan Samiti
22.	747/1030/23/2017	ALOO KI SABJI	PLOT NO A 10 NILOTHI MORE SHIV RAM PARK NSNGLOI DELHI 41	Genuine	NILDTHI	Subhari Jan Kalyan Samiti
23.	747/1030/81/2017	Toned Milk	11A EXTION 3 MAIN ROHTAK ROAD NANGLOI NEW DELHI 41	Genuine	NANGLOI JAT	Punjab Milk Centre
24.	747/1030/88/2017	MOON FAll DANA	12 RAJENDRA PARK MAIN ROAD NANGLOI NEW DELHI 41	Genuine	NANGLOI	Garg Trading Company known as Dhamadia store

25.	747/1030/108/2017	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	643 MUNDKA MORE VILLAGE DELHI 41	Genuine	MUNDKA	Jyoti Store
26.	747/1021/205/2017	Prepared Mater	House No 377 Village Ghevra New Delhi	Genuine	MUNOKA	Shakti Self Help Group
27.	747/1036/182/2017	SOAN PAPDI	Shop No. 4836 JJ Colony Nangloi New Delhi	Genuine	NANGLOIN (JJ COLONY No.3)	M/s. Vimal Sweet Ccorner
28.	747/1030/22512017	Vegetable	AT PATRI NAZAFGARH ROAD OPP SURBHI VARTRALOK NANGLOI DELHI	Genuine	NANGLOI JAT	SANTOSH SUBJIWALA
29.	747/1057/32/2018	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel	126 Naresh Park Nangloi Delhi	Genuine	Naresh Park Extension	M/S Garg Oil and general Mills
30.	747/1055/44/2018	Rape Seed Oil or Toria	34, Naresh Park, Nangloi, Delhi	Genuine	NANGLOI JAT	M/s Rajhans Oil Mills

1	2	3	4	5	6	7
		Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel				
31.	747/1057/35/2018	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	A 10 nilothi mor Najafgarh road Shiv Ram park Nangloi New Delhi	Genuine	NANGLOI JAT	M/s Bansal trading co.
32.	747/1055/47/2018	Tea	E-l/98, Sani Bazar Road, Shiv Ram Park, Nangloi, Delhi	Genuine	NANGLOI JAT	M/s Aggarwal Super Store
33.	747/1054/43/2018	Refined Sugar	RZ-GA9 and RZ-G-49/1&2, Nihal Vihar, Nangloi Jat, New Delhi, Punjabi Bagh, West Delhi	Genuine	NIHAL VIHAR	KHERA Departmental STORE

296. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी त्यौहारों के सीजन में मिठाईयों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, पूर्ण विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री : (क)

1. आगामी त्यौहारों के सीजन में मिठाईयों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा विगत वर्षों की तरह विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके अन्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारी दल को आवश्यक निर्देश जारी कर दिल्ली में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने उठाने तथा जाँच के आदेश दिए जायेंगे;
2. खाद्य संरक्षा विभाग इस संदर्भ में अखबारों में विगत वर्ष की तरह विज्ञापन प्रकाशित कर उपभोक्ताओं तथा खाद्य विक्रेताओं में जागरूकता लाएगा।
3. विभाग द्वारा मिठाई विक्रेताओं को ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण/लाईसेंस प्रदान किया जाएगा।

297. श्री पंकज पुष्कर : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे होटल, मिठाई की दुकान, डेयरी उद्योग, व्यावसायिक और छोटे रेस्टोरेंट्स का पूर्ण विवरण उपलब्ध करें,

(ख) 1 मार्च, 2013 से 30 जून, 2018 के बीच तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर, हडसन लेन, मुखर्जी नगर, मलका गंज, नेहरू विहार आदि इलाकों

में स्थित सामुहिक मैस, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, डेयरी की दुकान के शिकायत दर्ज होने पर या विभागीय पहलकदमी पर जांच की गई,

(ग) इन सभी जांचों और उनसे निकले परिणाम की अविकल सूची उपलब्ध करवाएं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) खाद्य संरक्षा विभाग तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 30630 लाईसेंस तथा 76450 पंजीकरण जारी किए गए हैं। जिनमें होटल, मिठाई की दुकान, डेयरी उद्योग, व्यवसायिक और छोटे रेस्टोरेंट शामिल हैं। जिसका पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है;

(ख) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा 1 मार्च, 2013 से 30 जून, 2018 के बीच तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर, हडसन लेन, मुखर्जी नगर, मलका गंज, नेहरू विहार आदि इलाकों में स्थित सामुहिक मैस, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, डेयरी की दुकान के शिकायत दर्ज होने पर या विभागीय पहलकदमी पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के 78 नमूने उठाये गए और जांच की गई; और

(ग) पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक 'क'

Record of Licenses and Registrations Issued till 31/07/2018

Sl.No.	District	Licenses Issued	Registrations Issued
1.	Central	3032	10080
2.	East	1971	8596

Sl.No.	District	Licenses Issued	Registrations Issued
3.	New Delhi	2132	6723
4.	North	2673	4240
5.	North East	484	2905
6.	North West	3284	10015
7.	Shahdara	757	2763
8.	South	2262	6196
9.	South East	2759	9171
10.	South West	1713	4966
11.	West	3642	10795
	Total (Isued by Deptt.)	**24709**	**76450**
	Total (Isued by FSSAI)	**5923**	**NA**
	Grand Total	30632	76450

अनुलग्नक 'ख'

List of Samples (OF Community Mess, Hotel, Restaurants, Sweet Shops and Dairies) Lifted From Timarpur

Assembly Constituency During 01/03/2013 to 30/06/2018

Sl. No.	Sample Number	Food Article	Address From where Lifted	Result	Area/ Locality	Premise Name
1	2	3	4	5	6	7
1.	232/1022/11/2013	Channa or Paneer	Shop No. 4 DDA Market Hudson Lane Kingsway Camp delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	M/s. suresh Tea Stall
2.	232/1022/14/2013	KALAKAND	E24B Shop No. 1 vijay Nagar singal Story Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	M/s. Aggarwal Sweet India
3.	232/1041/17/2013	crisp wafer finger covered with	E-26 Vijay nagar delhi choclate	Genuine	VIJAY NAGAR	pastry shop

4.	232/1041/27/2013	Low Fat Cream	17 edward line kingsway camp new delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	jai hind dairy
5.	232/1022/18/2013	Cow Milk	12,13,14 Edward lane GTB Nagar Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	M/s. Laxmi Dairy a unit of AJ Pvt. Ltd.
6.	232/1022/20/2013	Refinde soyabean Oil	A-18 Commercial Complex Mukherjee Nagar Delhi	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	M/s. Punjabi Rasoi
7.	232/1041/30/2013	Sugar boiled confectionery	2510 ground floor kingsway camp new delhi	Misbran-ded	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	indus flavours restauarnt
8.	232/1041/33/2013	Cumin OR Safed Zeera Whole	2512 hudson lane kingsway camp new delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR	singh ching restaurant

1	2	3	4	5	6	7
					(KINGSWAY CAMP)	
9.	128/1044/02/2014	Toned Milk	E 157 nehru vihar delhi	Genuine	NEHRU VIHAR	m/s new gopalji dairy
10.	232/1041/22/2014	Cow Milk	16 kingsway camp delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	jai hind dairy
11.	232/1044/09/2014	Ghee	shop no 12 13 14 edward line kingsway camp delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	m/s JPLS Dairy Pvt Ltd
12.	232/1041/35/2014	Chillies and Capsicum OR Lal Mirch Powder	gate no 2 G T B nagar delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	sagar ratna

13.	232/1041/36/2014	Carbonated Water	shop no 85-87 GTB nagar delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	jubilant food works
14.	232/1030/55/2014	Soyabean Oil	1 BHAI PARMANAND COLONY DELHI	Genuine	MODEL TOWN	SANJAY CHOLE BHATURE CONNER
15.	232/1030/57/2014	KARANCHI HALWA	B 4 5 PRINCESS ROAD OPP TAGORE PARK MODELTOWN DELHI	Unsafe	MODEL TOWN	RK NATHU SWEETS A UNIT OF HOSPITALITY PLUS PVT LTD
16.	232/1030/73/2014	Ghee	60 OUTRAM LINE KINGSWAY CAMP DELHI	Genuine	MODEL TOWN	BIKANER SWEETS
17.	439/1019/81/2014	Khoya	A 31 MAIN BRIJPURI WAZIRABAD ROAD DELHI	Genuine	BRIJ PURI	AGGARWAL SWEET CORNER
18.	232/1030/95/2014	Chillies and Capsicum OR	F 21A SINGLE STORY VIJAY NAGAR	Genuine	VIJAY NAGAR	CHAWLA TANOORI

1	2	3	4	5	6	7
		Lal Mirch Powder	DELHI 09			XPRESS
19.	128/1015/12/2015	Green Peas	Delhi Administration Officers Flat Main Road Timarpur Delhi	Genuine	TIMARPUR	Mother Dairy Booth number 520
20.	128/1044/07/2015	Refined Soyabean oil	shop no 6 banarsi dass market timarpur delhi	Genuine	BANARSI DAS ESTATE	m/s wimpy restaurant
21.	232/1019/61/2015	KAJU BURFI	702 DR MUKHERJEE NAGAR DELHI	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	NEW LAXMI SWEET AND Confetioner
22.	232/1019/63/2015	NOODLES	SHOP NO 13 MAAL ROAD KINGSWAY CAMP DELHI	Unsafe	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	SAMRAT BEAKERS
23.	232/1019/64/2015	Toned Milk	12 ADWARD LINE KINGSWAY CAMP DELHI	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR	JPLS DAIRY PVT LTD

					(KINGSWAY CAMP)	
24.	232/1019/65/2015	Toned Milk	219 BHAI PARMANAND COLONY DELHI	Genuine	DHAKA VILLAGE	GOPAL DAIRY
25.	232/1019/85/2015	Full Cream Milk	44 HAKIKAT NAGAR DELHI	Genuine	HAKIKAT NAGAR	GOVARDHAN MILK
26.	232/1019/112/2015	KAJU BURFI	shop no 60 autom lane kingsway camp	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	bikaner sweets
27.	439/1030/52/2015	COCONUT BURFI	6681 BHAJANPURA CHOWK MAIN WAZIRABAD ROAD DELHI 53	Genuine	BHAJANPURA	AGGARWAL STANDERD SEEWTS RESTAURANT
28.	439/1019/133/2015	RAJ BHOG	A1/1 BHAJAN PURA MAIN WAZIRABAD ROAD DELHI	Violation	BHAJANPURA	AGGARWAL BIKANER SWEET CORNAR
29.	232/1044/92/2015	Toned Milk	plot no G 61 A vijay nagar delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	laxmi dairy unit Ltd of aj dairy pvt Ltd

1	2	3	4	5	6	7
30.	232/1041/131/2015	Frozen Dessert	H 2 Hudson Line Kingsway Camp New Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Laxmi ice Cream Pvt. Ltd.
31.	232/1032/10/2016	Rasgulla	G16 A Vijay Nagar Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	Ms Laxmi Dairy A Unit of AJ Dairy Pvt Ltd
32.	232/1032/11/2016	Paneer	17 18 Edward Line Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Ms Jai Hind Dairy
33.	232/1032/12/2016	Ghee	5hop no 57 New Kishor Market Kingsway camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Ms Tyagi Dairy
34.	232/1032/14/2016	Lal Mirch Powder	F21 First Floor Vijay Nagar Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	Ms Roast House

35.	232/1032/23/2016	Samosa	642 Dr Mukherjee Nagar	Genuine	MUKHERJEE NAGAR Sweet India	Ms Aggarwal
36.	232/1032/30/2016 pasta	Mix Veg	G14 Vijay Nagar Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR and Co A unit	Ms Cafeteria of Jumbo restaurant Pvt Ltd
37.	232/1038/49/2016	Mixed Milk	12 EDWARD LINE KINGSWAY CAMP DELHI	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	JPLS DAIRY P LTD
38.	128/1044/46/2016	ALOO TIKKI	Shop No 1 BD Market Timarpur Delhi	Genuine	BANARSI DAS ESTATE	m/s new darvesh restaurant
39.	232/1036/241/2016	Khoya	702 Dr Mukherjee Nagar Delhi	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	New Laxmi Nagar Sweets and Confectioners
40.	232/1036/242/2016	Ras Bhari	642 Mukherjee Nagar Delhi	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	Aggarwal Sweets India

1	2	3	4	5	6	7
41.	232/1044/53/2016	PANEER	13 Edward Lane Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	m/s JPLS Dairy Pvt Ltd
42.	232/1044/77/2016	Margherita Pan Med Pizza Delhi	2518 hundson lane kingsway camp road new delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	m/s pizza hut
43.	128/1030/114/2016	BESAN LADDOO	SHOP NO 6 B D MKT TIMARPUR NEW DELHI 54	Genuine	TIMARPUR	WIMPY SWEET AND Confectioners
44.	232/1021/109/2016	Fruit Cake	Shop No 11 & 13 Mall Road Kingsway Camp Delhi	Genuine	MODEL TOWN	Samrat Bakers
45.	232/1032/21/2017	Ghee	Shop No. 5 New Kishore Market Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Ms Tyagi Dairy

46.	128/1015/30/2017	Prepared rice	Plot number A21 Khasra number 12A First Floor Ground Khatauni number 30 Wazirabad	Genuine	WAZIRABAD	Vishwakarma Education Society and Charitable Society
47.	128/1015/31/2017	Sambhar	A21 Khasara number 12A First Floor Ground Khatauni number 30 village Wazirabad	Genuine	WAZIRABAD	Vishwakarma Education Society and Charitable Society
48.	232/1015/36/2017	Veg Noodles	83 GF Mall Road Kingsway Camp New Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Golden Jublee Food and beverages Pvt Ltd
49.	232/1032/52/2017	Paneer	1718 Edward Line Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Ms Jai Hind Dairy
50.	232/1032/86/2017	Ghee	12 Edward Line Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR	Ms JPLS Dairy Pvt Ltd

1	2	3	4	5	6	7
					NAGAR (KINGSWAY CAMP)	
51.	232/1036/59/2017	Khoya	Shop No 17 Edward lane Kingsway Camp Delhi	Genuine	MODEL TOWN	Jai Hind Dairy
52.	439/1032/93/2017	Paneer	C81/3 Main Wazirabad Road Bhajanpura Delhi	Genuine	BHAJANPURA	Ms Anand Vaishno Dhaba
53.	232/1021/92/2017	Chicken Curry	2512 Hudson Line Ground Floor GTB Nagar Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Divine Foods
54.	232/1032/132/2017	Paneer	2520 First Floor Hudsen Line GTB Nagar Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Ms QDs A Unit Of Five Figs Hospitality Pvt Ltd
55.	232/1032/135/2017	Lal Mirch	2510 GF Hudsen Lane Kingsway Camp Delhi	Genuine	GURU TEG NAGAR	Ms Indus Flavour

			Powder		(KINGSWAY CAMP)	
56.	128/1021/180/2017	Ghee	Khasra No 96/2 Sanam Vihar Jagatpur Road Wazirabad Delhi	Genuine	WAZIRABAD	baba dairy and Sweets
57.	128/1021/181/2017	Toned Milk	Khasra No 92/2 Gali No. 3 Sangam Vihar Jagatpur Road Wazirabad Delhi	Genuine	WAZIRABAD	Shree Radhey Dairy and Sweets
58.	439/1044/123/2017	BURFI	A1/1 Bhajanpura main wazirabad road delhi	Genuine	BHAJANPURA	m/s aggarwal bikaner sweets corner
59.	232/1044/128/2017	Pasteurised Toned milk	Plot No G 16A Vijay Nagar near NDPL Office Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	AJ Dairy Private Ltd.
60.	439/1044/138/2017	KHOYA BURFI	668/1 C Block Bhajanpura Mian wazirabad road delhi	Genuine	BHAJANPURA	m/s aggarwal standard sweets and restaurant
61.	128/1015/257/2017	Prepared Food	2 UA Jawahar Nagar Maika Ganj Delhi	Genuine	JAWAHAR NAGAR	M R and sons

1	2	3	4	5	6	7
62.	232/1036/03/2018	Dark Chocolate Truffle	S.No. 2515 GTB Nagar Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Green House and Hostoff Foods Pvt. Ltd.
63.	439/1044/13/2018	COCONUT BURFI	668/1 main wazirabad road bhajanpura delhi	Genuine	BHAJANPURA	m/s aggarwal sweets and restaurant
64.	232/1044/25/2018	Besan	702 dr mukherjee nagar new delhi	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	M/S new laxmi sweets and confectioners
65.	232/1015/58/2018	Toned Milk	Shop No 12, 13, 14 Edward Line Kingsway camp Delhi	Genuine	MODEL TOWN	JPLS Dairy Pvt Ltd.
66.	232/1015/59/2018	Toned Milk	Shop No 17 Edward Line Kingsway camp Delhi	Genuine	MODEL TOWN	M/s Jai Hind Dairy
67.	232/1015/63/2018	Full Cream Milk	Plot No 610 A Vijay Nagar Delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	M/s A.J Dairy Pvt Ltd

68.	232/1044/52/2018	Toned Milk	219 bhai parmanand colony mukherjee nagar delhi	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	m/s gopal dairy
69.	232/1058/07/2018	Chhana and Paneer	Shop no-56, 57 New kishore market Kingsway camp delhi	Genuine	MODEL TOWN	Tyagi Dairy
70.	232/1046/08/2018	Toned Milk	shop no 2-B-13, commercial complex, mukherjee nagar, delhi 110009	Genuine	MUKHERJEE NAGAR	M/S chugh dairy
71.	232/1057/02/2018	Chhana and Paneer	B-222 GROUND FLOOR DHAKKA VILLAGE KINGSWAY CAMP	Genuine	DHAKA VILLAGE	m\s OM BABA DAIRY
72.	232/1046/16/2018	Medium Fat Cream	C-23, Vijay Nagar, near post office, delhi	Genuine	VIJAY NAGAR	M/S Raju dairy
73.	128/1050/25/2018	Chhana and Paneer	Shop No - 1942, Malka Ganj Road Near Shiv Shakti Valmiki Mandir Delhi-07	Substan-dard	MALKAGANJ	Punjabi Dhaba
74.	128/1054/26/2018	Prepared Food	Shop no 9, Main Road, Maika Ganj, Opp. Govt. Wine Shop, Delhi	Genuine	MALKAGANJ	Punjabi Dhaba

1	2	3	4	5	6	7
75.	128/1048/33/2018	RAS MALAI	6 Banarasi Das Market Timarpur Delhi-54	Genuine	TIMARPUR	Wimpy Sweets and Confectioner
76.	232/1051/44/2018	Dry Fruits and Nuts	2510, G.F., Hudson lane, Kingsway camp, Delhi	Genuine	GURU TEG BAHADUR NAGAR (KINGSWAY CAMP)	Indus Flavour
77.	232/1053/40/2018	Prepared Food	2512, IST FLOOR, HUDSON LINE, KINGSWAY CAMP, DELHI, MODEL TOWN, NORTH (DELHI) -110009	Unsafe	VIJAY NAGAR	M/S NASHA CAFE & BAR
78.	232/1053/41/2018 Powder	Turmeric OR Haldi	NO.-G-14, FF, SF, TF VIJAY NAGAR DELHI, DELHI- 110009	Genuine	VIJAY NAGAR	M/S CAFETERIA & CO

298. श्री सुखवीर सिंह दलाल : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में रामा बिहार, उत्सव बिहार, शिव बिहार, उत्सव विहार पार्ट–2 के अनापत्ति प्रमाणपत्रों की क्या स्थिति है;

(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र मे वन विभाग द्वारा दिनांक 10/2/2015 के बाद कितने पौधों का रोपण किया गया, एतदसंबंधी फाईलो की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराएँ;

(ग) क्षेत्रीय विधायक द्वारा माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के कार्यालय में दिनांक 26/7/2017 को जमा कराए गए दो पत्रों के संबध में विस्तृत सूचना व वर्तमान स्थिति से अवगत कराए;

(घ) उक्त पत्रों के लगभग एक वर्ष तक अनुत्तरित रहने का क्या कारण है;

(ङ) एम.ई.पी. इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दिल्ली में टैल टैक्स प्लाजा का चार्ज सँभालने के बाद वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश व उनके द्वारा जमा किये जाने वाले ग्रीन टैक्स में क्या फर्क पड़ा है;

(च) दिल्ली में आगामी मानसून के दौरान पर्यावरण एवं वन विभाग की पौधों की रोपाई की क्या योजना है;

(छ) क्या पौधा–रोपण के कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए कोई पर्यवेक्षण समिति है,

(ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण दे;

(झ) क्या रा.रा.क्षे.दि. सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग में हरियाली, पौधा–रोपण की आवश्यकता तथा दिल्ली में पार्को के रखरखाव हेतु नियमित सर्वे कराने का कोई प्रावधान है;

(ञ) यदि हाँ, तो क्या पर्यावरण एवं वन विभाग ने बाहरी/परिश्रमी दिल्ली में पौधा-रोपण की आवश्यकता जानने हेतु दिनांक 1/1/2015 के बाद कोई सर्वे कराया है;

(ट) क्या पर्यावरण एवं वन विभाग ने पिछले दो वर्षों में मुंडका विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पार्क के रख-रखाव का कार्य किया है;

(ठ) यदि वन विभाग का कोई छोटा भू-खंड किसी खास क्षेत्र में है तो क्या वन विभाग को उस भूमि पर विकास कार्यों को रोकने का अधिकार है?

पर्यावरण मंत्री : (क) वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसी कोई NOC नहीं देता है। हालाँकि इन कॉलोनियों की Forest Status Report दी जा चुकी है। इसके अतिरित्त दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उत्तर Annexure-A पर सलन्गित है।

(ख) इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डस के अनुसार, 2014-15 में 4113 तथा 2017-18 में 1000 पौधे सावदा वन भूमि पर लगाए गए।

(ग) डाटा संकलित किया गया है और क्रॉस चेक/सत्यापित किया जा रहा है।

(घ) उक्त पत्रों के अनुत्तरित रहने के दो कारण है।

1. डाटा को क्रॉस चेक किए जाने के कारण देरी हो रही है।
2. शुरुआत में केवल एक भाग का जवाब दिया जा सकता था और कुछ पहलुओं को अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी।

(ङ) वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सम्बंधित नहीं है।

(च) वर्ष 2018–2019 में वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों के साथ मिलकर लगभाग 32.27 लाख पौधे लगाने की योजना है, जिसका विवरण Annexure-B पर संलंग्रित है।

(छ) जी नहीं, हालाँकि पौधारोपण के कार्य की गुणवत्ता को ध्यान रखने के लिए वन विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है :–

(ज) 1. विभागीय स्तर पर–विभिन्न Field officers जैसे कि (DCF/RO/DRO/FG) द्वारा नियमित रूप से Monitoring/Inspection की जाती है।

Third Party Monitoring-विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के वृक्षारोपण की Third Party Monitoring AFC द्वारा कराई गई थी। जिसकी रिपोर्ट Annexure-C पर संलंग्रित है।। भविष्य में भी विभाग द्वारा किए गए सभी वृक्षारोपणो की Third Party Monitoring कराई जायेगी।

(झ) और (ञ) दिल्ली में हरियाली एवं पौधा–रोपण की आवश्यकता का नियमित सर्वे कराने का विभाग के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि विभाग सभी ग्रीनिंग एजेंसियों के साथ नियमित बैठक आयोजित करता है जिसमें पौधे लगाने का वार्षिक लक्ष्य के साथ उनका विवरण स्थान सहित निश्चित किया जाता है।

वन विभाग द्वारा बाहरी/पश्चिमी दिल्ली के लिए दिनांक 1/1/2015 के बाद कोई सर्वे नहीं कराया गया है यद्यपि फील्ड अधिकारियों के रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण के स्थान सुनिश्चित किए जाते हैं।

(ट) वन विभाग द्वारा किसी भी पार्क के रख–रखाव का कार्य नहीं किया जाता है हालाँकि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी जो की पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी द्वारा पिछले दो वर्षों

में मुंडका विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पार्क में रख-रखाव का कार्य नहीं किया गया है।

(ठ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिशा निर्देशों के पैरा 4.4 के अनुसार, ''अगर कोई परियोजना वन भूमि तथा गैर वन भूमि के भूमि में भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जा सकता है, जब तक केंद्रीय सरकार वन भूमि को गैर वानिकी गतिविधि के लिए बदलने की मंजूरी न दें''। (उपरोक्त दिशा निर्देशों के पैरा 4.4 की प्रतिलिपि Annexure-D पर संलंग्रित है)।

299. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि न्यू एफ ब्लाक, रघुवीर नगर में (डी.टी.सी. बस स्टैंड, रूट नं. 857 के सामने) कैमिकल्स से जींस की रंगाई और धुलाई जैसे कार्य करने वाली अनेक अनाधिकृत, अवैध और घातक प्रदूषण इकाइयां चल रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि ये औद्योगिक इकाइयां सभी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और एन.जी.टी. भी इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ये औद्योगिक इकाइयां धूल, गंदगी, विषैले पदार्थों के उत्सर्जन से वृद्धों और बच्चों सहित स्थानीय निवासियों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) एवं (ख)

आवासीय/गैर–अनुरूप क्षेत्रों से अवैध इकाइयों को बंद करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 07.05.2004 को I.A. No. 22 में आदेश पारित किया है। 1985 के डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4677 के रूप में शीर्षक एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य संघ। आदेश के अनुसार 1 अगस्त, 1990 को या उसके बाद दिल्ली में आवासीय/गैर–अनुरूप क्षेत्रों में आने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निगरानी समिति गठित की है जिसमें :–

(i) मुख्य सचिव, दिल्ली

(ii) पुलिस आयुक्त, दिल्ली

(iii) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम और

(iv) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

यह समिति अवैध औद्योगिक गतिविधि को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। हालांकि, यह निगरानी समिति अपने अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने और निर्णय में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के समक्ष आयोजित बैठक 05.06.2015 के अनुसार यह पहले ही तय कर लिया गया है कि गैर–अनुरूप क्षेत्रों में परिचालन करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई और दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन दिल्ली विकास अधिनियम के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्रों और दिल्ली के अन्य सभी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा किया जाएगा। 07.05.2004 के आदेश में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय निगरानी समिति की ओर से उद्योग आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे;

डी.डी.ए. द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार, किसी भी उद्योग को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुमति दी जाती है–मुख्य रूप से औद्योगिक एस्टेट और पुनर्विकास क्षेत्र। इन क्षेत्रों से बाहर चलने वाला कोई भी उद्योग इस तथ्य के बावजूद अवैध है। इसलिए, डी.पी.सी.सी. द्वारा यह पता लगाने के लिए कि क्या ये उद्योग प्रदूषण कर रहे हैं या नहीं, जो कि न केवल एक अनावश्यक अभ्यास बल्कि दिल्ली की मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है;

इसलिए, यह स्पष्ट है कि डी.पी.सी.सी का प्रेषण औद्योगिक एस्टेट और पुनर्विकास क्षेत्र में है। दिल्ली नगर निगम, जिसे मास्टर प्लान को लागू करने की शक्तियों के साथ सौंपा गया है, यह सुनिश्रित करने के लिए मूल क्षेत्राधिकार है कि औद्योगिक एस्टेट और पुनर्विकास क्षेत्र के अलावा क्षेत्र के अलावा क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं चलता है।

रघुबीर नगर गैर–औद्योगिक क्षेत्र है, अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही दक्षिण एम.सी.डी. द्वारा की जाती है;

(ग) एवं (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07–05–2004 के निर्देशानुसार सभी औद्योगिक इकाइयाँ जो कि दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती हैं उन्हें बंद/स्थानांतरित करना हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली के रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रही अवैध इकाइयों के विरुद्ध दिल्ली की सभी नगर निगम व दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करते हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) निम्नलिखित श्रेणियों में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेती है जो इकाइयाँ रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती है :–

1. दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार एच. श्रेणी इकाइयाँ

2. एफ–27 श्रेणी की इकाइयाँ

3. एफ–33 श्रेणी की इकाइयाँ

4. निशिद्ध/नकारात्मक सूची में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार आने वाली इकाइयाँ

डी.पी.सी.सी. विशिष्ट इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करता है जिनकी शिकायत डी.पी.सी.सी. में प्राप्त होती हैं विशिष्ट इकाइयों के खिलाफ शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के आधार पर उपरोक्त कोई भी चार श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के खिलाफ निरीक्षण किया जाता है तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी इकाइयों को तत्काल बन्द कराने हेतु उनका विवरण सम्बन्धित उप–आयुक्त (राजस्व) को भेजती हैं एफ–27/33 श्रेणी की 1250 से अधिक इकाइयों के नाम संबंधित उप–आयुक्त (राजस्व) को आवष्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है।

फैक्टरी लाईसेंसिंग विभाग, उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचनानुसार इस तरह के उद्योगों की किसी भी प्रकार की जानकारी सामने आने पर इकाई के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416, 417 के तहत कार्यवाही की जाती है।

300. श्री मनजिंदर सिंह : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ख्याला गांव/विष्णु गार्डन में अनेक अनाधिकृत, घातक और अवैध प्रदूषण इकाइयां चल रही है जो प्लास्टिक एक्स्ट्रूजन, प्लास्टिक मोल्डिंग और वायर ड्राइंग जैसे कार्य करती हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि ये औद्योगिक इकाइयां सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है और एन.जी.टी. भी इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ये औद्योगिक इकाइयां धूल, गंदगी, विषैले पदार्थों के उत्सर्जन से वृद्धों और बच्चों सहित स्थानीय निवासियों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में कार्य कार्रवाई करने जा रही है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) से (घ) दिल्ली मास्टर प्लान–2021 के अनुसार ''ख्याला'' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुनर्विकास औद्योगिक क्षेत्रे (Redevelopment Area) में से एक है। इकाइयों में धूल, गन्दगी या विषैले पदार्थों का नियंत्रण भू–स्वामी व औद्योगिक विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता हैं दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति की नीति के अनुसार नारंगी (Orange Category)/हरी (Green Category) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों को जल और वायु अधिनियमों के अनुपालन को सुनिश्चत करने के लिए सहमति–पत्र (Consent) लेना होता है, यद्यपि उन नांरगी श्रेणी इकाइयों को सहमति–पत्र दिया जाता है जो कि 07.02.2007 से पहले मौजूद हैं। वो सभी इकाइयाँ जो श्वेत श्रेणी (White Category) के अन्तर्गत आती हैं इनके संचालन के लिए दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा वर्तमान में सहमति–पत्र की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ऐसी सभी इकाइयों को Online mode के माध्यम से स्वयं अनुपालन सुनिश्चित करके शपथ–पत्र (under taking) के साथ पंजीकरण का प्रावधान है।

दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 31.07.2018 तक 13 इकाइयों ने हरी श्रेणी के तहत सहमति के लिए आवेदन किया है श्वेत श्रेणी के तहत 24 इकाइयों ने दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति में पंजीकरण किया है।

उपरोक्त दर्शायी गई अनुमतित श्रेणी की इकाइयों का औद्योगिक सीमा क्षेत्र सिर्फ SDM या औद्योगिक विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इनकी

सुनिश्चितता के आधार पर दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा सहमति पत्र जारी करने का प्रावधान है। दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति ने अब तक किसी भी इकाई को सहमति–पत्र जारी नहीं किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07–05–2004 के निर्देशानुसार सभी औद्योगिक इकाइयाँ जो कि दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती हैं उन्हें बंद/स्थानांतरित करना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली के रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रही अवैध इकाइयों के विरुद्ध दिल्ली की सभी नगर निगम व दिल्ली विकास प्राधिकारण अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करते हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) निम्नलिखित श्रेणियों में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेती है जो इकाइयाँ रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती है :-

1. दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार एच. श्रेणी इकाइयाँ

2. एफ–27 श्रेणी की इकाइयाँ

3. एफ–33 श्रेणी की इकाइयाँ

4. निषिद्ध/नकारात्मक सूची में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार आने वाली इकाइयाँ

डी.पी.सी.सी. विशिष्ट इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करता है जिनकी शिकायत डी.पी.सी.सी. में प्राप्त होती हैं विशिष्ट इकाइयों के खिलाफ शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के आधार पर उपरोक्त कोई भी चार श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के खिलाफ निरीक्षण किया जाता है तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी इकाइयों

को तत्काल बन्द कराने हेतु उनका विवरण सम्बन्धित उप–आयुक्त (राजस्व) को भेजती हैं एफ–27/33 श्रेणी की 1250 से अधिक इकाइयों के नाम संबंधित उप–आयुक्त (राजस्व) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है।

फैक्टरी लाईसेंसिंग विभाग, उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचनानुसार इस तरह के उद्योगों की किसी भी प्रकार की जानकारी सामने आने पर इकाई के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416, 417 के तहत कार्रवाई की जाती है।

301. श्री सोमनाथ भारती : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृक्ष काटे जाने के आवेदन के सम्बन्ध में प्रासंगिक विधि, उपविधि, नियम व अधिसूचनाओं का विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ख) किन परिस्थितियों में वृक्ष काटने/छांटने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जा सकती है;

(ग) वृक्षों की किस प्रकार की छंटाई के लिए विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है;

(घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में वृक्षों की कटाई व छंटाई के जितने आवेदन सरकारी एजेंसियों या निजी व्यक्तियों के प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आवेदन का नाम, वृक्ष किस स्थान पर है वांछित अनुमति का प्रकार, प्रदान की गई अनुमति का प्रकार, अधिकारी द्वारा व्यक्तित्व रूप से निरिक्षण किया गया या नहीं, क्या अनुमति कार्योत्तर प्रदान की गई थी, कितनी धनराशि जमा कराई गई तथा अनुमति किन शर्तों पर दी गई आदि का पूर्ण विवरण दे;

(ङ) किसी व्यक्ति के निजी अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृक्ष की कटाइ/छंटाई के लिए क्या प्रक्रिया है, एतद्संबंधी विवरण जिसमें संबंधित अधिकारी के नाम, पदनाम व मोबाइल/दूरभाष संख्या भी उपलब्ध हो, उपलब्ध कराएँ;

(च) सड़क किनारे, पार्क में या सरकारी जमीन पर लगे हुए पेड़ों को काटने या छांटने के लिए क्या मानक प्रक्रिया है, कृपया चरणबद्ध विवरण उपलब्ध कराएँ और प्रत्येक चरण में लगने वाली समयावधि, उससे संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, संपर्क-ब्यौरा भी उपलब्ध कराएँ?

(छ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में अवैध तरीके से निजी तौर पर व्यक्तियों अथवा सरकार द्वारा पेड़ काटने की शिकायत किसी प्राधिकारी से की जा सकती है, कृपया अधिकारी का नाम, पदनाम व संपर्क ब्यौरा प्रदान करें;

(ज) विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना पौधारोपण किया गया, पूरा विवरण प्रदान करें; और

(झ) पौधारोपण के लिए क्या प्रक्रिया है और इसमें विभाग द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा सकती है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) व (ख) वृक्ष काटे/हटाये जाने के आवेदन के सम्बन्ध में प्रासंगिक विधि, उपविधि, नियम व अधिसूचनाओं का विवरण इस प्रकार है-

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक पेड़ को काटने/हटाने हेतु उस क्षेत्र के सम्बधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। वन विभाग किसी पेड़ को गिराने या छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है जिसके लिए भू-स्वामी निकायों/ व्यक्तियों द्वारा ''फॉर्म-बी'' आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। पूर्ण आवेदन

के बाद वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक निरिक्षण/जांच कराता है और आवेदन को अनुमोदित अथवा निरस्त अथवा अग्रिम अनुमोदन हेतु, वन संरक्षक को प्रेषित करता है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के वृक्ष काटने के आवेदन से सम्बंधित धारायें निम्नलिखित है :

धारा 2-जिसमें वृक्ष (Tree) की definition है।

धारा 8, धारा 9, धारा 10,

इसके अतिरिक्त दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) नियम, 1996 बनाये गए है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994-Annexure-A पर पर सलन्गित है।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) नियम, 1994-Annexure-B पर पर सलन्गित है।

आवेदन के लिए फॉर्म-बी Annexure-C पर पर सलन्गित है।

वृक्ष काटने/हटाने की अनुमति प्रदान करने की अथॉरिटी वृक्षों की संख्या/साइट के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई है, जो कि इस प्रकार है-

1. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 10 से कम है-उप-वन संरक्षक (Order की प्रतिलिपि Annexure-D पर पर सलन्गित है)
2. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 तक है- वन संरक्षक (Order की प्रतिलिपि Annexure-D पर पर सलन्गित है)
3. यदि हटाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 से अधिक है- सचिव, पर्यावरण एवं वन (दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार)

4. 4 जिस भूमि से पेड़ों को हटाया जाना है यदि उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या उससे अधिक हो तो वह प्रस्ताव दिल्ली वन (परिरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट (exemption) के लिए माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी प्रास करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी प्रास होने के पश्रचात सचिव (पर्यावरण एवं वन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर के तहत अधिसूचना फॉर्म में जारी किया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रकार के अनुमोदन के पश्चात उप-वन संरक्षक द्वारा एक पत्र सुरक्षा जमा राशि हेतु जारी किया जाता है। इसके बाद आवेदक इस राशि को डी. डी./चेक अथवा ऑनलाइन के माध्यम भुगतान कर सकता है। राशि प्राप्त होने के बाद उप-वन संरक्षक आवेदक यानि उपभोगी संस्था/व्यक्ति वृक्ष काटने/हटाने की अनुमति प्रदान करता है।

वृक्षों की छंटाई के लिए निम्न प्रक्रिया है-

वन विभाग किसी पेड़े की छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है। दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में पेड़ों को छांटने हेतु उस क्षेत्र के सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। परन्तु यदि किसी शाखा की 20 सेंटीमीटर से कम की गोलाई है तो उस शाखा की कटाई/छंटाई हेतु; भू-स्वामी निकायों/व्यक्तियों द्वारा ''फॉर्म-बी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। पूर्ण आवेदन के बाद वृक्ष अधि ाकारी/उप-वन संरक्षक निरिक्षण/जांच कराता है और आवेदन को वृक्ष छांटने की स्वीकृति प्रदान करता है। (Guidelines for pruning of TRees Annexure-E पर सलग्नित है)।

(ग) यदि किसी शाखा की 20 सेंटीमीटर से कम की गोलाई है तो उस शाखा की कटाई व छंटाई के लिए विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है (Guidelines for Pruning of Trees Annexure-E पर संलग्न है)। यह गाइडलाइन्स विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(घ) वांछित सूचना Annexure-F पर संलग्न है।

(ङ) प्रक्रिया, उपरोक्त (क) में वर्णित है। एतद्संबंधी विवरण इस प्रकार है:-

1. श्री भरत महेश्वरी आई.ऍफ.एस., उप-वन संरक्षक, पश्रिवम वन प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मंदिर मार्ग, बिरला मंदिर, दिल्ली-110060, मोबाइल नंबर- + 91 9773826992, कार्यालय दूरभाष-011-23361879.

2. श्री एस.के. मुआन गुटे आई.ऍफ.एस., उप-वन संरक्षक, दक्षिणी वन प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, शुटिंग रेंज के नजदीक, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110044. मोबाइल नंबर- +918800873022, कार्यालय दूरभाषा-011-26044711.

3. श्रीमती अनामिका आई.ऍफ.ण्स., उप-वन संरक्षक, उत्तरी वन प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमला नेहरु रिज, दिल्ली-110007 मोबाइल नंबर- +918130979292, कार्यालय दूरभाष-011-23853561.

(च) प्रक्रिया, उपरोक्त (क) में वर्णित है। पेड़ों को काटने या छांटने के लिए दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक अपना निर्णय आवेदन देने के बाद 60 दिन के अन्दर प्रदान करेगा।

(छ) मालवीय नगर क्षेत्र जो कि दक्षिणी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। दक्षिणी वन प्रभाग में कार्यरत दिवसों पर अवैध पेड़ काटने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिसका विवरण इस प्रकार है–

उप–वन संरक्षक, दक्षिणी वन प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ल सरकार, शूटिंग रेंज के नजदीक तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110044.

कार्यालय दूरभाष–011–26044711.

श्री छेदी लाल, वन रक्षक, संपर्क न.– + 919818285231.

श्री ताजउद्दीन, वन रक्षक, संपर्क न.–9197182155798.

इसके अतिरिक्त विभाग की ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600/011–23378600 में भी कार्यरत दिवसों पर अवैध पेड़ काटने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(ज) सूचना एकत्र की जा रही है। जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। ;

(झ) वर्ष 2018–2019 में वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों के साथ मिलकर लगभग 32.27 लाख पौधे लगाने की योजना है। जिसका विवरण Annexure-G पर सलन्गित है। वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा 3.5 लाख तथा दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी द्वारा 75 हजार पौधे नि:शुल्क वितरित किए जायेंगे जो कि इस लक्ष्य में शामिल है।

302. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार बंदरो पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कर रही है;

(ख) बंदरो को जनता द्वारा खाद्य पदार्थ देने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) गत चार वर्षो में कितने उल्लंघनकर्ताओ पर जुर्माना किया गया; और

(घ) सरकार ने उपरोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए जनता को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए है, इसकी विस्तृत जानकारी दे?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली वन विभाग बंदरो पर नियन्त्रण पाने के लिए उनके लेप्रोस्कोपिक बंध्याकरण करने हेतु कदम उठा रही है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है और इस पर उच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन भी किया है;

(ख) विभाग द्वारा समाचार पत्रों में समय-समय पर ज्ञापन देकर जनता को बंदरो को खाद्य पदार्थ न देने का अनुरोध किया जाता है;

(ग) गत 4 वर्षो में विभाग द्वारा कोई चालान नहीं किया गया है; और

(घ) विभाग द्वारा समाचार पत्रों में ज्ञापन देकर, जनता को बंदरो को खाद्य पदार्थ न देने का अनुरोध करता है व नगरपालिका को भी इस विषय पर जागरूकता के लिए प्रेरित किया जाता है।

303. श्री जगदीश प्रधान : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने विलायती कीकर, अमलतास आदि स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाने और अन्य फल व फूलों के वृक्ष लगाने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमे अब तक क्या प्रगति हुई है?

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पिछले बजट में रजोकरी स्थित करीब 6 एकड़ इलाके में पहला वन्य प्राणी बचाने का प्रस्ताव रखा था; और

(घ) इस कार्य में अब तक हुई प्रगति की जानकारी दे?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) विभाग द्वारा विलायती कीकर के वृक्ष नहीं लगाये जाते है। हालाँकि वन एवं वन्य जीव विभाग प्रतिवर्ष अमलतास आदि स्थानीय प्रजातियों के और अन्य फल एवं फूलों के वृक्ष लगाता है;

(ख) विभाग द्वारा पौधारोपण की जाने वाली प्रजातियों की सूचि संलग्न है;

(ग) व (घ) हाँ, रजोकरी में बर्ड एवं वाइल्ड लाइफ रेस्कयू सेंटर की घोषणा की गई है; और

यह प्रस्ताव रजोकरी में 1.24 एकड़ जगह जो कि पहले बंदरो के आश्रय के लिए था वहां प्रस्तावित किया गया। RMB से अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव सेंट्रल एमपावर्ड कमेटी (CEC), सुप्रीम कोर्ट के पास है।

LIST OF COMMON INDIGENOUS TREE SPECIES OF DELHI

Sl.No.	Name of the species
1.	Amaltas (Cassia fistula)
2.	Amla (phyllanthusemblica)
3.	Anar (Punica granatum)
4.	Anjan (Hardwickia binata)

Sl.No.	Name of the species
5.	Arjun (Terminalia arjuna)
6.	Ashok (Polyalthia Iongifolia)
7.	Ashok (Polyalthia pendula)
8.	Babool (Acacia nilotica)
9.	Bael Patra (degle marmelos)
10.	Baheda (Terminalia bellirica)
11.	Bakain (Melia azederach)
12.	Balam Kheera (Kigelia pinnata)
13.	Bargad (Ficus benghalensis)
14.	Ber (Zizyphus jujuba)
15.	Bistendu (Diospyros cordifolia)
16.	Champa (Plumeria obtusa)
17.	Desi papdi (Ehretia laevis)
18.	Dhak (Butea monosperma)
19.	Dhuak (Annogeissus pendula)
20.	Goolar (Ficus racemosa)
21.	Guava (Psidium guajava)
22.	Gulmohar (Delonix regia)
23.	Gundani (Cordia ghara)

Sl.No.	Name of the species
24.	Harad (Terminalia chebula
25.	Anjan (Hardwickia binnata)
26.	Harshingar (Nyctanthes arbor-tristis)
27.	Imli (Tamarindus indica)
28.	Indian coral tree (Erythrina vari
29.	Israeli babool (Acacia tortills)
30.	Jamun (Syzigium cumii)
31.	Jangli arand (Jatropha curcas)
32.	Jhaar (Kigelia Africana)
33.	Jhand (Prosopis cineraria)
34.	Jhinjheri (Bauhinia racemosa
35.	Jungle jalebi (Pithecellobium dul
36.	Kachnar (Bauhinia variegata)
37.	Kadamb (Acacia auriculiformis) (Ea
38.	Kadamb (Neolamarckia cadamba
39.	Kadi patta (Bergera koenigiii)
40.	Kanak (Pterospermum acerifolium)
41.	Kaniar (Bauhinia purpurea)

Sl.No.	Name of the species
42.	Karonda (Carissa karonda)
43.	Kassod (Senna siamea)
44.	Katahal Artocatpus integrifolia)
45.	Khair Acacia katech)
46.	Khairi Acacia senegal)
47.	Khajur (Phoenix sylvestris)
48.	Khezari (Prosopis cineraria)
49.	Khirni Manilkara hexandra)
50.	Lagestromla speciosa
51.	Lasora (Cordia dichotoma)
52.	Lesu (Cordia dichotoma)
53.	Toon (Toona cililata
54.	Maharukh (Ailanthus excelsa)
55.	Mahula (Madhuca longifolia var la
56.	Makkhan katora (Ficusbenghalensis
57.	Mango (Mangifera indica)
58.	Mulsari (musops eleng)
59.	Mulbery (Manus alba)
60.	Neel gulmobar (Jacurarida niimosifolia)

Sl.No.	Name of the species
61.	Neem (Azadirachta indica
62.	Pahadi Papri (Holoptelia integrefolia)
63.	Pasendu (Diospyros Montana)
64.	Peepal (Ficus religiasa)
65.	Phalsa (Grewia asiatica)
66.	Pilkhan (Ficus vire)
67.	Putranjiva (Dropetes rauburghi)
68.	Rohida (Tecomela undulata)
69.	Ronjh (Acacia leucocephala)
70.	Sagwan (Tectona grandis)
71.	Semur (Boinboxceiba)
72.	Shahtoot (Morus alba)
73.	Sharifa (Annona squomosa)
74.	Shisham (Dalbergia sissoo)
75.	Siras (Aibizia lebbeck)
76.	Sonjna (Moringa oleifera)
77.	Thor (Euphorbia neriifolia)
78.	Tuma (Millettia peguensis

304. पवन कुमार शर्मा : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति सोचनीय है और इसके प्रमुख कारणों में से एक धूल व प्लास्टिक का जलाया जाना है;

(ख) उक्त संदर्भ में सरकार की क्या कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) क्या सरकार की आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र के लिये उक्त संदर्भ में कोई विशेष योजना है; और

(ङ) यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) पर्यावरण विभाग एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आई.आई.टी. कानपुर के माध्यम से कराये गये अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों में एक कारण धूल व प्लास्टिक का जलाया जाना है।

(ख) एवं (ग)

- **खुले में अपशिष्ट/कूड़ा-कर्कट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई :** सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा-कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

1. पत्तियों/कूड़ा-कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

(डी.पी.सी.सी.) ने ''मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 पर अपना व्हाटस्प खाता'' खोला है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ-साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

3. सूखी पत्तियों/कूड़ा-कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को कहा गया है।

- **निर्माण कार्यो में धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :** सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है, क्षेत्र के एस.डी.एम., तहसीलदार, लोकनिर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालो से जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) के साथ-साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए

प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

(2) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने ऐसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

- सभी संबंधित पक्षों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा-कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

- दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर निगम के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए, इन सभी होम गार्डों के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अर्न्तगत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघनों के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

- याचिका संख्या ओ ए 21/2014 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों/निर्णयों के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) के जरिए संबधित विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है।

(घ) एवं (ङ) उपरोक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित सभी योजनाएं एवं अभियान सम्पूर्ण दिल्ली के लिए है जिसमें आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है।

305. श्री पंकज पुष्कर : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जल प्रदूषण के सभी कारक (फैक्टर्स) तथा जिम्मेदार एजेंसियों के बारे में विभाग की अद्यतन रिपोर्ट से अवगत कराएं;

(ख) दिल्ली के तिमारपुन विधानसभा क्षेत्र से होकर यमुना में मिलने वाले नजफगढ़ ड्रेन में जल प्रदूषण की स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त नजफगढ़ ड्रेन में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये 1 मार्च 2013 से 30 जून 2018 तक समय-समय पर क्या प्रयास किए गए हैं?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली में जल प्रदूषण के निम्न कारक हैं:-

1. यमुना नदी में गिरने वाले नाले।
2. औद्योगिक इकाइयों के अवजल का रिसाव।
3. रिहाइशी इलाकों से आने वाले अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित मल का रिसाव।
4. अनाधिकृत मानव बस्ती।

5. पशु पालन और उससे उत्पन्न अपशिष्ट का रिसाव।

6. ग्रीष्म ऋतु में यमुना नदी में पानी का कम बहाव।

7. जनसंख्या वृद्धि से सीवरेज संरचना पर दबाव।

8. अत्यधिक पेय जल का उपयोग

इससे सम्बंधित जिम्मेदार एजेंसियाॅ इस प्रकार हैं :-

1. दिल्ली जल बोर्ड (DJB)

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)

3. दिल्ली नगर निगम (दक्षिण, उत्तर, पूर्वी) (MCED)

4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FCD)

5. डी.एस.आई.आई.डी.सी. (DSIIDC)

6. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समीति (DPCC);

(ख) नजफगढ़ ड्रेन की पानी गुणवत्ता की जून माह की रिपोर्ट के अनुसार पी.एच. (pH) 7.5 टी.एस.एस. (TSS) 80mg/I, सी.ओ.डी. (COD) 148mg/I तथा बी.ओ.डी. (BOD) 42 mg/I है; और

(ग) दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त सूचना अनुसार, यमुना नदी में सीवर के पानी के बहाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :-

1. दिल्ली जल बोर्ड नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री एवं शाहदरा नालों के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है, जोकि दूषित पानी

को नजदीक अवजल शोधन संयंत्र तक ले जाएगी, लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, 240 एम.जी.डी. में से लगभग 90.9 एम.जी.डी. पानी को अवजल शोधन संयंत्र तक पंहुचा दिया गया है

2. यमुना एक्शन प्लान-III के तहत दिल्ली जल बोर्ड 209 मिलियन गैलन दैनिक प्लांट की कुल क्षमता के साथ रिठाला, कोण्डली और ओखला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पुर्ननिर्माण तथा इसे जुड़े हुए ट्रंक सीवरों जोकि लगभग 37 कि.मी. में है, के पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है;

3. दिल्ली में लगभग 1669 अनधिकृत कालोनियों में से 265 कालोनियों में आंतरिक सीवर व्यवस्था कर दी गयी है और मास्टर प्लान-2031 के अनुसार लगभग 340 कालोनियों में कार्य प्रगति पर है;

4. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 70 एम.जी.डी. अवजल शोधन संयंत्र कॉरोनेशन पिलर का कार्य प्रगति पर है। विकेन्द्रीकृत अवजल शोधन संयंत्र बनाने का कार्य भी प्रगति पर है जिसमें दूर दराज के इलाकों में सीवर को इकट्ठा करके उसका शोधन किया जायेगा।

5. लगभग 80 कि.मी. पुरानी पैरीफिरियल सीवर लाईन के पुर्नउत्थान का कार्य प्रगति पर है।

306. श्री पंकज पुष्कर : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायो मेडिकल वेस्ट के नियंत्रण एवं निष्पादन के संदर्भ में भारत सरकार और दिल्ली सरकार की क्या-क्या नीति तथा काननू है, माननीय उच्चतम या उच्च

न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के क्या–क्या आदेश सरकार के लिये संज्ञान में लिये जाने योग्य हैं, कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) 1 जनवरी, 2017 से 31 जून 2018 के बीच बायो–मेडिकल वेस्ट नियंत्रण एवं निष्पादन की नीति एवं कानून के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने के सभी स्रोतों के सर्वेक्षण की क्या दशा है;

(घ) क्या विभाग आश्वस्त है कि दिल्ली में जहाँ भी बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है, उसकी सूचना एवं बायो मेडिकल वेस्ट को नियंत्रण में रखने की कारगर व्यवस्था विभाग के पास है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(च) यदि नही, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(छ) भारत सरकार के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की प्रति उपलब्ध करवाएं;

(ज) ई–वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग द्वारा किए गए सभी प्रयासों का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावाएं;

(झ) क्या पर्यावरण विभाग आश्वस्त है कि इलैक्ट्रोनिक वेस्ट उत्पन्न करने के सभी स्रोतों की अचूक जानकारी विभाग के पास है;

(ञ) क्या इलैक्ट्रोनिक वेस्ट को नियंत्रण में रखने की पर्याप्त कारगर व्यवस्था विभाग के पास है;

(ट) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं;

(ठ) यदि नहीं तो इसकी कारगर व्यवस्था बनाने की भविष्य की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें;

(ड) दिल्ली में पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध की कानूनी स्थिति, नीति, नियम के संबंध में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं;

(ढ़) क्या विभाग आश्वस्त है कि पॉलिथीन बैन की वर्तमान नीति के अनुपालन के लिए पॉलिथीन बैग की समस्या को उत्पन्न करने वाले सभी स्त्रोतों की सम्पूर्ण जानकारी विभाग के पास है;

(ण) क्या विभाग के पास पॉलिथीन बैग की समस्या को उत्पन्न करने वाले सभी स्त्रोतों को नियंत्रण करने की कारगर व्यवस्था है;

(त) यदि हां, तो उसका विवरण उपलब्ध करवाएं; और

(थ) यदि नहीं, तो उसकी कार्ययोजना से अवगत कराएं?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) बायो मेडिकल वेस्ट का नियंत्रण एवं निष्पादन भारत सरकार द्वारा पारित बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 (समय-समय पर सशोधित) के अनुसार किया जा रहा हैं। इस संबध में माननीय उच्चतम या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिमरण के कोई अतिरिक्त आदेश नहीं हैं;

(ख) इस अवधि में 723 उल्लघंन के मामले सामने आये हैं;

(ग) बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाले सभी स्त्रोतों को बायोमेडिकल नियम पालन करने के लिये कहा जाता है। यह प्रक्रिया निरीक्षण एवं सहमति प्रमाण पत्र (consent) एवं प्राधिकरण (authorization) द्वारा नियंत्रित की जाती है;

(घ) हाँ जहाँ तक संभव है;

(ङ) विभाग ने दो Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF) जिनका नाम M/s Biotic Waste Solutions और SMS Water Grace BMW Pvt. Ltd. को अधिकृत किया गया है। इनके माध्यम से बायो मेडिकल वेस्ट इक्टठा किया जाता है तथा उसका निपटारा किया जाता है।

बायो मेडिकल वेस्ट को कारगर बनाने के लिये समय समय पर सार्वजनिक सूचना एवं गोष्ठियों द्वारा अवगत कराया जाता है। नये बायो मेडिकल वेस्ट नियम 2016 में जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है। जो इसे और भी कारगर बनाती है;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है;

(छ) भारत सरकार के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 तथा 2018 में निकाली गई संशोधन अधिसूचना की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार की निम्नलिखित website;

http://www.moef.gov.in.sites/default/files EWM%20Rules%202016%20english %2023.03.2016

http://www.moef.gov.in.sites/default/files/FInal%20E-Waste%20Rules%20%2C%202016%20%28Hindi%2023-03-2016.pdf

http://envfor.nic.in/sites/default/files/e-%20waste%20amendment%20notification%202018184020.pdf

पर उपलब्ध है;

(ज) डी.पी.सी.सी. द्वारा 58 उत्पादकों एवं 37 संग्रह केन्द्रों कोई-वेस्ट संग्रह करने के लिये अधिकार दिये गये थे जो की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों

द्वारा वापिस ले लिए गये है। यह कार्य अब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देख रहा है। ई–वेस्ट नियम को लागू करने के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा दिशा–निर्देश बनाए गए हैं।

जागरूकता के लिये डी.पी.सी.सी. द्वारा पांच कार्यशालों का आयोजन भी किया गया;

(झ) से (ञ), (ठ)

यह कार्य सी.पी.सी.बी. द्वारा किया जा रहा है।

सी.पी.सी.बी. ने 626 निर्माताओं को ई.पी.आर. प्राधिकरण (EPR Authorization) जारी किया है;

डी.पी.सी.सी द्वारा ई–वेस्ट के उत्पादन की सूची तैयार करने के लिये व्यवस्था की जा रही है; दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर विचार किया और दिनाँक 20.09.2011 को प्रारूप अधिसूचना व दिनाँक 23.12.2012 को फाइनल अधिसूचना निकाली।

(ड) से (थ) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न–बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियाॅ भी शामिल है) के प्रयोग, विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय एवं दुलाई पर प्रतिबंध लगाया है;

(http://It.delhigovt.nic.in/writereaddata/egaz2013546.PDF)

यह अधिसूचना याचिका संख्या WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05.12.2016 के फैसले के तहत

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है;

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 को याचिका संख्या OA 281/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अन्तरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया है एंव दोषियों को 5000/– रुपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का क्रियान्वन तीनों नगर निगम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रणन समिति द्वारा किया जा रहा है; और

(http://www.greentribunal.gov.in/DisplayFile.aspx)

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.07.2018 तक 40324 किलो 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई, दोषियों के 3369 चालान काटे गए एवं 5905000/– रुपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं।

307. श्री राजेश गुप्ता : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या योजना है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या पग उठाये गये हैं;

(ग) जनवरी, 2015 से अब तक कितने पौधों/वृक्षों का रोपण किया गया है; और

(घ) गुलाब सिंह मार्ग हरित पट्टी में किनारे की पट्टियों का रखरखाव का उत्तरदायित्व किसका है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) एवं (ख) **वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं;**

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है, पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी.पी.सी.सी. के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डी. पी.सी.सी. द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है;

- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 491 औद्योगिक इकाईयों ने ईंधन को PNG के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 491 औद्योगिक इकाईयों ने ईंधन को PNG में बदल लिया है।

- **खुले में अपशिष्ट/कूड़ा-करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई :** सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा-कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

1. पत्तियों/कूड़ा-कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने ''मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 पर अपना व्हाटस्प खाता'' खोला है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) के साथ-साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

3. सूखी पत्तियों/कूड़ा-कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को कहा गया है।

- **निर्माण कार्यों में धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :** सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है क्षेत्र के एस.डी.एम. तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सहायक अभियता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम) के साथ-साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेटों) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

2. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने ऐसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

- सभी संबधित पक्षों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा-कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने पर रोक लगे और निर्माण स्थालों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

- दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होमगार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए, इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अर्न्तगत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघन को सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

- याचिका संख्या ओ ए 21/2014 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों/निर्णयों, के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य

स्तरीय समिति (एस.एल.सी) के जरिए संबंद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है।

- **बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा :** प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई-वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई-रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की और से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी और से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई-रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

- दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि व दीर्घावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- **पटाखे चलाने पर रोक :** धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)(नियमावली), 1983 के नियम 20-क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किये गये हैं।

- **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ई.सी.सी.) की वसूली :** माननीय

उच्चत न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 के आदेशों के अनुपाल में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना भी जारी की गयी है।

- सड़कों की सफाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाये गए मकैनिकल रोड़ स्वीपर्ज की मदद से भी की जा रही है। इसके अतिक्ति सड़को पर पानी का छिड़काव उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

- पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने हेतु ग्रीन कवर बढ़ाना। जिसके लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली में लाखों और पौधे लगाये जा रहे हैं।

- सेंट्रल रिज एरिया में विलायती कीकर के स्थान पर नए पौधे लगाने की एक दीर्घावधि योजना शुरू की गई है।

- 2018-19 में जोनापुर, आया नगर, डेरा मांडी, बेला फार्म, गढ़ी मांडू पाकेट ए और अलीपूर में नए सिटी-फारेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है इसके अलावा सेंट्रल रिज में वॉकिंग-ट्रेल विकसित किए जांएगे, जिनसे नागरिकों को दिल्ली में ही घने वृक्षों के बीच सासं लेने का मौका मिलेगा।

ध्वनि प्रदूषण :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण)

नियम, 2000 और जैसा कि तिथि में संशोधन किया गया हैं इन नियमों में विभिन्न क्षेत्रो/जोनो के लिए ध्वनि मानकों का उल्लेख किया गया हैं। इन मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नामित किया गया है।

- सभी सरकारी कार्यालयों, सभी कचहरियों, 100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों एवं 1000 से अधिक विद्यार्थियों वाले शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरें को शांत क्षेत्र (साइलैंस) जोन अधिसूचित किया गया है।
- 5 के.वी.ए. से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर सैट को (ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों को छोडकर) रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा डीजल जनरेटर सैट में ध्वनि प्रतिरोधक संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर प्रेशर हॉर्न तथा हौंकिंग हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों का चालान तथा अन्य कार्यवाही करती है।

कचरा प्रबंधन :-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 से संबंधित निम्नलिखित कदम उठाये है।

1. सैनेट्री लेंडफिल साईट पर मिथेन गैस से बिजली बनाने का संयत्र लगाया गया।
2. प्रतिदिन कचरे का संघनन किया जाता है।
3. कचरे से बिजली बनाने के संयत्र कार्यरत हैं।

विकेन्द्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन नीति को दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाया गया है।

पू.दि.न.नि. से प्राप्त सूचना के तहत पू.दि.न.नि. द्वारा अभी तक 9748 वृक्ष एवं 16341 झाड़ियों (सर्ब) के पौधे लगाये जा चूके है तथा पौधारोपण का कार्य पूर्ण गति से जारी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए 25000 वृक्ष एवं 50000 झाडिया लगाने का लक्ष्य दिया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उपरोक्त परिपालन में अब तक कुल 18173 वृक्ष एवं 45053 झाडियाँ का रोपण किया गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सेन्ट्रल वर्ज पर हार्टीकल्वर डिवलपमेंन्ट, फुटपाथों एवं पेडों पर पानी का छिड़काव इत्यादि कार्य किये जाते रहे हैं।

(ग) ● वन एवं वन्य जीव विभाग से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :-

जनवरी 2015 से अब तक वन विभाग तथा अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए पौधों/वृक्षों/श्रब्स की संख्या का विवरण इस प्रकार है :-

जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक - 36,184

वित्त वर्ष 2015-2016 - 16,51,448

वित्त वर्ष 2016-2017 - 24,75,665

वित्त वर्ष 2017-2018 - 19,62,598

वित्त वर्ष 2018-2019 (14.07.2018 तक) - 2,83,280

- संपूर्ण दिल्ली में आर0 डब्लू0 ए0/एन0 जी0 ओ0 तथा संस्थानों इत्यादि को दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी नि:शुल्क पौधों/वृक्षों को उनके निवेदन पर उपलब्ध कराती हैं।

- दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी द्वारा 2015 जनवरी से अब तक 45729 पौधों/वृक्षों का वितरण किया गया है।

- पू.दि.न.नि. द्वारा जनवरी से अब तक 100140 वृक्ष एवं 211949 झाड़ियों (सर्ब) के पौधों का रोपण किया गया है।

- उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	वृक्ष	झाड़ियां
01.01.2015 से 31.03.2016	51352	64737
2016–2017	53941	150868
2017–2018	44037	35456
01.04.2018 से 31.07.2018	18171	45053

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	पौधों की संख्या
1.	2015–2016	101853
2.	2016–2017	93933
3.	2017–2018	103201
4.	2018–2019 अब तक	39229

- लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	वृक्ष	झाड़ियां
2015–2016	39615	150130
2016–2017	32945	305685
2017–2018	16928	103705
कुल	89488	559520

(घ) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त सूचनानुसार गुलाब सिंह मार्ग का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

308. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र में कौन–कौन सी श्रेणी के चुनाव करवाए जाते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी दी जाए;

(ख) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत छावनी बोर्ड के चुनाव करवाने की क्या प्रक्रिया है; उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए;

(ग) दिल्ली छावनी बोर्ड के चुनाव करवाने के लिए क्या लोकसभा एवं विधानसभा वोटर लिस्ट के अनुसार मतों का प्रयोग करवाकर चुनाव करवाया जाता है या किसी अन्य प्रक्रिया से, संपूर्ण जानकारी दें;

(घ) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में नगर निगम के तहत क्या चुनाव करवाए जा सकते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी दी जाए; और

(ङ) क्या गुरूद्वारे/मंदिरों और मस्जिदों में कौन–कौन सी समितियां गठित की गई, उन समितियों में दिल्ली छावनी विधानसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया, उनकी संपूर्ण जानकारी दी जाए?

माननीय उप मुख्य मंत्री : (क) दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा आठ वार्डों के पार्षद के लिए चुनाव करवाये जाते हैं;

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड के चुनाव, छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के प्रावधान अनुसार किये जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया का समस्त ब्यौरा एस.आर.ओ. सं. 5(E) दिनांक 21 अगस्त 2007 में विर्निदिष्ट है;

(ग) नहीं। दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा मतदाता सूची छावनी अधिनियम, 2006 एवं छावनी निर्वाचन नियम, 2007 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है;

(घ) न.दि.न. परिषद् क्षेत्र का तात्पर्य न.दि.न. परिषद् अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में विहित सीमा के भीतर के क्षेत्र से हैं। अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् का गठन किया जाता है; और

(ङ) यद्यपि यह प्रश्न दिल्ली छावनी परिषद् से संबंधित नहीं है तथापि गुरूद्वारे/मंदिरों और मस्जिदों में दिल्ली छावनी परिषद् द्वारा कोई भी सदस्यय मनोनीत नहीं है।

THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL ACT, 1994

CHAPTER II
THE COUNCIL

Constitution of the Council

Establishment of the Council

(1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be a Council charged with the municipal government of New Delhi, to be known as the New Delhi Municipal Council.

(2) The Council shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and may be the said name sue and be sued.

Composition of the Council

(1) The Council shall consist of the following members, namely :-

(a) a Chairperson, from amongst the officers, of the Central Government or the Government, of or above the rank of Joint Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi;

(b) three members of Legislative Assembly of Delhi representing constituencies which comprise wholly or partly the New Delhi area;

(c) five members from amongst the officers of the Central Government or the Government or their undertakings, to be nominated by the Central Government; and

(d) two members to be nominated by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi to represent from amongst lawyers, doctors, chartered accountants, engineers, business and financial consultants, intellectuals, traders, labourers, social workers including social scientists, artists, medial persons, sports persons and any other class of persons as may be specified by the Central Government in this behalf.

(2) The Member of Parliament, representing constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area, shall be a special invitee for the meetings of the Council but without a right to vote.

(3) Out of the eleven members referred to in sub-section (1), there shall be at least three members who are women and one member belonging to the Scheduled Castes.

(4) The Central Government shall nominate, in consultation with the Chief Minister of Delhi, a Vice-Chairperson, from amongst the members specified in clause (b) and (d) of sub-section (1).

THE FIRST SCHEDULE
[See Section 2(27)]
BOUNDARIES OF NEW DELHI

The Area bounded by-

The junction of the Pusa Road and Upper Ridge Road towards east along the New Link Road, the Panchkuian Road upto its junction with the Old Gurgaon Road; thence towards north-east along the Old Gurgaon Road and Chelmsford Road upto the New Delhi Railway Station; thence towards south and south east along the railway line upto its junction with the Harding Bridge; thence towards south along the Mathura Road upto its junction with Lodi Road; thence towards south along the Lodi Road upto its junction with the first road leading to Lodi Colony; thence towards south along the first road leading to Lodi Colony upto its junction with the Qutab Road; thence towards south along the Qutab Road upto to its junction with Kaushak Nulla; thence towards east along the Kaushak Nulla up to its junction with the Boundary of the Corporation; thence towards south and thence towards west along the boundary of the Corporation and along the south boundary of the Medical Enclave upto its junction with the Ring Road near Gwalior Potteries; thence towards north-west along the Ring Road upto its junction with Kitchner Road, thence towards north along the Upper Ridge road up to the starting point.

309. सुश्री भावना गौड़ : क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा में कितने पोलिंग स्टेशन हैं;

(ख) प्रत्येक का वार्ड सहित ब्यौरा दें;

(ग) प्रत्येक वार्ड में कितने कितने बूथ हैं;

(घ) प्रत्येक बूथ का ब्यौरा वार्ड वाइज गली, मोहल्ला, व कॉलोनी के नाम सहित उपलब्ध करायें; और

(ङ) प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर पड़ने वाले बूथों का ब्यौरा अलग अलग दें?

माननीय उप मुख्य मंत्री : (क) पालम विधान सभा में कुल 231 पोलिंग स्टेशन हैं;

(ख) वार्ड न–51 s (मधु विहार)

वार्ड न–52 s (महावीर एन्क्लेव)

वार्ड न–53 s (साध नगर)

वार्ड न–54 s (पालम)

(ग) वार्ड न–51 s (मधु विहार) – 57 बूथ

वार्ड न–52 s (महावीर एन्क्लेव) – 74 बूथ

वार्ड न–53 s (साध नगर) – 52 बूथ

वार्ड न–54 s (पालम) – 48 बूथ

(घ) प्रत्येक बूथ का ब्यौरा वार्ड वाइज गली, मोहल्ला, व कॉलोनी के नाम पूष्ठ संख्या – 01 से 33 तक संलग्न है; और

(ङ) प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर पड़ने वाले बूथों का ब्यौरा पृष्ठ संख्या– 34 से 35 तक संलग्न है;

(राष्ट्र गान–जन–गण–मन)

माननीय अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।